स्वराज का मसविदा

अर्थात्

नेहरू-कमेटी की रिपोर्ट

लखनऊ के सर्वदल-सम्मेलन की

कार्यवाही सहित

स्वराज का मसविदा

अर्थात्

नेहरू-कमेटी की रिपोर्ट

—◌:✻:◌—

लखनऊ के सर्वदल-सम्मेलन की

कार्यवाही सहित

अनुवादक

पं० भगवती प्रसाद पांडे बी० ए०

(भूतपूर्व सम्पादक, 'स्वराज' प्रयाग)

प्रथम संस्करण } १९२८ { मूल्य २)

विषय सूची

चित्र-सूची

निवेदन

नेहरू-कमेटी की रिपोर्ट सर्व प्रथम अंग्रेज़ी भाषा में प्रकाशित हुई थी। जब यह सुना गया और पत्रों में इसकी प्रशंसा होने लगी, तब हिन्दी-जनता तथा हिन्दी-पत्रों ने इसके हिन्दी में न होने के कारण खेद प्रकट किया और कांग्रेस से शिकायत की। कुछ हिन्दी-पत्रों ने इस रिपोर्ट के कुछ अंश हिन्दी में उद्धृत भी किये। परन्तु उनसे हिंदी के पाठकों की भूख बुझी नहीं, किन्तु और भी बढ़ गई। यह देख कर हम एक दिन अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान मंत्री, जिन्हों ने नेहरू—कमेटी की रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में प्रकाशित किया है, पं० जवाहर लाल नेहरू से मिले और उनसे हमने इस रिपोर्ट को हिन्दी-जनता के लिए हिन्दी में उपस्थित करने के लिए आज्ञा मांगी। आपने हमें बाकायदा अ० भा० कांग्रेस-कमेटी के मंत्री के नाम एक इस आशय का प्रार्थना-पत्र लिख भेजने को सलाह दी। हमने ऐसा ही किया और हमें उसके उत्तर में, कांग्रेस-कमेटी के दफ़्तर से इस रिपोर्ट को हिन्दी में अनुवाद करने की आज्ञा मिल गई। हमने विजय प्रेस के अध्यक्ष, पं० काशीनाथ जी वाजपेयी, जो राष्ट्रीय साहित्य तथा उपादेय साहित्य के प्रकाशित करने के लिए सदा लालायित रहते हैं, के प्रोत्साहन से इस अनुवाद को आरम्भ कर दिया। बिलम्ब से, आवश्यकता को देख कर, यह आरम्भ किया गया और इसी कारण यह

आज, इतने बिलम्ब से, हिंदी-जनता के सन्मुख उपस्थित हो रहा है। हमें आशा है कि सहृदय पाठक, हमें इस विलम्ब के लिए क्षमा करेंगे।

दूसरी बात, जिसके लिए हमें क्षमा प्रार्थना करनी है, यह है कि इस अनुवाद में जहां तहां, छापे की ग़लतियां रह गई हैं। इसके कारण भी मुख्य रूप से हम ही हैं। हम, जिस समय यह अनुवाद छप रहा था, कई अनेक आवश्यक कामों में फंस गये थे। हमने ऐसी हालत में, हम से जितना हो सका, उतना समय, ध्यान, तथा परिश्रम इस ओर लगाया। परन्तु यह हम कह सकते हैं कि जितना आवश्यक था, उतना नहीं। यदि सौभाग्य से इसका दूसरा संस्करण निकाला, तो हम उसमें इन ग़लतियों को आवश्य दूर कर देंगे।

शारदा-सदन,
प्रयाग
श्री कृष्णाष्टमी,
सम्वत् १९८५

अनुवादक
भगवती प्रसाद पांडे

श्रीयुत डाक्टर एम० ए० अंसारी,

सभापति, सर्वदल-सम्मेलन

श्रीयुत सभापति महोदय,

बम्बई में सर्वदल-सम्मेलन ने १६ मई सन् १६२८ ई० को हिन्दुस्तान के शासन-विधान के सिद्धान्तों का निर्णय करने के लिए जो कमेटी नियुक्त की थी, मैं सादर उस कमेटी की रिपोर्ट को आपकी सेवा में उपस्थित करता हूँ। इस रिपोर्ट के तैयार होने में जो बिलम्ब हुआ है, उसके लिए मुझे खेद है। इस बिलम्ब के कारणों से मैं आपको पहिले ही सूचित कर चुका हूँ और आपने कृपा पूर्वक इस रिपोर्ट को देर से निकालने के लिए मुझे अपनी अनुमति भी देदी थी।

इलाहाबाद,
१० अगस्त, सन्
१६२८ ई०

भवदीय—
मोतीलाल नेहरू
चेयरमैन

प्रस्तावना

इस रिपोर्ट को सर्वदल-सम्मेलन के, जिसने इस कमेटी को नियुक्त किया है, सामने रखते समय, हम आरम्भ ही में इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक समझते हैं कि हमको जो हिदायत दी गई थी वह यह थी कि हम हिन्दुस्तान के लिए एक ऐसा शासन-विधान तैयार करें जो पूर्ण उत्तरदायी राज्य स्थापित करने के लिए काफ़ी हो। हमने इस हिदायत का अर्थ जिन कारणों से औपनिवेशिक राज्य लगाया है, उनको हमने इस रिपोर्ट के पहिले अध्याय में प्रकट कर दिया है। यह इस रिपोर्ट के पढ़ने से मालूम होगा कि हमने 'उत्तरदायी राज्य' और 'औपनिवेशिक राज्य' में कोई अन्तर नहीं माना है। और इस समस्त रिपोर्ट में हमने यह माना है कि इन दोनों प्रकार के राज्यों का एक ही अर्थ है।

इसमें संदेह नहीं कि सर्व दल सम्मेलन में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो 'पूर्ण स्वतंत्रता' के हामी हैं। परन्तु सर्वदल-सम्मेलन में कोई ऐसा दिखलाई नहीं देता है, जो औपनिवेशिक राज्य से कम में संतुष्ट होजायगा। इस ख़्याल से शायद ही किसी का मत-भेद होगा कि हिन्दुस्तान को ब्रिटिश राष्ट्रसमूह के सब राष्ट्रों के समान पद मिलना चाहिए। यह बात निर्विवाद है कि

हिन्दुस्तान में जो माननीय राजनीतिक दल हैं, उन सबका इस सम्बन्ध में एक मत है कि हिन्दुस्तान का पद तथा स्थिति कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका के उपनिवेशों से अथवा आयरलैंड के स्वतंत्र राज्य से किसी हालत में भी कम न होनी चाहिए। संक्षेप में, इस सम्बंध में यह समझ लेना चाहिए, कि हमलोग 'औपनिवेशिक राज्य' को अपनी राजनीतिक उन्नति की कोई दूर की मंजिल क़रार नहीं देते हैं, किन्तु इसको हम बस अपना दूसरा क़दम ही समझते हैं। जब यह बात है, तब फिर हमारे लिए उस आधार की सच्चाई को सिद्ध करना जिस पर हमने अपनी शिफ़ारिसें की हैं, अनावश्यक है।

झूठी बातें—परन्तु अभी हाल में सरकारी अफसरों ने कुछ झूठी बातें इस अभिप्राय से उठा दी हैं कि या तो हिन्दुस्तान में उत्तरदायी राज्य की स्थापना ही न होने पावे या उसकी स्थापना में विलम्ब लग जाय। यह सम्भव है कि ये हमारे आलोचक भिन्न भिन्न दल के होंगे और इनकी दलीलें भिन्न भिन्न होंगी। हमने इसलिए रिपोर्ट की इस प्रस्तावना में उन सब घटाओं को जो हमारे मुख्य प्रश्न के चारों ओर आ घिरी हैं, हटाना उचित समझा है। ये सब दलीलें संक्षेप में निम्नलिखित हैं—

(१) उत्तरदायी राज्य का अर्थ, अवश्य करके, औपनिवेशिक राज्य ही नहीं होता है, किन्तु वह औपनिवेशिक राज्य से कम भी हो सकता है।

(२) पार्लामेंट ने औपनिवेशिक राज्य देने के लिए कभी प्रतिज्ञा नहीं की है ।

(३) उत्तरदायी राज्य के अमल में लघु-संख्यक जातियाँ और हिन्दुस्तान की सामाजिक स्थिति विघ्न रूप है ।

(४) हिन्दुस्तानी लोग अपनी रक्षा करने के लिए असमर्थ हैं ।

(५) हिन्दुस्तान की देशी रियासतों का प्रश्न हल नहीं हुआ है ।

(६) यूरुप के व्यापारियों तथा यूरुप के उन लोगों में, जो हिन्दुस्तान में नौकर हैं, बेचैनी फैली हुई है ।

औपनिवेशिक राज्य—वैध राजनीति में औपनिवेशिक राज्य का अर्थ स्पष्ट है । यद्यपि स्पष्ट रूप से इसकी परिभाषा करना कठिन है, परन्तु वे लोग, जिनको राजनीतिक संस्थाओं के इतिहास तथा उनके विकाश का ज्ञान है, यह समझते हैं कि औपनिवेशिक राज्य से क्या मतलब है । सन् १९२६ ई० के साम्राज्य-सम्मेलन में ग्रेट ब्रिटेन और उपनिवेशों की उन जातियों के पद के विषय में, जो स्वराज भोग रही हैं, यह निश्चित हुआ था कि यद्यपि ये जातियाँ ब्रिटिश सम्राट के अधीन हैं और सब की सब ब्रिटेन के राष्ट्र समूह की मेम्बर हैं, परन्तु 'ये ब्रिटिश साम्राज्य की वे जातियाँ जो स्वराज भोग रही हैं, इन सब का पद बराबर है और ये अपने घरेलू अथवा बाहरी मामलों के किसी रूप में भी एक दूसरे के अधीन नहीं हैं' । कीथ

की 'रेसपौंसिबिल गवर्नमेन्ट' नाम की पुस्तक की दूसरी जिल्द के १२२४ पृष्ठ से उद्धृत] इसी विद्वान का कहना है—'परिभाषा का महत्व उसके भाव में है, न कि उसके अर्थ की सूक्ष्मता में, क्योंकि एक घटना का विवरण तत्संबंधी आदर्श के विरुद्ध होता है'। हम केवल परिभाषा के भाव ही से संतुष्ट हैं, और हमारा यह भाव है कि जो कठिनाइयाँ हमें औपनिवेशिक राज्य के अमल में ब्रिटिश राष्ट्र समूह के और मेम्बरों के साथ साथ सहन करनी पड़ें उनको, और उपनिवेशों की कठिनाइयों की भांति, उन्हीं लाभकारी नैतिक और राजनीतिक सिद्धान्तों के द्वारा, जिनके बल पर ब्रिटिश राष्ट्र समूह के राष्ट्रों का एक दूसरे के साथ संबंध निभाया जा रहा है और निभाया जाना चाहिए, दूर करना चाहिए।

उत्तरदायी राज्य—ब्रिटिश साम्राज्य के सब उपनिवेशों के शासन-विधानों की वह बात, जो सर्व विधानों में पाई जाती है यह है कि उन सब में हर जगह उत्तरदायी राज्य है, जिसका अर्थ यह है कि इन सब उपनिवेशों में उस प्रकार का राज्य है जिसमें कार्याकारिणी सभा जनता की निर्वाचित व्यवस्थापिका सभा के लिए उत्तरदायी होती है। बस यह प्रत्येक उपनिवेशों की राजनीतिक अवस्था है। और इस उपरोक्त अर्थ के अलावा हमने अभी कहीं कोई और अर्थ उत्तरदायी राज्य का नहीं सुना है और न हमने, उस राज्य को छोड़ कर जहाँ एकाधिपत्य है अर्थात् केवल एक राजा का राज्य है, कभी

यह देखा है कि व्यवस्थापिका सभा का पद अधीनता का रक्खा गया है अथवा उसके अधिकारों को नियंत्रित कर दिया गया है।

घोषणा, अगस्त, सन् १९१७ ई०—हमारे विरोधी आलोचकों का यह कहना है कि अगस्त सन् १९१७ ई० की घोषणा का यह अर्थ था कि हिन्दुस्तान में स्वराज-संस्थाओं को धीरे धीरे इस विचार से उन्नत किया जाय कि हिन्दुस्तान उत्तरोत्तर उत्तरदायी राज्य को प्राप्त करता चला जाय और ये ही शब्द हिन्दुस्तान-सरकार—एक्ट की भूमिका में दिये हुए हैं। सब से पहिली बात इस संबंध में, जिसके कहने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वह यह है कि हम में से उन लोगों ने, जो कांग्रेस के मेम्बर हैं, इन उपरोक्त शब्दों को कभी नहीं माना है और दूसरी यह कि हम में से लोग, जिन्हों ने उपरोक्त भूमिका को माना है, इस बात में विश्वास नहीं कर सकते हैं कि सन् १९१७ ई० से सन् १९१९ ई० तक की पार्लामेंट अथवा अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने, जब उन्होंने इन उपरोक्त शब्दों को कहा था, तब विचार पूर्वक कुछ बातों को छिपा लिया था और ऐसी भाषा का प्रयोग किया था जो हिन्दुस्तान के औपनिवेशिक राज्य की प्राप्ति के अधिकार के विरुद्ध प्रयोग में लाई जा सके। ८ फ़रवरी, सन् १९२४ ई० में एसेम्बली के इजलास में सर मेलकमहेलो ने, जो उस समय हिन्दुस्तान सरकार का होम मेम्बर था, ये विचार प्रकट किये थे, "यदि तुम पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य पर विचार करो,

तो तुम को यह मालूम होगा कि इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। इस के अर्थ में केवल यही बात नहीं आती है कि कार्यकारिणी सभा को व्यवस्थापिका सभा का उत्तरदायी होना चाहिए, बल्कि इसमें यह भी है कि व्यवस्थापिका सभा को वे सब अधिकार भी प्राप्त होने चाहिए, जो आधुनिक उपनिवेश के अनुकूल हों। परन्तु मेरी समझ में तो इसके अर्थ में अवश्य कुछ अन्तर है, क्योंकि उत्तर- दायी राज्य में ऐसी व्यवस्थापिका सभा भी हो सकती है, जिसके अधिकार परिमित और नियंत्रित हों। यह मान लिया जावे कि 'पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य', 'उत्तरदायी राज्य' ही का एक निश्चित फल है अथवा यों कहिए कि यह उत्तरदायी राज्य की एक अनिवार्य तथा एतिहासिक उन्नता-वस्था है, परन्तु यह मानना पड़ेगा कि यह और आगे की चीज़ है और अन्तिम मंज़िल है"। इस भाषण को हिन्दुस्तान के सर-कारी कर्मचारियों की एक नई विचार-धारा का आरम्भ सम-झना चाहिए। और हम यह देख रहे हैं कि उस दिन से, यह विचार अंग्रेज राजनीतिज्ञों, अंग्रेज़ी समाचार—पत्रों तथा हिन्दुस्तान की नौकरशाही के पैंशनयाफ्ता अंग्रेज़ों की पुस्तकों में दिखलाई पड़ रहा है। सर मैलकमहेली के भाषण की दलीलों और उनके गूढ़ार्थों का एसेम्बली के मेम्बरों ने तथा एसेम्बली के बाद हिन्दुस्तान के लोक-मत ने उसी समय खण्डन कर दिया था।

औपनिवेशिक राज्य और उत्तरदायी राज्य में कोई अन्तर नहीं हैं—अब हम यह बतलाना चाहते हैं

कि 'औपनिवेशिक राज्य' और 'उत्तरदायी राज्य' में जो अब अन्तर बतलाया जाता है, वह सन् १९१७ ई० अथवा सन् १९१९ ई० में कभी नहीं बतलाया गया था,। और न २० अगस्त, सन् १९१७ ई० की घोषणा को स्वीकार कराते समय हिन्दुस्तान को यह बतलाया गया था कि ब्रिटिश सम्राट की सरकार का विचार कुछ कम देने का है हिन्दुस्तान को औपनिवेशिक राज्य से अर्थात् उस उत्तरदायी राज्य के देने का है, जिसमें "व्यवस्थापिका सभा के अधिकार परिमित और नियंत्रित हों"। यदि यह मान लिया जाय कि अंग्रेज़ राजनीतिज्ञों का वास्तव में यही आशय था, तो इसका अर्थ यह होगा कि उन्होंने विचार पूर्वक यह दो अर्थ वाली बात कही थी। और यदि यह कहीं सत्य है, तो इससे हिन्दुस्तान के उन राजनीतिक दलों का भी विश्वास ब्रिटिश पार्लामेंट के कथन में न रहेगा जो अब तक यह मानते हुए चले आरहे हैं कि 'औपनिवेशिक राज्य' तो हिन्दुस्तान के हिस्से में आ ही गया है। सर मैलकमहेली को यह पूरी तौर से मालूम था कि ब्रिटिश सम्राट ने गवर्नर-जनरल के लिए जो हिदायत एक पर्चे पर लिख कर भेजी थी, उसमें यह लिखा हुआ था कि "अन्त में ब्रिटिश हिन्दुस्तान हमारे उपनिवेशों के समान अपना उचित पद प्राप्त करेगा"। उसने इन शब्दों का अपने भाषण में ख़्याल करते हुए, परन्तु यह साबित न करते हुए, उल्लेख किया है कि इन शब्दों से मेरी दलील और भी ज़ोरदार हो जायगी। हमारा यह ख़्याल है कि हमने जो सम्राट के ये शब्द उद्धृत

किये हैं उनका यह मतलब है कि सम्राट हमारे इस विचार का समर्थन करता है कि सन् १९१७ या सन् १९१९ ई० में 'उत्तरदायी राज्य' में न तो पार्लामेंट ने और न ब्रिटेन के किसी राजनीतिज्ञ ही ने कोई सूक्ष्म अन्तर दिखलाया है, जिसको सर मैलकमहेली को सन् १९२४ ई० में प्रकट करने के लिए छोड़ दिया गया था। इसका कोई सवाल ही नहीं है कि हिन्दुस्तान उस क़िस्म के उत्तरदायी राज्य को स्वीकार कर सकता है जिससे सर मैलकमहेली का तात्पर्य है, अर्थात् एक ऐसी राज्य-प्रणाली को, जिसमें व्यवस्थापिका सभा के अधिकार सीमित अथवा निमंत्रित हों।

हिन्दुस्तान की सच्ची स्थिति—हमने यह ख़्याल किया था कि ब्रिटिश सरकारने जो उत्तरदायी राज्य के देने का वायदा किया है, उसका उदार भाव से अर्थ लगाया जायगा बलिक उसका अर्थ इस भाव से न किया जायगा जो उन लोगों के, जिन्होंने इसके लिए मांग उपस्थित की है, मान पर आघात पहुंचावेगा और उनके द्वारा तिरस्कृत किया जायगा। अगर उस हालत को जिसमें पार्लामेंट ने घोषणा की थी और उस मांग को, जो उस घोषणा के उत्तर में उपस्थित की गई थी ध्यान में लाया जाय और अगर, इससे भी अधिक, इस बात का ख़्याल किया जाय कि हिन्दुस्तान ने ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशों की तरह सुलह की संधियों पर हस्ताक्षर किये हैं

और वह लीग आफ़ नेशन का आदि से सदस्य है, तो इसमें शंका नहीं की जा सकती है कि इंगलैंड हिन्दुस्तान के प्रति इस बात के लिए बचन-बद्ध है कि हिन्दुस्तान का ब्रिटिश राष्ट्र-समूह में बिलकुल वैसा ही स्थान रहेगा जैसा कि उपनिवेशों का है। हमारे ख़याल से हिन्दुस्तान का यह अधिकार ऐसे मत-भेदों के कारण, जिनको हिन्दुस्तान-सरकार के होम मेम्बर ने सन् १६२४ में प्रकट किया है, कम नहीं हो सकता। अगर सर मैलकम हेली का यह कहना ठीक है कि उत्तरदायी राज्य-प्रणाली में व्यवस्थापिका सभा के सीमित अथवा नियंत्रित अधिकार हो सकते हैं, तो तर्क यह स्पष्ट बतलाता है कि औपनिवेशिक स्वराज्य, उत्तरदायी राज्य का एक नतीजा नहीं हो सकता, किन्तु यह एक आगे की मंजिल अथवा अंतिम मंज़िल के रूप में केवल उसी समय स्थापित हो सकता है, जब कि व्यवस्थापिका सभा के अधिकार की सीमा और नियंत्रण को अलग कर दिया जावे। यह सब सिर्फ़ हिन्दुस्तान के साथ खिलवाड़ करना है और उस झगड़े को क़ायम रखना है जो, जब तक कि यह ख़तम न हुआ, तब तक एक ओर इंगलिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच के मनमुटाव को हमेशा बढ़ाता रहेगा और दूसरी ओर हमारे स्वराज्य के काम में तथा सामाजिक और आर्थिक संगठन में लगी हुई शक्तियों में रुकावट पैदा करेगा। सर मैलकम हेली ने जो उत्तरदायी राज्य का अर्थ किया है, उसके संबंध में हम २३ दि० सन् १६१६ ई० की शाही घोषणा का,

जिसमें ब्रिटिश सम्राटके सन् १९१९ ई० के एक्ट के विषय में निम्नांकित शब्द कहे हैं, उल्लेख करते हैं "इसके बाद पूर्ण उत्तर-दायी राज्य" और "उसके (हिन्दुस्तान के) लोगों को अपने काम काज को करने और अपने हितों की रक्षा करने का अधिकार"। प्रो.फेसर कीथ ने सन् १९२० ई० के अंत में हिन्दुस्तान की व्यवस्थापिका सभाओं के चुनाव के संबंध में यह कहा था, "हम उस समय की घोषणा करते हैं, जब कि हिन्दुस्तान को पूर्ण स्वराज्य प्राप्त होगा और वह ब्रिटिश राष्ट्र समूह के उपनिवेशों और संयुक्त राज्य की बराबरी का दर्जा पावेगा"। हमारा मतलब भी ऐसे ही स्वराज्य के अर्थ से है। हम उस अर्थ को, जो हिन्दुस्तान सरकार के एक मैम्बर ने किया है और जिसने पार्लमेंट को गम्भीर घोषणा का निषेध किया है, स्वीकार नहीं कर सकते।

हमने इसलिए इस रिपोर्ट में इन दो आधारों पर अपनी शिफारिसें उपस्थित की हैं—(१) हमारा इस संबंध में एक मत है कि हिन्दुस्तान औपनिवेशिक राज्य से कम में सन्तुष्ट न होगा। (२) जिस प्रकार के राज्य को हिन्दुस्तान में स्थापित करना है, वह औपनिवेशिक राज्य होगा और उससे, किसी हालत में, कम न होगा।

औपनिवेशिक राज्य के लिए एतराज़

बैलट बक्स—जो तरह तरह के एतराज़ इस क़िस्म के राज्य के विषय में किये गये हैं, वे हम को सब मालूम हैं। उदाहरणार्थ-

यह कहा गया है कि बैलट बक्स की जो प्रथा है, वह हिन्दुस्तान के लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। हिन्दुस्तान को स्वराज प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे समालोचक तो यहां तक कहते हैं कि पार्लामेंटी राज्य इंगलैंड के अलावा यूरुप के अन्य सब देशों में विफल रहा है। यह बात विचारने योग्य है कि इस प्रकार की आलोचना पर भी यूरुप के प्रत्येक देश ने, जिसने एकाधिपत्य राज्य को तलाक़ दे दी है, किसी न किसी रूप में पार्लामेंटी राज्य ही को ग्रहण किया है। हमारे ख़्याल से, हमारे समालोचक ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वे हमारे लिए इटली और रूस जैसे देशों की, जहां बहुत गरम दर्जे की राजनीति है, राज्य-प्रणाली को उदाहरण के लिए उपस्थित करें। यह बात केवल यूरुप ही के सम्बंध में नहीं है, किन्तु पूर्व के जापान, तुर्की और ईरान देशों ने भी पार्लामेंटी क़िस्म के राज्य को अपने यहां स्थापित किया है। परन्तु, यदि हम यह मान भी लें कि बैलट बक्स हिन्दुस्तान के लिए मौज़ूं नहीं है, तो फिर हमारा सवाल यह है कि 'दूसरी क्या चीज़ मौज़ूं है'?

ख़्याली पुलाव—कुछ ख़्याली तजवीज़ें भी पेश की गई हैं। उदाहरणार्थ—यह कहा गया है कि हिन्दुस्तान में बहुत से राज्य बना देने चाहिए। ये उसी प्रकार के होने चाहिए, जिस प्रकार के अपने पुराने ढंग के देशी राज्य हैं। सर वालटर लारेंस का यह कहना है, "जरूसलम के बनाने वालों को किसी

सुरक्षित और सुदृढ़ नीम की ओर आना पड़ेगा । इसमें संदेह नहीं कि देशी राज्यों की पुरानी राज्य-प्रणाली को ग्रहण करना तथा उसको और अधिक समुन्नत बनाना, इस बात से बहतर है कि एक ऐसी प्रणाली को उपहास-जनक और निर्जीव बनाया जाय, जो केवल बलवान ब्रिटिश अफसरों ही के द्वारा, जो प्रथक, निष्पक्ष, और स्फिनिक्स* की भाँति सच्चे हैं चल सकती है', ['हिन्दूस्तान जिसकी हमने सेवा की' नाम की अंग्रेजी पुस्तक के २८६ पृष्ठ से उद्धृत,] इस गोलमाल तजवीज का क्या मतलब हो सकता है, इसका समझना कठिन है । इसमें संदेह नहीं कि इस में यह बात तो तजवीज की गई है कि हिन्दुस्तान के प्रान्त अथवा उन प्रान्तों के कुछ भाग देशी राज्यों को दे दिये जायं, अथवा ब्रिटिश हिन्दुस्तान के कृपा-पात्र लोगों में से नये राजा बनाये जायं । इसका अर्थ यह कभी न होगा कि हिन्दुस्तान के लिए हिन्दुस्तानियों को इच्छानुसार तथा ब्रिटिश पार्लामेंट के वचनानुसार किसी शासन-प्रणाली का विकाश होरहा है, किन्तु इसका अर्थ यह होगा कि हिन्दुस्तान से ब्रिटिश शासन उठ रहा है, जिससे भविष्य के इतिहासकार

---

*ग्रीक देश का एक राक्षस जिसका सिर स्त्री का सा था और धड़ शेरनी का सा था । यह लोगों से पहिलियां पूछा करता था । जो पहेली का जवाब न दे सकता था, उसकी वह गर्दन दबा देता था । इसका यहां यह अर्थ है कि ऐसा आदमी जिसकी बात कोई काट न सके ।

कुछ नैतिक फल निकालेंगे। इससे भी एक और भयंकर तजवीज़, कुछ महीने पहिले, इंगलैंड के टोरी *दल के एक सुप्रसिद्ध पत्र ने की थी। तजवीज़ यह थी कि हिन्दुस्तान-सरकार को मुग़ल ख़ानदान के किसी आदमी को ढूँढ कर दिल्ली का राजा बना देना चाहिए। हम यह विश्वास नहीं कर सकते हैं कि ये तजवीज़ें वास्तव में राजनीतिक दृष्टि से गम्भीर हैं।

हिन्दुस्तान और ब्रिटेन की हिस्सेदारी—इन तजवीज़ों के अलावा हिन्दुस्तान के पेंशनयाफ़ता गवर्नरों ने इंगलैंड में हिन्दुस्तान और ब्रिटेन की हिस्सेदारी के सवाल पर बड़ी गम्भीरता के साथ बहस छेड़ दी है। इनका कहना है कि अगर हिन्दुस्तान के लोग इस बात के लिए राज़ी होजायं कि कुछ ब्रिटिश अफ़सर कम से कम ५० फ़ी सदी, या इससे भी अधिक हमेशा के लिए हिन्दुस्तान में तैनात होजायं, तो हिन्दुस्तान का सम्पूर्ण प्रश्न हल हो जाय। हमारा यह सतर्क विश्वास है कि इंगलैंड के कुछ बड़े लोगों का यह गम्भीर विचार है कि जिन बातों की इस समय आवश्यकता है वे ये हैं—(१) इस क़िस्म की राज्य-प्रणाली की स्थापना की जाय जिसमें मंत्री हों, जो व्यवस्थापिका सभा में से चुने जायं। और सम्राट अफ़सरों को नियुक्त करे, जो व्यवस्थापिका सभा के प्रति नहीं, किन्तु सम्राट ही के प्रति उत्तरदायी

---

*इङ्गलैंड का एक राजनितिक दल जिसका मत हिन्दुस्तान के ख़िलाफ़ रहता है।

हों। (२) प्रान्तों में एक दूसरी व्यवस्थापिका सभा भी हो, जो संकीर्ण विचार वाले दल की शक्ति को बढ़ाने और अनुत्तरदायी छोटी व्यवस्थापिका सभा के अविचारयुक्त कामों का विरोध करे। (३) केन्द्रीय सरकार के गठन को बिलकुल जैसा वैसा हो छोड़ दिया जाय। (४) यदि सम्भव हो, तो एसेम्बली को अखिल भारतवर्षीय राज्यनीतिज्ञों के, जो कि प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के मैम्बरों की अपेक्षा प्रतिनिधित्व में कम समझे जाते हैं, व्यवस्था संबंधी कामों का नियंत्रण करके, कम हानिकारक बना दिया जाय। इसके बारे में यह है कि यह सब इंगलैंड और हिन्दुस्तान के कुछ लोगों के लिए वैध उन्नति हो सकती है, परन्तु हमारे ख़्याल से इस तरह का राज्य, उत्तरदायी राज्य अथवा औपनिवेशिक राज्य से एक बहुत दूर की बात है।

समझौते की कोई सूरत नहीं—वास्तव में, मामला यह है कि हिन्दुस्तान में पूर्ण उत्तरदायी राज्य यानी औपनिवेशिक राज्य के स्थापन करने में कैसी भी कठिनाइयां क्यों न हों, परन्तु इस वर्तमान दोगली राज्य-प्रणाली और सच्ची उत्तरदायी राज्य-प्रणाली के बीच में कोई भी समझौते की सूरत नहीं है। जब हम इस समस्या पर विचार करते हैं, तब हमको यह ज्ञात नहीं होता कि यह प्रश्न गोरी अथवा काली सरकार का है, बल्कि यह प्रश्न उस आधारभूत सिद्धान्त का है, जिस पर हिन्दुस्तान का भावी राज्य स्थापित होगा। अगर गवर्नर-जनरल की कार्यकारणी समिति के सब मैम्बर

हिन्दुस्तानी हों, और अगर प्रांतों की नौकरशाही के सब लोग हिन्दुस्तानी हों, तो इसका केवल यह अर्थ होगा कि बजाय गोरी नौकरशाही के काला नौकरशाही हो गई है। हम गोरे और काले इन दोनों शब्दों का किसी ऐसे अर्थ में इस्तैमाल नहीं कर रहे हैं कि जिससे किसी को चोट पहुंचे। हमारे सामने वास्तविक समस्या तो यह है कि राज्यनीतिक अधिकार और उत्तरदायित्व इंगलैंड के लोगों के हाथों से निकल कर हिन्दुस्तान के लोगों के हाथों में आजाय।

हिन्दुस्तान का मंत्री—प्रश्न यह है कि इंगलैंड के लोग इस समय हिन्दुस्तान के प्रति अपने उत्तरदायित्व को किस प्रकार निभाते हैं ? इंगलैंड का एक साधारण वोटर हिन्दु-स्तान के बारे में न कुछ जानता है और न उसके पास हिन्दुस्तान के लिए समय है। इंगलैंड के वोटर अपने कुछ प्रतिनिधियों को पार्लामेंट में भेज देते हैं। ये प्रतिनिधि कई दलों में बटे हुए हैं। इन में से बहुत से हिन्दुस्तान के बारे में बिलकुल भी कुछ नहीं जानते हैं और उनका यह सदा का विश्वास है कि हिन्दुस्तान का मंत्री, जिसको क़ानूनन कुछ अधिकार मिले हुए हैं, हिन्दुस्तान के हितों को देख-भाल करने को मौजूद ही है। हिन्दुस्तान का मंत्री साधारणतः एक राजनीतिज्ञ होता है, जो स्वयं हिन्दुस्तान के विषय में कुछ नहीं जानता है और, इसलिए, उसको लाचार हो कर हिन्दुस्तान के मामलों की जानकारी या तो हिन्दुस्तान-

सरकार या अपने दफ़्तर के स्थायी कर्मचारियों से अथवा हिन्दुस्तान-कौंसिल के मैम्बरों से करनी पड़ती है। इसलिए सबसे पहिली ज़रूरत तो यह है कि हिन्दुस्तान के मंत्री के पद का जो, कुछ सालों से, कई हालतों में, हिन्दुस्तान के हितों के लिए भयंकर और हिन्दुस्तान-सरकार का विरोधी साबित हुआ है, अलग कर दिया जाय। हिन्दुस्तान-सरकार का हिन्दुस्तान के मंत्री की अधीनता से स्वतंत्र होने का अर्थ यह है कि राजनीतिक अधिकार ब्रिटिश वोटर के हाथ से, हिन्दुस्तानी वोटरों के हाथ में आजाय। हिन्दुस्तान पर पहिले कभी दूर देश में बैठे हुए राज दरबार ने, जो स्वयं सीधा राज्य नहीं कर सकता है, और जिसको, इसलिए, अपनी शक्ति और अधिकार को अपने किसी प्रतिनिधि को देना पड़ता है, राज्य नहीं किया है। इस प्रकार की राज्य-प्रणाली को यद्यपि यह किसी दूसरे मुल्क के लिए अस्वाभाविक है, परन्तु हिन्दुस्तान जैसा देश भी, जिसको सामाजिक और आर्थिक समस्याओं ने और ख़ास तौर से नवीन बल, नवीन आत्म-सम्मान और देश-प्रेम के नवीन भावों ने एक नवीन शक्ति दे दी है, हमेशा के लिए सहन नहीं कर सकता। इसलिए वैध रूप से और सिद्धांतः हमारा यह ख़्याल है कि उस क़िस्म के पूर्ण उत्तरदायी राज्य से, जिसमें राजनीतिक अधिकार प्रजा को प्राप्त होते हैं, कम में मामला तै नहीं हो सकता।

देशी राज्य—सर मैलकम हेली ने अपने भाषण में जिसका हवाला हम ऊपर दे चुके हैं, कुछ प्रश्न उठा कर हमारी

औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग के खिलाफ़ कुछ एतराज़ किये थे। वे एतराज़ प्रायः हमारे समालोचकों की समालोचना के नमूने माने जा सकते हैं। सर मैलकम हेली यह प्रश्न करता है कि "क्या औपनिवेशिक स्वराज्य केवल ब्रिटिश हिन्दुस्तान ही के लिए होगा अथवा देशी राज्यों के लिए भी" ? हमने इस प्रश्न का उत्तर एक अलग अध्याय में दिया है जिसकी ओर हम ध्यान आकर्षित करते हैं।

लघु संख्यक जातियाँ—दूसरा प्रश्न जो सर मैलकम हेली ने पूछा था और जिसको प्रायः हमारे समालोचक पूछते हैं, वह यह है कि "लघु-संख्यक जातियों की क्या स्थिति होगी" ? सर मैलकम हेली की तरह हम इस प्रश्न को बहुत तूल देना नहीं चाहते हैं, परन्तु उसकी तरह हम यह अनुभव करते हैं कि हमें अभी इस "प्रश्न को हल करना है"। हमने इस समस्या को, इस रिपोर्ट में, हल करने की कोशिश की है। हमने लघु-संख्यक जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए नियम बनाये हैं। ये नियम हमने केवल अधिकार-घोषणा ही में नहीं दिये हैं, किन्तु हमने इस प्रश्न पर, विस्तार पूर्वक, व्यवस्थापिका सभाओं में लघु-संख्यक जातियों के प्रतिनिधित्व की समस्या के साथ भी विचार किया है। हमारा यह कहना है कि लघु-संख्यक जातियों की समस्या केवल हिन्दुस्तान ही में नहीं है। दूसरे देशों में तत्सम्बन्धी समस्या पर उस समय विचार किया गया था, जब कि यूरुपीय

महायुद्ध के बाद इन देशों के लिए शासन-विधान तैयार हो रहे थे। परन्तु उन देशों में इस समस्या को लेकर यह दलील कभी नहीं दी गई कि चूँकि इन देशों में लघु-संख्यक जातियों के हित का प्रश्न है, इसलिए उन्हें पूर्ण स्वराज्य नहीं मिल सकता है। हम सर्वदल-सम्मेलन से यह बड़े ज़ोरों से शिफ़ारिस करते हैं कि अगर हमारी शिफ़ारिसों को कुछ घटा-बढ़ा कर लघु-संख्यक जातियों की समस्या का निबटारा किसी आधार पर संभव हो, तो ऐसे आधार को, इस विचार को ध्यान में रखते हुए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस से देश के बड़े बड़े और अधिक स्थायी हितों की रक्षा होगी।

सामाजिक और राजनीतिक अवस्था—दूसरा प्रश्न जिसको सर मैलकम हेली ने उठाया था और प्रायः जिसे और लोगों ने भी उठाया है, वह यह है—"क्या हम इस बात से संतुष्ट हो चुके हैं कि हिन्दुस्तान में ऐसे सामाजिक और राजनीतिक आधार वर्तमान हैं, जिन पर ऐसा वैध राज्य निर्विघ्न ठहर सकता है"? सर मैलकम ने इस प्रश्न का उत्तर एक प्रकार से अपने भाषण में दे दिया है। उसने कहा है कि "मैं अब इस बात को तूल देना नहीं चाहता हूँ। मैं यह दावा नहीं करता हूँ कि एक देश अपनी वैध उन्नती के लिए तब तक ठहरा रहे, जब तक उसके वोटर बहु-संख्या में पढ़े-लिखे न हो जायं। हमने इंगलैंड में इस बात का इन्तज़ार नहीं किया था। इसके अलावा मेरा इस बात से भी एतराज़ नहीं है कि इस देश के पढ़े-लिखे

लोगों का लोक-मत पर बड़ा भारी प्रभाव है। इतना बड़ा प्रभाव है कि वह जन-संख्या के मुक़ाबले में कहीं अधिक है। परन्तु मेरा यह दावा है कि इस समय हिन्दुस्तान की राजनीतिक उन्नति, पहिले ही, यहां की सामाजिक उन्नति से बढ़ चुकी है"। इस संबंध में हम यह कहेंगे कि यदि हिन्दुस्तान में ऐसा राष्ट्रीय राज्य होता, जो प्रजातंत्र के सिद्धान्त पर स्थापित होता, तो वह देश की सामाजिक उन्नति के अधिकारों की इतने दुःख-जनक रूप में उपेक्षा न करता, जितने में इस नौकरशाही सरकार ने, कुछ तो अपने विदेशीपन के कारण, कुछ अपनी सर्वप्रियता को ठेस न पहुंचाने के कारण और कुछ इस भय से कि यदि हिन्दुस्तान सामाजिक रूप से बलवान हो जायगा, तो वह अपनी राजनीतिक अवस्था में भी अधिक शक्तिशाली बन जायगा, की है। हम इस बात से एतराज़ नहीं करते हैं कि सामाजिक उन्नति की बड़ी ज़रूरत है। इसमें संदेह नहीं कि इस संबंध में जल्दी करने की आवश्यकता है। हम यह अनुभव करते हैं कि यह दलील उत्तरदायी राज के विरोध में नहीं है, किन्तु पक्ष में है। क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि जब तक हमारे हाथ में वास्तविक राजनीतिक अधिकार नहीं आएंगे, तब तक सामाजिक पुनर्गठन के असली कार्य-क्रम का सवाल व्यर्थ है। साथ ही साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि देश में बहुत सी संस्थाएं, जिनकी देश के पढ़े-लिखे लोग जन-धन से सहायता कर रहे हैं, गत कितने ही वर्षों से, सामाजिक सुधार के लिए काम कर रही हैं। इन का काम प्रशंसनीय हुआ है। परन्तु इस काम की

हमारे विदेशी समालोचकों ने, जो हमारे जीवन के अच्छे पहलू की बनिस्बत बुरे पहलू पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं, उपेक्षा की है। हम यह विश्वास नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश में, भविष्य में जो उत्तरदायी राज्य स्थापित होगा, वह हमारी सार्वजनिक शिक्षा के अधिकार या दलित जातियों के उत्थान या हमारे ग्राम-जीवन के सामाजिक अथवा आर्थिक पुनर्गठन की उपेक्षा करेगा। इस संबंध में वर्तमान कौंसिलों ने अपने सीमित आर्थिक साधनों तथा अधिकारों के अधार पर जो कुछ किया है, वह ज़ाहिर करता है कि कई सूबों के मेम्बरों ने, उस समय की अपेक्षा, जब कि सुधार नहीं दिये गये थे, प्राइमरी शिक्षा की ओर कहीं अधिक अपना ध्यान और सहायता दी है।

यूरुपियनों का वाणिज्य और नौकरियां—इस के बाद हमें यूरुपियनों के वाणिज्य संबंधी प्रश्नों का मुक़ाबला करना पड़ता है। इस संबंध में यह कहा जाता है कि "जिन लोगों ने हिन्दुस्तान में बड़ी बड़ी पूंजियाँ लगा दी हैं और जो अपने काम को रोज़ाना बढ़ाते चले जाते हैं, उनको यह जानने का अधिकार है कि उनको यह बतला दिया जाय कि हम राज्य-परिवर्तन की आशा जल्द करते हैं"। इसी प्रकार हमसे यह कहा जाता है कि जो यूरुपियन या हिन्दुस्तानी, सिविल या मिलटरी (फ़ौजी) विभाग में नौकर हैं, उनको यह जानने का हक़ है कि वे यह जान जायँ कि हम अपनी राज्य-व्यवस्था में, अभी हाल ही में कोई बड़ा

भारी परिवर्तन कर रहे हैं। यूरुपियनों के वाणिज्य के बारे में हमें यह कहना है कि हम नहीं समझते हैं कि उन लोगों को, जिन्होंने हिन्दुस्तान में बहुत सी पूँजी लगा दी है, क्यों भयभीत होना चाहिए? यह बात तो ख़्याल में भी नहीं आ सकती है कि एक जाति के ख़िलाफ़, जो देश में क़ानून की रू से तिजारत कर रही है, कोई भेद भरा क़ानून बना दिया जाय। यूरुप की तिजारत ने हिन्दुस्तान की तिजारत की भांति, प्राचीन समय में, उन परिवर्तनों को जो कि बड़े व्यापार में हमेशा हुआ करते हैं, सहन किया है और भविष्य में भी सहन करेगी, और, न तो कोई राज्य पश्चिम में और न किसी दूसरी जगह अभी तक पूँजीवालों और मज़दूरों के झगड़ों को स्थायी रूप से तै कर सका है। अगर यूरुप की तिजारत के कोई ख़ास हित हैं, जिनके लिए, भविष्य में ख़ास बर्ताव की ज़रूरत है, तो केवल यह करना उचित है कि इन हितों की रक्षा करने के लिए यूरुपवालों को अपने प्रस्ताव उपस्थित करने चाहिएं। इस संबंध में हमें तनिक भी शंका नहीं है कि इन प्रस्तावों पर वे लोग, जो अपने देश की राजनीतिक समस्या को शांतिपूर्वक हल करने के लिए चिंतत हैं, उचित रूप से विचार करेंगे। नौकरियों के बारे में हम उन नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिनको हमने इस रिपोर्ट में तजवीज़ किया है। लाभ, भत्ता और पैंशन के संबंध में, जिनके वे हिन्दुस्तान के राष्ट्रसमूह के स्थापित होने पर भी अधिकारी होंगे, हमने कानून बना कर पूरे तौर से यह निश्चय कर दिया है कि इस

संबंध में हमारा यह कर्तव्य है कि हम यह बतलादें कि जब ली कमीशन* की नियुक्ति हुई थी, तब हिन्दुस्तानियों की ओर से इसका बड़ा विरोध हुआ था। इसकी शिफ़ारिसों को हिन्दुस्तानियों की व्यवस्थापिका सभा की राय के खिलाफ़ ग्रहण कर लिया गया है। इसलिए, हमारा यह ख़्याल है कि भविष्य में नौकरियों की भर्ती, तनख़्वाह, लाभ, भत्ता और पैंशनों के संपूर्ण प्रश्नों की, उस नयी राजनीतिक अवस्था में, जो नये विधान के कारण पैदा होगी, फिरसे जांच करनी होगी। इसका यह अर्थ नहीं है कि स्थायी नौकरियाँ, चाहे वें यूरुपियनों की हों या चाहे हिन्दुस्तानियों की, उत्तरदायी सरकार के अन्तर्गत औपनिवेशिक स्वराज्य की अपेक्षा कम महत्व या प्रभाव की होंगी या कम सुरक्षित रहेंगी।

सेना का अधिकार—अंतिम प्रश्न, जिसके बारे में हमें कुछ कहना है, रक्षा का प्रश्न है। सर मैल्कम हेली ने अपने भाषण में कहा है कि पूर्ण औपनिवेशिक राज्य के मानी ये हैं कि "औपनिवेशिक राज्य की पूर्ण अधीनता में औपनिवेशिक सेना रहे। मुझे अभी तक कोई ऐसा गम्भीर विचारवान पुरुष नहीं मिला है, जिसने यह कहा हो, कि हिन्दुस्तान इस समय अथवा जल्द भविष्य में इस योग्य हो जायगा कि वह अपने यहां एक औपनिवेशिक सेना, जैसा कि इसका उचित अर्थ है, रख

*यह कमीशन सिविल और मिलिटरी सर्विस की तहक़ीक़ात के लिए नियुक्त हुआ था।

सकेगा"। इसी विषय पर प्रोफ़ेसर कीथ कहता है, "यह माना जा सकता है कि हिन्दुस्तानी फ़ौज के अफ़सर हिन्दुस्तानी हो हो सकते हैं और उसको इस दर्जे तक लाया जा सकता है, जिससे देश के अन्दर की अमनो अमान, तथा सरहद्दी हिफाज़त हो सके। लेकिन इस संबंध में जो अब तक तरीक़ा इख़्त्यार किया गया है, वह बहुत सुस्त रहा है। यह कदाचित सत्य है कि यह ख़्याल, कि हिन्दुस्तान की सेना में हिन्दुस्तानी लोग रहें, अभी ब्रिटिश सेना के लोगों ने पसन्द नहीं किया है। परन्तु सेना-विभाग में हिन्दुस्तानियों के लिए जो कमीशन (जगह) मिल भी सकते थे, उनके लिए भी उपयुक्त उम्मेदवार तैयार नहीं हुए हैं। यह एक बड़ी निराशा-जनक बात है। निस्सन्देह इसका कारण यह है कि जो लोग अपने लड़कों को नौकरी में भेजना चाहते हैं, उनको वे सिविल-सर्विस में भेजते हैं, क्योंकि इसमें पैसा अधिक मिलता है। इसके अलावा सिविल सर्विस में सेना-विभाग की तरह कोई जाति-भेद भी नहीं है। परन्तु मामला यह है कि जब तक एक प्रभावशाली हिन्दुस्तानी सेना न होगी, तब तक स्वराज एक असंभव बात रहेगी,। केंद्रीय सरकार की ओर से इस मामले का कितना ही विरोध तथा अवहेलना क्यों न की जाय, परन्तु यह जैसा का तैसा ही रहेगा"।

यह उपरोक्त कथन सत्य है। परन्तु हम, इस बात को, जो वैध कही जाती है, स्वीकार नहीं करते हैं कि हिन्दुस्तान बिना एक हिन्दुस्तानी अथवा औपनिवेशिक सेना के औपनिवेशिक

राज्य प्राप्त नहीं कर सकता है। इस सम्बन्ध में पहिली बात तो यह है कि हमको हिन्दुस्तानी सेना को तैयार नहीं करना है। वह तो पहिले ही से मौजूद है। दूसरी बात यह है कि हमारे समालोचकों का जो यह ख़्याल है, वह इतिहास की दृष्टि से सत्य नहीं है।

हम इस विषय के सम्बन्ध में सर शिव स्वामी अय्यर के भाषण से, जिसको आपने १८ फ़रवरी, सन् १९२४ ई० को एसैम्बली में दिया था, यहां कुछ भाग उद्धृत करते हैं। सर शिव स्वामी अय्यर एक सज्जन हैं, जिन्होंने हिन्दुस्तान के सेना संबंधी प्रश्न का विशेष रूप से अध्ययन किया है। हम आपके इन शब्दों को निस्संकोच भाव से उद्धृत करते हैं—"सेना संबन्धी समस्या के विषय में मुझे यह कहना है कि मैंने उपनिवेशों के इतिहास का अध्ययन किया है। उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि उपनिवेशों में से कोई भी उपनिवेश उस समय, जिस समय उनको स्वराज मिला था, अपनी रक्षा के कार्य को अपने हाथ में लेने के योग्य नहीं था। इसके बाद कई सालों तक ये अपने यहां की सेना के ख़र्च को नहीं दे सके थे। इस ख़र्च के इंगलैंड स्वयं देता था। परन्तु, प्रत्युत, हम अपने यहां की सेना के ख़र्च को आरम्भ ही से देते चले आये हैं। हमने केवल सेना का ख़र्च ही नहीं दिया है, किन्तु हमने अपने लोगों को सेना में भर्ती भी किया है। हमने अपनी हिन्दुस्तानी सेना को तैयार किया है और उसका ख़र्च दिया है। इसके अलावा हमने

ब्रिटिश सेना को भी रक्खा है और उसका ख़र्च दिया है। इस प्रकार अपनी रक्षा के सवाल में हम उपनिवेशों से बढ़े हुए हैं। इसमें संदेह नहीं कि सर मैलकम हेली का यह कहना ठीक है कि औपनिवेशिक स्वराज के अर्थ ही ये हैं कि उसके अन्तर्गत रक्षा करने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। परन्तु यह योग्यता केवल सेना के खर्च ही देने की न हो, किन्तु उसके अफ़सर तैयार करने और प्रबन्ध करने की भी हो। परन्तु जिस समय उपनिवेशों को स्वराज दिया गया था, उस समय किसी उपनिवेश के संबन्ध में इस सेना के प्रश्न पर ज़िद नहीं की गई थी। हां, उनके भीतरी रक्षा के प्रश्न के सम्बन्ध में अवश्य एक शर्त थी। सो भी उनके स्वराज प्राप्त करने के कई साल बाद की गई थी। परन्तु इन को बाहरी रक्षा के प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे नहीं मालुम कि यह काम अब भी इनके सुपुर्द है, या नहीं। समुद्री रक्षा के विषय में यह है कि यह काम इनके सुपुर्द नहीं है"।

सेना संबंधी शिफ़ारिसें—हमने इस रिपोर्ट में इस बात की शिफ़ारिस की है कि हिन्दुस्तानी सेना का अधिकार हिन्दुस्तान की स्वराज-सरकार को दे दिया जाय और सेना-विभाग के अफ़सरों की वेतन, लाभ, भत्ता तथा पैंशन जैसी की तैसी रहे। हमारा यह विश्वास है कि यदि सेना-विभाग का एक उत्तरदायी मंत्री, जिसको अपने काम-काज में सेना-विभाग के एक विशेषज्ञ का सलाह-

मशत्ररा भो मिलेगा, व्यवस्थापिका सभा में रहेगा, तो सेना और व्यवस्थापिका सभा में घनिष्ट सम्बन्ध हो जायगा, जिससे उसे सेना के लिए निरंतर रूप से धन मिलता रहेगा। इस समय सेना का बजट एक बड़ी पवित्र चीज़ माना जाती है। क़ानूनन इस पर बहस नहीं हो सकती। बहस केवल उसी समय हो सकती है, जब गवर्नर-जनरल क़ानून के विरुद्ध अपनी अनुमति दे दें। अस्तु, किसी हालत में भी सेना के मामले व्यवस्थापिका सभा के अधीन नहीं हैं। इस संबंध में वर्तमान परिस्थिति तो यह है कि जो कुछ अब तक किया गया है, वह केवल आठ अदद वाली[१] योजना ही के रूप में एक गंभीर कोशिश की गई है। यदि इस योजना पर जल्द अमल किया जायगा, तो भी हिन्दुस्तान की सेना को पूरा तौर से हिन्दुस्तानी बनने में कम से कम एक सदी अवश्य लग जायगी। स्कीन कमेटी* की रिपोर्ट को, जिसने आठ अदद वाली योजना की निंदा की है, जो गति हुई है, वह तो लोक-प्रसिद्ध है और सैंढर्स्ट फ़ौजी शिक्षाका कालिज के उम्मेदवारों के बढ़ाने का जो प्रस्ताव है, उससे यह अनुमान नहीं होता कि कुछ न्याय्य समय में सब सेना हिन्दुस्तानियों ही की हो जायगी। हमारा इस ख़याल से मत-भेद है कि सैंढर्स्ट के लिए जो अब तक भर्ती हुई है, उससे अधिक नहीं हो सकती थी। हम यह अनुभव करते हैं कि

---

१ सेना में हिन्दुस्तानियों को अधिक संख्या में भर्ती करने की योजना।

*यह कमेटी सेना सम्बन्धी तहक़ीक़ात के लिए नियुक्त हुई थी।

इसके चुनाव में जिस तरी .के को ग्रहण किया गया है, उसमें अभी बहुत कमी है। परन्तु हमारा इस बात में विश्वास नहीं है कि यदि हिन्दुस्तानियों को सेना का अ.फसर बनाने की शिक्षा के लिए सब आवश्यक साधनों को जुटाया जाय, तो उनमें काफ़ी मात्रा में कार्य-कुशलता नहीं आ सकती। हिन्दुस्तान के उत्तर-दायी राज्य की यह पहिली चिन्ता होनी चाहिए की वह हिन्दुस्तान को और बातों को तरह सेना में भी सम्पन्न बनावे। हमने बस इसी ख़्याल से इस रिपोर्ट में यह तजवीज़ की है कि हिन्दुस्तान-सरकार क़ानूनन सेना संबंधी शिक्षा के लिए स्कूल और कालिजों की स्थापना करे। इस संबंध में और भी अधिक सचेत रहने के लिए हमने यह भी तजवीज़ की है कि एक रक्षा-कमेटी की स्थापना तत्संबंधी न्यूनाधिक सुप्रसिद्ध आदर्शों पर होनी चाहिए।

पहला अध्याय

—:o:o:o:—

कमेटी

कमेटी की नियुक्ति—उस कमेटी को, जिसकी हम रिपोर्ट सादर उपस्थित कर रहे हैं, सर्व दल-सम्मेलन ने १६ मई, सन् १९२८ ई० को बम्बई में निम्नलिखित प्रस्ताव पास करके नियुक्त किया था—

"सर्व दल-सम्मेलन का यह अधिवेशन यह निश्चय करता है कि एक कमेटी नियुक्त की जावे, जिसके मैम्बर पं० मोतीलाल नेहरू (अध्यक्ष), सर तेजबहादुर सप्रू, सर अली इमाम, श्रीयुत प्रधान, श्रीयुत श्वैब कुरैशी, श्रीयुत सुभाष चन्द्र बोस, श्रीयुत माधवराव अणे, श्रीयुत एम० आर० जयकर, श्रीयुत एन० एम० जोशी और सरदार मंगलसिंह हों और जो आगामी पहिली जुलाई से पहिले हिन्दुस्तान के भावी शासन-विधान के सिद्धान्तों पर विचार करे तथा अपना निर्णय प्रकाशित करे और उस निर्णय को देश की भिन्न भिन्न संस्थाओं को भेज दे। यह कमेटी मद्रास-कांग्रेस के साम्प्रदायिक एकता के प्रस्ताव पर भी पूर्ण विचार करेगी और उसके साथ साथ हिन्दू-महासभा, मुस्लिम-लीग, सिक्ख-लीग और सर्व दल-सम्मेलन के दिल्ली के अधिवेशन के, जिसमें सब राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे, प्रस्तावों, तथा उन तजवीज़ों पर भी विचार करेगी, जो उसको

बाद में मिलेंगी। और यह कमेटी, इस सब पर विचार करते समय, सर्व-दल-सम्मेलन की उप-समितियों की शिफ़ारिसों को भी, उचित स्थान देगी।

सर्व दल-सम्मेलन का अधिवेशन, अगस्त, सन् १९२८ ई० के आरम्भ में, इस कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए दिल्ली में होगा"।

संक्षिप्त इतिहास—इस कमेटी के कार्य के विषय में लिखने के पूर्व हम उन कुछ घटनाओं का ज़िक्र करना उचित समझते हैं, जिनके कारण इस कमेटी की नियुक्ति हुई थी।

गोहाटी-कांग्रेस—दिसम्बर, सन् १९२६ ई० में गोहाटी-कांग्रेस का अधिवेशन उस समय हुआ था, जब कि देश में एक अत्यन्त दुःख-जनक* घटना हुई थी और हिन्दू और मुसलमानों के झगड़े-फ़िसाद ख़ूब ज़ोरों पर थे। यह देखकर कांग्रेस ने इस आशय का एक प्रस्ताव पास किया कि कांग्रेस की कार्य-कमेटी हिन्दू और मुसलमान नेताओं से जल्द सलाह-मशवरा करके कोई ऐसे उपाय सोचे, जिससे हिन्दू और मुसलमानों का यह वर्तमान समय का शोचनीय झगड़ा दूर हो जाय और वह इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट को अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस-कमेटी के सामने ३१ मार्च, सन् १९२७ ई० तक अवश्य उपस्थित करदे।

---

*एक हठधर्मी मुसलमान ने श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी की हत्या की थी। हत्या के समय श्री स्वामीजी बीमारी की हालत में खटिया में पड़े हुए थे।

गोहाटी-कांग्रेस को इन हिदायतों के अनुसार कांग्रेस की कार्य-कमेटी और कांग्रेस के उस वर्ष के सभापति ने हिन्दू और मुसलमान नेताओं और केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के मेम्बरों के साथ कई सभाएं कीं।

मुस्लिम प्रस्ताव—२० मार्च, सन् १६२७ ई० को मुसलमानों के कुछ प्रधान नेताओं की दिल्ली में एक सभा हुई, जिसमें उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न के सम्बन्ध में हिन्दुओं तथा समस्त देश की स्वीकृति के लिए कुछ प्रस्ताव पास किये। इन प्रस्तावों ने, जो 'मुस्मिल प्रस्तावों' के नाम से मशहूर हैं, यह बतला दिया कि मुसलमान लोग नीचे लिखी शर्तों के साथ प्रान्तीय तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सम्मिलित चुनाव के लिए तैयार हैं—

(१) सिंध एक अलग प्रान्त कर दिया जाय।

(२) सीमा प्रांत और बिलोचिस्तान को दूसरे प्रान्तों के समान अधिकार दिये जायँ।

(३) पंजाब और बंगाल के प्रान्तों में चुनाव प्रत्येक जाति की जन-संख्या के हिसाब से किया जाय।

(४) केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में मुसलमानों के एक तिहाई मैंबर रहें।

इन प्रस्तावों को कांग्रेस के पास भेजा गया। कांग्रेस की कार्य-कमेटी ने दूसरे ही दिन एक इस आशय का प्रस्ताव पास करके भेजा कि हम मुस्लिम-सभा की, सम्मिलित चुनाव के प्रस्ताव

को स्वीकार करने के लिए, प्रशंसा करते हैं और यह आशा कर-
ते हैं कि इन प्रस्तावों के आधार पर कुछ संतोष-जनक फ़ैसला
हो जायगा। इस कमेटी ने कांग्रेस की ओर से, हिन्दू और
मुसलमानों के नेताओं से, इस सम्बन्ध में, बात चीत करने के
लिए, एक कमेटी भी नियुक्त कर दी।

कांग्रेस की कार्य-कमेटी—कांग्रेस की कार्य-कमेटी की
बैठक १५ से १८ मई, सन् १९२८ ई० तक बम्बई में हुई, जिसने
हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न पर एक बड़ा लम्बा प्रस्ताव पास किया। यह
प्रस्ताव 'मुस्लिम-प्रस्तावों' के आधार ही पर पास किया गया था।
परन्तु इस में कुछ और मामलों के विषय में भी विस्तार-पूर्वक
कहा गया था।

अ० भा० कांग्रेस-कमेटी—बाद को अखिल भारतवर्षीय
कांग्रेस-कमेटी ने जिसकी बैठक उन्हीं तारीख़ों में बम्बई में
हो रही थी, कार्य-कमेटी के इस प्रस्ताव को कुछ थोड़े से परि-
वर्तन के साथ पास किया। इस प्रस्ताव में जो मुख्य परिवर्तन
उस समय के उपस्थित हिन्दू-नेताओं की ओर से किया गया
था, वह यह था कि सिंध को साम्प्रदायिक विचार से अलग
न करना चाहिए, किन्तु उन साधारण कारणों को लेकर अलग करना
चाहिए, जो और सब प्रान्तों के लिए भी लागू हैं। प्रस्ताव के
शब्दों में कुछ परिवर्तन कर देने से हिन्दू-नेताओं का यह एतराज़
जाता रहा और वह सर्व सम्मति से पास हो गया।

स्वराज-विधान—अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस-कमेटी की बैठक में एक इस आशय का भी प्रस्ताव पास किया गया कि कार्य-कमेटी केंद्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के मैंबरों और देश के राजनीतिक दलों के नेताओं से सलाह-मशवरा करके एक स्वराज-विधान तैयार करे, जिसमें अधिकार-घोषणा भी सम्मिलित हो और उस विधान का आधार वही घोषणा हो।

अक्टूबर, सन् १९२१ ई० में, अ० भा० कांग्रेस-कमेटी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर फिर एक प्रस्ताव पास किया, परन्तु यह प्रस्ताव इस प्रश्न के धार्मिक तथा सामाजिक पहलू से अधिक सम्बन्ध रखता था।

मद्रास-कांग्रेस—मद्रास-कांग्रेस ने हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न के हर पहलू पर विचार करके एक बड़ा लम्बा प्रस्ताव पास किया, जिसमें राजनीतिक, धार्मिक तथा अन्य अधिकारों के विषय में उसी रूप में ज़िक्र था, जिस रूप में इससे पहले इसी साल में, अ० भा० काँग्रेस-कमेटी अपना मत प्रकट कर चुकी थी।

स्वराज-विधान—मद्रास-कांग्रेस ने इसके बाद स्वराज-विधान के विषय में निम्नांकित प्रस्ताव पास किया—

"इस बात का ख़्याल करके कि देश के समस्त राजनीतिक दलों को मिलकर एक स्वराज-विधान के तैयार करने की इच्छा है; और बहुत से तत्सबन्धी मसौदों पर, जो कांग्रेस के सामने उपस्थित

किये जा चुके हैं, और भिन्न भिन्न तजवीज़ों पर, जो कार्य-कमेटी की गश्ती चिट्ठी के उत्तर में प्राप्त हुई हैं, विचार करने के बाद यह कांग्रेस अपनी कार्य-कमेटी को, जिसको अपने में और लोगों को भी मिला लेने की शक्ति होगी, यह अधिकार देती है कि वह उन ऐसी सब-कमेटियों से सलाह-मशवरा करे, जो देश की अन्य राजनीतिक, श्रम-जीवी (मज़दूर), व्यावसायिक तथा साम्प्रदायिक संस्थाओं द्वारा नियुक्त की गई हैं और अधिकार-घोषणा के आधार पर स्वराज-विधान का एक मसौदा तैयार करे, जो उस विशेष सम्मेलन के सन्मुख विचारार्थ तथा स्वीकारार्थ उपस्थित किया जाय, जो आगामी मार्च तक दिल्ली में होगा और जिसमें अ० भा० कांग्रेस-कमेटी के सदस्य, उपरोक्त संस्थाओं के नेता तथा प्रधिनिधि और केंद्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य सम्मिलित होंगे"।

इसके बाद ही लिबरल फ़ेडरेशन का अधिवेशन बम्बई में हुआ, जिसमें इस आशय के प्रस्ताव पास किये गये कि "हम उन प्रसिद्ध मुसलमानों की उत्सुकता की हृदय से प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने हिन्दू—मुसलमानों के प्रबल मत—भेदों का निबटारा करने के लिए एक योजना उपस्थित की है," और यह तजवीज़ करते हैं कि "फ़ैसला करने के लिए जो भिन्न भिन्न बातें उपस्थित की गई हैं, उन पर जल्द से जल्द दोनों जाति के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सच्चे सहयोग के भाव के साथ विचार होना चाहिए, जिससे पूर्ण रूप से समझौता हो सके"।

इसके थोड़े ही दिन बाद कलकत्ते में मुस्लिम-लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें यह प्रस्ताव पास हुआ कि लीग की कौंसिल एक उप—समिति नियुक्त करे, जो कांग्रेस की कार्य-कमेटी से तथा ऐसी ही अन्य उन संस्थाओं से, जिनको कौंसिल उचित समझे, हिन्दुस्तान के लिए स्वराज—विधान तैयार करने के सम्बन्ध में, जिसमें मुसलमानों के हितों की रक्षा हो सके, अपने उपरोक्त सन् १६२७ ई० के दिल्लीवाले प्रस्तावों के आधार पर बातचीत करे।

निमंत्रित संस्थाएं—मद्रास-कांग्रेस के उपरोक्त प्रस्ताव के आदेशानुसार कांग्रेस की कार्य-कमेटी ने बहुत सी संस्थाओं के लिए निमंत्रण भेजे। इनमें से कुछ के नाम हम यहां देते हैं—

(१) नैशनल लिबरल फ़ैडरेशन
(२) हिन्दू-महासभा
(३) अ० भा० मुस्लिम-लीग
(४) सैंट्रल खिलाफ़त कमेटी
(५) सैंट्रल सिक्ख लीग
(६) साउथ इंडियन लिबरल फ़ैडरेशन
(७) अ० भा० ट्रेड यूनियन कांग्रेस
(८) जनरल कौंसिल आफ़ आल बरमीज़ असोसियेशन
(९) होमरूल लीग
(१०) रिपब्लिकन लीग

(११) एसैम्बली की इंडिपैंडेंट पार्टी

(१२) ;; ;; नैशनलिस्ट पार्टी

(१३) इंडियन स्टेट्स सबजैक्ट्स असोसियेशन

(१४) इंडियन स्टेट्स सबजैक्ट्स कान्फरेंस

(१५) इंडियन स्टेट्स पीपल्स कान्फरेंस

(१६) एंग्लो इंडियन एसोसियेशन

(१७) कलकत्ता की इंडियन एसोसियेशन

(१८) पारसी सैंट्रल एसोसियेशन

(१९) ज़ोरैस्ट्रियन एसोसियेशन

(२०) पारसी राजकीय सभा

(२१) पारसी पंचायत

(२२) हिन्दुस्तान के ईसाइयों की अ० भा० कान्फरेंस

(२३) सदरन इंडिया चैम्बर आफ़ कामर्स

(२४) द्रविड महाजन सभा तथा अवध, आगरा, बिहार, बंगाल और मद्रास के ज़मींदारों की एसोसियेशनें ।

बाद को बम्बई की अ-ब्राह्मण पार्टी, नैशनलिस्ट अ-ब्राह्मण पार्टी, बम्बई की कम्यूनिस्ट पार्टी और बम्बई की मज़दूर और किसान-पार्टी को भी निमंत्रण भेजे गये।

सर्वदल-सम्मेलन—इनमें से बहुत सी संस्थाओं ने अपने अपने प्रतिनिधियों को सर्वदल-सम्मेलन में, जो दिल्ली में १२ फ़रवरी, सन् १९२८ ई० को हुई, सम्मिलित होने के लिए भेजे। सम्मेलन की बैठक रोज़ाना २२ फ़रवरी तक होती रही।

तैयारी के शुरू होने से पहिले कोई उचित कार्यवाही कर सके। मुस्लिम-लीग की कौंसिल के इस प्रस्ताव ने सर्वदल-सम्मेलन के सामने एक कठिनाई उपस्थित कर दी। मुस्लिम-लीग की कौंसिल के प्रस्ताव के अनुसार मुस्लिम-लीग के प्रतिनिधि उस कमेटी की रिपोर्ट पर उस समय तक विचार न कर सके, जब तक उनके और प्रस्ताव सम्मेलन द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर लिये गये अथवा जब तक मुस्लिम-लीग की कौंसिल से उनके बारे में सलाह नहीं लेली गई।

८ मार्च, सन् १९२८ ई०—इस प्रकार की कठिनाई के साथ सर्वदल-सम्मेलन का अधिवेशन ८ मार्च, सन् १९२८ ई० को आरंभ हुआ। सम्मेलन में साम्प्रदायिक प्रश्नों पर बहुत कुछ बहस-मुबाहिसा हुआ, जिसके बाद यह मालूम हुआ कि सिंध की प्रथकता और बहु-संख्यक जातियों के लिए जगहों के संरक्षण के विषय में मुस्लिम-लीग और हिन्दू-महासभा के प्रतिनिधियों में एक-मत नहीं है। इस दूसरी बात के लिए सिक्ख-लीग भी विरोधी थी। यह स्थिति देख कर सम्मेलन ने ११ मार्च, सन् १९२८ ई० को दो सब-कमेटियों को नियुक्त किया। इनमें से एक कमेटी को सिंध की प्रथकता के प्रश्न की आमदनी अथवा मालगुज़ारी वाले पहलू पर तहक़ीक़ात करने का काम दिया और दूसरी को यह काम सुपुर्द किया कि वह इस बात पर विचार करे कि भिन्न भिन्न जातियों की जन-संख्या के अनुसार व्यवस्थापिका सभाओं के लिए प्रतिनिधि चुनना सम्भव हो सकेगा या नहीं।

उस सबसे पहिली कमेटी की रिपोर्ट पर जिसको सम्मेलन ने २१ फ़रवरी, सन् १६२८ ई० को नियुक्त किया था, इस कारण से विचार न हो सका कि मुस्लिम-लीग के प्रतिनिधियों ने यह प्रस्ताव पास कर लिया था कि यदि इस रिपोर्ट के ऊपर विचार किया जायगा, तो हम उसमें भाग न लेंगे। सर्वदल-सम्मेलन ने इस कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित करने और उसको बांटने का हुक्म दे दिया और वह १६ मई, सन् १६२८ ई० तक के लिए मुलतवी हो गई।

अप्रेल के आरम्भ में हिन्दू-महासभा का अधिवेशन जब्बल-पुर में हुआ, जिसमें उसने कुछ ऐसे प्रस्ताव पास किये, जो कुछ मुस्लिम-प्रस्तावों के घोर विरोधी थे।

बम्बई का अधिवेशन—इस प्रकार जब सर्वदल-सम्मेलन का अधिवेशन १६ मई, सन् १६२८ ई० को बम्बई में हुआ, तब स्थिति आशा-जनक न थी। देश की साम्प्रदायिक संस्थाओं में आपस में मत-भेद था और उनमें से प्रत्येक ने अपने विचारों को ऐसा मज़बूत बना लिया था कि वे उनको बदलने के लिए तैयार न थीं। सम्मेलन की ओर से दिल्ली में जो दो सब-कमेटियाँ सिंध की पृथकता और जन-संख्यानुसार चुनाव के विषय में अपना निर्णय देने के लिए नियुक्त की गई थीं, उन्होंने अपनी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की।

यह देख कर कि ऐसी स्थिति में किसी सर्व-सम्मत तथा संतोष-जनक समझौते की कोई सम्भावना नहीं है, यह विचारा

गया कि शायद एक छोटी सी कमेटी समस्त साम्प्रदायिक प्रश्न पर तथा उस पर शासन-विधान के साथ साथ विचार करते हुए किसी नतीजे पर पहुंच सके। इसलिए, इस रिपोर्ट के आरम्भ में जो प्रस्ताव दिया गया है, उसको सम्मेलन ने पास किया।

वर्तमान कमेटी—अगर कुछ क़ायदे से काम करना था, तो छोटी ही कमेटी होनी चाहिए थी। छोटी कमेटी में सब दलों के प्रतिनिधियों का आना संभव नहीं था। परन्तु इस बात के लिए कोशिश की गई कि देश के जो महत्वपूर्ण दल हैं, उनके प्रतिनिधि कमेटी में अवश्य आजाने चाहिएं। इसलिए इस कमेटी में सर अली इमाम और श्रीयुत शुऐब क़ुरेशी मुसलमानों के, श्रीयुत एम० एस० अणे और श्रीयुत एम० आर० जयकर हिन्दू-महासभा के, श्रीयुत जी० आर० प्रधान अ-ब्राह्मणों के, सरदार मंगल सिंह सिक्खों के, सर तेजबहादुर सप्रू लिबरल दल के और श्रीयुत ए० एम० जोशी श्रमजीवी लोगों के विचार प्रकट करने के लिए रक्खे गये।

इस कमेटी के दस मैम्बरों में से श्रीयुत एम० आर० जयकर ने काम करने के लिए अपनी असमर्थता प्रकट की और श्री० एन० एम० जोशी ने कहा कि मैं कमेटी के काम में केवल उस समय भाग ले सकूँगा, जब श्रमजीवियों [मज़दूर और किसानों] के अधिकारों पर विचार किया जायगा। परन्तु श्रीयुत एन० एम० जोशी कमेटी की किसी भी बैठक में

सम्मलित न हो सके। सर अली इमाम अस्वस्थ होने के कारण बड़े कष्ट के साथ कमेटी की केवल एक बैठक ही में आये और उन के आने से उस बैठक में बड़ी सहायता मिली। सर अली इमाम से हमें जब तब भी सलाह-मशवरा मिलता रहा है। श्रीयुत प्रधान कमेटी की बैठकों में सिर्फ़ १२ जून ही तक रहे।

रिपोर्ट में बिलम्ब—कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए पहिली जुलाई तक का समय नियत किया गया था। परन्तु रिपोर्ट को वक्त पर ख़त्म करने के लिए हर तरह की कोशिश करने पर भी, कमेटी निश्चित समय पर अपनी रिपोर्ट न तैयार कर सकी। ५ जून से कमेटी की बैठकें सदा रोज़ाना कई कई घंटों तक हुईं। सब मिला कर इस की २५ बैठकें हुईं, जिनमें प्राइवेट बैठकें शामिल नहीं हैं।

बहुअंश में समझौता—कमेटी यद्यपि छोटी ही थी, परन्तु इसमें भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों तथा सम्प्रदायों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस की नियुक्ति के समय जो हिदायतें दी गई थीं, उनमें यह कहा गया था कि देश की भिन्न भिन्न संस्थाओं ने, जिनमें से कुछ एक दूसरे के खिलाफ़ हैं, जो प्रस्ताव पास किये हैं, उन पर पूर्ण रूप से विचार होना चाहिए। कमेटी के मैम्बरों में पूर्ण अथवा वास्तविक एक मत होने के लिए दो बड़ी भयंकर कठिनाइयाँ थीं। पहिली कठिनाई तो यह थी कि कांग्रेस और अन्य राजनीतिक संस्थाओं के

विचारों में मत-भेद था। क्योंकि कांग्रेस अपने गत अधिवेशन में 'पूर्ण स्वतंत्रता' को एक प्रस्ताव पास कर के अपना उद्देश्य घोषित कर चुकी थी और अन्य संस्थाएं औपनिवेशिक राज को अपना उद्देश्य मानती थीं। दूसरी कठिनाई यह थी कि देश की भिन्न भिन्न साम्प्रदायिक संस्थाएं अपने अपने राजनीतिक अधिकारों पर भिन्न भिन्न दृष्टियों से विचार कर रही थीं।

स्वतंत्रता और औपनिवेशिक राज्य—कमेटी को पहिली कठिनाई का सामना आरम्भ ही में करना पड़ा। दिल्ली में 'पूर्ण उत्तरदायी राज्य' यह नाम, जिसके दो अर्थ हो सकते हैं, इस अभिप्राय से प्रयोग किया गया था कि 'औपनिवेशिक राज्य' अथवा 'पूर्ण स्वतंत्रता' के प्रश्न के सम्बन्ध में कोई फ़ैसला न होने पावे। कमेटी ने यह अनुभव किया कि जब तक इस प्रश्न का निबटारा न हो जायगा, तब तक शासन-विधान के सिद्धान्तों के निश्चय करने में कठिनाई पड़ेगी। कमेटी के कुछ मैम्बरों ने उस स्थिति को ग्रहण करना पसंद किया जो दिल्ली में थी। परन्तु कमेटी के बहु-संख्यक मैम्बरों की यह राय थी कि अनेक प्रकार के मतों में से किसी एक मतको मिलकर मान लेना चाहिए। उपरोक्त स्थिति के साथ साथ अनेक भिन्न भिन्न दलों के प्रतिनिधियों का ख़्याल करते हुए, जो इस कमेटी में शामिल थे, यह एक-मत केवल 'औपनिवेशिक राज्य' ही हो सकता था। इससे किसी और अधिक ऊंची बात पर एक-मत नहीं हो सकता था। इसलिए, कमेटी के बहु-संख्यक मैम्बरों की

यह राय हुई कि सम्मेलन ने कमेटी को जो हिदायतें दी हैं, हमारे ख़्याल से कमेटी को, उन पर विचार करना चाहिए और पूर्ण उत्तरदायी राज्य के लिए अपने यहाँ के शासन-विधान के सिद्धान्तों को उपनिवेशों के राज्यों के शासन-विधानों के सिद्धान्तों पर निर्णीत करना चाहिये। इसलिए, हमने शासन-विधान के जिन सिद्धान्तों की तजवीज़ की है, वे औपनिवेशिक शासन-विधान के लिए हैं, परन्तु इनमें से बहुत से 'पूर्ण स्वतंत्रता' के शासन-विधान के लिए भी पूर्ण रूप से लागू हो सकते हैं। कमेटी की हैसियत से जो हमने औपनिवेशिक शासन-विधान के पक्ष में अपना फ़ैसला दिया है, उसका केवल अभिप्राय यह है कि देश में बहु-अंश में केवल इसी आधार पर समझौता हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि, कांग्रेस तो, ख़ैर, दूर रही, उसके किसी एक मेम्बर ने भी अपने 'पूर्ण स्वतंत्रता' के ध्येय को त्याग अथवा कम कर दिया है। जो लोग इस ध्येय को मानते हैं, उनको इसकी प्राप्ति के लिए कार्य करने के लिए पूरा पूरा अधिकार है। परन्तु हमें विश्वास है कि इस प्रकार जो बहुमात्रा में समझौता होगा वह एक ऐसे शासन-विधान का संतोष-जनक आधार होगा, जिस पर देश के सब दल एक हो कर मिल सकते हैं और यह शिकायत नहीं कर सकते हैं कि अमुक दल अथवा व्यक्ति को इससे और अधिक आगे बढ़ने के लिए अधिकार क्यों दिया गया है।

साम्प्रदायिक पहलू—दूसरी कठिनाई के सम्बन्ध में यह

है, कि यदि शासन-विधान की दृष्टि से देखा जाय तो साम्प्र-दायिक मत-भेद कोई महत्व नहीं रखते। शासन-विधान की दृष्टि से इनका चाहे जो कुछ महत्व हो, परन्तु देश के लोगों का जितना मन इनमें लगा हुआ है, उतना इनसे अधिक महत्वपूर्ण मामलों में भी नहीं लगा हुआ है। इनका प्रभाव देश के सम्पूर्ण राजनीतिक काम पर पड़ा हुआ है। इस प्रकार हमारे सामने तरह तरह के एक दूसरे के ख़िलाफ़ अनेक प्रस्ताव और शिफ़ारिसें, जिन सब को हमें एक सी इज़्जत करनी चाहिए, उपस्थित हैं। परन्तु जब हम यह देखते हैं कि मद्रास-कांग्रेस और मुस्लिम-लीग का मत हिन्दू-महासभा और सिक्ख-लीग के मत से सोलहो आना विरुद्ध है, तब हम उन दोनों मतों में से किसी एक मत को पूर्ण रूप से मानने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमें इन सब परस्पर विरोधात्मक मतों पर विचार करने के बाद शासन-विधान के सिद्धान्तों का निर्णय करने की जो आज्ञा मिली है, उसका यह अभिप्राय है कि हम इस मामले में अपना फ़ैसला दें और ऐसी शिफ़ारिसें करें, जो हमारी राय में देश के राजनीतिक उत्थान के लिए अधिक सहायक हों। हम इस बात को समझते हैं कि हमारी शिफ़ारिसें कितनी ही सच्ची और समयानुकूल क्यों न हों, वे केवल उसी समय महत्वपूर्ण और प्रभावशाली समझी जाएंगी, जब वे देश के समस्त मुख्य दलों के स्वीकार योग्य होंगी। सर्व-सम्मत शासन-विधान की आशा केवल उसी

समय हो सकती है, जब देश के सब दल सम्पूर्ण परिस्थिति पर पूर्ण और न्याय रूप से विचार करने के उपरान्त किसी न्यायपूर्ण समझौते के लिए कोई आधार ढूँढ लें। इस कमेटी ने ऐसे किसी आधार को ढूंढ़ निकालने में अपना बहुत कुछ समय लगाया और परिश्रम किया है और उसके लिए हिन्दू और मुसलमानों के बहुत से प्रमुख नेताओं से, जो कमेटी के सभापति के निमंत्रण को पाकर कमेटी की कुछ बैठकों में शामिल हुए हैं, और जिन्होंने बहुत सहायता पहुंचाई है, सलाह-मशवरा लिया है। इस सब प्रयत्न का फल इन आगे के पृष्ठों में, इस आशा को लेकर उपस्थित किया जाता है कि इसको वे सब दल, जिनसे इसका संबन्ध है, उदार भाव से तथा इस एक मात्र विचार को लेकर अपनाएंगे कि हम एक दूसरे को, अपने राष्ट्र को, उस गड्ढे से, जिसमें वह हमारे आपस के अविश्वास और झगड़ों के कारण गिर गया है, निकालने में सहायता दें।

धन्यवाद—वे सज्जन, जो कमेटी के सभापति के निमंत्रण पर आये थे, ये हैं—डाक्टर अंसारी, पं० मदनमोहन मालवीय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्रीयुत सी० वाई० चिन्तामणी, मौलवी शफ़ीदाऊदी, डाक्टर एस० डी० किचलू, श्रीयुत सच्चिदानन्द सिनहा, मुँशी ईश्वर सरन, डाक्टर एस० महमूद, चौधरी ख़लिक़ुज़्ज़मान और श्रीयुत टी० ए० के० शेरवानी। इन सज्जनों ने जो हमको अपनी सहायता और सहयगो

पहुंचाया है, उसके लिए हम इनके बड़े आभारी हैं। इनमें भी हम कांग्रेस के सभापति डाक्टर अंसारी के विशेष रूप से कृतज्ञ हैं। आप हमारे पास तीन बार आये। आप हमारी कठिनाई के समय हमेशा हमें उदारता-पूर्वक सहायता देने के लिए तैयार रहते थे। हम ख़ास तौर से कांग्रेस के प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल जी को भी धन्यवाद देते हैं। आप, बस कुछ थोड़े से समय की अनुपस्थिति के अलावा, कमेटी की सब बैठकों में निरन्तर रूप से शामिल रहे। आपने इस रिपोर्ट के परिशिष्ट भाग के हिन्दसों के संग्रह करने के कठिन कार्य के अलावा कमेटी के काम में सभी जगह अपनी बहुमूल्य सहायता दी है।

दूसरा अध्याय

साम्प्रदायिक रूप

समस्या—भारत का साम्प्रदायिक प्रश्न वस्तुतः हिन्दू-मुसलिम प्रश्न है। इनके अलावा और जातियाँ भी झगड़ने लगी हैं और अपने लिए विशेष अधिकारों की मांग रख रही हैं। हिन्दुओं में भी आपस के झगड़े हैं, ख़ास तौर पर दक्खिन में ब्राह्मण और अ-ब्राह्मण का झगड़ा। पंजाब में सिक्ख भी प्रभावशाली और सुशिक्षित हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। परन्तु मूल प्रश्न यह है कि हिन्दू और मुसलमानों के झगड़े कैसे दूर हों? हिन्दू और मुसलमान मिल कर हिन्दुस्तान में ९० फ़ी सदी हैं। सन् १९२१ की जन-संख्या के अनुसार भिन्न भिन्न जातियों का अनुपात इस प्रकार था—

हिन्दू	६५.९	फ़ी सदी
मुसलमान	२४.१	„
बौद्ध (विशेष कर बर्मा में)	४.६	„
पहाड़ी जातियां	२.८	„
ईसाई	१.२	„
सिक्ख	१.०	„
जैन	.२	„
अन्य जातियाँ	.२	„
माज़ीन	१००.०	„

इसके पहिले की जन-संख्याओं के देखने से प्रकट होता है कि जहां हिन्दू और जैन धीरे धीरे घटते गये हैं, वहां अन्य सब जातियाँ बढ़ती गई हैं। मुसलमानों की वृद्धि अधिक तो नहीं हुई है, परन्तु होती अवश्य रही है। सन् १८८१ ई० से सन् १९२१ ई० तक हिन्दू और मुसलमानों की जो समय समय पर संख्या रही है, वह फ़ी सदी नीचे लिखी जाती है—

सन्	हिन्दू	मुसलमान
१८८१	७२·०	२२·६
१८९१	७०·१	२२·४
१९०१	६८·३	२३·२
१९११	६६·९	२३·५
१९२१	६५·९	२४·१
नतीजा	६·१ कमी	१·५ बढ़ती

यह ऊपर दिया हुआ ब्यौरा हिन्दुस्तान की जन-संख्या के आधार पर है। पिछले दस सालों में मुसलमान ३·१ फ़ी सदी बढ़े हैं और हिन्दू इस समय में थोड़े से घटे हैं।

मुसलमान देश भर में इस तरह आबाद हैं कि ये सीमा-प्रान्त, बंगाल और पंजाब के अलावा अन्य और प्रान्तों में बहुत कम हैं। इन शेष प्रांतों में इन की सब से अधिक संख्या संयुक्त प्रान्त में है। वह भी १५ फ़ी सदी से कम है। यह पंद्रह फ़ी सदी सब प्रान्त में नहीं फैली हुई है, बल्कि अधिकतर शहरों में बसी हुई है और ख़ास तौर से प्रान्त के उत्तरी भाग में।

पंजाब में मुसलमान ५५·३ और बंगाल में ५४·० फ़ी सदी हैं। सिन्ध में ७३·४ फ़ी सदी और बिलोचिस्तान और सीमा-प्रान्त में इनकी संख्या बहुत ही अधिक है।

साम्प्रदायिक रक्षा—मुसलमानों की इस संख्या और शक्ति को देख कर सभंवतः कोई भी अजनबी यह कह सकता है कि ये अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं काफ़ी संख्या में हैं। इनके लिए विशेष रक्षा का अथवा चम्मच से दूध पिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हिन्दुस्तान में किसी जाति की रक्षा की आवश्यकता है, तो वह हिन्दू या मुसलमान नहीं है। इसकी आवश्यकता तो उन छोटी जातियों के लिए हो सकती है, जो सब मिला कर देश की समस्त संख्या की दस फ़ी सदी हैं।

जीवित रहो और जीवित रहने दो—परन्तु साम्प्रदायिकता के सामने बुद्धि और तर्क की कुछ नहीं चलती। आज कल मुख्य प्रश्न यह होगया है कि एक सम्प्रदाय के मन से दूसरे सम्प्रदाय का निराधार भय दूर कर दिया जाय, सब के मन में रक्षा का विश्वास उत्पन्न किया जाय। इस विश्वास के लिए हर एक दल अपनी अपनी प्रभुता चाहता है। हमें खेद है कि कुछ जातियों के नेताओं का ऐसा भाव नहीं है कि स्वयं जीवित रहें और दूसरों को जीवित रहने दें। एक दूसरे में अपनी रक्षा का विश्वास उत्पन्न करने के लिए केवल एक ही उपाय है कि एक दूसरे की संस्कृति संबंधी स्वतंत्रता की रक्षा पूर्णरूप से सुरक्षित कर दी जाय। साम्प्रदायिक चुनाव

और व्यवस्थापिका सभाओं में जगहों का संरक्षण के भद्दे और आपत्ति-जनक साधनों से यह विश्वास पैदा नहीं हो सकता। इनसे तो केवल संधि हो सकती है।

मुसलमान चूँकि हिन्दुओं से कम संख्या में हैं, इसलिए, उनको इस बात का भय है कि हिन्दू लोग हमको सताएंगे। इसलिए, उन्होंने इस कठिनाई का सामना करने के लिए अपनी यह एक नयी तज़वीज पेश की है कि—हमारी कम से कम हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सों में प्रभुता रहनी चाहिये। हम यहाँ उनकी मांग की आलोचना नहीं करते। यह उनकी तजवीज़ वर्तमान समय की साम्प्रदायिक परिस्थिति में ठीक हो सकती है। परन्तु हम यह ख़्याल करते हैं कि हमने जिन बातों के आधार पर शुरू किया है, उनसे इसका कोई मतलब नहीं है। और यदि मतलब भी हो, तो केवल उसी हालत में, जब यह समझ लिया जाय कि एक जाति की रक्षा का सर्वोत्तम उपाय उसकी प्रभुता का बढ़ना है।

हिन्दू लोग यद्यपि हिन्दुस्तान में सब जगह बहु-संख्या में हैं, परन्तु वे पंजाब, बंगाल, बिलोचिस्तान और सीमा-प्रांत में लघु-संख्या में हैं। हिन्दू समस्त देश में बहु-संख्या में होते हुए भी इन प्रांतों में मुसलमानों से डरते हैं।

हम एक जाति की दूसरी जाति पर प्रभुता नहीं देख सकते हम इसको पूरी तौर से न रोक सकें, परन्तु जो हमारा उद्देश्य है, वह यह है कि हम एक जाति पर दूसरी जाति की प्रभुता

न होने दें और एक व्यक्ति या दल को किसी दूसरे व्यक्ति या दल को कष्ट पहुंचाने और उससे अपना मतलब गाँठने से रोकें, यदि प्रत्येक जाति को पूर्ण रूप से धार्मिक और संस्कृति संबंधी स्वतंत्रता दे दी जाय, तो साम्प्रदायिक समस्या पूर्ण रूप से हल हो सकता है, यद्यपि बहुत से आदमी इसमें विश्वास नहीं कर सकते।

साम्प्रदायिक कौंसिलें—हमने इस ख़्याल से अपने अधिकार-घोषणा में कुछ ऐसे नियम बना दिये हैं, जिनसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने अन्तःकरण और धन की पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। हमने इस प्रस्ताव पर भी विचार किया है कि प्रत्येक सम्प्रदाय की एक कौंसिल हो, जो प्रत्येक बहु-संख्यक जाति के संस्कृति संबंधी हितों की रक्षा करे। यह प्रस्ताव, यह था कि—जिस किसी सूबे में, जिस जाति की दस लाख अथवा दस लाख से अधिक जन-संख्या होगी, वह अपने में से प्रतिनिधियों को चुनकर एक कौंसिल की स्थापना करेगी। इन कौंसिलों के मैम्बरों के चुनाव का तरीक़ा प्रान्तीय सरकार निश्चित करेगी। प्रत्येक कौंसिल में २५ मैम्बरों से अधिक न होंगे। इन कौंसिलों के काम ये होंगे—

(१) प्राइमरी शिक्षा, स्कूल, धर्मशाला, सराय, विधवा-आश्रम और अनाथालयों की देख-भाल करना।

(२) भाषा और लिपियों का प्रचार करना।

ये साम्प्रदायिक कौंसिलें सिफ़ारिशें कर सकती हैं

कि अमुक संस्था को सहायता देनी चाहिए अथवा वजीफ़े देने चाहिये। इस सहयता को या तो प्रान्तीय, या केन्द्रीय सरकार देगी, और उस समय देगी, जब कि व्यवस्थापिका सभा उसको स्वीकार कर लेगी।

बस साम्प्रदायिक कौंसिलों के बारे में ये ही ख़ास बातें थीं। यह ख़्याल हमें इसलिए पंसद आया था कि हम इन कौंसिलों द्वारा साम्प्रदायिकता के अन्य तथा बुरे रूपों का अन्त कर देंगे। लेकिन हमारे साथियों और मित्रों ने, जिनका हमने मशवरा लिया, इन कौंसिलों की स्थापना का साम्प्रदायिक तथा राज्य-प्रबंध संबंधी दृष्टि से घोर विरोध किया। उनका यह ख़्याल था कि इनके द्वारा साम्प्रदायिकता को और भी सहायता मिलेगी। हमने इसलिए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

साम्प्रदायिक समस्या के राजनीतिक पहलू के विषय में यह है कि यह इस समय, चुनाव, व्यवस्थापिका सभाओं में जगहों के संरक्षण, सिंध की प्रथकता और सीमाप्रान्त और बिलोचिस्तान में कैसा राज्य प्रबंध होना चाहिए, इन बातों से संबंध रखता है।

साम्प्रदायिक चुनाव—यह बात बहुत से लोगों ने मान ली है कि साम्प्रदायिक चुनाव पूर्णरूप से बुरा है। इसलिए उसका अन्त हो जाना चाहिए। हम मुसलमानों में यह पाते हैं कि वे इस को अपने लिए एक मूल्यवान अधिकार समझते हैं, हालां कि उनमें से बहुत से लोग दूसरी और बातों का ख़्याल

करके इसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। यह हर एक कोई समझता है कि राष्ट्रीय बल की वृद्धि के लिए साम्प्रदायिक चुनाव बुरा है। परंतु इस बात को शायद हर कोई नहीं जानता कि साम्प्रदायिक चुनाव एक लघु-संख्यक जाति के लिए और भी बुरा है। इस चुनाव में बहु-संख्यक जाति, लघु-संख्यक जाति की और उसकी वोटों के आश्रित नहीं रहती, किन्तु वह उसकी और विरोधी हो जाती है। इसलिए साम्प्रदायिक चुनावमें एक लघु-संख्यक जाति को अपनी विरोधी बहु-संख्यक जाति का, जो अपनी अधिक संख्या के कारण लघु-संख्यक जाति के हितों को कुचल सकती है, मुक़ाबिला करना पड़ेगा। यह बात इस चुनाव में पहिले ही से प्रकट हो चुकी है, यद्यपि तीसरा दल इस के छिपाने की कोशिश करता है। इस प्रकार साम्प्रदायिक चुनाव से बहु-संख्यक जाति ही को लाभ पहुंचता है। इसमें गरम साम्प्रदायी लोग फूलते फलते हैं और बहु-संख्यक जाति हानि उठाने की अपेक्षा लाभ उठाती है। इसलिए, साम्प्रदायिक चुनाव की प्रथा की, इससे पहिले ही कि चुनाव की अन्य और क्या न्याय्य प्रथा होगी, अवहेलना करनी चाहिए। हमारा चनाव केवल मिश्रित अथवा सम्मिलित होना चाहिए।

हमें मालूम है कि सीलोन [लंका] रिफ़ार्म इनक्वायरी कमेटी ने, जिसकी अभी रिपोर्ट निकली है, सीलोन से साम्प्रदायिक चुनाव के हटाने की सिफ़ारिश की है।

सीमा प्राँत और बिलोचिस्तान—सीमा प्रांत और

बिलोचिस्तान के राज्य-प्रबंध के विषय में हमारा यह मत है कि इनका पद भी वैसा ही होना चाहिए, जैसा अन्य प्रान्तों का है। हम तो न न्याय-दृष्टि से और न तर्क-दृष्टि से यह कहने के लिए तैयार हैं कि हिन्दुस्तान का एक भाग उत्तरदायी राज्य में हिस्सा न लेने पावे। सर्व-दल सम्मेलन ने इस बात को पहिले ही मान लिया है और हमारा भी यह अनुभव है कि इस न्याय्य मांग का बहुत कम लोग विरोध करेंगे।

अब जो प्रश्न शेष रहते हैं, वे बम्बई प्रांत से सिंध की पृथकता और व्यवस्थापिका सभाओं में जगहों के संरक्षण के हैं। इन दोनों प्रश्नों में साम्प्रदायिक तथा सार्वजनिक महत्व भरा हुआ है। हमने जगहों के संरक्षण के विषय में इसके साम्प्रदायिक तथा सार्वजनिक, दोनों पहलुओं पर इससे आगे वाले अध्याय में विचार किया है। सिंध की पृथकता के प्रश्न के साम्प्रदायिक पहलू पर तो यहीं पर आसानी से विचार किया जा सकता है। इसलिए, हम इस पर विचार करते हैं।

सिंध की पृथकता—सिंध का प्रश्न बहुत सी अजीब अजीब घटनाओं के कारण हमारी राजनीति का एक मुख्य प्रश्न हो गया है। यह एक बड़े अचम्भे की बात है कि जो लोग कुछ वर्ष पहिले सिंध को बम्बई से पृथक करने के पक्ष में थे, वे तो अब इसके विपक्ष में हैं और जो लोग इसके विपक्ष में थे, वे अब इसके पक्ष में हैं। इस तुच्छ सी बात के लिए तमाम देश परेशान हो गया है। यह विचार-परिवर्तन, जो अभी हाल में

हुआ है और जिसका कि पूर्ण रूप से कारण नहीं बतलाया गया है, यह प्रगट करता है कि साम्प्रदायिक विचार हमारे निश्चय को किस प्रकार अदलते-बदलते रहते हैं। आज से आठ वर्ष हुए, जब कांग्रेस ने सिंध को अपना एक अलग सूबा बनाया था, तब से आज तक उसका किसी ने विरोध नहीं किया। हमारा यह ख़याल है कि इस सम्बन्ध में जो सुरक्षित मार्ग है, वह यह है कि इन पक्ष-विपक्षों की उपेक्षा करने की कोशिश की जाय और जहां तक सम्भव हो इस समस्या के ऊपर शांति-पूर्वक विचार किया जाय। परन्तु दुख की बात तो यह है कि यह पक्ष-विपक्ष का झगड़ा लोगों के भाव का एक अंग बन गया है और भाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

हिन्दू-पक्ष के लोग, सिंध तथा दूसरी जगह के रहने वाले, यह कहते हैं कि हम साम्प्रदायिक प्रांतों के सख़्त विरोधी हैं। हमारा यह कहना है कि हम इस बात को मानते हैं कि मुसलमानों ने सिंध की पृथकता की मांग को बहुत प्रसन्न होकर नहीं रक्खा था। यह मांग साम्प्रदायिकता ही के आधार पर थी और यह कुछ और मामलों के साथ मिला दी गई, जो इससे संबन्ध नहीं रखते थे। इस सम्बंध में जो हिन्दुओं का विरोध है, उसको हम समझते हैं। परन्तु जिस रूप में वे इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, वे इस वास्तव के गुणों को कम नहीं करते। साम्प्रदायिक प्रांत बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हमें तो सिर्फ़

यथार्थता पर विचार करना है। हिन्दुस्तान में जो सूबे बने हैं वे, इतिहास बतलाता है, बहुत सी घटनाओं के बाद बने हैं। सिंध में मुसलमान लोगों की बहु-संख्या है। चाहे सिंध को एक अलग सूबा किया जाय अथवा न किया जाय, उसमें तो मुसलमान लोग बहु-संख्या में रहेंगे ही और यदि इस बहु-संख्या की बात न मानी गई, तो इससे न केवल आत्म-निश्चय के सिद्धांत ही का ख़ून होगा, किन्तु उसका यह फल होगा कि वह बहु-संख्यक जाति शत्रु बन जायगी। कोई भी हिन्दुस्तानी, जो हिन्दुस्तान के स्वतंत्र होने की इच्छा रखता है और इसको शांति तथा संगठन के साथ प्रेम-पूर्वक उन्नति करता हुआ देखना चाहता है, इस नतीजे को शांति-पूर्वक नहीं देख सकता। विस्तृत राष्ट्रीय दृष्टि से यह कहना कि कोई साम्प्रदायिक प्रांत न बनना चाहिए, एक प्रकार से यह अर्थ रखता है कि यदि और अधिक विस्तृत अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाय, तो दुनियां में अलहदा अलहदा राष्ट्र भी न होने चाहिएं। इन दोनों कथनों में कुछ सत्य है। परन्तु जो कट्टर अन्तर्राष्ट्रवादी हैं, वे इस बात को मानते हैं कि जब तक पूर्ण साम्प्रदायिक स्वतंत्रता नहीं दी जायगी, तब तक अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र बनाने में असाधारण कठिनाई होगी। इसी प्रकार जब तक पूर्ण संस्कृति सम्बंधी स्वतंत्रता नहीं दी जायगी (साम्प्रदायिकता का अच्छा रूप ही संस्कृति है), तब तक सुसंगठित राष्ट्र के बनाने में कठिनाई पड़ेगी।

हमें यह संदेह है कि सिंध की पृथकता के सबंध में जो

वास्तविक विरोध है, वह किन्हीं अन्य राष्ट्रीय विचारों के कारण नहीं है, किन्तु निरे आर्थिक विचारों के कारण है। हिन्दू लोगों का यह भय है कि यदि एक अलग सूबे में मुसलमान लोगों ही की प्रभुता हो जायगी, तो हमारी आर्थिक स्थिति को हानि पहुंचेगी। हमारा यह विश्वास है कि इस प्रकार का भय करना निराधार है। हिन्दुस्तान के सब लोगों में सिंध के हिन्दू सबसे अधिक उद्यमी और साहसी हैं। एक दुनियाँ के यात्री को ये दुनियाँ की चारों दिशाओं में बड़े बड़े व्यवसाय करते हुए और अपने घर के लोगों को अपनी बाहर की कमाई से धनी बनाते हुए मिलते हैं। कोई भी सिंध के हिन्दुओं के इस उद्यम और साहस की शक्ति का हरण नहीं कर सकता है, और जब तक इनमें यह शक्ति रहेगी, तब तक इनका भविष्य भी ऐसा ही बना रहेगा। यहां यह भी याद रखना चाहिए कि यहाँ प्रान्तीय सरकार के अधिकार सीमित हैं। इसके ऊपर केन्द्रीय सरकार है, जिसको सब महत्वपूर्ण विभागों पर अधिकार प्राप्त है। यदि इस पर भी कोई भय करने का कारण हो, तो वह हटाये जाने योग्य है, न कि एक न्याय्य मांग के विरोध करने के योग्य।

इसलिए, हमारी यह राय है कि साम्प्रदायिक दृष्टि से भी सिंध की पृथकता सिद्ध होती है। यदि इससे हिन्दुओं को हानि पहुँचे और मुसलमानों को लाभ हो, जिसके बारे में हमारा ऐसा ख़्याल नहीं है, तो हम आशा और विश्वास करते हैं कि इस

प्रकार की एक की हानि और दूसरी जाति का लाभ देश के बड़े मामले को ख़तरे में न डालेगा। हम इस प्रश्न के सार्वजनिक पहलू पर बाद को विचार करेंगे। हम यहां पर यह लिख देना चाहते हैं कि हमारे साथी श्रीयुत अणे हमारे इस उपरोक्त मत से सहमत नहीं हैं। परन्तु आप यह कहते हैं कि इस सम्बंध में जो हमारा निश्चय होगा, उसे आप मान लेंगे।

—:※:—

तीसरा अध्याय

साम्प्रदायिक पहलू—(दूसरे अध्याय से आगे)

(जगहों का संरक्षण)

अन्य प्रस्ताव—व्यवस्थापिका सभाओं में जगहों को सुरक्षित रखने के सवाल पर विचार करने से यह मालूम हुआ है कि प्रत्येक दल अपनी राय पर जमा रहा और तनिक भी न झुका। मुसलमानों की यह ज़िद थी कि पंजाब और बंगाल के लघु-संख्यक मुसलमानों के लिए जगह सुरक्षित हो जानी चाहिए और हिन्दू-महासभा और सिक्ख-लीग ने उसी मज़बूती के साथ इसका विरोध किया। कमेटी ने इस संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रस्तावों पर विचार किया, जिनमें से कुछ ये थे—

(१) आबादी के लिहाज़ से बहु-संख्यक तथा लघु-संख्यक जातियों के लिए जगह सुरक्षित करना।

(२) बहु-संख्यक जातियों के लिए कुछ जगह सुरक्षित करना और बाक़ी जगहों के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए स्वतंत्रता देना।

(३) आबादी के लिहाज़ से चुनाव का होना।

(४) पंजाब और सीमाप्रांत के सूबों को मिला देना परन्तु जगह सुरक्षित न रखना।

(५) जगह सुरक्षित न करना, परन्तु शासन-विधान में पिछड़ी हुई जातियों को शिक्षा सम्बंधी और आर्थिक उन्नति के मार्ग को सुरक्षित करना।

इन प्रस्तावों पर, जिनमें से कुछ नये थे, विचार करने से पहिले कमेटी की यह राय हुई कि इस प्रश्न पर मुख्य संस्थाओं के, जो इस प्रश्न से सम्बंध रखती हैं, प्रतिनिधियों से सलाह-मशवरा कर लिया जाय। इसलिए, ११ जून को हिन्दू-महासभा, अखिल भारतवर्षीय मुसलिम-लीग और सिक्ख-लीग के लिए इस आशय का निमंत्रण भेजा गया कि वे अपने अपने एक अथवा दो प्रतिनिधियों को कमेटी से २१ जून को मिलने के लिए भेजें। इस निमंत्रण का जवाब इन संस्थाओं से उत्साह-जनक नहीं मिला। हिन्दू-महासभा के मंत्री ने निश्चित तारीख़ पर अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए असमर्थता प्रकट की और मुस्लिम-लीग के मंत्री ने तो कोई जवाब तक न दिया। सिक्ख-लीग अपने प्रतिनिधि भेजने को तैयार थी, परन्तु चूंकि हिन्दू-महासभा और मुस्लिम-लीग की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं आ रहा था, इसलिए हमारे साथी सरदार मंगल सिंह ने सिक्ख प्रतिनिधियों को आने का कष्ट उठाने के लिए आवश्यक न समझा। कुछ और लोग भी, जिनके लिए निमंत्रण गया था, न आसके। परन्तु हमें डाक्टर एम० ए० अंसारी से बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने हमको मदद देने के ख़्याल से आने का कष्ट उठाया। उपरोक्त प्रस्तावों पर कमेटी की दो बैठकों में, जिनमें डाक्टर अंसारी भी मौजूद

थे, विचार हुआ। पहिले प्रस्ताव पर एक मत न हो सका, परन्तु शेष चारों प्रस्तावों पर समझौते हो गये। इसमें आसानी होगी कि मुख्य प्रस्ताव पर विचार करने से पहिले, इन चारों प्रस्तावों पर विचार कर लिया जाय।

कुछ जगहों का सुरक्षित करना—प्रस्ताव यह था कि पंजाब और बंगाल को बहु-संख्यक जाति के लिए कुछ जगह सुरक्षित हो जायं और उसको शेष जगहों के चुनाव में स्वतंत्रता रहे। इसी प्रकार कुछ जगह दक्षिण में अ-ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित कर दी गई हैं, जो अब तक चली आ रही हैं। लेकिन ये अ-ब्राह्मणों के संबंध में, जहाँ तक हमें मालूम हैं, पूरी तौर से अनावश्यक देखी गई हैं। क्योंकि उन्होंने अपने वोटों ही के बल पर अधिक जगहों को जीता है। इसलिए उन्हें संरक्षण-नियम की सहायता लेने को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। पंजाब में या बंगाल में यह किसी का सवाल नहीं है कि बहु-संख्यक मुसलमान अधिक जगह जीतने में सफल न होंगे। जिस बात से मुसलमानों को भय है, बहुत से हम में से उसको बुद्धि-विरुद्ध समझें, वह यह है कि शायद हम बहु-संख्यक जगहों को न जीत सकें। लेकिन वे हर हालत में काफ़ी जगह जीत सकेंगे। यदि उनको बहु-संख्या न होगी, तो बहु-संख्या से कुछ थोड़ी सी कम बलवान बहु-संख्या होगी। अगर उनको इस बात का निश्चय है कि हम पैंतालीस फ़ी सदी जगहों को जीत लेंगे, तो फिर उनके लिए कुछ जगह सुरक्षित करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती।

हम बहु-संख्यक अथवा अल्प-संख्यक जातियों के लिए कुछ जगहों के सुरक्षित होने तथा साथ साथ उनको बाक़ी जगहों के लिए चुनाव की स्वतंत्रता देने के विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन हम यह अनुभव करते हैं कि पंजाब और बंगाल के लिए जगहों का सुरक्षित करना अनावश्यक है। इन सूबों में हर हालत में एक ही सी अवस्था रहेगी।

संख्या के अनुसार चुनाव—दूसरा प्रस्ताव संख्यानुसार चुनाव का है। सर्वदल-सम्मेलन की ओर से जो कमेटी इस क़िस्म के चुनाव के सम्बन्ध में नियुक्त की गई थी, उसने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। परन्तु उस सब-कमेटी के कुछ मेम्बरों ने अलग अलग अपनी राय भेजी हैं। सरदार मंगलसिंह ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। परन्तु दूसरे मेम्बरों की यह राय है कि हिन्दुस्तान की जैसी इस समय अवस्था है, उसमें यह प्रथा काम नहीं कर सकती। हम यह अनुभव करते हैं कि इस क़िस्म का चुनाव बड़ा आकर्षणकारी है और हमारी यह राय है कि हम केवल इसी क़िस्म के चुनाव से, जो बुद्धि-युक्त और न्याय-संगत है, भिन्न भिन्न जातियों के भय तथा सत्वों का जवाब दे सकते हैं। इसमें प्रत्येक लघु-संख्यक जाति के लिए स्थान है। इसके द्वारा परस्पर विरोधी हितों का स्वयं निबटारा होजाता है। हमें इस सम्बन्ध में कोई शङ्का नहीं है कि संख्यानुसार चुनाव की प्रथा भविष्य में हमारी समस्या को हल कर देगी।

अब प्रश्न यह है कि इस पर जल्द से जल्द अमल किस तरह से किया जा सकता है? इसके सम्बन्ध में यह कहा जाता

है कि यह चुनाव बड़ा पेचीदा है और हिन्दुस्तान के वोटर अपढ़ हैं। हम से यह कहा जाता है कि जब तक वोटर इतने पढ़-लिख न जायंगे कि वे चुनाव के मतलब को समझ सकें, तब तक चुनाव के इस तरीके पर, चाहे वह अच्छा ही क्यों न हो, अमल करना असम्भव है। हम इस कठिनाई को समझते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि इसको बहुत तूल दिया गया है संख्यानुसार चुनाव की प्रथा के लिए वोटरों में इतने ऊंचे दर्जे की ल्याक़त की ज़रूरत नहीं है, जितनी रिटर्निङ्ग अफ़सर और उन लोगों में होनी चाहिए, जो वोटों को गिनते और उन्हें एक मद से दूसरे मद की तरफ़ तबदील करते हैं इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हिन्दुस्तानियों में ऐसे आदमी काफ़ी तादाद में हैं, जो इस वोटों के गिनने के काम को सन्तोष-जनक रूप में करने के लिए काफ़ी होशियार हैं। साधारण वोटरों के विषय में यह है कि यह बात बिलकुल सत्य है कि अपने प्रतिनिधि के गुण और दोष को देखकर राय बनाने के लिए अच्छी ल्याक़त की ज़रूरत है। लेकिन वोट के अधिकार को काम में लाने के लिए भी किसी हैसियत की ज़रूरत है। यह बड़ी बदनामी की बात है कि इंगलैंड जैसे भारी प्रजातंत्रवादी राज्य में भी वह हैसियत का दर्जा नहीं है। वहां पर वोट उन ऊंची बातों के लिए जो वास्तव में महत्व-पूर्ण हैं, नहीं दी जातीं। किन्तु वे तुच्छ बातों के लिए अथवा कभी ऐसे मामलों के लिए भी दी जाती हैं, जो एतराज़ के क़ाबिल होते हैं और जो चुनाव के वक्त में अच्छे माने जाते हैं। इंगलैंड में

है कभी कभी ऐसा हुआ है कि बहिष्कृत कैसर को फांसी देने के प्रश्न पर अथवा किसी झूठे पत्र पर चुनाव हुए हैं और उन लोगों को जिन्हें एक साम्राज्य पर शासन करना है तथा संसार की घटनाओं पर असर डालना है ऐसी बातों के लिए चुन लिए जाते हैं, जिनको सुन कर प्रत्येक बुद्धिमान आदमी प्रजातंत्र-राज्य से ऊब जाता है। कम से कम शुरू में हिन्दुस्तान में एक वोटर की ल्याक़त का दर्जा एक अंग्रेज़ वोटर से अवश्य कम होगा? परन्तु यह तो प्रजातंत्र राज्य के विरुद्ध कहा जा सकता है, न कि संख्यानुसार प्रतिनिधि चुनने के ख़िलाफ़।

हमसे कहा जाता है कि संख्यानुसार चुनाव के विरुद्ध एक दूसरी मज़बूत दलील यह है कि एक अपढ़ वोटर के लिए सन्दूक़ में पर्चा डाल कर वोट देने का कोई महत्व नहीं रहता। हमारा यह ख़्याल है कि एक रंग के तीन सन्दूक़ लेलिये जांय और उन पर इस बात के बतलाने के लिए हर एक पर अलग अलग निशान डाल दिये जांय कि पहिला बक्स कौनसा है, दूसरा कौनसा और तीसरा कौनसा है। ऐसा करने से यह एतराज़ दूर हो जायगा। लेकिन बक्स में पर्चे डालने की जो रिवाज है, वह आज कल अपढ़ वोटरों के लिए भी अनुकूल है। मालटा द्वीप में जहां पर अपढ़ वोटर बहु-संख्या में हैं, वहां पर संख्यानुसार चुनाव बहुत सफलता-पूर्वक होते हैं। परन्तु हम यह समझते हैं कि मालटा जैसे छोटे द्वीप का हम अपने बड़े भारी देश से, जिसमें करोड़ों आदमी रहते हैं, मुक़ाबिला नहीं कर सकते।

हम में से बहुतसों का यह ख़्याल है कि हिन्दुस्तानमें संख्या नुसार-चुनाव की जाँच करने में कोई ऐसी कठिनाई नहीं है, जिसको दूर न किया जा सके। इसमें विघ्न-बाधायें हैं। परन्तु वह कोई भी प्रस्ताव, जिसपर हम विचार कर चुके हैं, एतराज़ से ख़ाली नहीं हैं। कुछ तो ऐसे हैं यदि उन पर अमल किया जाय, तो सिद्धांत से दूर हो जाते हैं और बहुत कठिनाइयां उपस्थित कर देते हैं। हमारे कुछ साथी इस बात से सन्तुष्ट नहीं हैं कि हिन्दुस्तान में इस समय संख्यानुसार-चुनाव की रिवाज जारी की जा सकती है। इसलिए, हम इसकी शिफ़ारिस करना नहीं चाहते।

पंजाब और सीमाप्रांत का एक होना—यह तजवीज़ किया गया है कि सीमाप्रांत को पंजाब में मिला दिया जाय और पंजाब के लिए जगह सुरक्षित करने का सवाल न उठाया जाय। हम इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करते। परन्तु हम यह नहीं जानते कि भिन्न भिन्न दलों के लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। अगर सब दल इसको मान लें, तो हम भी बड़ी ख़ुशी के साथ ऐसा करने की शिफ़ारिस करेंगे। इसमें कोई ख़ास सिद्धांत की बात नहीं है। इसको स्वीकार और अस्वीकार इस बात के ऊपर निर्भर है कि इसको पसंद किया जाता है या नहीं। हमारे साथी सरदार मंगलसिंह इस तजवीज़ को पसंद नहीं करते हैं, और हम समझते हैं कि कुछ और लोगों की भी यह राय है। इसलिए, हम इस सबंध में कोई शिफ़ारिस नहीं करते।

पंजाब, सीमाप्रांत, सिंध और बिलोचिस्तान का एक होना—एक ऐसा ही प्रस्ताव हमारे पास और आया है। वह यह है कि पंजाब, सीमाप्रान्त, सिंध और बिलोचिस्तान को एक जगह मिला दीया जाय और यदि इसको लघु-संख्यक जाति अपने लिए जगहों के संरक्षण की ज़रूरत न समझे, तो ऐसा न होना चाहिए। हम इस प्रस्ताव का स्वागत करने के लिए असमर्थ हैं। इसके मानी तो ये हैं कि एक ऐसा बड़ा प्रान्त बना दिया जाय, जो हिन्दुस्तान के समस्त उत्तरी-पश्चिमी भाग को घेर ले, और जिसका प्रबंध भी न हो सके।

पंजाब में जगहों के संरक्षण की ज़रूरत नहीं है—पंजाब के बारे में एक दूसरा प्रस्ताव यह था कि पंजाब में जगहों को सुरक्षित किया जाय। परन्तु जो जातियाँ पिछड़ी हुई हैं, उनकी शिक्षा संबन्धी तथा धन सम्बन्धी उन्नति के लिए शासन-विधान में ख़ास नियम बना दिये जाँय। यदि इस प्रस्ताव पर सब लोग एक मत हो जाँय, तो हम इसका हृदय से स्वागत करेंगे। परन्तु हम यह समझते हैं कि इस समय, इस प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से स्वीकार करना असम्भव है। वरना कोई साम्प्रदायिक झगड़े ही न होते। हमने अपने शासन-विधान में लघु-संख्यक जातियों के लिए रक्षा के साधन जोड़ दिये हैं और पिछड़ी हुई जातियों को शिक्षा सम्बन्धी और आर्थिक उन्नति के लिए नियम बना दिये हैं। यदि हम इन रक्षा के साधनों और नियमों के द्वारा प्रत्येक जाति के भय को दूर कर सके,

और जगहों के संरक्षण आदि अन्य साम्प्रदायिक मामलों को हटा सके, तो हम प्रसन्नता-पूर्वक और साधन तथा नियमों को बढ़ा देंगे। इस समय इस मज़मून पर और अधिक विचार करना अनावश्यक मालूम पड़ता है।

संख्यानुसार जगहों का संरक्षण—अब हम बहु-संख्यक तथा लघु-संख्यक जातियों के लिए संख्यानुसार जगहों के संरक्षण के मुख्य प्रश्न की ओर आते हैं। इस बात से कभी इनकार नहीं किया गया है कि जातियों के लिए जगहों का सुरक्षित करना सिद्धान्तः उतना ही बुरा है, जितना सम्प्रदायिक चुनाव। परन्तु समय को देखे, अनेक कारणों से, कुछ समय के लिए, बिना किसी शर्त के यह शिफ़ारिस की गई है कि साम्प्रदायिक चुनाव और सम्मिलित चुनाव के बीच की बात को मान लिया जाय, यानी जगहों के संरक्षण को कुछ थोड़े से समय के लिए जगह दे दी जाय। ख़्याल यह है कि इस थोड़े से समय में एक दूसरी जाति का अविश्वास, यदि बिलकुल दूर न होवे, तो बहुत कुछ अंशों में दूर हो जायगा। इसी प्रकार की दलीलें उस समय दी गई थीं, जब लखनऊ वाला पैक्ट बना था। परन्तु गत १२ साल के अनुभव ने उन सब आशाओं पर पानी फेर दिया है, जो उस समय की गई थीं। हाल में कुछ सालों के बढ़ते हुए साम्प्रदायिक झगड़ों का कारण साम्प्रदायिक चुनाव माना जाय अथवा न माना जाय, परन्तु यह ज़रूर है कि यह चुनाव, जैसी उम्मेद थी, हिन्दू और मुसलमानों के बीच अधिक अच्छे समझौते के पैदा करने में विफल रहा है। किसी

जाति के लिए, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, जगहों को संरक्षित करना साम्प्रदायिकता को बतलाता है और वह साम्प्रदायिक चुनाव से अलग नहीं है।

बहु-संख्यक जाति के लिए संरक्षण—बहु-संख्यक जातियों के लिए जगहों के संरक्षण के विचार का सब प्रकार से विरोध किया जाता है। यह प्रश्न केवल पंजाब और बंगाल के संबंध में, उठता है जहां पर मुसलमानों की तादाद और जातियों की संख्या से कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है। यह प्रश्न किसी और प्रान्त की बहु-संख्यक जाति ने नहीं उठाया है। इसलिए, इस सम्बन्ध में हमें केवल पंजाब और बंगाल ही के बारे में विचार करना है।

हमको यह ख़्याल कर लेना चाहिए कि हिन्दुस्तान के सब सूबों में पंजाब और बंगाल के सूबे इस बात में सब से अधिक भाग्यशाली हैं कि इनमें आबादी इस तरह की है कि एक जाति का दूसरी जाति पर प्रभुता जमाने या उसको कष्ट देने तथा उसकी उन्नति को रोकने का मौक़ा नहीं है। यद्यपि एक जाति इन दोनों प्रान्तों में बहु-संख्या में है, परन्तु दूसरी जातियां अपने हितों की रक्षा करने और अत्याचार के रोकने के लिए काफी मज़बूत हैं।

बहु-संख्यक जाति के लिए जगहों को सुरक्षित करना सिद्धांत के विरुद्ध है। यह बहु-संख्यक तथा लघु-संख्यक दोनों ही जातियों की उन्नति के लिए बाधक है और राष्ट्रीय उन्नति

के लिए भी विघ्नकारी है। हम यह अनुभव करते हैं कि यह ख़ास तौर से बहु-संख्यक जाति के लिए हानिकारक है। क्योंकि इसके कारण उसको अपनी स्थिति क़ायम रखने के लिए व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था पर ही निर्भर होना पड़ता है, न कि अपनी निजी ताक़त पर। जगहों के संरक्षण के पाने पर ऐसी जाति का आत्म-विश्वास जाता रहता है और वह अपने उन गुणों को भी खो बैठती है, जो एक जाति के बनने के लिए सहायक होते हैं, और जो उसकी कार्यकारिणी शक्ति को बढ़ाते हैं। जब कि संख्यानुसार-चुनाव नहीं होता है, तब साधारणतः एक बहु-संख्यक जाति अपनी जन-संख्या के मुक़ाबले में अधिक जगहों पर क़ाबू कर लेती है। यह उस समय अवश्य होता है, जब बहु-संख्यक जाति एक अथवा अधिक हल्कों में प्रभावशाली रूप में फैली हुई होती है। बस इस भय के कारण कि एक बहु-संख्यक जाति अपनी जन-संख्या के मुक़ाबले में अधिक जगह ले लेती है और ऐसा करने से वह लघु-संख्यक जाति की जगहों को छीन लेती है, लघु-संख्यक जाति के हितों की रक्षा का सवाल उपस्थित हो जाता है।

बहु-संख्यक जाति के लिए जगहों का संरक्षण अथवा जगहों का और किसी प्रकार का संरक्षण एक सच्चे प्रतिनिधि-तथा उत्तरदायी राज के उपयुक्त नहीं है। यह संरक्षण वोटर के मनमाने चुनाव में बाधक होता है। इसके अलावा यह उन दलों के रास्ते में भी अवश्य रुकावट डालता है, जो अधिक स्वाभा-

विक हैं, और व्यवस्थापिका सभा के भीतर और बाहर हैं तथा यह साम्प्रदायिकता को भी बढ़ाता है। हर कोई साम्प्रदायिक भाव पर खेद प्रकट करता है और इस पर राजनीतिक सभा द्वारा अमल करने की इच्छा रखता है। परन्तु यह स्पष्ट है कि यह साम्प्रदायिक भाव केवल एकता के विषय में बातचीत करने और बेहूदी तजवीज़ सोचने से, जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता है, दूर नहीं हो सकता। साम्प्रदायिकता केवल उसी समय दूर हो सकती है, जब कि लोगों का ध्यान दूसरी बातों की ओर लगाया जाय। जब वे उन मामलों में जो वास्तव में उनके दैनिक जीवन से सम्बन्ध रखते हैं, रुचि लेने लगें, न कि वे उन ख़्याली भयों के बारे में सोचने लगें, जो सिमाज के बनावटी विभाग के कारण पैदा होते हैं। इसलिए, हमको लोगों में इस नयी क़िस्म की रुचि को पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें इस रुचि की वृद्धि के मार्ग में रुकावट न डालना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहु-संख्यक जाति का अपने लिए जगहों को सुरक्षित करना ऐसी ही एक रुकावट है।

संरक्षण के तरीक़े—उन तरीकों की, जिनके द्वारा एक बहु-संख्यक जाति के लिए जगह सुरक्षित की जाती है, जांच करने से यह ज़ाहिर होगा कि इनसे प्रतिनिधि-राज्य ही का निषेध नहीं होता है, किन्तु ये उस सिद्धांत का, जिस पर उत्तरदायी राज स्थापित होता है, विरोध करता है।

मोंटेग-चेम्सफ़ोर्ड तरीक़ा—इनमें से एक तरीक़ा

मद्रास में और बंबई के कुछ हिस्सों में जहां पर अ-ब्राह्मणों की बहु-संख्या है, उनके लिए कुछ जगहों के सुरक्षित करने में इस्तेमाल में लाया गया है। इस बहु-संख्यक जाति ने, जो मद्रास प्रान्त में ९६ फ़ी सदी है, साउथ-ब्यूरो कमेटी की शिफ़ारिस के कारण मद्रास-सरकार को अपने लिए ९८ जगह में से २८ जगह सुरक्षित करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस जाति ने ये जगह लघु-संख्यक ब्राह्मणों से, जो मद्रास में सब मिला कर २॥ फ़ी सदी से अधिक नहीं हैं, सुरक्षित रहने के लिए, सुरक्षित की हैं। जिस प्रकार यह सरक्षण किया गया है, वह यह है— दो ऐसे हल्के बनाये गये है, जिनमें केवल अ-ब्राह्मण ही हैं और जिनमें हर एक से एक मेम्बर लिया जाता है और बाक़ी पच्चीस हल्के ऐसे बनाये गये हैं, जिनमें से तीन या तीन से अधिक मेम्बर चुने जाते हैं, जिनमें मद्रास शहर से दो अ-ब्राह्मण और शेष २४ हल्कों में प्रत्येक से एक अ-ब्राह्मण का होना आवश्यक है। इस सम्बंध में निम्न लिखित नियम बनाया गया है—

"जब कि वोटों का गिनना समाप्त हो जाय, तब रिटर्निंग अफ़सर उस उम्मेदवार या उन उम्मेदवारों के बारे में जिस या जिन के नाम सब से ज़्यादा वोट पड़े हैं, शीघ्र ही यह सुनावेगा कि फ़लां उम्मेदवार चुना गया या चुने गये हैं। लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि अगर एक या एक से ज़्यादा जगह सुरक्षित हैं, तो रिटर्निंग अफ़सर अ-ब्राम्हण उम्मेदवार या उम्मेदवारों के बारे में या जिनके नाम सब से ज़्यादा वोट

पड़ी हैं, यह सुनावेगा कि फ़लां उम्मेदवार चुना गया या चुने गये हैं।"

इस नियम के उदाहरण के लिए मद्रास शहर को लीजिए। यहां सम्मिलित चुनाव में छः जगहों में से दो अ-ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित हैं। कल्पना करो कि किसी अ-ब्राह्मण को इतनी वोटें नहीं मिलीं, जिससे वह उन पहिले छः उम्मेदवारों में आ जाय, जिनको सब से ज़्यादा वोटें मिली हैं, और जिन अ-ब्राह्मण उम्मेदवारों को वोट मिली भी हैं, तो वे सब से कम। उपरोक्त नियम इस संबंध में यह कहता है कि इस हालत में भी दो अ-ब्राह्मणों को चुन लिया जायगा और जो अ-ब्राह्मणों से इतर जाति के उम्मेदवार वोटों के लिहाज़ से पांचवें और छटे नम्बर पर होंगे, उनका नाम निकाल दिया जायगा। इस प्रकार अ-ब्राह्मणों के संबंध में वोटरों की राय को कोई इज़्ज़त नहीं है, यद्यपि उन्हीं की जाति वाले ही उनके विरुद्ध वोट क्यों न दें। अब प्रश्न यह है कि ऐसी हालत में ये दो अ-ब्राह्मण जनता के प्रतिनिधि कहला सकते हैं? यह स्पष्ट है कि ये न तो सर्व-साधारण वोटरों ही के प्रतिनिधि हैं और न ये अपनी बहु-संख्यक जाति अ-ब्राह्मण ही के। ये तो केवल उस नियम के अनुकूल, जिसका कोई सिद्धांत नहीं, है प्रति-निधि बन बैठे हैं। यह बड़ी ख़ुशी की बात है कि मद्रास में जो अ-ब्राह्मणों के भय थे, वे निर्मूल साबित हो रहे हैं और हमें यह सूचना मिली है कि कभी ऐसा

मौक़ा आकर नहीं पड़ा है, जब कि उपरोक्त नियम पर अमल किया गया हो।

६८ मेम्बरों में से २८ मेम्बरों का इस प्रकार से चुना जाना एक बहुत बुरी बात है। परन्तु जब बहु-संख्यक मैम्बर इस प्रकार चुने जाते हैं और उनमें से मंत्री चुने जाते हैं, तब प्रतिनिधि-राज्य एक ढकोसला बन जाता है।

सिंध-पैक्ट तरीक़ा—बहु-संख्यक और लघु-संख्यक जातियों के लिए जगहों के सुरक्षित करने का एक और तरीक़ा सिंध-पैक्ट के समर्थकों ने तजवीज़ किया है। यह तरीक़ा इस पैक्ट की पांचवीं धारा में इस प्रकार दिया हुआ है—

" सम्मिलित चुनाव की प्रथा को वास्तव में प्रभावशाली बनाने के लिए प्रत्येक हल्के के लिए एक सम्मिलित वोटरों की फ़ेहरिस्त होनी चाहिए और मुस्लिम और अ-मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव अलग अलग होना चाहिए, परन्तु एक ही दिन, ताकि मुस्लिम और अ-मुस्लिम दोनों प्रकार के वोटरों को दोनों चुनावों में एक साथ अलग अलग वोट देने का अधिकार और अवसर प्राप्त होवे। इस प्रकार, मैम्बर समस्त हल्के की ओर से चुने जायंगे, न कि अपनी अपनी जातियों के वोटरों ही की तरफ़ से।"

इस तरीक़े की सिर्फ़ ख़ूबी यह है कि "इस प्रकार जो मैम्बर चुने जायेंगे, वे पूरे हल्के की ओर से चुने जायेंगे, न कि अपनी अपनी जातियों के वोटरों की ओर से।" अकेले चुनाव ही

में एक हल्के के सब वोटरों को-मुस्लिम और अ-मुस्लिम को वोट देने का अधिकार और अवसर प्राप्त हो जायगा। इसलिए, अलग अलग चुनाव को कोई आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त धारा का मतलब यह मालूम होता है कि हिन्दू और मुसलमान उम्मेद्वारों में संघर्ष न होने पावे और उनके लिए उनकी संख्यानुसार जगह सुरक्षित कर दी जायं। इसके अलावा इस प्रकार का संघर्ष एक वोटर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ चलने के लिए आवश्यक है। यह तरीक़ा एक हिन्दू वोटर को यह अवसर नहीं देता है कि वह अपनी जाति के उम्मेद्वार के आगे एक मुस्लिम उम्मेद्वार को वोट दे और एक मुस्लिम वोटर अपनी जाति के उम्मेद्वार के आगे एक हिन्दू उम्मेद्वार को वोट दे।

यह साफ़ ज़ाहिर है कि जो नतीजा दो अलग बक्सों में दोनों जातियों के अलग अलग उम्मेद्वारों के लिए पर्चे डालने से होगा, वह उस नतीजे से भिन्न होगा जब कि पर्चे एक बक्स में दोनों जातियों के उम्मेद्वारों के लिए साथ ही साथ डाले जाएंगे। और यह भी ज़ाहिर है कि पृथक चुनाव में बहु-संख्यक जाति के लिए इस बात के लिए भी हमेशा बहुत बड़ा मौक़ा रहेगा कि वह अपनी सब वोटों को इकट्ठा कर के लघु-संख्यक जाति में से भी अपने प्रतिनिधियों को चुन सकेगी।

दोनों तरीक़े असंतोष-जनक हैं—इस प्रकार यह

मालूम हो गया होगा कि उपरोक्त दोनों तरीक़ों से संतोष-जनक फल प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है। शेष तीसरा तरीक़ा, जिसके अलावा हमारी जानकारी में और कोई तरीक़ा नहीं है, अलग साम्प्रदायिक चुनाव का तरीक़ा है। इसके बारे में हम पहिले ही विचार कर चुके हैं। साम्प्रदायिक चुनाव के अलग करने के मानी ये होते हैं कि प्रत्येक जाति को चुनाव के समय न्यूनाधिक एक दूसरे का आश्रित बनाकर साम्प्रदायिक एकता को बढ़ाया जाय। परन्तु सम्मिलित चुनाव में बहु-संख्यक जाति के लिए जगहों को सुरक्षित करने से साम्प्रदायिक एकता के भाव में बहुत कमी आ जायगी। क्योंकि बहु-संख्यक जाति को यह विश्वास हो जायगा कि हमारे मैम्बर हर हालत में अन्य जातियों की सहायता के बिना भी चुन लिये जायंगे। इसमें कोई संदेह नही कि इस प्रकार के चुनाव में दोनों जातियों के उम्मेदवारों को व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिद्वन्द्वियों के विरुद्ध दूसरी जातियों के लोगों से वोट के लिए कहने से कुछ फ़ायदा हो जायगा। परन्तु शायद यह फ़ायदा उस समय, जिस समय घोर साम्प्रदायिक मन-मुटाव होगा, न उठाया जा सकेगा।

एक समय में, जगहों के संरक्षण के लिए ज़िद करना और पूर्ण उत्तरदायी राज के लिए मांग उपस्थित करना अनुचित मालूम होता है। उत्तरदायी राज से मतलब उस राज से है, जिसमें कार्य कारिणी सभा व्यवस्थापिका सभा के प्रति और व्यवस्थापिका सभा निर्वाचकों (वोटरों) के प्रति उत्तरदायी हो। यदि कार्य-कारिणी के मैम्बर बहु-संख्यक जाति में से जगहों के

संरक्षण के कारण चुन लिए गए हैं, न कि वोटरों की मर्ज़ी के मुताबिक़, तो न तो वहां वोटरों का सच्चा प्रतिनिधित्व है और न उत्तरदायी राज को कोई बुनियाद। बहु-संख्यक जाति के लिए जगहों के सुरक्षित होजाने से वह जाति क़ानूनन वोटरों की मर्ज़ी के बिना देश पर राज करने का अधिकार प्राप्त कर लेती है। यह तरीक़ा राज को सर्वप्रिय बनाने का सर्वथा विरोधी है। इससे लघु-संख्यक जातियां एक जगह बंध जांयगी और वे तनिक भी उससे न निकल सकेंगी।

चुनाव के दोष—हमारे उपरोक्त विचारों का आधार साधारणतः वे सिद्धांत हैं, जो प्रतिनिधि-राज से सम्बन्ध रखते हैं। यह हम जानते हैं कि वे सिद्धांत कार्यरूप में आने से अपूर्ण रह जाते हैं। इसलिए, प्रजातंत्र-राज के विरुद्ध कुछ लोगों ने बड़ी गम्भीर आपत्तियां उठाई हैं। हम इस कमेटी में तत् संबन्धी विचारों में नहीं घुस सकते। इसलिए, हम अपने राजनीतिक विकाश के इस दर्जे पर उन सिद्धान्तों को स्वीकार करेंगे, जो संसार की बहुत सी समुन्नत जातियों के चुनाव में काम में आते हैं। हम यह भी जानते हैं कि चुनाव की जिस प्रथा की हमने शिफ़ारिस की है, उससे बहु-संख्यक जाति की प्रभुता स्थापित नहीं हो सकती। जैसे इंगलैंड के पिछले चुनाव में हुआ था, जिसमें मैम्बरों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी, जिनको लघु-संख्यक वोटरों ही ने चुना था। हमारे ख़्याल से इसका यह मतलब था कि एक तो प्रत्येक जाति के लिए चुनाव

का एकसा अधिकार न था, दूसरे उन उम्मेदवारों को वोटें दी गईं, जिनको वोटों की आवश्यकता थी। इस सब का इलाज संख्यानुसार-चुनाव है। इसको अनेक कारणों से, जिनका ज़िक्र हमने पहिले ही कर दिया है, इस समय, अपने देश के लिए शिफ़ारिस करने से हमने परहेज़ किया है।

यथार्थ सबूत—हमने अब तक बहु-संख्यक जातियों के लिए जगहों के संरक्षण के प्रश्न पर सिद्धान्तों को लेकर ही विचार किया है। परन्तु इस संरक्षण के खिलाफ़ जो सबसे मज़बूत दलील हैं, वे यथार्थ वाक़ात हैं। परिशिष्ट के नम्बर(अ)और (ब) भागों में जो हिन्दसे दिये हुए हैं, उनके लिए हम पं० जवाहरलाल नेहरू के बड़े ऋणी हैं। उन्होंने इनको बड़ी मेहनत के साथ पंजाब और बंगाल की, सिर्फ़ जिनमें मुसलमान लोग बहु-संख्या में हैं, गत जन-संख्या संबन्धी रिपोर्टों से तैयार किया है। ये हिन्दसे निश्चय रूप से यह प्रकट करते हैं कि इन दोनों प्रांतों में मुसलमानों के लिए भय करने का कोई कारण नहीं है और न इस बात ही के लिए कोई कारण है कि उनको अपने बहु-संख्यक होने से कोई और सहायता मिल जायगी। मुसलमानों की तरफ़ से दलील यह दी जाती है कि हम काफ़ी तादाद में अपने प्रतिनिधि न चुन सकेंगे और हमारी जो थोड़ी सी बहु-संख्या है वह सब, हमारे इन सूबों में शिक्षा संबन्धी और आर्थिक उन्नति में पिछड़े होने के कारण, बराबर हो जायगी। इस दलील का आधार इन दोनों प्रान्तों की

सम्पूर्ण आबादी पर है। इस दलील का सब ज़ोर उस समय ख़तम हो जाता है, जब हम विस्तार-पूर्वक उन हिन्दसों की, जांच करते हैं जो इनकी कमिश्नरी और जिलों से संबन्ध रखते हैं।

पंजाब और बंगाल प्रांतों की आबादी के हिन्दसों से यह ज़ाहिर होता है कि मुसलमानों को वास्तव में बिना जगहों के संरक्षण के सम्मिलित चुनाव से न डरना चाहिए। इस रिपोर्ट के परशिष्ट भाग में जो हिन्द से दिये हुए हैं उनसे यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि पंजाब और बंगाल की आबादी इस प्रकार की है कि इन सूबों के बहुत से हिस्सों की मुस्लिम आबादी, जब हम तमाम सूबे की आबादी को लेते हैं, तब उसके मुक़ाबले में कहीं ज़्यादा मालूम होती है। हम यह देखते हैं कि इन प्रांतों में भिन्न भिन्न जातियों के लिए जगहों के संरक्षण के स्वाभाविक क्षेत्र हैं, जो अस्वाभाविक संरक्षण की अपेक्षा प्रत्येक जाति के प्रतिनिधियों के निश्चित करने के लिए काफ़ी सबूत हैं।

पंजाब—इस प्रकार पंजाब में उत्तर-पश्चिम में मुसलमानों की बस्ती हैं, जहां पर मुसलमान लोग अति बहु-संख्या में हैं और जहां पर कोई दूसरी जाति का वश नहीं चल सकता इस सूबे के दक्षिण में एक छोटा सा हिन्दुओं का क्षेत्र है, जहां पर हिन्दू और सिक्ख ऐसे ही मजबूत हैं जैसे कि उत्तर और पश्चिम में मुसलमान। इन दोनों हिन्दू और मुस्लिम फ़िरक़ों के बीच में एक तीसरा क्षेत्र है। यहां पर भी मुसलमान बहु-संख्या में

हैं परन्तु अति बहु-संख्या में नहीं। इससे हम यह निश्चय करते हैं कि मुसलमान लोग अपने ख़ास क्षेत्रों ही से सूबे की ४७ फ़ीसदी जगहों को जीत सकते हैं और हिन्दू और सिक्ख अपने क्षेत्र से करीब ३० फ़ीसदी जगहों को। शेष २३ फ़ीसदी जगह या तो उस क्षेत्र में हैं, जहां पर मुसलमानों की अधिक संख्या है या उन जिलों में हैं, जहां पर मुसलमान बाक़ी सब जातियों को मिला कर सबसे ज़्यादा हैं। इन सब बातों के होते हुए, हम यह ख़्याल नहीं कर सकते कि मुसलमानों को इस क्षेत्र में इतनी जगह न मिलेंगी, जिससे पंजाब व्यवस्थापिका सभा में उनकी बहु-संख्या हो जाय।

हमने पंजाब के प्रत्येक ज़िले की आबादी के हिन्दसों पर परिशिष्ट के नम्बर (अ) में विस्तार-पूर्वक विचार किया है। हम उनमें से कुछ हिन्दसों को यहां देते हैं। पंजाब के उस भाग की आबादी, जो ब्रिटिश राज में है, सन् १९२१ ई० की जन-संख्या की रिपोर्ट में निम्न लिखित रूप में दी हुई है—

मुसलमान	११,४४४,३२१	५५.३ फ़ी सदी
हिन्दू	६,५७९,२६०	३१.८ „ „
सिक्ख	२,२९४,२०७	११.१ „ „
अन्य लोग (दूसरे ख़ास तौर से ईसाई	३६७,२३६	१.८ „ „
मीज़ान	२०,६८५,०२४	१०० फ़ी सदी

पंजाब में सब मिला कर २९ ज़िले हैं। हमने इन सब को चार क्षेत्रों में इस प्रकार बांटा है—

(१) पंद्रह वे ज़िले, जिनमें मुसलमान जाति बहु-संख्या में हैं। इनमें से एक ज़िले में ये क़रीब ६१ फ़ी सदी हैं, नौ ज़िलों में ८० और ६० फ़ी सदी के बीच में हैं, दो ज़िलों में ये ७१ फ़ी सदी या इससे अधिक फ़ी सदी हैं और शेष तीन ज़िलों में ये क्रमशः ६३.३, ६१.६ और ६०.७ फ़ी सदी हैं। हमने आख़िरी तीन ज़िलों को इस क्षेत्र में इसलिए जोड़ दिया है कि यद्यपि इनमें और अपने पड़ोसी ज़िलों की अपेक्षा मुसल-मान लोगों की तादाद ज़्यादा नहीं है, परन्तु इन ज़िलों की आबादी इनके हिन्दू और सिक्खों की सम्मिलित आबादी से कहीं ज़्यादा है। उदाहरणार्थ शेख़ूपुरा में मुसलमान ६३.३ फ़ी सदी, हिन्दू १६.० फ़ीसदी और सिक्ख १५.६ फ़ीसदी हैं। स्यालकोट में मुसलमान ६१.६ फ़ीसदी, हिन्दू १६.५ फ़ीसदी और सिक्ख ८.० फ़ीसदी हैं। लायलपुर में मुसलमान ६०.७ फ़ीसदी हिन्दू १८.१ फ़ीसदी और सिक्ख १६.४ फ़ीसदी हैं।

यह याद रखना चाहिए कि इन ज़िलों में अ-मुस्लिम जाति एक ही नहीं है, किन्तु हिन्दू, सिक्ख, ईसाई आदि अनेक हैं।

अगर हम एक लाख आबादी के पीछे १ मैम्बर रखते हैं, जैसी कि हमने तजवीज़ किया है, तो हिसाब लगाने से यह ज़ाहिर होता है कि इस अकेले मुस्लिम-क्षेत्र से ६८ मैम्बर चुने जाएंगे। इसके माने ये हैं कि पंजाब की व्यवस्थापिका सभा में जितने मैम्बर हैं, उनके ये ४७.३ फ़ी सदी होंगे।

(२) लाहौर और गुरदासपुर के दो ज़िलों के बारे में यह कहा जा सकता है कि यहां पर मुसलमानों की बहु-संख्या है, यानी

यहां पर मुसलमानों की तादाद हिन्दू और सिक्खों की सम्मिलित तादाद से ज़्यादा है। लाहौर के ज़िले में ये ५७.३फ़ी सदी हैं। परन्तु इनकी तादाद इन दोनों ज़िलों में इतनी नहीं है, जितनी पहिले क्षेत्र में है। इन दो ज़िलों में से १६॥ अथवा व्यवस्थापिका सभा की तादाद के ६.४ फ़ी सदी मैम्बर चुने जा सकते हैं।

(३) तीन ज़िले ऐसे हैं; जहां पर कोई जाति बहु-संख्या में नहीं है। परन्तु यहां पर भी मुसलमानों का सब से ज़्यादा ज़ोर है। इन ज़िलों से २७॥ अथवा सब मैम्बरों की तादाद के १३.३ फ़ी सदी मैम्बर जा सकते हैं।

(४) नौ ज़िले ऐसे हैं, जहां पर हिन्दू और सिक्खों की अति बहु-संख्या है। इस क्षेत्र से मैम्बरों की संख्या ६१॥ अथवा सब मैम्बरों की तादाद के २६.७ फ़ीसदी मैम्बर चुने जा सकते हैं।

इस प्रकार हम यह देखते हैं कि मुसलमानों की ४७.३ फ़ीसदी जगह निश्चित हैं, और इनको ६.४ जगह और जीत कर व्यवस्थापिका सभा में बहु-संख्या में होने का अच्छा मौक़ा है। इसके अलावा ये लोग तीसरे क्षेत्र की १३ फ़ीसदी जगहों में से भी कुछ जगह जीत सकते हैं। इससे यह साफ़ ज़ाहिर है कि इनकी व्यवस्थापिका सभा में अवश्य बहु-संख्या हो जायगी।

बंगाल—बंगाल के हिन्दसे और भी अधिक स्पष्ट हैं। इन पर परिशिष्ट के (ब) भाग में विस्तार-पूर्वक विचार किया

गया है। हम यहां पर उनको संक्षेप में देते हैं। बंगाल की आबादी निम्नांकित है—

मुसलमान…………	२५,२१०,८०२……	५४.०	फ़ीसदी
हिन्दू ……………	२०,२०३,५२७……	४३.३	„ „
अन्य लोग ………	१,२८१,२०७……	२.७	„ „
(ख़ासतौर से ईसाई आदि)			
मीज़ान	४६,६९५,५३६	१००	फ़ीसदी

बंगाल प्रांत में भी पंजाब की तरह भिन्न भिन्न ४ क्षेत्र हैं, जो निम्नलिखित हैं—

(१) अति बहु-संख्यक मुस्लिम-क्षेत्र—इसमें १३ ज़िले हैं। इनमें से व्यवस्थापिका सभा के लिए २८२ मैम्बर अथवा मैम्बरों की सब तादाद के ६० फ़ीसदी मैम्बर चुने जा सकते हैं।

(२) बहु-संख्यक मुस्लिम-क्षेत्र—इसमें दो ज़िले हैं। इनमें से २३ मैम्बर अथवा सब मैम्बरों की तादाद के ५० फ़ीसदी मैम्बर चुने जा सकते हैं।

(३) बहु-संख्यक हिन्दू-क्षेत्र—इसमें चार ज़िले हैं। जिनमें से ४२ मैम्बर या सब मैम्बरों की तादाद के ९० फ़ीसदी मैम्बर चुने जा सकते हैं।

(४) अति बहु-संख्यक हिन्दू-क्षेत्र—इसमें ९ ज़िले हैं। इनमें से ११८ मैम्बर अथवा सब मैम्बरों की तादाद के २५० फ़ीसदी मैम्बर चुने जा सकते हैं।

बंगाल में केवल अति बहु-संख्यक मुस्लिम-क्षेत्र ही से,

यदि बहु-संख्यक मुस्लिम-क्षेत्र को सम्मिलित न किया जाय, तो व्यवस्थापिका सभा में मुसलमानों की ६० फ़ी सदी जगह निश्चित हैं। लघु-संख्यक हिन्दू-जाति, यद्यपि बहुत बड़ी तादाद में है, परन्तु जगहों के बिना संरक्षण किये हुए सार्वजनिक चुनाव में, यह बहुत सम्भव कि वह अपने कम मैम्बर भेज सकेगी।

बंगाल के डिस्ट्रिक्टबोर्ड के चुनाव—डिस्ट्रिक्टबोर्ड के पिछले चुनाव के हिन्दसे परिशिष्ट के (ब) भाग में बहुत अच्छी तरह दिये हुए है। डिस्ट्रिक्टबोर्डों के लिए हिन्दू और मुसलमानों का सम्मिलित चुनाव होता है। परन्तु चूंकि वोट देने का अधिकार हैसियत या टैक्स पर निर्भर है, इसलिए हिन्दू और मुसलमान वोटरों की संख्या में वह अनुपात नहीं रहता, जो उनकी वास्तविक संख्या में है। हमारा यह ख़्याल है कि मुसलमानों में वोटरों की संख्या, जो हिन्दुओं की अपेक्षा माली हालत में कम हैं, उनके उन वोटरों की संख्या से, जो उस समय होती जब कि हर बालिग़ स्त्री-पुरुष को वोट देने का अधिकार होता, बहुत कम है। परन्तु फिर भी हम यह देखते हैं कि वे मैमनसिंह, चटगांव और जैसोर के तीन ज़िलों में हिन्दुओं से बाज़ी मार ले गये हैं। परन्तु पहिले दो ज़िलों में एक भी हिन्दू नहीं चुना गया, यद्यपि हिन्दुओं की संख्या २४ फ़ी सदी है और तीसरे ज़िले में केवल एक हिन्दू चुना गया है, यद्यपि वहां पर ३८.२ फ़ी सदी हिन्दू हैं। इसके ख़िलाफ़ हम देखते हैं कि जहां पर मुसलमानों की संख्या केवल ३ या ४ फ़ी सदी है, वहां पर वे

अपने १ से ३ प्रतिनिधियों को डिस्ट्रिक्टबोर्ड के लिए चुन सके हैं। उन जगहों के उदाहरण भी बड़े रोचक हैं, जहां पर हिन्दू और मुसलमान बराबर बराबर संख्या में हैं। हमारा मतलब खुलना और दीनाजपुर के ज़िलों से है। खुलना ज़िले में हिन्दुओं की संख्या ५०फ़ी सदी है। वे यहां ११ जगह जीत लेगये और मुसलमान लोग, जिनकी संख्या ४६.८फ़ी सदी है सिर्फ़ ५ जगह जीत सके। दीनाजपुर ज़िले में मुसलमान ४९ फ़ी सदी हैं। यहां पर उन्होंने १४ जगहों पर क़ाबू किया और हिन्दू लोग जो ४४ फ़ी सदी हैं केवल ४ जगहों पर ही क़ाबू कर सके। जब तक दोनों जातियों के वोटरों की ठीक संख्या नहीं मालूम है, तब तक जो इन दोनों की पूरी संख्या है, उससे काम नहीं चल सकता। परन्तु हम यह निसन्देह रूप से कह सकते हैं कि बंगाल में मुसलमानों को अ-मुसलमानों के मुक़ाबिले संरक्षा की आवश्यकता नहीं है। जैसोर ज़िले का मामला ख़ास तौर से रोचक मामला है। जब तक बहु-संख्यक मुस्लिम-जाति ने डिस्ट्रिक्टबोर्ड के चुनाव में अधिक रुचि प्रकट नहीं की, तब तक लघु-संख्यक हिन्दू-जाति वहां पर बाज़ी मारती रही। परन्तु जब मुसलमान लोग काम करने के लिए खड़े हो गये, तब उन्होंने हिन्दुओं को निकाल ही नहीं दिया, किन्तु पहिली ही बार में एक मुसलमान मैम्बर डिस्ट्रिक्टबोर्ड का चेयरमैन हो गया और दूसरा वाइस चेयरमैन। ये दोनों मैम्बर बंगाल की प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य भी हैं। हमको यह सूचना दी गई है कि बंगाल के डिस्ट्रिक्टबोर्डों के

पिछले चुनाव ने हिन्दू और मुसलमान दोनों ही जातियों की आंखें खोल दी हैं और अब मुसलमानों का विचार सम्मिलित चुनाव ही की ओर हो रहा है। यह साम्प्रदायिक शत्रुता की एक दुःख-जनक घटना है जिसमें पड़ कर लोग यथार्थ बात को नहीं देखते और अपने सर्वोत्तम हितों के विरुद्ध भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। हम उन लोगों से जो घोषणा-पत्रों और प्रार्थना-पत्रों के द्वारा पंजाब और बंगाल के लिए साम्प्रदायिक चुनाव के पक्ष में विचार कर रहे हैं, यह शिफ़ारिस करते हैं कि वे ध्यान-पूर्वक परिशिष्ट के (अ), (ब) और (स) इन तीनों भागों को अवश्य पढ़ जायं।

माली और शिक्षा संबंधी हैसियतें—इसलिए, हिन्दसों के अध्ययन करने के बाद हमारा यह कहना है कि पंजाब और बंगाल में मुसलमानों का भय बिलकुल झूंठा है। मुसलमानों का भय हिन्दू और सिक्खों की अपने से अधिक अच्छी माली और शिक्षा संबंधी हैसियतों पर निर्भर है। हम यह देख चुके हैं कि हिन्दुओं की अच्छी हैसियत बंगाल के डिस्ट्रिक्टबोर्ड के चुनाव में कारगर नहीं हुई और हमें यह विश्वास है कि बंगाल की व्यवस्थापिका सभा में मुसलमानों की इससे भी अधिक जीत रही होगी। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि मुसलमान लोग शिक्षा और धन में, ख़ास तौर से बंगाल में, दूसरी जातियों के मुक़ाबिले, पिछड़े हुए हैं। और इसमें भी कोई शंका नहीं है कि आज कल के राज में धन का

बल बड़ा है। यह वास्तव में इतना बड़ा है कि इसके होते हुए चुनाव में लड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि यह अन्दर ही अन्दर जीत के सब सामान इकट्ठा कर देता है। जगहों का सुरक्षित होना, साम्प्रदायिक चुनाव का होना या किसी और क़िस्म का चुनाव इसके बल को नहीं घटा सकता। जब तक लोग साम्प्रदायिकता का ख़्याल करेंगे और उसी भाव में काम करेंगे, तब तक वे वास्तविक समस्या का मुक़ा-बिला न कर सकेंगे और यदि वे इसका मुक़ाबिला न कर सकेंगे, तो इसको हल भी न कर सकेंगे।

हमारा यहां पर यह काम नहीं है कि हम समाज के एक नये संगठन को उपस्थित करें, जिसमें आर्थिक बल कुछ थोड़े से आदमियों के हाथ में न रहने पावे। हम यह मानते हैं कि साम्प्रदायिक संगठनों की भी, जो अपनी अपनी जाति के लिए बल-प्रयोग कर के भी विशेष अधिकार मांग रहे हैं, यह इच्छा नहीं है कि वर्तमान सामाजिक संगठन पर कोई आघात-प्रघात किया जाय। अगर यह बात मान ली जाती है, तो जो कुछ इस सम्बन्ध में किया जा सकता है, वह यह है कि शिक्षा संबन्धी और आर्थिक उन्नति में जो रुकावटें हैं, उनको दूर करने के लिए साधन ग्रहण किये जायं, ख़ास तौर से पिछड़ी हुई जातियों के लिए।

स्वतन्त्र-भारत में दलबन्दी—हमें यह निश्चय है कि जब हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हो जायगा और जब अपने प्रश्नों का हल बिना किसी विदेशी हुकूमत के दख़ल करने लगेगा, तब हिन्दुस्तानी

लोग अपने मुख्य प्रश्नों की ओर ध्यान देंगे। अब प्रश्न यह है कि उन समस्याओं में से, जिनके ऊपर भावी व्यवस्थापिका सभा का विचार करना सम्भव है, कितनी ऐसी समस्याएं होंगी, जो साम्प्रदायिक होंगी। यह सम्भव है कि साम्प्रदायिक प्रश्न जब तब उठ खड़े हों। परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनमें से बहुत से प्रश्न संकीर्ण रूप में साम्प्रदायिक न होंगे। इसका नतीजा यह होगा कि देश में और व्यवस्थापिका सभा में बिल्कुल दूसरे ही आधारों पर—हमारा ख़्याल है ख़ास तौर से आर्थिक आधार पर—दलबंदियाँ होंगी। तब हम हिन्दू, मुसलमान और सिक्खों को एक दल में साथ साथ काम करते हुए और एक दूसरे दल का, जिसमें भी हिन्दू, मुसलमान और सिक्ख होंगे, विरोध करते हुए देखेंगे। ये बातें अवश्य होनी हैं, यदि हमको स्वतन्त्रता मिल जाय।

लघु-संख्यक हिन्दू और सिक्ख—जगहों के संरक्षण के विषय में यदि हिन्दू-दृष्टि से देखा जाय, तो हम यह कह सकते हैं कि पंजाब और बंगाल में बहु-संख्यक मुस्लिम-जाति का जगहों का संरक्षण, वास्तव में, हिन्दुओं तथा सिक्खों के लिए भी अपने अ-संरक्षण की अपेक्षा अधिक हितकर होगा जैसा कि हमने ऊपर हिन्दसों को दिखला कर बतलाया है। इन हिन्दसों से यह विदित होता है कि पंजाब और बंगाल में मुसलमानों की संख्या इतनी अधिक है कि वे निश्चय रूप से सम्मिलित चुनाव में बिना संरक्षण के अपनी जन-संख्या के मुक़ाबिले ज़्यादा

अस्वीकार किया जावे और जन-संख्या के आधार पर जगहों के संरक्षण के विषय में सब दलों में, जो इस मसले से सम्बन्ध रखते हों, समझौता हो जावे। इस कमेटी के मैम्बरों में केवल ऐसा समझौता ही नहीं हुआ है, किन्तु उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रस्ताव के पहिले भाग में जगहों के संरक्षण का सर्व सम्मति से विरोध भी किया है। यह कभी सम्भव मालूम नहीं होता है कि प्रस्ताव के दूसरे भाग में जो समझौता दिया हुआ है वह सर्वदल सम्मेलन में मान लिया जायगा। परन्तु यदि संयोग से ऐसा समझौता हो जाय, तो उस पर वे सब चलने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जो इसको मानेंगे, और ऐसी हालत में प्रस्ताव का दूसरा भाग यह शर्त लगाता है कि जगहों का संरक्षण दस साल से ज़्यादा न चलना चाहिये। हमने जिस बात का विरोध किया है, उसके बारे में यह न समझना चाहिये कि हम उसकी शिफ़ारिस करते हैं। परन्तु हम दलों और जातियों की समझौते की क़ीमत को चाहे वह सिद्धांततः ही क्यों न ग़लत हो, मानते हैं। और यदि ऐसा समझौता हमारे विरोध करने पर भी पास हो जाय, तो हम सिवाय इसके कि उसके अमल को महदूद करें और कुछ इससे ज़्यादा न कुछ कर सकेंगे। बस हमने जो कुछ किया है, वह यही है। मुसलमान और सिक्खों के अपनी जन-संख्या के मुकाबिले अधिक तादाद में मैम्बर होने के विषय में हमारा यह कहना काफ़ी है कि ऊपर जो हमने विचार प्रकट किये हैं, उन के अनुसार

किसी जाति के लिए भी, चाहे वह कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, ऐसा कोई अधिकार स्वीकार-योग्य नहीं है।

लघु-संख्यक जातियों के लिए जगहों के संरक्षण के प्रश्न की ओर अब हम आरहे हैं, विचार करते समय हमें प्राइवेट कान्फ़रेंस के प्रस्ताव की ओर फिर लौटना होगा।

लघु-संख्यक मुसलमानों के लिए संख्यानुसार जगहों का संरक्षण—जब उस प्राइवेट कान्फ़रेंस का प्रस्ताव, जिसका हवाला ऊपर दिया जा चुका है, पास होगया, तब हमको यह बतलाया गया कि यह प्रस्ताव लघु-संख्यक मुसलमानों के लिए बड़ा कष्टकर होगा। क्योंकि इसके द्वारा वे केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के ५०० मैम्बरों में पंजाब और बंगाल से अपने सिर्फ़ ३० या ४० और संयुक्त-प्रान्त से एक तथा अन्य प्रान्तों से, जहां पर उनकी आबादी ७ फीसदी से कम है, एक भी मैम्बर न भेज सकेंगे। इस सम्बन्ध में यह कहा गया है कि इसका नतीजा यह होगा कि ब्रिटिश हिन्दुस्तान के मुसलमान, जिनकी संख्या उसकी समस्त जन-संख्या की क़रीब एक चौथाई है, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में केवल १० फीसदी अपने मैम्बर भेज सकेंगे। यही दलील उन सूबों की व्यवस्थापिका सभाओं के लिए भी दी जाती है, जिनमें मुसलमान लोग लघु-संख्या में आबाद हैं। हम इस दलील की शक्ति को अनुभव करते हैं और इसीलिए, हम वस्तु-स्थिति से लाचार होकर, देश की चुनाव-प्रथा में अभी कुछ थोड़े दिनों के

लिए साम्प्रदायिकता को रहने देना चाहते हैं। इसलिए, हम ७ जुलाई की प्राइवेट कान्फरेंस के प्रस्ताव की हम पूर्ण रूप से शिफ़ारिस करने के लिए असमर्थ हैं। पंजाब और बंगाल के सूबों के अलावा अन्य उन सूबों में, जहां पर मुसलमान लोग लघु-संख्या में हैं, यदि वे चाहें, तो हम उनके लिए केंद्रीय तथा प्रान्तीय, दोनों व्यवस्थापिका सभाओं के लिए जगहों के संरक्षण को शिफ़ारिस करते हैं। हमारी राय में, कुछ समय के लिए, इस प्रकार के साम्प्रदायिक चुनाव को भी रहने देना एक आवश्यक बुरी बात है। इस संबंध में यह बात समझ लेनी चाहिए कि हम लघु-संख्यक मुसलमानों के साथ इस तरह को रिआयत करके उस नियम का भंग नहीं कर रहे हैं, जो बहु-संख्यक जाति की जगहों के संरक्षण से सम्बन्ध रखता है। क्योंकि लघु-संख्यक जाति तो लघु-संख्यक ही रहेगी, चाहे उसके लिए जगहों का संरक्षण हो अथवा न हो और वह बहु-संख्यक जाति पर अपनी प्रभुता नहीं जमा सकती।

संख्यानुसार से अधिक मैम्बर—लखनऊ-पैक्ट और मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधार के अनुसार मुसलमानों को जो, कुछ सूबों में, उनकी संख्या के लिहाज़ से अधिक मैम्बर दिये गये हैं, वे हमारी योजना में न रहेंगे। ये अधिक मैम्बर सिर्फ़ अलग चुनाव में रह सकते हैं, मिश्रित या सम्मिलित चुनाव में नहीं। लघु-संख्यक मुसलमानों के लिए उनकी आबादी के लिहाज़ से ज़्यादा जगहों का सुरक्षित करना कोई असम्भव

बात नहीं है। परन्तु इससे न केवल बहु-संख्यक जाति ही के लिए अन्याय होगा, किन्तु इससे अन्य लघु-संख्यक जातियों के प्रति भी अन्याय होगा और हमारे विचार से यह मुसलमानों की राष्ट्रीयता को उन्नति के लिए भी बाधक होगा। हमने मुसलमानों को, उनकी संख्यानुसार कुछ जगहों को सुरक्षित करके, पूरा हिस्सा दे दिया है। यदि उनको इससे अधिक की इच्छा है, तो उसको उनको अपनी कोशिश से लेना चाहिए। हम उनके इस अधिकार को कम करना नहीं चाहते कि वे, जितनी जगह उनके लिए सुरक्षित की गई हैं, उनसे अधिक जगहों के लिए चुनाव में लड़ सकते हैं। हमारा यह विचार है कि लघु-संख्यक जातियों के लिए जगहों को सुरक्षित करने से हमने उन्हें किसी ऐसे बाड़े में बन्द नहीं कर दिया है, जिसके बाहर वे समर्थ होती हुई भी न जा सकें। हमारी राय में छोटी-बड़ी सब प्रकार की जातियों के लिए, बनिस्बत इसके कि उनके लिए उनकी संख्या के लिहाज़ से ज़्यादा जगह सुरक्षित की जायं, यह कहीं अधिक महत्व-पूर्ण होगा कि उनके राजनीतिक कामों के बढ़ने के लिए स्वतंत्रता दे दी जाय। यह याद रखना चाहिए कि जगहों के संरक्षण से वे सिवाय अपनी जाति के साथ, दूसरी जातियों के साथ खुल्लमखुल्ला संघर्ष न कर सकेंगी, जिसका नतीजा यह होगा कि उनकी उन्नति रुक जायगी। यह ठीक है कि एक मुसलमान उम्मेदवार अपने मुसलमान प्रतिद्वन्दी को हराने के लिए अ-मुस्लिमों से वोट मांगेगा, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि

इससे मुसलमानों की राष्ट्रीय उन्नति होगी। किन्तु इससे तो केवल यह बात पैदा होती है कि एक मुसलमान उम्मेदवार अच्छा है, या दूसरा और इन दोनों का एक अ-मुस्लिम उम्मेदवार से जो इन दोनों से अच्छा है या बुरा, कुछ भी मतलब नहीं है।

न्याय्य रूप से मुसलमान लोग अपनी आबादी के लिहाज़ से ज़्यादा जगहों को सुरक्षित कराने का दावा इस बात के साथ साथ कि वे बाकी जगहों के लिए भी अपने उम्मेद्वार चुनेंगे, नहीं कर सकते हैं। इसलिए, उनके सामने यह सवाल है कि वे इन दोनों बातों में से किस एक को अपने लिए अधिक लाभकारी समझते हैं? हमें इसमें सन्देह नहीं है कि जब मुसलमान लोग, (१) अपनी आबादी के लिहाज़ से ज़्यादा जगह सुरक्षित कराना और उनसे ज़्यादा जगह न ले सकना और (२) अपनी आबादी के लिहाज़ से जगह सुरक्षित कराना और उनसे ज़्यादा जगह लेने के लिए चुनाव में हिस्सा लेना, इन दोनों बातों पर ध्यान-पूर्वक विचार करेंगे, तब वे दूसरी बात हो को अधिक अच्छा समझेंगे। हम यह पहिले ही कह चुके हैं कि सम्मिलित चुनाव से जो राष्ट्रीय एकता बढ़ती है, वह जगहों के संरक्षण से नहीं बढ़ती। इसको छोड़ दीजिये कि सम्मिलित चुनाव में एक मुसलमान उम्मेद्वार के लिए अपनी जाति के उम्मेद्वार को अ-मुस्लिम वोटों को लेकर हराने का मौक़ा है। परन्तु इसके अलावा, उसको अ-मुस्लिम वोटों के न मिलने पर अपनी जाति की तो सब वोटें अवश्य मिल ही जायंगी, और ऐसे अवसरों पर जब कि हिन्दू-मुस्लिम झगड़े हों, तब

भी इनमें से हर एक जाति अपना अपना चुनाव अलग करके अपनी सब जगहों पर क़ाबू कर सकेगी। हमारा यह ख़्याल है कि जब तक इन दोनों जातियों को एक दूसरे के आश्रित न बना दिया जायगा, तब तक इनके आपस के झगड़े कम न होंगे।

संयुक्त प्रान्त के मुसलमान—संयुक्त प्रान्त में मुसलमान सब से कम हैं। जैसी यहां मुसलमानों की स्थिति है, उसको देखे हमारा यह विश्वास है कि मुसलमान लोग हमारी योजना के अनुसार प्रचलित योजना की अपेक्षा अधिक जगह पाजाएंगे। संयुक्त प्रान्त के कई शहरों में मुसलमानों की बहु-संख्या, है और कुछ में ये काफ़ी अधिक और प्रभावशाली हैं। मुसलमान लोग शायद कुछ दूसरे सूबों में कुछ जगह खो बैठें, लेकिन समस्त देश में इनके मैम्बरों की संख्या सन्तोष-जनक रहेगी।

केंद्रीय सभा में मुसलमानों के लिए जगहों का संरक्षण—अब हमें मुसलमानों की मांग पर और विचार करना है। वह मांग यह है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में मुसलमानों के लिए एक तिहाई जगह सुरक्षित कर दी जाँय। इस मसले को प्राइवेट कान्फरेंस में न तो उठाया ही गया था और न इस पर विचार ही हुआ था। परन्तु हमारा यह ख़्याल है कि हमने जगहों के संरक्षण के लिए जो साधारणतः शिफ़ारिसें की हैं, उनमें यह आ जाता है। हमने इस सम्बन्ध

में जो सिद्धान्त बनाया है, वह यह है कि जहां कहीं लघु-संख्यक मुसलमानों के लिए जगह सुरक्षित की जायं, वहां वे पूरी तौर से उनकी संख्या के अनुसार की जायँ। ब्रिटिश हिन्दुस्तान में मुसलमानों की संख्या एक चौथाई से कुछ कम है। इनको इस संख्या के हिसाब से अधिक जगह केंद्रीय सभा में नहीं दी जा सकती। यह याद रखना चाहिए कि पंजाब और बंगाल को छोड़ कर इनको इन अपनी संख्यानुसार जगहों के अलावा चुनाव में केंद्रीय और प्रान्तीय सभाओं की बाकी जगहों के लिए चुनाव में लड़ने का अधिकार प्राप्त है। और पंजाब और बंगाल के सूबों में इनका यह चुनाव-अधिकार सीमा-रहित है। ये इन सूबों में दोनों सभाओं के लिए चाहे जितनी जगहों के लिए चुनाव में लड़ सकते हैं। प्रान्तीय सभाओं के लिए हमने इस अधिकार को उस अधिकार के बजाय रख दिया है, जिसके कारण आज कल मुसलमान लोग अपनी संख्यानुसार से अधिक मैम्बर भेजते हैं। केंद्रीय सभा में आज कल मुसलमानों के उनकी संख्यानुसार से अधिक मैम्बर नहीं हैं। हर सूबे से जो मैम्बर केंद्रीय सभा के लिए भेजे जाते हैं, उनके सम्बन्ध में मनमानी नीति बरती जा रही है। मुसलमान मैम्बर केंद्रीय सभा में आज कल, एक तिहाई से भी कम हैं। इसलिए, इस मांग के लिए कि केंद्रीय सभा में मुसलमानों के एक तिहाई मैम्बर होने चाहिये, जैसी वर्तमान स्थिति है, उसमें कोई बुनियाद दिखलाई नहीं देती। यदि कुछ थोड़ा सा विचार किया जाय, तो पता लग जायगा कि एक तिहाई और एक चौथाई के

बीच के अन्तर को ओर ध्यान देने की अपेक्षा, यदि चुनाव की स्वतन्त्रता की ओर ध्यान दिया जाय, तो अधिक अच्छा हो। परन्तु जैसा कि हम पहिले कह चुके हैं कि हमने जो सिद्धान्त लघु-संख्यक मुसलमानों के लिए सूबा-सभाओं के लिए निश्चित किया है, उससे हम विचलित नहीं हो सकते। सिद्धान्त के प्रश्न के अलावा इस सम्बन्ध में कुछ अमली कठिनाइयाँ हैं। अब प्रश्न यह है कि पंजाब और बंगाल के सूबों की बहु-संख्यक जाति के लिए मैम्बरों की तादाद बिना सीमित किये तथा अन्य सब सूबों में संख्यानुसार से अधिक मैम्बर देते हुए, केन्द्रीय सभा के लिए मुसलमानों के एक तिहाई मैम्बरों की तादाद को कैसे निश्चित कर सकते हैं। और यह भी प्रश्न है कि अन्य सूबों को संख्यानुसार से अधिक मैम्बर किस सिद्धान्त के आधार पर देने चाहिए। हमने इस विषय में बहुत अच्छी तरह से विचार किया है, परन्तु हमें खेद है कि हम केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में मुसलमान मैम्बरों की एक तिहाई तादाद की शिफ़ारिस करने के लिए असमर्थ हैं।

शिफ़ारिस—इन कारणों से हम लघु-संख्यक मुसलमानों के लिए, जब वे चाहें, तब के लिए, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सभाओं के लिए उनकी संख्यानुसार और इस अधिकार के साथ कि वे बाक़ी जगहों के चुनाव में भी लड़ सकते हैं, १० साल के लिए जगहों को सुरक्षित करते हैं। हम यह भी कह देना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में जो ऊपर दलीलें दी गई हैं

तथा उनसे जो नतीजे निकाले गये हैं, उनमें से कुछ से हमारे साथी श्रीयुत श्वैब कुरैशी सहमत नहीं हैं। उनकी यह राय है कि प्राइवेट कान्फरेंस का प्रस्ताव, जिसका हवाला हम ऊपर दे चुके हैं, ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया जाय। उनकी यह भी इच्छा है कि केन्द्रीय सभा में मुसलमानों की एक तिहाई तादाद निश्चित हो जानी चाहिए।

सीमाप्रांत और बिलोचिस्तान में लघु-संख्यक अ-मुस्लिम—लघु-संख्यक अ-मुस्लिमों में केवल सीमाप्रांत और बिलोचिस्तान के लघु-संख्यक अ-मुस्लिमों ही का मसला विचार-योग्य है। इन जगहों में अ-मुस्लिमों की ऐसी ही स्थिति है, जैसी मद्रास और मध्य प्रांत में लघु-संख्यक मुस्लिमों की। हमारी यह शिफ़ारिस है कि सीमाप्रान्त और बिलोचिस्तान के अ-मुस्लिमों के साथ वैसी ही रिआयत होनी चाहिए, जैसी पंजाब और बंगाल के सूबों को छोड़ कर अन्य सूबों के मुसलमानों के साथ की गई है।

अन्य लघु-संख्यक अ-मुस्लिम—अन्य लघु-संख्यक अ-मुस्लिमों की ओर जब हम ध्यान देते हैं, तब हमें यह मालूम होता है कि उनमें और बहु-संख्यक जातियों में, जिनके बीच में वे रह रहे हैं, ऐसा कोई भेद नहीं है, जैसा अभाग्यवश हिन्दू और मुसलमानों में है। इन लघु-संख्यक अ-मुस्लिम जातियों को यह समझ लेना चाहिए कि हम लघु-संख्यक मुस्लिमों के लिए एक विशेष स्थिति में, केवल कुछ थोड़े से

निश्चित समय के लिए ही जगहों के संरक्षण की शिफ़ारिस कर रहे हैं। आगे-पीछे इन लघु-संख्यक मुसलमनों को अवश्य अपने ही पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। हमें वास्तव में, इस बात से बड़ी प्रसन्नता होगी कि वे आरम्भ ही से जगहों के संरक्षण से लाभ उठाये बिना ही अपना काम निकाल लेंगे।

हिन्दुस्तान में लघु-संख्यक मुस्लिम और लघु-संख्यक अ-मुस्लिम जातियों में कोई समानता नहीं है। लघु-संख्यक अ-मुस्लिम जाति का कोई स्थान ही नहीं है, जब हम इसका मुक़ाबिला देश की समस्त जन-संख्या से करते हैं। बौद्धों को छोड़ कर, जो ख़ास तौर से बर्मा देश में पाये जाते हैं, और जहाँ वे बहु-संख्या में है, शेष अन्य लघु-संख्यक अ-मुस्लिम जातियों की जन-संख्या हिन्दुस्तान की समस्त जन-संख्या के मुक़ाबिले में इस प्रकार है—

ईसाई	१.२ फ़ीस दी
सिक्ख	१.० ,, ,,
जैन	.२ ,, ,,
अन्य जातियाँ (पहाड़ी जातियों के अलावा)	.२ ,, ,,

इससे यह प्रकट होता है कि केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के लिए लघु-संख्यक अ-मुस्लिम जातियों के लिए आबादी के लिहाज़ से जगहों के सुरक्षित करने से कोई उनको सहायता नहीं पहुंचेगी और इसके अलावा सीमाप्रांत और बिलोचिस्तान की लघु-संख्यक जातियों के सिवाय अन्य किसी लघु-संख्यक जाति के लिए प्रान्तीय सभाओं में भी जगह सुरक्षित

होने का मौक़ा नहीं है। यदि इस सम्बन्ध में कोई कोशिश भी की जाय, तो उससे गड़बड़ पैदा हो जायगी और हमारी राय में इसमें संदेह है कि इससे उन लघु-संख्यक जातियों को, जिनके लिए जगह सुरक्षित की जायगी, कोई लाभ भी न पहुंचेगा।

हमने यहां पंजाब और बंगाल की लघु-संख्यक जातियों के बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया है। क्योंकि हमारा यह ख़्याल है कि यह किसी प्रकार कल्पना नहीं की जा सकती कि जन-संख्या की ३२ तथा ४५ फ़ीस दी जातियाँ भी लघु-संख्यक समझी जा सकती हैं।

सिक्ख—लघु-संख्यक अ-मुस्लिम जातियों में सिक्खों का मामला ऐसा है, जिस पर ख़ास तौर से विचार होना चाहिए। ये लोग सिर्फ़ पंजाब ही में आबाद हैं और वहां पर इनकी स्थिति बिलकुल ऐसी है, जैसी संयुक्त प्रान्त में मुसलमानों की। सिक्ख लोग, पंजाब में पंजाब की जन-संख्या के ११ फ़ीस दी होने के कारण, संयुक्त प्रान्त के मुसलमानों की अपेक्षा, जो इस प्रान्त की जन-संख्या के १५ फ़ी सदी हैं, कम संख्या में हैं। वर्तमान शासन-विधान में उनका अलग चुनाव होता है और उनको उनकी संख्यानुसार से अधिक जगह मिली हुई हैं। हम इस बात को मानते हैं कि सिक्ख एक बड़ी ख़ास और महत्वपूर्ण लघु-संख्यक जाति है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। और हम हमेशा सिक्खों के मामलों पर, जिसको हमारे साथी, सरदार मंगलसिंह ने उपस्थित किया है, बहुत अच्छी तरह से विचार

करते रहे हैं। सिक्खों के लिए यह एक बड़ी प्रशंसा की बात है कि उन्हों ने इन अपने साम्प्रदायिक लाभों के छोड़ने का फ़ैसला करके देश के हित के लिए बड़ा सराहनीय त्याग का भाव दिखलाया है। व्यवस्थापिका सभाओं के चुनाव के प्रश्न के सम्बन्ध में जो साम्प्रदायिक मत-भेद कुछ सालों से देश में होरहे हैं, उनके विषय में उन्होंने हमेशा अपनी राय यह दी है कि सम्मिलित चुनाव होना चाहिये और किसी जाति के लिए जगहों को सुरक्षित न करना चाहिये। हमारे साथी सरदार मंगल सिंह ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि सिक्ख लोग पंजाब के किसी ज़िले में भी बहु-संख्या में नहीं हैं और जहां पर ये बहुत मजबूत हैं, वह लुधियान ज़िला है। इस ज़िले में यह जाति सब जातियों से मज़बूत है। लेकिन इस ज़िले में भी ये सिर्फ़ ४१.५ फ़ीसदी हैं। इसके यह माने हैं कि यहां पर इनकी बहु-संख्या नहीं है। और ज़िलों में इनसे मुसलमान या हिन्दू और प्रायः दोनों ही ज़्यादा संख्या में हैं। इससे यह ज़ाहिर है कि सिक्खों की पंजाब में जैसी स्थिति है, उसमें इनको वे सब हानियां हो सकती हैं, जो सम्मिलित चुनाव में, जिसकी हमने शिफ़ारिस की है, और जिसमें हर बालिग़ स्त्री-पुरुष वोट देने का अधिकारी है, हुआ करती हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में पंजाब के सिक्ख लोग प्रान्तीय और केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाओं में जगहों को सुरक्षित कराने के लिये उतने ही अधिकारी हैं, जितने संयुक्त प्रान्त के मुसलमान। इसके अलावा एक तीसरी महत्व पूर्ण बात, जिसके

ऊपर विचार करना चाहिये, यह है कि पंजाब में बहु-संख्यक मुस्लिम-जाति और लघु-संख्यक सिक्ख-जाति के साथ साथ मज़बूत लघु-संख्यक हिंदू-जाति भी आबाद है। यह मामला है, जिसकी वजह से किसी जाति के लिए भी जगहों के संरक्षण का मामला तै नहीं हो पाया है। पंजाब का मसला एक अखिल भारतवर्षीय प्रश्न हो गया है। हम इसको सिर्फ़ प्रान्तीय प्रश्न ही नहीं कह सकते। उलझनों को सुलझाने और राष्ट्रीय शक्ति को स्वतंत्र करने का केवल मात्र उपाय यह है कि पंजाब की राजनीति से साम्प्रदायिकता के विष को दूर किया जावे। हमारे साथी, सरदार मंगलसिंह, जिन्हों ने इस मामले पर हमारे साथ पूरी तौर से और स्पष्ट रूप से विचार किया है, इस कठिनाई का अनुभव करते हैं। हमारा यह विश्वास है कि साम्प्रदायिक समस्या के हल में सिक्ख लोग किसी प्रकार की उलझन न डालेंगे। यह बात उनकी इच्छा के बिलकुल विरुद्ध है। यदि वे अपने किसी ख़ास फायदे पर ज़िद कर जाते, तो चुनाव सम्बन्धी किसी एक नियम के बनाने में इतनी कठिनाइयां आ उपस्थित होतीं, जिनकी कोई हद नहीं। उन्हों ने इस बात को पूरी तौर से समझ लिया था, इसलिए, हमें विश्वास है, उन्होंने स्वयं अपने सब अधिकारों को केवल इसी अभिप्राय से छोड़ दिया कि कोई विघ्न न पड़ने पावे।

केवल एक उपाय—जो प्रस्ताव हमने उपस्थित किया है, उसके अलावा दूसरा उपाय केवल यह है कि प्राइवेट कान्फरेंस की शिफ़ारिस को मान लिया जाय और किसी लघु-

संख्यक जाति के लिए भी—यहां तक कि लघु-संख्यक मुसलमानों के लिये भी—व्यवस्थापिका सभाओं में जगह सुरक्षित न की जायं। यह याद रखना चाहिए कि वर्तमान साम्प्रदायिक चुनाव में जगहों के संरक्षण के अलावा मुसलमान लोगों के मैम्बर इस समय प्रत्येक व्यवस्थापिका सभा में उनकी संख्या के मुक़ाबिले कहीं ज़्यादा हैं। हम इनके मैम्बरों के इस प्रकार ज़्यादा होने के एवज़ में बाक़ी जगहों के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार देते हैं। परन्तु हम इनके संबंध में जगहों के संरक्षण को नहीं हटा सकते। हमें इसमें बहु-संख्यक या लघु-संख्यक अ-मुस्लिम जातियों के लिए कोई कठिनाई भी नहीं देख पड़ती। यदि हम सब लघु-संख्यक जातियों के लिए जगहों को सुरक्षित करते हैं, तो इतनी उलझनें पड़ जांयगी, जिनकी कोई हद नहीं। इस समय जो सुनिश्चित लघु-संख्यक जातियां ईसाई, पारसी और यहूदी हैं। उनके अलावा हिन्दू जाति तथा उप-जातियाँ भी अपने अपने लिए जगहों के संरक्षण के अधिकार को उपस्थित करेंगी, जिसके कारण हमेशा के लिए कठिनाई पैदा हो जायगी।

जो साम्प्रदायिक प्रश्न है, वह वास्तव में हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न है। इसलिए, इस प्रश्न का हल हिन्दू-मुस्लिम आधार ही पर होना चाहिए। यदि हम इसके हल करने में साम्प्रदायिकता को देश भर में इस प्रकार फैला दें, जिससे दूसरी जाति तथा उप-जातियों पर भी इसका असर पड़ जावे, तो हम वास्तव में देश की बहुत कम सेवा कर सकेंगे।

अ-ब्राह्मण—बहु-संख्यक हिन्दू-जाति में दो महत्वपूर्ण जातियां है—(१) अ-ब्राह्मण, और (२) अछूत। ब्राह्मण और अ-ब्राह्मण के बीच में जो विरोध है, वह केवल दक्षिण में है। देश के अन्य किसी भाग में नहीं है। अ-ब्राह्मण जहां पर पाये जाते हैं, वहां पर या तो ये अति बहु-संख्या में हैं, जैसे मद्रास प्रान्त में, या अति बलवान लघु-संख्या में हैं, जैसे बम्बई प्रान्त में। इनको, जैसा कि पिछले चुनाव से ज़ाहिर हो गया है, व्यवस्थापिका सभा के चुनाव में किसी प्रकार के संरक्षण की आवश्यकया नहीं है। इनको जो ब्राह्मणों के ख़िलाफ़ शिकायतें हैं, उनका यह कारण है कि ब्राह्मण लोग देश के राजनीति तथा सामाजिक जीविन में इनसे बढ़े-चढ़े हैं, जिसका कारण यह है कि ब्राह्मण लोग बुद्धि-बल में अ-ब्राम्हणों से अधिक हैं। परन्तु अब इनके इस बुद्धि-बल का जवाब अ-ब्राह्मण लोग अपनी तीव्र उन्नति से देरहे हैं।

अछूत जातियां—अछूत अथवा दलित जातियों की समस्या अभी कुछ ही सालों से देश के सामने आई है और इनकी वर्तमान हीनावस्था को लेकर यह दलील दी जाती है कि हिन्दुस्तान राजनीतिक उन्नति में बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारी निश्चय रूप से यह राय है कि इस इतनी बड़ी जाति की अवनती के उत्तरदायी मुख्य रूप से हिन्दू ही हैं। परन्तु हम यह भी जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने, जो इनके लिए चिन्ता प्रकट करने की कोशिश की है, उसका आधार मनुष्यत्व अथवा

उसका इस जाति के प्रति प्रेम नहीं है, किन्तु दूसरे ही कारण हैं। यह चिन्ता अभी थोड़े ही दिनों से दिखलाई जाने लगी है। जैसे जैसे देश में राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सरकार की निगाह में अछूत जातियों का राजनीतिक महत्त्व बढ़ता जाता है। अभी सन् १९१७ ई० ही से इन जातियों की संख्या शिक्षा सम्बन्धी रिपोर्टों में दी जानी शुरू हुई है और इन रिपोर्टों में इनके लिए उन शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का भी ज़िक्र किया गया है, जो इनके लिए उपस्थित की गई हैं। परन्तु सरकार की चिन्ता से अभी इनकी हालत तनिक भी नहीं सुधरी है। जो कुछ सरकार ने इनके लिए किया है, वह यह है कि व्यवस्थापिका सभाओं के लिए इनके लिए कुछ जगह मुक़र्रिर कर दी हैं, और इनके ख़ास स्कूलों के लिए कुछ रुपया दे दिया है।

परन्तु इन जातियों के उत्थान के लिए सरकार से कहीं ज़्यादा गम्भीर और प्रभावशाली उद्योग ग़ैर-सरकारी लोगों ने किया है। ईसाई—मिशन ने भी इस सम्बन्ध में कुछ सहायता पहुँचाई है। कांग्रेस ने तो सन् १९२० ई० में अछूतोद्धार को अपने कामों में से एक मुख्य काम बना लिया है, जिसको, जैसा की प्रसिद्ध है, मिसाल यह है कि महात्मागांधी ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति को इस आंदोलन में लगा दिया है। देश की अन्य राजनीतिक संस्थाएं भी—और हमें यह देख कर बड़ी ख़ुशी है कि—साम्प्रदायिक संस्थाएं भी उसी ज़ोर के साथ अछूतोद्धार का समर्थन कर रही हैं। जो काम तथा फल इस

सम्बन्ध में प्राप्त हो चुके है, उनसे यह बिलकुल साफ़ ज़ाहिर होता है कि यह जो समर्थन हो रहा है, वह सब सच्चा है। हम यह जानते हैं कि देश में अभी ऐसे पुराने ख़याल के लोग हैं, जो रास्ते में रोड़े लुढ़काने तथा इस आंदोलन की उन्नति को रोकने के लिए काफ़ी मज़बूत हैं। परन्तु हमारा यह विश्वास है कि अब अछूतोद्धार अवश्य होगा।

हमने हिन्दुस्तान के भावी शासन-विधान के विषय में जो तजवीज़ें पेश की है, उनमें हमने अछूत जातियों के लिए व्यवस्थापिका सभा के चुनाव के लिए कोई नियम नहीं बनाया है। इस सम्बन्ध में या तो ख़ास चुनाव हो सकता है, या इन जातियों के मेम्बर नामज़द किये जा सकते हैं। हमने ख़ास चुनाव तथा जगहों के संरक्षण के विषय में एक दूसरी जगह पूरी तौर से विचार किया है। हम इस ग़लत तथा हानिकारक सिद्धांत को, जहां तक हमसे हो सकेगा वहाँ तक, फैलाने के लिए तैयार नहीं हैं, और न हम यह ख़याल करते हैं कि हम इस प्रकार इन जातियों के लिए कुछ जगह सुरक्षित करके इन के लिए कुछ लाभ पहुँचाएंगे। हम इससे भी अधिक, नामज़दी के ख़िलाफ़ हैं। इस नामज़दी का यह नतीजा होगा, जैसा कि हुआ है, कि सरकार ऐसे लोगों को नामज़द करेगी, जो हर हालत में उसका साथ देंगे और जो किसी के प्रतिनिधि बनकर काम न करेंगे।

हम यह बहुत ज़्यादा अनुभव करते हैं कि अछूत जातियां टूट जानी चाहिए, या यों कहिए कि इनकी सामाजिक तथा

आर्थिक दृष्टि से इतनी उन्नति हो जानी चाहिए, जिससे ये देश में उचित स्थान प्राप्त करलें। इस सम्बन्ध में जो प्रभावशाली साधन हो सकता है, वह केवल यह है कि इनकी उन्नति के लिए शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं उपस्थित की जायं और सब प्रकार की विघ्न—बाधाओं को दूर किया जाय। अधिकार—घोषणा में हमने जिन नियमों की शिफ़ारिस की है, उनमें से कुछ नियम उन रुकावटों को दूर करेंगे, जिनके कारण ये जातियां कष्ट पारही हैं और इनके लिए उन्नति करने का अवसर देंगे। हमने जो देश भर के सब बालिग़ स्त्री-पुरुषों के लिए वोट देने का प्रस्ताव उपस्थित किया है, उससे ख़ुद ब ख़ुद इनकी हैसियत और इनका राजनीतिक बल बढ़ जायगा। अन्त में, हमने यह शिफ़ारिस की है कि पिछड़ी हुई जातियों की शिक्षा की ओर सरकार को ख़ास तौर से ध्यान देना होगा। यदि हमारी इन सब शिफ़ारिसों पर अमल किया गया, तो हमको यह विश्वास है कि अछूत जातियां का बहुत जल्द लोप हो जायगा और उनकी जगह पर स्वावलम्बी, और उन्नति शील जातियाँ पैदा हो जायंगी, जो देश के कल्याण के लिए अन्य जातियों के साथ सहयोग के साथ काम करेंगी।

—:o:—

चौथा अध्याय

प्रान्तों का पुनर्विभाग

हमें .खुशी है कि हम साम्प्रदायिक प्रश्नों से छुट्टी पाकर अब उन मामलों की तरफ़ आ रहे हैं, जिनका शासन-विधान से ख़ास सम्बन्ध है। प्रान्तों के पुनर्विभाग का प्रश्न साधारण रूप से उन साधारण नियमों के द्वारा, जो सब मामलों में लागू हैं, हल किया जा सकता है। परन्तु हमने यह देख ही लिया है कि जो आसान से आसान प्रश्न हैं, वे भी मुश्किल हो जाते हैं और इतने मुश्किल हो जाते हैं कि अगर उनपर ठीक तौर से तथा उनके गुणों पर विचार न किया जाय, किन्तु उनपर उनको एक बिलकुल दूसरी ही समस्या का अङ्ग मान कर विचार किया जाय, तो उनका हल करना क़रीब क़रीब असम्भव हो जाता है। हम बम्बई से सिंध की पृथकता के साम्प्रदायिक पहलू पर पहिले ही विचार कर चुके हैं, जिसमें हम यह दिखला चुके हैं कि हमारे देश की राजनीति में एक बहुत मामूली सा मसला कितना बड़ा प्रश्न हो जाता है। अब हम प्रान्तों के पुनर्विभाग के प्रश्न पर एक उसको साधारण प्रश्न मानकर और उसके साम्प्रदायिक पहलू को अलग रख कर गुण-दोष का ख़्याल करके विचार करेंगे।

वर्तमान विभाग बुद्धि-युक्ति नहीं है—

इस बात को हर कोई जानता है कि हिन्दुस्तान के प्रान्तों का वर्तमान विभाग बुद्धि-युक्त नहीं है। यह विभाग केवल उन घटनाओं और स्थितियों के कारण हुआ है, जो हिन्दुस्तान में ब्रिटिश राज्य की वृद्धि के कारण समय समय पर उपस्थिति हुई हैं। इस विभाग से भूगोल या इतिहास, सम्पति या भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके अलावा, यह विभाग राज्य-प्रबन्ध की दृष्टि से भी सफल नहीं है। इसलिए, यह बात स्पष्ट है कि प्रान्तों का पुनर्विभाग अवश्य होना चाहिए। इस सम्बन्ध में कुछ लोग छोटे छोटे प्रांत बनाने के पक्ष में हैं और कुछ बड़े बड़े प्रान्त बनाने के पक्ष में। परन्तु, प्रांत चाहें छोटे हों, चाहे बड़े, प्रांतों के पुनर्विभाग का प्रश्न अवश्य हल होना है।

पुनर्विभाग के सिद्धान्त—प्रश्न यह है कि पुनर्विभाग के क्या सिद्धान्त होने चाहिए? कुछ भूगोल तथा धन सम्बंधी सिद्धान्तों के अलावा इस सम्बंध में जो मुख्य आवश्यक विचार है, वह लोगों की इच्छा और भाषा की एकता है। इस बात को सब जानते हैं कि विद्या, सभ्यता तथा जीवन के बहुत से विभागों की शीघ्र उन्नति भाषा पर निर्भर है। यदि एक विदेशी भाषा शिक्षा का माध्यम है, तो वाणिज्य-व्यवसाय तथा देश के दूसरे काम-काज अवश्य ही न बढ़ पाएंगे। जहां इन बातों के लिए एक विदेशी भाषा प्रयोग में आती है, वहां प्रजातंत्र-राज्य नहीं हो सकता। प्रजातंत्र-राज्य में यह आवश्यक है कि प्रजा को अच्छी जानकारी होनी चाहिए और

उसको इस योग्य होना चाहिए कि वह सार्वजनिक मामलों को समझ ले और उन पर अमल कर ले, जिससे वह उन मामलों में पूरी तौर से हिस्सा ले सके। यह ख़्याल में नहीं आ सकता कि एक प्रजातंत्र की प्रजा ऐसा कर सकती है, यदि विदेशी भाषा ही का अधिक प्रचार हो। इसलिए, एक देश के वाणिज्य-व्यापार और राजनीतिक मामलों को एक ऐसी भाषा में चलाना चाहिए, जिसको सर्व साधारण समझता हो। प्रान्तों के विषय में यह है कि ऐसी भाषा प्रान्तीय भाषा ही होनी चाहिए।

भाषा—हम अंग्रेज़ी भाषा के विरोधी नहीं हैं। जैसी देश की इस समय स्थिति है, उससे हम यह अनुभव करते हैं कि अभी कुछ समय के लिए अंग्रेज़ी भाषा और रहनी चाहिए। क्योंकि इसके द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में बहस-मुबाहिसा करने में बड़ी आसानी होती है। हमारा यह भी विश्वास है कि एक विदेशी भाषा, जो अंग्रेज़ी ही होनी चाहिए, दूसरे देशों के विचार, विज्ञान तथा जीवन से सम्बंध बढ़ाने के लिए हमारे लिए अति आवश्यक है। हमारी यह मज़बूत राय है कि हमको हिन्दुस्तानी भाषा को जैसे यह आज आधे हिंदुस्तान की भाषा है, उसी प्रकार समस्त हिन्दुस्तान की भाषा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। परन्तु यह सब मानते हुए भी, हमें प्रान्तीय भाषाओं की भी उन्नति करनी होगी। यदि हम यह चाहते हैं कि प्रान्त शीघ्र उन्नति करें, तो हमको उनका काम उन्हीं की भाषा में करना होगा।

यदि एक प्रान्त अपने यहां शिक्षा का प्रचार करना चाहता है और अपने रोज़ाना के काम-काज को अपनी ही भाषा में करना चाहता है, तो उसका क्षेत्र-विस्तार उसकी भाषा के विस्तार के अनुसार होना आवश्यक है। और यदि कोई प्रान्त ऐसा है, जिसमें एक से अधिक भाषाएं प्रचलित हैं, तो बहुत सी कठिनाइयां आएंगी और उसके शिक्षा तथा कार्य का माध्यम दो अथवा अधिक भाषाएं होंगी। इसलिए प्रान्तों का भाषा-भेद के अनुसार पुनर्विभाग होना अति वांच्छनीय ज्ञात होता है। यह नियम है कि जैसो एक देश की भाषा होती है, वैसी ही उसकी सभ्यता, रीति-रिवाज तथा साहित्य होता है। भाषा-भेद से जो प्रान्त-रचना होगी, उसमें ये सब चीज़ें प्रान्तों की उन्नति में सहायक होंगी।

हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय कांग्रेसने इस भाषा सम्बन्धी सिद्धान्त को आज से आठ साल पहिले मान लिया है। तब से जहाँ तक कांग्रेस-संगठन से मतलब है, वहां तक, हिन्दुस्तान भाषा-भेद ही से प्रान्तों में बटा हुआ है।

लोगों की इच्छा—दूसरा सिद्धान्त, जिस पर प्रान्तों का पुनर्विभाग करना चाहिए, लोगों की इच्छा है। हम लोग, जो एक बड़े रूप में आत्म-निश्चय की बातें, उनसे हम तर्क से आत्म-निश्चय को छोटे रूप में होने के लिए भी इन्कार नहीं कर सकते। परन्तु शर्त यह है यह किसी दूसरे महत्व पूर्ण सिद्धान्त अथवा आवश्यक प्रश्न का विरोध न करने पाए। केवल इतनी ही बात कि

एक प्रान्त विशेष के लोगों का यह अनुभव करना कि हम एक हैं और हमको अपनी सभ्यता को समुन्नत करना चाहिए, एक बड़ा महत्व पूर्ण विचार है। चाहे फिर उनकी मांग के लिए कोई काफ़ी इतिहास अथवा संस्कृति सम्बन्धी प्रमाण का अभाव ही क्यों न हो। ऐसे मामलों में प्रायः यथार्थता की अपेक्षा भाव ही अधिक महत्व का होता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रान्तों के पुनर्विभाग के लिए भाषा सम्बन्धी सिद्धान्त तथा बहु-संख्यक लोगों की इच्छा ही अति महत्व पूर्ण विचार है। एक तीसरा विचार, यद्यपि वह इतने महत्व का नहीं है, राज्य-प्रबन्ध की सुविधा है, जिसमें भौगोलिक स्थिति, आर्थिक साधन तथा प्रान्त की व्यय सम्बन्धी स्थिरता सम्मिलित है। परन्तु यह सुविधा तो प्रायः प्रान्तों के विभाग ही से सम्बन्ध रखती है। इसलिए, नियमानुसार, इसका निबटारा लोगों की इच्छा ही के अनुकूल होना चाहिए।

भाषानुसार प्रान्त—आज हिन्दुस्तान के नक़शे को देखने से, हमें स्पष्ट रूप से भाषानुसार प्रान्त दिखाई देते हैं। हिन्दुस्तान के समस्त उत्तरी भाग में हिन्दुस्तानी भाषा है, जो पंजाब में कुछ थोड़ी सी बदली हुई है। उसके बाद बंगाली, आसामी, उड़िया तैलेगू, तैमिल, मलायलम, कनारीज़ा, मराठी, गुजराती और सिन्धी भाषाएं हैं और बंगाल की खाड़ी के उस पार बर्मा में बर्मा भाषा है। समय समय पर यह मांग उपस्थित की गई है कि आन्ध्र, तेलैगू, उतकल (उड़िया,) कर्नाटक (कनारीज़ा,) केरल (मलायलम), सिंध, मध्य-प्रान्त (हिन्दी-भाषा भाषी भाग) तथा

अन्य भाग अलहदा कर दिए जायं। जब प्रान्तों का पुनर्विभाग किया जायगा, तब इन सब के बारे में तहक़ीक़ात की जायगी और सावधानी के साथ विचार किया जायगा। हमारे सम्मुख ऐसी कोई समिग्री उपस्थिति नहीं है, जिससे हम इनमें से अधिकतर प्रान्तों के विषय में अपनी कोई राय दे सकें। हमारे पास सिवाय कर्नाटक और सिंध के और कहीं से मांग नहीं आई है।

उतकल देश—हमें एक छोटी सी पुस्तक उतकल देश के बारे में भी मिली है। परन्तु हमें खेद है कि हम उस पर इसलिए विचार नहीं कर सके कि हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई ख़ास मांग नहीं आई है। हमारे साथी श्रीयुत सुभाष चन्द्र बोस फिर भी इस बारे में सन्तुष्ट हैं कि जिन प्रान्तों में उड़िया भाषा बोली जाती है, वे सब एक जगह मिला दिये जांय और एक अलग प्रान्त बना दिया जाय। लेकिन शर्त यह है कि यदि ऐसा ख़र्च के ख़्याल से सम्भव हो सके। आपकी यह भी राय है कि आसाम, बिहार और उड़ीसा के जिन हिस्सों में बंगाली बोली जाती है, उन सबको बंगाल में मिला लेने की जो मांग है, वह भी एक बुद्धि-तथा न्याय-युक्त मांग है।

केरल देश—केरल देश के विषय में हमारे पास वहां की प्रान्तीय कान्फरेंस का एक प्रस्ताव आया है, जिसमें केरल देश को एक अलग प्रान्त बनाने के लिए

कहा गया है। प्राचीन केरल के बारे में बहुत सी कठिनाइयां हैं। क्योंकि उसके एक बड़े भाग में ट्रावनकोर और कोचीन की दो बड़ी रियासतें हैं। इन रियासतों को निकाल कर केरल देश का वर्तमान अवस्था में, बहुत थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है। इसलिए, हम ऐसी हालत में, जब कि हमारे पास केरल देश के विषय में कोई समिग्री नहीं है, हम किसी प्रकार की शिफ़ारिस करने को तैयार नहीं हैं।

कर्नाटक—कर्नाटक का मसला हमारे सामने कर्नाटक के यूनीफ़िकेशन संघ (कर्नाटक ऐक्य-संघ) तथा उस प्रान्त की कांग्रेस-कमेटी के एक प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित किया गया है। यह मसला बड़ी योग्यता के साथ सब प्रकार की इतिहास, संस्कृति और धन सम्बन्धी सूचनाओं के साथ तैयार किया गया है। हमने इस सम्बन्ध में जो जो प्रश्न किये, उन सब के जवाब हमें संतोष-जनक रूप में मिले हैं और हमारी राय में कर्नाटक के एक करने और उसको एक अलग प्रान्त बनाने का जो मसला है, वह एक बड़ा मज़बूत मामला है।

कर्नाटक के कुछ भाग देशी राज्यों में भी है, जैसे ख़ास तौर से मैसूर में। लेकिन इन भागों को शेष कर्नाटक में मिलाने में बड़ी स्पष्ट कठिनाइयां हैं। कर्नाटक के उन छोटे छोटे द्वीपों का मिलना, जो मैसूर राज्य के उस ओर हैं, मैसूर के बीच में आजाने से, कठिन हो जायगा। लेकिन फिर भी कर्नाटक का काफ़ी बड़ा क्षेत्र-फल शेष रह जाता है।

हमें यह सूचना मिली है कि कर्नाटक को एक करने की

मांग वहां के बहु-संख्यक लोगों की ओर से, यद्यपि सब की ओर से नहीं, आई है। वहां पर कोई हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न नहीं है। परन्तु वहां पर ब्राह्मण और अ-ब्राह्मणों का प्रश्न है, यद्यपि यह प्रश्न इस कर्नाटक के मिलाने के प्रश्न पर कोई अधिक असर नहीं डालता। इस सम्बन्ध में कर्नाटक में कोई संगठित विरोध नहीं है, यद्यपि ब्राह्मणों की कुछ थोड़ी सी संख्या इसके विरोध में है। यहां के सीमा के कुछ ज़िलों में जो मरहटे रहते हैं, उनकी ओर से यह डर ज़ाहिर किया गया है कि हमारी भाषा को हानि पहुंचेगी। परन्तु इस हानि के रोकने के लिए इन्तज़ाम किया जा सकता है।

आमदनी के लिहाज़ से कर्नाटक बहुत धनी है और इस समय भी कर्नाटक के ब्रिटिश भाग में बहुत कुछ बचत होती है।

हमारे साथी, श्री० एम० एस० अणे कर्नाटक के विषय में हमारे मत से पूरी तौर से सहमत नहीं हैं। अभाग्यवश वे कमेटी की उस बैठक में, जिसमें कर्नाटक के प्रतिनिधि की सहायता से इस प्रश्न पर विचार किया गया था, मौजूद नहीं थे। श्री० अणे की यह राय है कि—"इस प्रश्न का, जैसी कि हम कल्पना करते हैं, कहीं अधिक विरोध होगा। जो लोग इसके विरोधी हैं, वे हमारे पास इसलिए नहीं आ सके हैं, क्योंकि उनको यह मालूम नहीं था कि हम इस प्रश्न पर विचार करने वाले हैं।" परन्तु यह बात संभव नहीं है। क्योंकि कर्नाटक के समाचार-पत्रों में इस प्रश्न के ऊपर पूरी तौर से विचार किया जा चुका है,

ओर हमारे पास जो कर्नाटक की ओर से इस मामले में मांग आई है, वह भी वहां के पत्रों में अच्छी तरह से प्रकाशित होचुकी है। यदि कुछ लोगों ने इस मांग का विरोध करने के लिए अच्छी तरह सोचा होता, तो हमारा ख़्याल है कि वे अपने विचारों के विषय में अवश्य हमें सूचित करते।

इसमें संदेह नहीं कि हम इस प्रश्न का अंतिम रूप से फ़ैसला नहीं कर सकते। परन्तु हम यह अनुभव करते हैं कि जो सब कर्नाटक को एक करने के हामी हैं, उन्होंने इसके लिए अपना पूरा अधिकार सिद्ध किया है। हम यह तजवीज़ नहीं कर सकते कि इस नये प्रांत की ठीक सीमाएं क्या होंगी। यह हो सकता है कि सीमा के कुछ भागों में दो भाषायें बोली जाती हों। इस सम्बंध में तहक़ीक़ात की जा सकती है। यह तहक़ीकात तत् सम्बंधी विशेज्ञों की कमेटी द्वारा होनी चाहिये। श्री० अणे और श्रीयुत प्रधान इस प्रश्न पर अपनी कोई राय ज़ाहिर नहीं करते हैं।

सिंध—यह एक अभाग्य की बात है कि यद्यपि सिंध की पृथकता के प्रश्न के कारण बहुत कुछ गरम दलीलें दी गई हैं, परन्तु हमारे पास इस सम्बंध में वे सब वाक़ात, जैसे हमारे सामने कर्नाटक के प्रतिनिधि ने रक्खे हैं, नहीं हैं। हम उस तरीक़े की, जिसमें कर्नाटक का मामला बड़ी पूरी तौर से नक़शे और आमदनी के व्यौरे के साथ तैयार किया गया है उनके लिये, जिन्होंने सिंध की पृथकता की मांग को उपस्थित

किया है, शिफ़ारिश करते हैं। हम पहिले यह बतला चुके हैं कि सर्व दल-सम्मेलन ने दिल्ली में एक सब-कमेटी सिंध की आमदनी के प्रश्न की तहक़ीक़ात करने के लिए नियुक्त की थी। परन्तु अभाग्यवश पृथकता के समर्थकों ने इस कमेटी के सन्मुख कोई सुविधाएं उपस्थित नहीं कीं, जिसका नतीजा यह हुआ कि उस सब-कमेटी ने अब तक कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की है। हम यह नहीं कह सकते कि वह निकट भविष्य में कोई रिपोर्ट तैयार कर सकेगी। इसलिए, इस समय हम साधारण सिद्धान्तों पर ही और बिना उस सहायता के, जो हमें वहां की आमदनी वग़ैरह के ब्यौरे से मिलती, इस मसले पर विचार करते हैं।

हम प्रांतों के पुनर्विभाग के सम्बंध में दो महत्व पूर्ण विचार—(१) भाषा और (२) लोगों की इच्छा—उपस्थित कर चुके हैं। सिंध वास्तव में इन दोनों विचारों की पूर्ति करता है। यह निश्चय रूप से एक भाषा-भाषी प्रांत है और इसके बहु-संख्यक लोग इसकी पृथकता के लिए मांग उपस्थित करने को तैयार हैं। हमारे पास उन लोगों की, जो सिंध की पृथकता चाहते हैं, निश्चित संख्या नहीं है। परन्तु हमें यह मालूम करना है कि क्या कोई एक मुसलमान भी इसका विरोध करता है? मुसलमानों की जन—संख्या सिंध में ७४ फ़ी सदी है। हमको यह भी मालूम है कि सिंध की दूसरी जातियों—हिन्दू और पारसी—के कुछ लोग पृथकता के पक्ष में हैं। इसलिए हम आसानी से यह ख़्याल कर सकते हैं कि सिंध के बहु-संख्यक लोग पृथकता चाहते हैं। हम यह

जानते हैं कि हिन्दुओं में एक ऐसा दल है, जिसमें ज़्यादा-तर सिंध के हिन्दू ही हैं, जो पृथकता के बहुत ख़िलाफ़ हैं। यह कहा गया है कि सिंध को पृथक करने से पहिले लघु-संख्यक जाति के एक तिहाई लोगों की राय इसके पक्ष में ले लेनी चाहिए। हमारे ख़्याल से यह एक बिलकुल ग़लत सिद्धांत है। यह न केवल आत्म-निश्चय के सिद्धांत की जड़ को काटता है, बल्कि बहु-संख्या के निर्णय के सिद्धान्त का भी ख़ून करता है और इससे अजीब नतीजे निकल सकते हैं। उदाहरणार्थ यह हो सकता है कि दस या अठारह फ़ी सदी लोग ९० या ८५ फ़ी सदी लोगों को अपनी राय पर चलने से पूर्ण रूप से रोक सकते हैं। यह प्रजातंत्र-राज्य का नियम नहीं है।

तो फिर ऐसी हालत में लघु-संख्यक जाति क्या है? साधारणतः प्रान्तों के पुनर्विभाग का प्रश्न हिन्दू-मुसलिम अथवा साम्प्रदायिक प्रश्न नहीं है। लघु-संख्यक जाति यदि इस सम्बन्ध में विरोध कर सकती है, तो प्रश्न के गुण-दोष के के आधार ही पर कर सकती है, न कि साम्प्रदायकता के आधार पर। अब प्रश्न यह है कि इस लघु-संख्यक ज़ाति के प्रत्येक व्यक्ति की राय भला कैसे बदली जा सकती है और यदि कुछ आदमी बदल भी जायं, तो फिर भी कुछ लोग रह जाते हैं। फिर यह कहा जायगा कि जो लघु-संख्यक लोग रह गये हैं उनमें से एक तिहाई आदमियों की सहमति ले लेनी चाहिए।

सिंध वास्तव में दोनों बातों—(१) भाषा और (२) लोगों की इच्छा का उत्तर सन्तोष-प्रद देता है।

इसके अलावा, भूगोल की दृष्टि से भी यह एक अलग प्रांत है और इस दृष्टि से जो इसका बम्बई से सम्बन्ध है, वह बिलकुल अस्वाभाविक है। बम्बई से इसमें पहुंचने के लिए कोई आसान रास्ता भी नहीं है। इसलिए, राज्य-प्रबंध की दृष्टि से इसकी पृथकता वांच्छनीय है।

कहा जाता है कि सिंध आर्थिक दृष्टि से और इससे भी अधिक मालगुज़ारी की दृष्टि से एक पृथक प्रांत का भार सहन नहीं कर सकता और यही भी कहा जाता है कि सिंध की मालगुज़ारी में बहुत बड़ी कमी पड़ती है, जिसकी पूर्ती हर साल बम्बई के अन्य भागों की मालगुज़ारी से की जाती है। हमारी यह राय है कि साधारणतः एक प्रांत को अपने ख़र्चे को स्वयं बरदाश्त करना चाहिए और उसको केन्द्रीय सरकार की सहायता की आशा न करनी चाहिए। ऐसे उदाहरण हैं जब कि केन्द्रीय सरकार एक प्रांत की उन्नति के लिए कुछ समय के लिए इस ख़्याल से कि वह भविष्य में स्वयं सम्पन्न हो जायगा, सहायता दे सकती है। कुछ ऐसी भी ख़ास सूरतें हो सकती हैं, जब कि ऐसी सहायता का देना आवश्यक हो जाता है। लेकिन ऐसे प्रांत को, जो पृथकता की इच्छा करता है इस अभिप्राय से बाहर की सहायता के लिए आशा नहीं करनी चाहिए कि वह अपने राज्य-प्रबंध को चला सके। उसको यह समझ लेना चाहिए और घोषित कर देना चाहिए कि वह स्वयं अपने ख़र्चे को बरदाश्त कर लेगा।

ख़ैर, हम यह पहिले ही से ख़्याल किये लेते हैं कि इस समय सिंध

अपने राज्य-प्रबंध को बाहरी रुपये की सहायता से कर रहा है। परन्तु इससे हमारे विचारों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ख़र्च में कमी करके इसका प्रबन्ध किया जा सकता है। इसके अलावा यह भी हो सकता है और यह सम्भव भी है कि खेती आदि व्यवसाय के बढ़ाने से भी आमदनी बहुत कुछ बढ़ सकती है। जिस समय हम स्वतंत्र हो जायंगे, उस समय हमें ख़र्च की कमी की समस्या को तमाम हिन्दुस्तान में भुगतना पड़ेगा। उस समय हमारा सब से पहिला ख़्याल देश की उन्नति पर और ख़ास तौर से उन विभागों पर, जो राष्ट्र का निर्माण करेंगे, रुपया ख़र्च करना होगा। यह रुपया हमें केवल प्रांतीय ख़र्च को कम करने और आमदनी के दूसरे ज़रियों ही से प्राप्त हो सकता है।

सिंध का प्रांत बहुत कुछ उन्नति कर सकता है। किरांची एक बहुत बड़ा बंदरगाह हो सकता है। इसमें कुछ ऐसे बड़े बड़े भाग हैं, जिनमें या तो बिलकुल ही खेती नहीं होती या जो काफ़ी तौर से समुन्नत नहीं हुए हैं। इसलिए, हमारी यह एक असम्भव कल्पना नहीं है कि सिंध कुछ समय में सब प्रकार से सम्पन्न और सम्पतिशाली प्रांत हो जायगा।

केवल आमदनी ही के आधार पर, जब कि कोई और आधार सच्चा नहीं है, आत्म-निश्चिय के अधिकार को अस्वीकार करने से बड़ा असंतोष फैलेगा और उससे सिंध की उन्नति में बाधा आवेगी। वह शक्ति, जो प्रान्त के जीवन के बनाने और काम-काज के बढ़ाने में लगनी चाहिए, व्यर्थ के आन्दोलन में बरबाद होगी।

अगर यह अधिकार इस शर्त पर दे दिया जाय कि सिंध को अपना ख़र्चा बरदाश्त करना होगा, तो नये प्रांत को सख़्त काम करने में और दूसरे आगे बढ़े हुए प्रांतों की बराबरी करने में बड़ी सहायता मिलेगी।

इसलिए, हमारा ख़्याल यह है कि सिंध को अलग करने के लिए जो दलीलें दी गई हैं, वे बहुत मज़बूत हैं। आमदनी के प्रश्न के विषय में, जिसके सम्बन्ध में विचार करने के लिए काफ़ी सामान नहीं है, हम अपनी निश्चित राय नहीं देसकते। परन्तु यह सम्भव नहीं है कि आमदनी सम्बन्धी विचार ऐसे होंगे, जो दूसरी महत्वपूर्ण बातों को, जिनपर हमने विचार किया है, दाब देंगे। इसलिए, हमारा यह कहना है कि अगर कोई ऐसी कठिनाई नहीं है, जिसको पार नहीं किया जा सकता तथा जिसकी हम इस समय कल्पना भी नहीं कर सकते, तो सिंध को पृथक कर देना चाहिये।

हम यहां पर यह कह देना चाहते हैं कि हमारे साथी श्रीयुत अणे और श्री० प्रधान इन हमारी दलीलों से, जिनको हमने ऊपर दिया है, पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं। वे इस बात को मानते हैं कि सिंध एक भाषा-भाषी प्रांत है और वहां की बहु-संख्यक जाति की ओर से इसकी पृथकता के लिए बड़ी दृढ़ मांग है। परन्तु वे यह चाहते हैं कि इस संबंध में कोई अन्तिम राय देने से पहिले सिंध की आमदनी और राज-प्रबध के पहलुओं के बारे में तहक़ीक़ात कर लेनी चाहिए। हमारी भी यह राय है कि सिंध को पृथक करने से पहिले वहां की आमदनी के विषय में तहक़ीक़ात करना ज़रूरी है।

हम यह भी कह देना चाहते हैं कि एक क्षेत्र की पृथकता और एक नये प्रांत की रचना का यह ज़रूरी अर्थ नहीं है कि उसका आर्थिक जीवन ही पृथक हो जायगा और न उसका यह अर्थ है कि वहाँ सरकार की सब बातें दुचन्द हो जायंगी। उदाहरणार्थ यह बिलकुल सम्भव है कि एक हाईकोर्ट एक से अधिक प्रान्तों की सेवा कर सकता है।

सिंध के प्रश्न को छोड़ने से पहिले हमको उस पर्चे पर, जो सिंध-पैक्ट कहलाता है और जो हमारे पास सिंध नेशनल लीग की ओर से आया है, ध्यान देना है। इसमें दस नियम हैं, जो बहुत सी बातों से सम्बन्ध रखते हैं और उसपर ३१ हिन्दू, मुसलमान और पारसियों के हस्ताक्षर हैं। हमारे पास इस पैक्ट के ख़िलाफ़ और इसपर हस्ताक्षर करने वालों को अनधिकारी बतलाते हुए सिंध के आर्य्य-सम्मेलन, और सिंध की प्रांतीय हिन्दू सभा की ओर से प्रतिनिधि तथा बहुत से सिंधी हिन्दू व्यक्तियों की ओर से तार आये हैं। हमारे सामने इन प्रतिद्वन्दी अधिकारों की जांच करने के लिए कोई सामिग्री उपस्थित नहीं है और न हम यह ख़्याल करते हैं कि ऐसा करना हमारा फ़र्ज़ भी है। यह स्पष्ट है कि सिंधी लोगों में कोई ऐसा सार्वजनिक एकमत नहीं है, जो इस पैक्ट को जैसा का तैसा स्वीकार करने के लिए इस कमेटी को मजबूर करे। हां, जिन उत्तरदायी लोगों ने हमको लिखा है, उनके लिखे पर हमने बड़ी सावधानी के साथ विचार किया है। हम व्यवस्थापिका सभा में जगहों के संरक्षण के बारे में पहिले ही विचार

कर चुके हैं और हमने इसको स्वीकार करने के लिए अपनी असमर्थता भी प्रकट कर दी है। बम्बई से सिंध की पृथकता की वांच्छनीयता के विषय में हम उनसे सहमत हैं। परन्तु हमें खेद है कि हम उनके इस कथन को "तेते पांय पसारिये, 'जेती लांबी सौर" आमदनी संबंधी समस्या का अन्तिम हल नहीं कह सकते। इस समय यह मामला केवल उसी जगह रहना चाहिए, जहां हमने इसे छोड़ दिया है। यहाँ ऐक्ट के दूसरे नियमों पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

—:*:—

पांचवां अध्याय

देशी रियासतें और विदेशीय नीति

देशी रियासतों के प्रति नेता तथा संस्थाओं की मनोवृत्ति—अब हम, सबसे अधिक महत्व के प्रश्न, देशी रियासतों की ओर आते हैं। इस विषयपर विचार आरम्भ करते समय हम सबसे पहिले इस बात का विरोध करना चाहते हैं कि कुछ लोग यह कहा करते हैं कि ब्रिटिश हिन्दुस्तान के नेता लोग अपने बहस-मुबाहिसे में या योजनाओं में देशी रियासतों का कुछ भी ज़िक्र नहीं करते हैं कि इनका हिन्दुस्तान सरकार से वर्तमान समय में अथवा भविष्य में क्या सम्बन्ध रहेगा। इस सम्बन्ध में हमें ज़ोर देकर यह कहना है कि यह कहना कि पब्लिक व्याख्यान, कान्फरेंस तथा नेताओं के भाषणों में देशी रियासतों या उनकी समस्याओं या हिन्दुस्तान-सरकार के साथ उनके सम्बन्ध के बारे में उपेक्षा की जाती है, बिलकुल ग़लत है। यदि यह शिकायत है कि देशी रियासतों के मामलों पर अथवा हिन्दुस्तान-सरकार के साथ जो उनके सम्बन्ध हैं, उनपर एसेम्बली [केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा] में विचार नहीं हुआ है, तो इसका जवाब सीधा सादा यह है कि देशी रियासतों के बारे में एसेम्बली में बहस-मुबाहिसा करने की मनाई है, जिसके लिए हुक्म निकले हुए हैं।

इसलिए, इससे यह ज़ाहिर है कि इसके लिए हिन्दुस्तान के नेता जवाब-देह नहीं हो सकते। इसके अलावा दूसरी ओर हिन्दुस्तान की शायद ही ऐसी कोई प्रभाव-शाली संस्था होगी, जिसने कुछ सालों से देशी रियासतों की समस्या के बारे में कुछ न कुछ कहा न हो। कांग्रेस, लिबरल लीग, हिन्दू-सभा और सर्वदल-सम्मेलन ने, जिसने इस कमेटी को नियुक्त किया है, देशी रियासतों की समस्या की उपेक्षा करने के बजाय, प्रत्युत, इसपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। देशी रियासतों की प्रजा भी अपनी अपनी रियासतों के भीतरी मामलों के बारे में बड़ी दिलचस्पी ले रही है और अपने अधिकार और स्वतंत्रता की मांग उपस्थित कर रही है। रियासतों की प्रजा के प्रतिनिधियों की दो सभाएं हो चुकी हैं। इनकी दूसरी सभा ने, जो मद्रास में हुई थी, एक कमेटी नियुक्त की थी। उस कमेटी ने एक ऐसा स्वराज-विधान तैयार किया है, जिसमें देशी रियासतें और ब्रिटिश हिन्दस्तान दोनों ही शामिल हैं और जिसको उसने शिफ़ारिस करके हमारे पास भेजा है। हम इस कमेटी के शासन-विधान पर आगे विचार करेंगे। हम यह जानते हैं कि कुछ साल से देशी रियासतों के कुछ राजाओं को इस बात से दुख पहुँचा है कि ब्रिटिश हिन्दुस्तान की जनता उनके मामलों में कुछ दख़ल देने लगी है और इसकी उन्होंने उनकी यह कह कर निंदा की है कि ब्रिटिश हिन्दुस्तान की जनता में या तो ज्ञान का या राजनीतिक बुद्धिमानी का या सहानुभूति का अभाव है। हम इसलिए, उनके इस दोषारोपण का घोर विरोध करते हैं कि

ब्रिटिश हिन्दुस्तान के बुद्धिमान लोग ऐसे कूप-मंडूक हैं कि वे ब्रिटिश हिन्दुस्तान को बाहर की बातों की ओर देखते तक नहीं है अथवा वे देशी रियसतों के राजाओं तथा उनको प्रजा के मत के समझने, या उनके साथ, जहाँ कहीं अथवा जब कभी सम्भव हो सके, सहानुभूति प्रकट करने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि ब्रिटिश हिंदुस्तान को जनता ने कभी देशी रियासतों के कुछ अधिकार की आलोचना की है, या कभी उनके भीतरी मामलों पर विचार किया है, या किसी और दृष्टि से उनके और हिन्दुस्तान के भावी स्वराज-शासन के वैध सम्बन्धों की उन्नति में बाधा डाली है, तो यह सब उसी हद तक हुआ है, जितना होना चाहिए था। हमारा यह भय है कि देशा रियासतों की समस्या पर जो आज कल ज़ोर दिया जा रहा है, वह हमारे औपनिवेशिक स्वराज की प्रगति के मार्ग में एक ऐसा विघ्न है, जिसको दूर नहीं किया जा सकता और एक ऐसी शरारत है, जिसकी कोई हद नहीं और इसके अलावा उससे "दोनों हिन्दुस्तानों" के बीच, बजाय इसके कि वह दोनों को मिलाने की कोशिश करें, बड़ी ग़लतफ़हमी पैदा होने को संभावना है।

ब्रिटिश हिन्दुस्तान और देशी रियासतों में समानताएं—जब यह स्पष्ट रूप से माना जाता है कि एक "हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तान" है, जिसमें देशी रियासतें हैं, जिनमें से कुछ यदि युरुप के कुछ देशों से बड़ी नहीं हैं, तो उनके

बराबर जरूर हैं और अपने भीतरी राज-काज में पूर्ण रूप से स्वतंत्र और गौरववान हैं, तब हम यह ख़्याल करते हैं कि यदि हम उन ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक समानताओं की, जो देशी रियासतों और ब्रिटिश हिन्दुस्तान के लोगों के बीच विद्यमान हैं, उपेक्षा की जायगी, तो राजनैतिक दृष्टि से तथा भविष्य को देखे यह नीति बहुत संकीर्ण रहेगी। और न हम यह ख़्याल करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि देशी रियासतों और ब्रिटिश हिन्दुस्तान के बीच बनावटी भौगोलिक सीमा नियत करदी जाय। आज कल हिन्दुस्तान में विचार-भाव एक जगह से दूसरी जगह के लिए ६० या ७० वर्ष पहिले की अपेक्षा अधिक तेज़ी से पहुंचते हैं। देशी रियासतों की समस्या पर इस कल्पना पर विचार करना कि ब्रिटिश हिंदुस्तान में जो आज कल प्रबल विचार-धारा बह रही है, वह बहुत दिनों तक उसी में बहकर उसी की सीमा के भीतर रह जायगी, एक फ़ज़ूल की बात है। यह बात ख़्याल में नहीं आसकती कि देशी रियासतों के लोग, जिनमें ऐसी ही इच्छाएं और आशाएं धधक रही हैं, जैसी ब्रिटिश हिन्दुस्तान के लोगों में, हमेशा चुपचाप उसी हालत में रहे आएंगे, जिसमें वे आज कल रह रहे हैं, या ब्रिटिश हिन्दुस्तान के लोग, जिनका इनसे ख़ून, जाति तथा धर्म का रिश्ता है, इनका साथ न देंगे। इसलिए, हम इस समस्या पर विचार करते समय जो नतीजा निकालेंगे, उसका आधार इन दोनों का बाहरी अन्तर न होगा, किन्तु दोनों के आपस के हित होंगे। इन हितों

के कारण ये दोनों स्पष्ट रूप से मिलकर काम करने लगेंगे, जो इनके आपस की संरक्षा तथा उन्नति के लिए सबसे अधिक स्वाभाविक मार्ग होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि इन दोनों के बीच आसानी से समझौता होने का कोई साधन है, तो बस ये आपस के हित ही हैं। यदि इस आपस के हितों के प्रश्न क लेकर देशी राजाओं के, उनकी प्रजा के, ब्रिटिश राज्य के और ब्रिटिश हिंदुस्तान के प्रतिनिधि लोग समझौते के लिए एक सभा करें, तो बड़े प्रेम-पूर्वक सब झगड़े दूर हो जाएंगे। परन्तु अभाग्यवश बहुत से देशी राजाओं ने देश के दो महत्व-पूर्ण दलों—अपनी प्रजा तथा ब्रिटिश हिन्दुस्तान के लोगों—की उपेक्षा करना ही पसंद किया है और बटलर कमेटी* की, जिसके लिए यह हिदायत दी गई है कि वह शासन सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार न कर सकेगी, नियुक्ति के लिए प्रार्थना की है अथवा उसको स्वीकार किया है। इस कमेटी की गुप्त बैठकें हो रही हैं। परन्तु इसके बारे में जो सूचाएं प्रकाशित हुई हैं, उनको देखने से हमें इस सम्बन्ध में कोई शंका नहीं रह जाती कि हिंदुस्तान में नौकरियों के लिए भी वैध सिद्धान्तों पर ज़ोर देकर देशी रियासतों को "हिन्दुस्तानी अलसटर" † में तब्दील किया जा रहा है।

---

*यह कमेटी देशी रियासतों की तहक़ीक़ात के लिए नियुक्त हुई है। इसके अध्यक्ष-सर हर कोर्ट बटलर हैं।

† अलसटर आयरलैंड देश का एक भाग है, जिसपर अंग्रेज़ लोग क़ाबू करके शेष आयरलैंड पर कब्ज़ा किये हुए हैं।

हमने इस रिपोर्ट की प्रस्तावना में उस सवाल का हवाला दे दिया है, जिसे सर मैलकम हेली ने फ़रवरी सन् १९२४ ई० की एसेम्बली की बैठक में उठाया था। उस दिन से और लोगों ने भी ऐसे ही सवाल उठाने शुरू कर दिये हैं। अब हम इन पर विचार करते हैं।

वैध स्थिति—जो इस समय देशी रियासतों की वैध स्थिति है, यद्यपि वह कुछ कारणों से स्पष्ट नहीं है, परन्तु फिर भी ऐसी अस्पष्ट नहीं है, जिसका समझना कोई मुश्किल हो। यह दावा किया जाता है कि वैध सिद्धान्त के अनुसार देशी रियासतों का सीधा सम्बन्ध ब्रिटिश सम्राट से है, चाहे उन्होंने ईस्ट इंडिया कम्पनी से संधियाँ की हों, चाहे ब्रिटिश सम्राट से, या चाहे सन् १६५८ से अब तक हिन्दुस्तान-सरकार से। अब यह बात साफ़ ज़ाहिर है कि वैध शासन में ब्रिटिश सम्राट का अर्थ केवल राजा (किंग) ही नहीं है। ब्रिटिश सम्राट का अर्थ वैध भाषा में राजा-पार्लमेंट * [किंग-इन-पार्लमेंट] है। सन् १८५८ ई० से पहिले हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कम्पनी का अधिकार था, जिसको ब्रिटिश सम्राट ने उस कम्पनी को दिया था। अब सन् १८५८ ई० से वह अधिकार ब्रिटिश सम्राट ने भारत-सरकार और भारत—मंत्री को दे दिया है, जो भारत—सरकार का, जिसे पार्लमेंट ने स्थापित किया है, एक ख़ास जुज़ है। सन् १८५८ ई० के एक्ट की ६७ वीं

*राजा जो कर सकता है, वह पार्लमेंट की सलाह ही से कर सकता है।

धारा में यह लिखा हुआ है कि—"उपरोक्त कम्पनी ने जो जो संधियां की हैं, उन सब के मानने के लिए ब्रिटिश सम्राट बाध्य होगा," और इसी एक्ट की १३२ वीं धारा, जिस पर अमल हो रहा है, यह बतलाती है, कि "ईस्ट इंडिया कम्पनी ने जो संधियाँ की थीं, उनपर यदि इस एक्ट के आरम्भ होने पर अमल हो रहा था, तो वे ब्रिटिश सम्राट उनको मानने के लिए बाध्य होगा।" वास्तव में बात यह है कि उन संधियों को अमल में लाना, उन संधियों के जो मंतव्य हैं, उनको पूरा करना, उनका अर्थ करना, ये सब काम भारत-सरकार के साधारण काम-काज तथा कर्तव्यों में से हो गये हैं और इनकी देख-भाल का काम भारत-मंत्री करता है। यह बात ख़्याल में नहीं आसकती कि कोई हिन्दुस्तानी राजा, वर्तमान शासन-विधान के समय भारत-सरकार अथवा भारत-मंत्री की उपेक्षा कर सकता है और अपने संधि संबन्धी मामलों को ब्रिटिश सम्राट अथवा उसकी सरकार तक ले जा सकता है। इसके अलावा, एक बात यह भी है कि भारत-सरकार के कुछ ऐसे भी अधिकार हैं, जो उसे परम्परा तथा रिवाज के कारण मिल गये हैं और जो लिखित संधियों में नहीं हैं। सन् १८६० ई० के विदेशीय शासन एक्ट और सन् १८७९ ई० के २१ वें हिन्दुस्तानी विदेशीय शासन एक्ट पर भारत-सरकार ने प्रायः अमल नहीं किया है, क्योंकि इनका शासन-क्षेत्र बड़ा विस्तृत है।

भारत-सरकार का प्रस्ताव—भारत-सरकार का २५ अक्टूबर सन् १९२० ई० का प्रस्ताव उन शिफ़ारिसों को अमल

में ले आया है, जो हिन्दुस्तान की विधानात्मक सुधार-रिपोर्ट के ३०६ वें पैरा में दर्ज हैं और जो यह बतलाती हैं कि ऐसे मामलों में किस प्रकार कार्यवाही होनी चाहिए, जिनके बारे में "यह सवाल पैदा होवे कि एक देशी राजा को उसके राज्य से थोड़े समय अथवा सदा के लिए बंचित करना चाहिए या उसको उसके अधिकार, पद, गौरव आदि से, जिन्हें उसने राजा होने के कारण प्राप्त किया है, या किसी देशी रियासत के युवराज अथवा कुटुम्ब के किसी और उत्तराधिकारी को, जो रियासत के क़ानून तथा रिवाज के अनुसार राजा होने का अधिकारी हो, गद्दी से बंचित करना चाहिए"।

वैध स्थिति पर लार्ड रोडिंग—२७ मार्च सन् १६२६ ई० में लार्ड रोडिंग ने देशी रियासतों की वैध स्थिति के विषय में इस प्रकार ज़ोर देकर लिखा था—(अ) हिंदुस्तान में ब्रिटिश सम्राट की प्रभुता सबसे ऊपर है। इसलिए, देशी रियासतों का कोई राजा नियमानुकूल भारत—सरकार के साथ बराबरी की हैसियत से व्यवहार नहीं कर सकता। ब्रिटिश सम्राट की प्रभुता केवल संधि-पत्रों ही के कारण नहीं है, किन्तु बिना उसके भी विद्यमान है और उसका जो विदेशी राज्यों के तथा अपनी विदेशीय नीतिके मामलों के बारे में जो विशेष अधिकार हैं उसके अलावा भी ब्रिटिश सरकारका यह अधिकार और कर्तव्य है कि वह सब संधियों को मानते हुए भी हिन्दुस्तान में सब जगह अमन-अमान क़ायम रक्खे। (ब) ब्रिटिश सरकार का जो देशी रियासतों के मामलों में दख़ल देने का अधिकार है,

वह इस बात का एक और सबूत है कि ब्रिटिश सम्राट सबसे ऊपर है। (स) देशी रियासतों के राजाओं को, जो उनके राज के अन्दर के मामलों के बारे में तरह तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उसके लिए वे ब्रिटिश सम्राट के लिए उत्तरदायी हैं।"

यह बात सब को मालूम है कि देशी रियासतों के राजाओं को जो अधिकार दिये गये हैं, उनके ऊपर अमल करने के बारे में अथवा अधिक स्पष्ट रूप में यह कहिए कि उन अधिकारों को अमल में लाने के विषय में, जो हिन्दुस्तान—सरकार का फ़ैसला है, उसके बारे में बहुत कुछ टीका-टिप्पणी हो चुकी है और असंतोष प्रकट किया जा चुका है। और लार्ड रीडिंग के पत्र में, जिसको उसने हैदराबाद के निज़ाम के लिए लिखा था और जिसका अंश हमने ऊपर उद्धृत किया है, देशी रियासतों के बारे में, जिन वैध बातों का ज़िक्र किया गया है, उनके कारण बड़ी छान-बीन उठ खड़ी हुई है। हमारा विचार या अभिप्राय यहां पर इस पत्र के गुण-दोष को आलोचना करने का नहीं है। हम तो इसकी ओर केवल यह दिखलाने के लिए ध्यान आकर्षित करते हैं कि देशी राजाओं को जो बड़े बड़े अधिकार मिले हुए हैं, उन पर वे केवल हिन्दुस्तान-सरकार की इच्छा, आशा तथा बल ही पर अमल कर सकते हैं।

हिन्दुस्तान-सरकार को या तो परम्परा से चली आरही रिवाज के कारण या अपनी प्रभुता के कारण इन निम्नांकित बातों के लिए अधिकार प्राप्त हैं—

(१) वह देशी रियासतों के राजाओं को गद्दी पर बैठाल सकती है।

(२) वह एक राजा की नाबालिग़ी में उसके राज्य का इन्तज़ाम कर सकती है।

(३) वह देशी राजाओं तथा उनके ज़मींदारों के झगड़ों का निबटारा कर सकती है।

(४) वह देशी रियासतों के कु-प्रबंध के समय हस्तक्षेप कर सकती है।

यदि देशी रियासतों के राजा लोगों को इन बातों के बारे में कोई शिकायतें हों और उनको वे दूर कराने की इच्छा करें, तो सम्भवतः उनके साथ हिन्दुस्तान का प्रजातंत्र—राज्य भी सहानुभूति प्रकट करेगा और हम यह भी अनुभव करते हैं कि यह बात किसी प्रकार से असम्भव अथवा अकरणीय नहीं हो सकती है कि यह निश्चय हो जाय कि हिन्दुस्तान की वर्तमान सरकार अथवा भविष्य की सरकार देशी रियासतों के मामलों में कहां तक दख़ल देगी। हमारा यह ख़याल है कि इस साधारण बात की उपेक्षा न की जायगी कि हिन्दुस्तान की औपनिवेशिक सरकार भी इसी प्रकार सम्राट के साम्राज्य के अधीन होगी, जैसे हिन्दुस्तान की वर्तमान सरकार है और इस बात के लिए भी कोई एतराज़ नहीं होगा कि हिन्दुस्तान की वर्तमान सरकार के स्थान ही पर भविष्य में औपनिवेशिक सरकार की स्थापना होगी।

यदि देशी रियासतों के राजाओं की राज-भक्ति का संबंध इंगलैंड के राजा, उसके वंश तथा राज्य से है, तो उसकी शक्ति, जब हिन्दुस्तान को औपनिवेशिक स्वराज मिलेगा और हिन्दुस्तान की सरकार में परिवर्तन होंगे, ज्यों की त्यों रहेगी। इस संबंध में देशी राज्याओं के जो कर्तव्य होंगे, उनका वे काफ़ी अच्छी तरह से पालन कर सकेंगे और उधर सम्राट भी अपने उन विशेष अधिकारों पर अमल कर सकेगा, जो सम्राट और देशी रियासतों के संबंध से अनिवार्य सम्बन्ध रखते हैं।

सर लैस्ली स्काट के विचार—इस विषय पर जो अभी हाल में विचार प्रकट किये हैं, अब हम उनकी ओर आते हैं। ये विचार सर लैस्ली जैसे सुविख्यात मनुष्य के हैं, जिसको देशी राजाओं ने अपने परामर्शदाता के पद पर नियुक्त किया है। उसने अपने विचारों को उस पत्र में प्रकट किया है जो 'ला क्वार्टरली रिव्यू' के जुलाई माह के अंक में छपा है। हम यह मानने को तैयार हैं कि सर लैस्ली बड़ा नामी वकील है। परन्तु हम यह कहने से नहीं चूक सकते कि उसने जो देशी राजाओं के परामर्शदाता की हैसियत से अपने विचार प्रकट किये हैं, उन पर अभी न्याय-विभाग को उस समय, जब कि उसके सामने इस प्रश्न के दोनों पहलुओं के विचारों को उपस्थित कर दिया जाय, विचार करने की ज़रूरत है। जहां तक इस पत्र का हम से सम्बन्ध है, हमारा इसके विचारों से मत-भेद है। यह कहने के बाद कि सम्राट और देशी रियासतों

के बीच जो सम्बन्ध है, उस पर न तो अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून का कोई अधिकार है और न म्युनिसिपल क़ानून का, सर लैस्ली स्काट यह प्रश्न करता है, "तो फिर सम्राट और देशी रियासतों के सम्बन्ध के लिए कौन से क़ानूनी सिद्धान्तों की शरण लेनी चाहिए" ? इस सम्बन्ध में न तो पुरानी कोई क़ानूनी नज़ीर ही है, और न कोई दूसरी इससे मिलती-जुलती मिसाल, जो इस सम्बन्ध में कुछ सहायता दे सके। इसका हल यही है कि क़ानून के आदि सिद्धान्तों की शरण लेनी चाहिए। हमको स्वयं सब बातों पर विचार करना चाहिए। इस क्षेत्र में अभी किसी वकील ने काम नहीं किया है।" यदि इस क्षेत्र में किसी क़ानूनदां वकील ने काम नहीं किया है (हम यह कहने का साहस करते हैं कि ऐसा कहना ही ग़लत है), तो हमारे ख़्याल से यह काम ज़्यादातर एक राजनीतिज्ञ का है, न कि एक वकील का। सर लैस्ली स्काट ने अपने पत्र में पांच विचारों का ज़िक्र किया है, जिनमें से कुछ तो ठीक माने जा सकते हैं और बाक़ी हमें ऐसे मालुम पड़ते हैं, मानों ऐसे उदार भाव से रक्खे गये हों, जिसमें वे न रखने चाहिए थे। इन दोनों तरह के विचारों से जो नतीजा निकाला गया है, वह ऐसा बेतुका है कि उससे यह बात निश्चय हो जाती है कि यदि देशी रियासतों के राजा लोगों ने यह फ़ैसला किया कि उनकी वही स्थिति रहेगी, जो इन विचारों द्वारा बड़ी बुद्धिमानी के साथ तैयार की गई है, तो इसके मानो ये होंगे कि ब्रिटिश हिन्दुस्तान को अपनी औपनिवेशिक स्वराज की आकांक्षाओं को

जल की सेना के साथ रहना चाहिए, जितनी से इस कर्तव्य का पालन किया जा सके। ब्रिटिश सरकार इन सेनाओं को किसी और सरकार को—विदेशी सरकार को जैसे फ्रांस या जापान, या औपनिवेशिक सरकार को, जैसे कनाडा या आष्ट्रे-लिया, या ब्रिटिश हिन्दुस्तान-सरकार को भी नहीं दे सकती है।"

इससे जो नतीजा निकलता है, वह सर लैस्ली के ५ वें विचार में दिया हुआ है, यानी यह कि—"सम्राट साधारणतः अपने नायबों को चुन सकता है। परन्तु एक नायब उस समय कारगर नहीं हो सकता, जब उसके हित और उसके कर्तव्य में विरोध उपस्थित हो जाय। राज्य के जो साधारण काम हैं जैसे बिक्री की चीज़ों पर महसूल, रेलवे, बंदरगाह और नमक बेचने का अधिकार आदि, उनके विषय में यह सम्भव है कि ब्रिटिश हिन्दुस्तान के हित किसी विशेष देशी रियासत से भिन्न हों। ऐसे समय सम्राट का यह कर्तव्य है कि वह देशी रियासत के हित की रक्षा करेगा—ख़ासतौर से उस समय जब किसी छोटे राज्य का मामला होगा। यदि कहीं नायब के हितको और मालिक के बतलाये हुए कर्तव्य का विरोध करने का मौक़ा दे दिया जायगा तो"? यदि यह सत्य है, इसके मानी ये हैं कि ब्रिटिश हिन्दुस्तान की जो औपनिवेशिक स्वराज्य की ओर प्रगति हो रही है, उसमें इस समय और सदा के लिए एक प्रभावशाली बाधा उपस्थित करना है। क्योंकि यह स्पष्ट है कि देशी राजाओं और ब्रिटिश सम्राट तथा ब्रिटिश जाति के बीच के जो बंधन हैं, वे यदि व्यक्तिगत हैं, तो हिंदुस्तान सदा ब्रिटिश हिन्दुस्तान तथा देशी रियासतों में

विभक्त रहेगा और ब्रिटिश जाति सदा यहाँ इतनी काफ़ी थल और जल की सेनाएं रक्खेगी, जिससे वह देशी रियासितों के प्रति जो उसका कर्तव्य है, उसका पालन कर सके। हम यह कहने का साहस करते हैं कि जो दलील दी गई है, वह बड़ी बुद्धिमानी की नहीं है। जिस मिसाल को लेकर यह दलील दी गई है वह .खुद ग़लत है और उस मिसाल को इस्तेमाल करने में जो दर असल वाक़ात थे, उनका कोई ख़्याल तक नहीं किया गया है। इस कल्पना के लिए कोई आधार नहीं है कि देशी राजाओं और सम्राट के बीच जो बंधन हैं, वे उसी तरह के हैं जैसे प्राइवेट व्यक्तियों में हुआ करते हैं। सर लैस्ली स्काट ने .खुद अपने पत्र के पहिले भाग में यह बतलाया है कि देशी राजा लोग अपनी प्रभुता के अधिकारों को उस समय भी रख सकेंगे, जब कि वे उसके कुछ कामों को ब्रिटिश सम्राट को दे भी डालेंगे। देशी राजाओं की उस समय भी प्रभुता रहती है, जब कि वे किसी दूसरे राजा से संबंध रखते हैं, चाहे वह राजा ईस्ट इंडिया कम्पनी हो अथवा ब्रिटिश सम्राट हो।

इसके अलावा यह कहना सत्य नहीं हैं कि जो दो प्राइवेट व्यक्तियों के बीच बंधन होता है, वह ऐसा होता है, जो किसी और के साथ नहीं हो सकता। यहां यह सवाल नहीं है कि किसी बंधन में बंधे हुए दो व्यक्ति एक दूसरे में विश्वास रखते हैं। यह जो बंधन है, वह तो एक प्रकार की वस्तु-स्थिति के कारण है और यह बंधन बिलकुल इसी प्रकार का किसी और के साथ भी हो सकता है, यदि उसकी ऐसी ही स्थिति हो, जैसी ब्रिटिश

सरकार की है। यह दलील, हिन्दुस्तान-सरकार का जो हमेशा से रवैया रहा है, उसकी उपेक्षा करना है और यदि यह दलील इस बात के निश्चय करने के लिए कि 'क़ानूनन बन्धन' क्या है क़ानून के आदि सिद्धांतों का सहारा लेती है, तो उस निश्चय और सच्चे मामले की उपेक्षा करती है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय से देशी राजाओं तथा देशी रियासतों के साथ केवल हिंदुस्तान-सरकार ही का सम्बन्ध रहा है। यह दलील जो दोनों के बीच "व्यक्तिगत विश्वास" की बात को प्रकट करती है, वह आसानी से समझ में नहीं आती। इस दलील का यह मतलब है कि हिन्दुस्तान की भूत तथा वर्तमान समय की जो सरकारें राज करती आरही हैं, और जिनको यह राज करने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट से मिला है, देशी राजाओं तथा उनकी रियासतों के लिए स्वीकार-योग्य थीं और हैं, परन्तु भविष्य में यदि हिन्दुस्तान में औपनिवेशिक सरकार की स्थापना होगी, तो वह इनको स्वीकार योग्य न होगी। इसके साफ़ मानी ये होते हैं कि हिन्दुस्तान की भूत काल तथा वर्तमान काल की सरकारें इनको इसलिए स्वीकार-योग्य रही हैं, क्योंकि वे मुख्य रूप से विदेशी रही हैं और हिन्दुस्तान के निर्वाचकों (वोटरों) के प्रति उत्तरदायी नहीं रही हैं। और भविष्य में जो उत्तरदायी सरकार स्थापित होगी वह देशी राजाओं को इसलिए स्वीकार-योग्य न होगी, क्योंकि उसमें उन्हीं के देशी-वासी रहेंगे और वे अपने देश के निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी रहेंगे परन्तु यदि हम यह मानलें कि यही मामला है, तो

फिर यह सवाल उठता है कि क्या इस बात के लिए कोई प्रमाण मौजूद है कि जब एक नायब किसी 'बंधन' का पालन करे, तब वह अपने अपने मालिक की बात को तो मानता नहीं है, बल्कि एक दूसरे की बात को मानता है। हमने यह दिखलाया है कि अब तक इस बंधन को सफ़ेद नायबों ने काले देशी राजाओं के साथ संतोष-जनक रूप में, केवल देखने में संतोष-जनक, निभाया है। हम यह पूछना चाहते हैं कि क़ानूनन वह कौन सा सिद्धान्त है, जो यह बतलाता है कि यह बन्धन काले देशी राजाओं के साथ अधिक नहीं तो उतने ही सन्तोष-जनक रूप में काले नायबों के द्वारा नहीं बरता जा सकता ?

अब हमको इस दलील पर विचार करना है कि मालिक उस समय अपने नायब को अधिकार नहीं दे सकता है, जब कि नायब के हित और उसके कर्तव्य में विरोध होवे। इस सम्बन्ध में भी हमें यह कहना है कि जो वाक़ात हैं उनका बिल्कुल ख़्याल तक नहीं किया गया है। यह दलील इस बात का ख़्याल नहीं करती कि ब्रिटिश सरकार का नायब यानी वर्तमान हिंदुस्तान-सरकार उस समय भी काम करती हुई चली गई है, जब कि उसके हितों ने उसके कर्तव्य का विरोध किया है और इसके लिए न तो कभी मालिक ही के अन्तःकरण को और न नायब ही के अन्तःकरण को चोट पहुंची है, और न देशी राज्यों ही ने कोई विरोध किया है। इसके बाद सर लैस्ली स्काट कहता है कि जब "क़ानून दोनों के बन्धन स्पष्ट कर दिये जायँ"—यानी उसका जो बन्धन के बारे में ख़्याल है उसके अनुसार बन्धन पैदा हो

जाय—"तब कोई एक ऐसी उपयुक्त वैध योजना तैयार की जा सकती है, जो हिन्दुस्तान के दोनों पहलुओं के बीच के मेल मिलाप को बढ़ावे और देशी रियासतों ने यह पहिले ही से स्पष्ट कर दिया है कि वे इस प्रकार की किसी न्याय्य योजना के मानने के लिए तैयार हैं।" दूसरे शब्दों में यदि सर लैस्ली स्काट का मत जो व्यक्तिगत बन्धन और व्यक्तिगत विश्वास से सम्बन्ध रखता है और इस नीति से सम्बन्ध रखता है कि हिन्दुस्तान में जिसकी प्रभुता रहेगी उसका यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने कर्त्तव्यों का पालन करे, स्वीकार कर लिया जाय, तो देशी रियासतों के राजा ब्रिटिश भारत सरकार के साथ न्याय्य बातों के लिए सहयोग करने के लिए तैयार और राज़ी हो जाएंगे। जहां एक बार इस दलील को सच्चा मान कर स्वीकार कर लिया, वहां यह स्पष्ट है कि देशी रियासतों और हिन्दुस्तान के औपनिवेशिक स्वराज के मेल-मिलाप से रहने के लिए जो योजना उपस्थित की जायगी, वह सदा के लिए रद्द हो जाएगी। हमने यह प्रकट किया है कि यह दलील बिलकुल ग़लत है, और हम यह सच्चे दिल से आशा करते हैं कि क़ानूनी बारीकियां देश के हितों के लिए बाधक न होंगी और देशी राजाओं की राजभक्ति और नीति निपुणता तथा उनकी प्रजा की बढ़ती हुई राजभक्ति और उसका स्वतन्त्रता का प्रेम ज़्यादातर ऐसी अमली योजना के निश्चित करने में लग जायगा, जो उन प्रश्नों को हल कर सकेगी, जो उनके और हिन्दुस्तान के उत्तरदायी राष्ट्रसमूह के बीच पैदा होंगे।

होंगे, न कि इन दोनों के उस क़ानूनी बन्धन के ख़्याली सवाल के हल करने में लगेगा, जिससे कोई लाभ नहीं और जिसमें वे शरारतें भरी हुई हैं, जिनसे नाश के अलावा और कुछ न होगा। परस्पर के सम्बन्ध सन्तोष-जनक रूप में केवल उसी समय निश्चित हो सकते हैं, जब आपस में सहमति हो और हमारा यह विश्वास है कि इस काम के लिए अभी बहुत कुछ मौक़ा है। परन्तु हम यह चेतावनी दे देना चाहते हैं कि भारतवर्ष की स्वाभाविक और न्याय्य आकांक्षाएं उन चतुरता भरी दलीलों के द्वारा, जिनका यथार्थ मामलों से कोई सरोकार नहीं है, नहीं रोकी जा सकतीं और न रोकी जा सकेंगी।

सर लैस्ली स्काट के पत्र के इन निम्नाङ्कित शब्दों की ओर हम विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं—

"सारे हिन्दुस्तान के भविष्य के लिए राजनीतिक प्रश्न सब से अधिक महत्व के हैं। अगर इनका बुद्धिमानी के साथ हल हो जावे, तो वह सर जान साइमन और उसके साथियों के काम के, जिसको पार्लमेन्ट ने ब्रिटिश हिन्दुस्तान के लिए सुपुर्द किया है. सफलता-पूर्वक समाप्त होने में बड़ा असर डालेगा। अब यदि देशी राजाओं के काम पर राजनीतिक भाव से तथा साम्राज्य दृष्टि से विचार किया जायगा, तो वह इस बात के निश्चय में कि हिन्दुस्तान की भविष्य में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति कैसी मनोवृति रहेगी, बहुत सहायक होगा।"

इसलिए, बटलर कमेटी की तहक़ीकात, जो गुप्त रूप से हो रही है, ब्रिटिश हिन्दुस्तान के लोगों के भाग्य का निबटारा बिना उनकी राय लिए ही करेगी और सर जान साइमन और उसके साथी, जो हिन्दुस्तान के इन "सबसे अधिक महत्व-पूर्ण राजनीतिक प्रश्नों" से परिचित नहीं है इस बटलर कमेटी के तत्संबन्धी "बुद्धिमानी के हल" से काम लेंगे, यदि उनको अपने उस काम को, जिसको उन्हें पार्लामेन्ट ने सुपुर्द किया है, सफलता-पूर्वक समाप्त करना है। यह बात हिन्दुस्तान में पहिले ही से विचार ली गई थी और यह भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के भाषणों द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित भी हो चुका है। अब हम इस बात को ठीक तौर से जानते हैं कि साइमन कमीशन हिन्दुस्तान के लिए क्या करने वाला है। सर लैस्ली स्काट ने जिन प्रश्नों को उठाया है, उनका बुद्धिमानी के ख़्याल से तो केवल यह हल है, कि ब्रिटिश सरकार को, "हिन्दुस्तान में अवश्य रहना चाहिये और इतनी थल और जल की सेनाओं के साथ रहना चाहिए, जितनी उसको अपने कर्त्तव्यों के पालन करने के लिए आवश्यक हों।" हम सर लैस्ली स्काट को धन्यवाद देते हैं कि उसने साइमन कमीशन की शिफ़ारिसों को पहिले ही से बड़े प्रमाण रूप में बतला दिया यह इस बात का सबूत है कि इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान के सुविख्यात दलों ने जो मनोवृति ग्रहण की है, वह बिलकुल ठीक है।

ब्रिटिश सम्राट और देशी राजाओं के बीच के बन्धन की

नीति के सवाल को छोड़ कर जब हम इनकी वास्तविक स्थिति की ओर ध्यान देते हैं, तब इस सम्बन्ध में हम यह ख़्याल करते हैं कि हमारा यह कहना ठीक है कि दर असल जो मामला है और जो रवैया बरता जा रहा है, वह तो यह है, कि देशी राजा लोग अपनी हर एक बात के लिए, जो उनसे अथवा उनकी रियासतों से सम्बन्ध रखती हैं, हिन्दुस्तान—सरकार से सम्बन्ध रखते हैं। यह बात लोक-प्रसिद्ध है कि हिंदुस्तान—सरकार के मन्त्री (भारत-मन्त्री) का देशी रियासतों के ऊपर बहुत बड़ा अधिकार है। वह यद्यपि हिन्दुस्तान-सरकार का कोई मैम्बर भी नहीं है, परन्तु तो भी एक मैम्बर की हैसियत से वास्तव में सब काम करता है। क्योंकि हिन्दुस्तान-सरकार का राजनीतिक विभाग किसी अलग मैम्बर के सुपुर्द नहीं है। इसके बारे में यह ख़्याल किया जाता है कि यह विभाग सीधा वाइसराय ही के हाथ में है। इस समय जो स्थिति है, वह यह है कि यदि यह राजनीतिक विभाग किसी देशी रियासत अथवा किसी देशी राजा के विरुद्ध अपना फ़ैसला दे दे, तो उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो कार्यवाही की जा सकती है, वह यह है कि "कुछ शर्तों और रुकावटों के साथ भारत-मन्त्री के पास अपील की जावे"। हम यह जानते हैं कि वर्तमान अवस्था में यह एक बड़ा मूल्यवान अधिकार माना जाता है। परन्तु यह असन्तोषजनक परिपाटी शायद शुरू ही से हिन्दुस्तान में पड़ गई है। यह बात स्पष्ट है कि उस मामले की अपील की, जिस पर न्याय रूप से विचार नहीं हुआ है, कोई क़ीमत नहीं है और हम यह

ख़्याल करते हैं कि यह सम्भव है कि उसके स्थान पर भविष्य के लिए कोई वैध नियम बनाया जा सकता है।

अनुभव यह बतलाता है कि जिन मामलों में देशी रियासतों का हिंदुस्तान—सरकार से काम पड़ता है, वे देशी-विदेशी बिक्री की वस्तुओं के कर, एक दूसरे के यहां के मुजरिम को देने लेने, रेलवे, डाकख़ाने और बन्दरगाह से सम्बन्ध रखते हैं। यहां पर हमें इस बात की जांच करने की ज़रूरत नहीं है कि इन मामलों के बारे में देशी रियासतों की शिकायतें क्या हैं। हमें इस सम्बन्ध में सिर्फ़ इतना कहना है कि देशी रियासतों के उत्तरदायी राजाओं और मंत्रियों ने समय समय पर उस असमानता के व्यवहार के ख़िलाफ़, जो हिन्दुस्तान—सरकार ने उनके साथ किया है, आवाज़ उठाई है। उन शिकायतों का इलाज कहां तक हो सकता है, और किस प्रकार सर्वोत्तम रूप में हो सकता है, इस सम्बन्ध में तहक़ीक़ात और आपस के सलाह-मशवरे की ज़रूरत है। परन्तु हम यह ख़्याल करने का साहस करते हैं कि इन मामलों का हल हिन्दुस्तान-सरकार के वर्त्तमान शासन-विधान के साथ अथवा उस अलग और स्वतंत्र योजना के साथ लगा हुआ है, जिसका इन मामलों को अलग से तै करने के लिए तैयार करना ज़रूरी है। यदि हम इस प्रश्न पर अधिक विचार नहीं करना चाहते, तो इसका सिर्फ़ यह कारण है कि अभी तक पबलिक को इस योजना के सम्बन्ध में, जिस पर पिछले कुछ महीनों से विचार हो रहा है, काफ़ी जानकारी नहीं कराई गई है। परन्तु यदि हमें यह इजाज़त

है कि हम इस प्रकार के वक्तव्यों से, जैसे इस सम्बन्ध में देशी राजाओं के परामर्शदाता सर लैस्ली स्काट ने दिये हैं, उसके यहां से जाने से पहले कुछ अनुमान निकालें, तो हम उस कोशिश के ख़िलाफ़ चेतावनी देते हैं, जो देशी रियासतों के लिए एक अलग कौंसिल वाइसराय के साथ काम करने के लिए बना कर हिन्दुस्तान-सरकार के काम को दुचंद करने के लिए हो रही है। इस बात के अलावा कि यह कौंसिल एक भारी चीज हो जायगी एक बात यह भी है कि इसकी अलग हस्ती होने से उस झगड़े के मामलों का, जो ब्रिटिश हिन्दुस्तान से अथवा हिन्दुस्तान को भावी राष्ट्र-समूह की सरकार से सम्बन्ध रखते हैं, फ़ैसला नहीं हो सकता। हमको तो यह उस दोष-पूर्ण द्वैत योजना का बढ़ाना मालूम पड़ता है, जिसके साथ अनेक वैध असुविधाएं और कठिनाइयां हैं।

सर मैलकम हेली ने अपने भाषण में, जिसका हवाला हम पहिले दे चुके हैं, एक क़िस्म के राष्ट्र-समूह के बारे में अपने विचार प्रकट किये थे और इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा ही कुछ ख़्याल सर लैस्ली स्काट के भी दिमाग़ में है। परन्तु यदि हिन्दुस्तान का शासन-विधान एक राष्ट्र-समूह जैसा होने को है, जैसा कि हमारा ख़्याल है कि ऐसा होगा, तो उस राष्ट्र-समूह के सम्बन्ध में हमें देशी रियासतों की स्थिति के बारे में कुछ निश्चय रूप से सोचना होगा और उस प्रश्न के सम्बन्ध में जो विचार होंगे, उनको स्पष्ट करना होगा। अब प्रश्न यह है कि क्या देशी रियासतें एक सच्चे राष्ट्र-समूह में सम्मिलित होने

के लिए राज़ी और तैयार हैं। हमने इस प्रश्न को इसलिए उठाया है, क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि जिस प्रकार देशी राजा और सर लैस्ली स्काट काम कर रहे हैं, उससे किसी क़िस्म का राष्ट्र-समूह, जैसा कि उसका मतलब समझा जाता है, वैसा, स्थापित नहीं हो सकता है। प्रोफ़ेसर न्यूटन का कहना है कि—"एक राष्ट्र-समूह कई रियासतों की स्थायी एकता का नाम है, जिसका पहला आधार उन रियासतों की आपस की सन्धियां अथवा उन सब का आपस का समान ऐतिहासिक पद है, और दूसरा आधार वह शासन-विधान है, जिसको नागरिकों ने स्वीकार कर लिया हो। केन्द्रीय सरकार का अधिकार न केवल राष्ट्र-समूह की रियासतों ही पर होता है, बल्कि सीधा उसके नागरिकों पर भी होता है। रियासतों की भीतरी और बाहिरी दोनों प्रकार की प्रभुता कम हो जाती है और राष्ट्र-समूह अधिकतर अकेला ही अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों को करता है।" यह हमारी राय में एक बड़ा इक तरफ़ा इन्तज़ाम होगा, अगर देशी रियासतें राष्ट्र-समूह में इस ख़्याल से सम्मिलित होंगी, कि वे अपनी वोटों तथा दूसरी तरह से हिंदुस्तान की व्यवस्थापिका सभा की नीति और व्यवस्था पर असर डालेंगी और स्वयं उसकी पास की हुई व्यवस्थाओं को मानने को तैयार न होंगी। यह बात राष्ट्र-समूह के भाव के लिए बड़ी उपहास-योग्य होगी। यदि देशी रियासतें राष्ट्र-समूह में उसके पूरे मतलब को समझ कर सम्मिलित होने के लिए राज़ी हैं, तो हम उनके इस निश्चय का हृदय से स्वागत करेंगे। और हम

उनके अधिकारों की प्राप्ति के लिए यथाशक्ति सब कुछ करेंगे। परन्तु यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि उनमें जिस प्रकार की राज्य-प्रणाली और राज्य-प्रबंध प्रचलित है, उसको शायद भिन्न भिन्न प्रकार से, अदलने-बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। हम आशा और विश्वास करते हैं कि देशी रियासतें अपने अनुभव से लाभ उठाती हुई राष्ट्र-समूह में सम्मिलित होने का विचार करेंगी। इस बीच में, उचित तो यह है कि राज्य-प्रबन्ध तथा दूसरे मामलों के सम्बन्ध में जो आपस में मत-भेद हैं, उनको तै करने के लिए कोई उचित योजना की तैयारी होनी चाहिए। इनका अपनी संधियों के सुरक्षित रहने तथा अपनी स्वतंत्रता के, जिसको ये आज कल भोग रही हैं, क़ायम रहने का जो असली सवाल है, वह इस प्रश्न के ख़ुश्क वाद-विवाद से कि आया इनका हिन्दुस्तान—सरकार से सम्बन्ध रहेगा या ब्रिटिश सम्राट से, अधिक महत्व-पूर्ण है।

हमारी शिफ़ारिसें—इसलिए, हमने यह शिफ़ारिस की है कि "(अ) वे सब संधियां जो ईस्ट इंडिया कम्पनी और देशी रियासतों में हुई हैं, तथा वे सब संधियां जो इनके बाद हुई हैं और इस एक्ट के आरम्भ होने के समय प्रचलित होंगी, राष्ट्र-समूह को उन सब को मानना पड़ेगा। (ब) राष्ट्र-समूह देशी रियासतों के संबंध में उन्हीं अधिकारों को काम में लाएगा, तथा उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा, जिनपर इस एक्ट से पहिले की हिन्दुस्तान-सरकारें अमल करती थीं। हमने इन तजवीज़ों को अभिमान अथवा आदर्श के भाव में आकर

पेश नहीं किया है। हमारा यह विश्वास है कि हिन्दुस्तान की भावी सरकार अपने कर्तव्यों का सच्चाई के साथ पालन करेगी और इस इच्छा से पालन करेगी कि आपस में और अधिक मेल-मिलाप बढ़े, न कि इस इच्छा से कि उन अधिकार तथा भावों को दबा दिया जाय, जो अभीष्ट हैं। इस प्रकार हमने ऐसे मामलों के बारे में, जिनका न्याय रूप से फ़ैसला होना है, हमने यह तजवीज़ किया है कि—"यदि किसी मामले में राष्ट्र-समूह और किसी देशी रियासत के बीच संधियों, सनदों तथा ऐसे ही किसी बात के बारे में कोई मत-भेद हो जाय, तो वाइसराय अपनी कौंसिल की सलाह से उस मामले को उस देशी रियासत की सहमति लेकर सुपरिम कोर्ट के पास फ़ैसले के लिए भेज सकता है।" हमारे ख़्याल से यह तरीक़ा उस तरीक़े से जो इस संबंध में आज कल बरता जा रहा है अधिक अच्छा होगा। आज कल ऐसे मामलों में हिन्दुस्तान-सरकार ख़ुद ही फ़रीक़ होती है और ख़ुद ही न्यायाधीश। हमें यह कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम यह आशा करते हैं कि सुपरिम कोर्ट के न्यायाधीशों का क़ानून संबंधी ज्ञान बहुत उच्च कोटि का होगा, और वे बड़े चरित्रवान तथा न्याय करने में पूर्ण स्वतंत्र होंगे।

वे मामले, जिनमें न्याय-विभाग की सहायता की आवश्यकता नहीं है, जैसे रुपया-पैसा तथा राज्य-प्रबंध संबंधी मामले, आपस में कान्फ़रेंस करके तथा समझ-बूझ कर बड़ी आसानी से तै हो जाएंगे। हमारे ख़्याल से भविष्य में जो इस संबंध में

स्थिति होगी वह आज कल की स्थिति से ख़राब न होगी। परन्तु इसमें संदेह नहीं कि केवल ऐसी दशा मेंउसके बहुत अच्छे होने की सम्भावना है, जब कि रियासतों में जो मत-भेद होंगे, वे सच्चे होंगे और उनके संबंध में न्याय रूप से फ़ैसला करने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रयत्न किया जायगा। एक मामले के तै करने के लिए सच्चे दिल से अमली कोशिश करना और आपस के हितों को अधिक मात्रा में बढ़ाना, ये बातें अन्तिम निर्णयों के सूक्ष्म विचारों से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। इस बातको हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि देश की रक्षा का जो प्रश्न है, वह भविष्य में अवश्य एक ऐसा प्रश्न होगा, जिस पर हिन्दुस्तान-सरकार और देशी रियासतें मिल कर विचार करेंगी। इस संबंध में हमारा यह ख़्याल है कि यदि पिछले समय में एक दूसरे के प्रति अपने कर्त्तव्य-पालन करने की इच्छा का रहना तथा समस्त देश के प्रति अपने कर्त्तव्य-पालन करने के भाव को जाग्रत रखना सम्भव हो सका है, तो हम इस संबंध में अपने भविष्य के लिए हताश नहीं हैं।

हम अपने इन विचारों को प्रकट करते समय यह अनुभव करते हैं कि हमने इस संबंध में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से बहस-मुबाहिसा करने का लाभ प्राप्त नहीं किया है, और हम यह भी समझते हैं कि इस प्रकार के आपस के बहस-मुबाहिसे से इस प्रश्न के कुछ ऐसे पहलुओं पर जो स्पष्ट नहीं हैं, बहुत कुछ प्रकाश पड़ जाने की सम्भावना है। फ़िलहाल, हम यह कह कर अपने आप को संतुष्ट किये लेते हैं कि जहाँ हम यह

मानते हैं कि हिन्दुस्तान में राष्ट्र समूह जैसी सरकार ही, जिसमें प्रत्येक स्थानीय भाग को चाहे वह प्रान्त हो अथवा देशी रियासत अपने राज्य-प्रबंध करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होगी, उत्तरदायी सरकार के लिए केवल मात्र सुदृढ़ नींव बन सकती है, वहाँ हम इस बात के मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि जब तक देशी रियासतें बाक़ायदा इस राष्ट्र-समूह में सम्मिलित न होंगी, तब तक ब्रिटिश हिन्दुस्तान को उत्तरदायी राज्य अथवा औपनिवेशिक स्वराज न मिलेगा। इसकी सिर्फ़ यह वजह ख़्याल की जाती है कि देशी रियासतों के प्रति हिन्दुस्तान-सरकार जो कर्तव्य पालन करती है, उसका पालन हिन्दुस्तान की केवल केन्द्रीय सरकार के द्वारा, जो अ-प्रजातंत्र सरकार है और जो इसी कारण कि इस समय अ-प्रजातंत्र है भविष्य में भी अ प्रजातंत्र रहेगी, हो सकता है। इस तरह की दलील के मानी केवल ये हैं कि देशी रियासतें जो दिखलाने को ब्रिटिश हिंदुस्तान की प्रगति के साथ सहानुभूति प्रकट करती हैं, हमारे उद्देश्यों तथा आकांक्षाओं को, अपनी उस मनोवृति के कारण, जिसका आधार उनका स्वार्थ नहीं है, किन्तु हमारे उद्देश्यों तथा आकांक्षाओं के विरुद्ध उनकी अमली शत्रुता है, अवश्य निष्फल कर देंगी।

यद्यपि देशी रियासतों के राजाओं ने अपने सलाह-मशवरे और बहस-मुबाहिसे से हमको लाभ नहीं पहुंचाया है, परन्तु उनकी प्रजा के प्रतिनिधि लोग सर्वदल-सम्मेलन में आये थे और उन्होंने अपने मामले को बड़ी योग्यता के साथ उपस्थित

किया था। सर्वदल सम्मेलन की पहिली कमेटी ने देशी रियासतों के संबंध में जो शिफ़ारिसें की थीं, उनकी मैसूर प्रति-निधि-सभा के मैम्बर श्रीयुत हसकोपा कृष्ण राउ ने, जिन्होंने एक 'स्वराज-विधान' तैयार किया है, और जिसको उस कमेटी ने जिसको मद्रास में अखिल भारतवर्षीय देशी-राज्य-प्रजा सभा ने नियुक्त किया था, स्वीकार कर लिया है, बड़ी कड़ी आलोचना की है। हमने श्रीयुत कृष्ण राउ की इस आलोचना पर तथा उनके 'स्वराज-विधान' की योजना पर ध्यान-पूर्वक विचार किया है। परन्तु हमें खेद है कि हमने जो ऊपर शासन-विधान के विषय में अपने विचार प्रकट किये हैं, उसके सामने हम इस समय किसी ऐसे विस्तृत शासन-विधान की शिफ़ारिस करने के लिए असमर्थ हैं, जो ब्रिटिश हिंदुस्तान तथा देशी रियासत दोनों ही के लिए लागू हो।

यह सब जानते हैं कि 'देशी रियासतों' के कहने से किसी ख़ास क़िस्म के राज्य का बोध नहीं होता। शासन संबंधी सुधारों के संबंध में जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, उन्होंने इन देशी रियासतों के बारे में इस प्रकार लिखा है—

"वे (देशी रियासतें) अपनी उन्नति की सब मंज़िलों में—वह मंजिल जब कि घर का सब से बड़ा आदमी राजा हुआ करता था, वह जब कि छोटे छोटे राजा लोग स्वतंत्र तो थे, लेकिन अपने सम्राट को लड़ाई के समय मदद पहुँचाया करते थे, और अब इस समय जब कि कुछ रियासतों ने उन्नति कर ली है—उस राज्य-प्रणाली में जिसमें प्रतिनिधियों की सत्ता रहती है, पिछड़ी ही देखी गई हैं। इन सब के, जिनमें समुन्नत

रियासतें भी आ जाती हैं, राज्य की मुख्य बात यह रही है कि राजा का व्यक्ति गत राज्य रहा है और उसका शासन न्याय-विभाग के संचालन तथा व्यवस्था संबंधी बातों पर भी रहा है ''।

जब तक देशी रियासतों का यह व्यक्तिगत शासन पूरी तौर से बदल न जायगा, तब तक हिन्दुस्तान की एक "देशी रियासत" का यह अर्थ होगा—"वह रियासत जिसका शासक एक राजा होता है," और उस राजा का शासन संबंधी कोई सिद्धान्त नहीं होता। इसमें वैध रूप से बिना राजाओं की सम्मति के, जो स्वयं ही अपनी अपनी रियासतों के प्रतिनिधि हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। श्रीयुत राउ का कहना है कि "देशी रियासतों की प्रजा की परम्परा, रीति-रिवाज, भाव तथा इन सब से ऊपर उसका राज-भक्ति का गहरा भाव, जिसका निकलना कठिन है, और आख़िरी बात उसकी यह प्रबल इच्छा कि हमारी रियासतों की हस्ती क़ायम रहे, ये सब बातें उसको देशी राजाओं के साथ बांधे हुए हैं। इसका नतीजा यह है कि देशी रियासतों के लोगों को आपस की एकता की इच्छा नहीं है, परन्तु वे ब्रिटिश हिन्दुस्तान के साथ एकता चाहते हैं।" श्री० राउ उनकी परम्परा, रीति रिवाज, भाव, और प्रबल राज-भक्ति का ज़िक्र करते समय उनकी आकाक्षाओं की बिलकुल ही उपेक्षा कर गये हैं और उन्होंने संधियों को उड़ा ही दिया है, जो इन देशी रियासतों और सम्राट में, या संयुक्त राज्य की पार्लमेंट में, या किंग-इन कौंसिल में, या भारत-मंत्री में, या वायसराय-इन कौंसिल

में हुई हैं" और यह लिख मारा है कि ये सब संधियाँ उस समय, जब कि नया शासन-विधान पर अमल शुरू होगा, व्यर्थ हो जायंगी। इसके बाद वे देशी रियासतों के लिए इन बातों के मिलने का विश्वास भी दिलाते हैं—"ज्यों की त्यों रियासत, रियासत के भीतर के मामलों में स्वतंत्रता, शासन-विधान की स्थिरता और प्रजा के आवश्यक अधिकार"! परन्तु इनके साथ ऐसी शर्तें लगाई गई हैं, जिनको इन रियासतों ने कभी मंज़ूर नहीं किया है। श्री० राउ यह भी लिखते हैं कि यदि देशी रियासतें उन शर्तों का पालन न करेंगी, तो ये सब उपरोक्त अधिकार छिन जाएंगे। इस संबंध में राउ साहब ने यह नहीं बतलाया है कि उस समय क्या हालत होगी, जब कि देशी रियासतें न तो उन अधिकारों ही को स्वीकार करेंगी और न उन शर्तों ही को और न यह कि उस समय क्या "आवश्यक साधन' उनके विरुद्ध ग्रहण किये जाएंगे, यदि वे उन शर्तों का पालन न करेंगी। देशी रियासतों में किस क़िस्म का राज होगा उसके बारे में राउ साहब का कहना है कि—"वंश परम्परागत एक राजा का राज होगा, यानी ऐसा राज्य होगा, जिसका शासक एक वंश ही का आदमी होता रहेगा। उसके साथ एक जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की एक एसेम्बली होगी और एक कार्य कारिणी सभा होगी, जो एसेम्बली के प्रति उत्तरदायी होगी"। अन्त में श्रीयुत राउ यह लिखते हैं कि "जनता को इस बात के लिए अधिकार प्राप्त होगा कि वह पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग उपस्थित करे, यानी इसका यह अर्थ है कि वह अपने उन

राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संबंध को बिना किसी शर्त के तलाक़ दे देगी, जो ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटिश राष्ट्र-समूह के साथ लगे हुए हैं, और उस हालत में अपने भावी शासन-विधान का विकाश पूर्ण प्रजा तंत्र वाद के आधार पर करे, जब कि ब्रिटिश सरकार तथा हिन्दुस्तान-सरकार ऐसे शासन—विधान के आधार को ना मंज़ूर कर दें।

यहां पर यह दिखलाने की ज़रूरत नहीं है कि राउ साहब की ये शिफ़ारिसें एक दूसरे का विरोध करती हैं, अथवा हमें इन शिफ़ारिसों के वैध आधारों की, जिनके बाहर न जाने के कारणों को हम पहिले ही बतला चुके हैं, आलोचना करने का ज़रूरत नहीं है।

विदेशीय नीति—अब तक हमने हिन्दुस्तान—सरकार और देशी रियासतों के बीच के संबंधों ही के ऊपर विचार किया है। अब हम संक्षेप में हिन्दुस्तान-सरकार तथा विदेशी राज्यों के बीच के संबंधों पर भी विचार करते हैं। हम यह जानते हैं कि एक तरह से उपनिवेशों के मुक़ाबिले हिन्दुस्तान की स्थिति बड़ी अनूठी है। हिंदुस्तान के उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व में बहुत बड़ी थल-सीमा है, जिसके कारण उसका विदेशी राज्यों और अर्द्ध स्वतंत्र जातियों के साथ मिलना-जुलना है। हिन्दुस्तान का विदेशीय विभाग एक विदेशीय मंत्री के हाथ में है, जो वायसराय के अधीन है। उस मन्त्री के अनेक काम हैं—उसको सीमा प्रांत की देख-रेख करनी पड़ती

है, उसको एजेंसी ट्रक्टस' की जातियों की देख-भाल करनी पड़ती है, उसको उत्तर-पश्चिमी प्रान्त तथा अन्य प्रान्तों के अर्द्ध स्वतन्त्र राजाओं से भी बरतना पड़ता है; और कुछ मामलों में उसके विभाग का काम ईरान की खाड़ी और अदन तक भी पहुंच जाता है। उसके विभाग के कुछ मामले—सब नहीं—कभी कभी बहस-मुबाहिसे के लिए केन्द्रीय व्यवस्थापिका का सभा में भी आजाते हैं। उस समय उसको सरकार की नीति का समर्थन या उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। इस विभाग के ऐसे बड़े प्रश्न, जो साम्राज्य से संबंध रखते हैं, हिन्दुस्तान में तै नहीं होते, बल्कि इंगलैंड में हल होते हैं। और हम यह अनुभव करते हैं कि उपनिवेशों के स्वतंत्र रहते हुए एक सुव्यवस्थित राष्ट्र-समूह के लिए यह अनिवार्य है कि उसकी विदेशीय नीति कुछ दर्जे तक कम से कम एक सी होनी चाहिए। परन्तु प्रत्युत, उपनिवेशों में इस विदेशीय नीति का निश्चय अधिकतर आपस के सलाह-मशवरे तथा बहस-मुबाहिस से होता है, न कि साम्राज्य की ओर से निकले हुए फ़रमानों के द्वारा। विदेशीय नीति संबंधी स्वतन्त्रता, जिसको अभी थोड़े ही सालों से कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका और आस्ट्रेलिया द्वारा मांगा गया और भोगा जा रहा है, स्थिर रूप से बढ़ती चली जा रही है, और उसने साम्राज्य की अमन-अमान को भंग नहीं किया है और न उन बड़े बड़े प्रश्नों की एकता की नीति ही पर कोई बुरा असर डाला है, जो विदेशी देशों या रियासतों से संबंध रखते हैं।

हिन्दुस्तान—सरकार वास्तव में उन कर्तव्यों का पालन करती है, जिनके संबंध में ब्रिटिश सम्राट की सरकार और एशिया के कुछ पड़ौसी विदेशी राज्यों से संधि हो चुकी है। हमें इसके लिए कोई वजह नज़र नहीं आती कि जब हिंदुस्तान में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना हो जायगी, तब वह भी इस संबंध में सब कुछ क्यों न कर सकेगा ?

हम इस विदेशीय नीति के प्रश्न की नाज़ुकता को समझते हैं और यह भी जानते हैं कि इस पर एसेम्बली में विचार का होना उचित नहीं है। हम नहीं समझते कि जब कि उपनिवेशों की व्यवस्थापिका सभाएं बुद्धिमानी और विचार-शीलता से काम ले रही हैं, तब हिन्दुस्तान के औपनिवेशिक राज की व्यवस्थापिका सभा इसी प्रकार काम क्यों न करेगी ?

—:※:—

छटवां अध्याय

दूसरे प्रस्ताव

अब हम शासन-विधान के उन मुख्य प्रस्तावों पर विचार करेंगे, जिनको हमने तजवीज़ किया है। ये, जैसे हमने पहिले कह दिया है, औपनिवेशिक राज्य के नमूने के अनुसार तैयार किये गये हैं।

अधिकार-घोषणा—मद्रास-कांग्रेस का प्रस्ताव यह बतलाता है कि शासन-विधान का आधार मुख्य अधिकारों की घोषणा पर होना चाहिए, इस बात पर बहुत ज़ोर दिया गया है और जितने भर ड्राफ्ट शासन-विधानों पर हमने विचार किया है उन सब में ऐसी घोषणा दी हुई है। कनाडा आष्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका के शासन-विधानों में अधिकार-घोषणा नहीं दी हुई है। परन्तु आयरलैण्ड के शासन-विधान में बहुत से ऐसे नियम हैं, जिनको मुख्य अधिकार के नाम से पुकारना उचित है। इसका कारण का पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। केवल आयरलैंड ही एक ऐसा देश है, जहां की हालत सुलह से पहिले क़रीब क़रीब ऐसी थी, जैसी हिन्दुस्तान की है। आयरलैंड के लोगों का सबसे पहिला काम, जैसा कि हमारा है, यह था कि उन मुख्य अधिकारों को प्राप्त किया जाय, जो उनको नहीं मिले हैं। दूसरे उपनिवेशों की उन्नति उन प्राचीन अंग्रेज़ों की उन प्राचीन बस्तियों से हुई है,

जिनके बारे में यह ख़्याल किया जाता है कि यहां के निवासी अपने साथ में इङ्गलैंड की क़ानून को ले गये थे। आयरलैंड को इङ्गलैंड ने जीता और वहां के निवासियों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसपर राज्य किया। इसलिए, आयर्लैंड को औपनिवेशिक राज्य इङ्गलैंड के साथ सुलह करने से प्राप्त हुआ। हमारा यह ख़्याल है कि हिन्दुस्तान की शासन-विधान संबन्धी स्थिति ज़्यादातर वैसी ही है। इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि हिन्दुस्तान ग्रेटब्रिटेन का एक अधीन राज्य है। हिन्दुस्तान की यह स्थिति केवल दो ही प्रकार से बदल सकती है—(१) बल से अथवा (२) आपस के मेल से। इस दूसरे ही साधन के पक्ष में हम को हिन्दुस्तान के लिए शासन-विधान के सिद्धान्तों की सिफ़ारिश करने की आज्ञा हुई है। ऐसा करने के लिए यह स्पष्ट है कि सबसे पहिले हमें अपने मुख्य अधिकारों को इस प्रकार से निश्चित कर लेना चाहिए, जिससे वे किसी हालत में भी हटाये जा न सकें। यूरुप के बहुत से आधुनिक शासन-विधानों ने हमारी अपेक्षा कम कारण उपस्थित करते हुए भी इस प्रकार के अधिकारों के लिए ख़ास नियम बना दिये हैं।

दूसरा कारण, जिसकी वजह से अधिकार-घोषणा को अधिक महत्व दिया जा रहा है, यह है कि हमारे देश में, असाधारणतः साम्प्रदायिक मत-भेद हैं। इस बात के लिए कुछ बचाव और विश्वास की आवश्यकता है कि उन लोगों में, जो एक दूसरे का अविश्वास और सन्देह करते हैं, विश्वास का भाव पैदा

किया जाय। हम सब जातियों के लिए धार्मिक तथा साम्प्रदायिक अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर सकते, जब तक इन अधिकारों को शासन-विधानों के मुख्य सिद्धान्तों में शामिल न किया जायगा।

हमने मुख्य अधिकारों की घोषणा के जो अनेक प्रकार के नियम बनाये हैं, उनसे यह मालूम होगा कि हमने इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रक्खा है।

मौरूसी हक़—सर्वदल-सम्मेलन की पहिली कमेटी ने इस प्रश्न पर पूरा तौर से विचार किया है। हमने उनकी बहुत सी बातों को मान लिया है। हमने मज़दूर और किसानों के अधिकारों के सम्बन्ध में, जिनको पहिली कमेटी ने निश्चय किया था एक स्वतंत्र शिफ़ारिस अधिकार-घोषणा में इस अपवाद के साथ शामिल कर दी है कि "पार्लामेंट काश्तकारों के मौरूसी हक़ और उचित लगान को निश्चय करने के सम्बन्ध में नियम बनाएगी"। हमने इसको इस कारण से नहीं छोड़ा है कि हम मौरूसी हक़ नहीं चाहते, बल्कि इस कारण से छोड़ा है कि हम यह ख़्याल करते हैं कि यदि यह एक मुख्य अधिकार बना दिया गया, तो शायद इससे किसानों की उन्नति में सहायता होने की अपेक्षा रुकावट हो जावे। इस समय हिन्दुस्तान के बड़े बड़े भागों में जो वर्तमान पट्टेदारी की प्रथा है, वह अवांच्छनीय है और उसमें बहुत कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम यह मानते हैं कि किसानों की वर्तमान अवस्था बहुत शोचनीय है। किसी प्रकार की मौरूसी होने से भी उनकी हालत

बहुत कुछ सुधर जायगी। परन्तु यह वास्तव में एक बड़ी लघु-दृष्टि की नीति होगी, यदि हम इस समय कुछ सुख-प्राप्ति की आशा में किसानों के भविष्य के अधिकारों की उपेक्षा कर दें। जब तक यह वर्तमान प्रथा रहेगी, तब तक अधिकार-घोषणा में नियम बना कर किसानों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। अधिकार-घोषणा में वह नियम यह होगा कि हिन्दुस्तान की पार्लामेंट ऐसे उपयुक्त नियम बना दे, जिससे प्रत्येक काम करने वाले को उसके भरण-पोषण-योग्य मज़दूरी मिल जाय।

सड़क आदि के प्रयोग का अधिकार—हमने अधिकार-घोषणा में इस संबंध में एक नियम जोड़ दिया है कि सब नागरिक पबलिक सड़कों, कुँओं तथा अन्य जगहों में जा सकते और उनको बरत सकते हैं। यह बात काफ़ी तौर से स्पष्ट है। परन्तु कुछ विशेष स्थितियों के विचार से और देश के कुछ भागों में कुछ रिवाजों की वजह से हम यह ख़्याल करते हैं कि इस बात पर ख़ास तौर से ज़ोर देना चाहिए।

स्कूल में जाति-भेद का अभाव—कुछ और नियमों में भी कुछ परिवर्तन परिवर्द्धन कर दिये गये हैं। उस नियम में, जिसमें मुफ़्त प्राइमरी शिक्षा के अधिकार का ज़िक्र है, हमने इतना और बढ़ा दिया है कि जो शिक्षा संबंधी संस्थाएं राज्य की होंगी अथवा राज्य से सहायता लेंगी, उनमें भर्ती होने के लिए जाति अथवा धर्म का भेद न माना जायगा।

इस अधिकार के संबंध में हमने यह जोड़ दिया है कि

उस हालत में, जब कि युद्ध अथवा राज-विद्रोह के समय में केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा को बैठक नहीं हो सकती, तब प्रजा-तंत्र की कार्य-कारिणी को इस अधिकार को उस समय तक के लिए, जब तक कि युद्ध अथवा राज-विद्रोह रहे, स्थगित करने का अधिकार होगा। परन्तु कार्य-कारिणी जो कुछ करना उचित समझे, उसकी सूचना उसको जल्द से जल्द केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा को देनी होगी।

कृपाण—हमने अपने साथी सरदार मंगल सिंह की प्रार्थना पर अधिकार-घोषणा में एक नोट दर्ज कर दिया है, जिसमें हमने सिक्खों के इस अधिकार को कि वे हर समय कृपाण रख सकते हैं, स्वीकार कर लिया है।

व्यवस्थापिका सभा—हमारी यह राय है कि केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में दो सभाएँ—(१) सीनेट और (२) प्रतिनिधि-सभा होनी चाहिए और प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा एक ही होनी चाहिए।

मैम्बरों की संख्या—सीनेट में दो सौ मैम्बर होने चाहिए और प्रतिनिधि-सभा में पांच सौ मैम्बर। परन्तु यदि आवश्यकता हो, तो आबादी के लिहाज़ से मैम्बरों की तादाद बढ़ाई भी जा सकती है। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में एक लाख के पीछे, जैसा कि नियम है, एक मैम्बर चुना जा सकता है। परन्तु जिस प्रांत की आबादी दस लाख से कम है, वहां पर अधिक से अधिक सौ मैम्बर हो सकते हैं।

वोट देने का अधिकार—प्रतिनिधि-सभा और प्रान्तीय-कौंसिल के लिए हमारी राय में जितना अधिक से अधिक हो सके, उतना वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिये। हममें से कुछ तो इससे ज़्यादा सहमत थे कि हर एक बालिग़ आदमी वोट दे सकता है और दूसरों की, जो बालिग़ के वोट देने ही के हक़ को अपना लक्ष्य बनाये हुए थे, यह राय थी कि इसको कार्य रूप में परिणित करने में बहुत कठिनाइयां पड़ेंगी। बहुत से प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिनमें बालिग़ आदमी को वोट देने के हक़' के अतिरिक्त ये भी थे—

(१) बालिग़, अपने को रजिस्टर कराने के बाद ही, वोट देने का अधिकारी हो सकता है।

(२) वोट देने वालों की संख्या ६० लाख से बढ़ा कर छः करोड़ कर दी जाय, जिसका निश्चय करने का भार एक कमेटी को सौंप दिया जाय, जो यह बतलावे कि निर्वाचकों की संख्या छः करोड़ कैसे हो सकती है।

(३) इनमें से कोई भी वोट दे सकता है—

(अ) सब आदमी जो मालगुज़ारी, किराया या ज़मीन अथवा घर का महसूल, टैक्स आदि देते हैं।

(ब) सब पढ़े-लिखे आदमी।

(स) सब, जो दस्तकारी से अथवा मानसिक कार्य कर के अपना जीवन निर्वाह करते हैं।

(ड) सब बेकार आदमी, जिनका नाम स्टेट के बेकार आदमियों के रजिस्टर में दर्ज है।

(फ) उस कुटुम्बके आदमी, जिसमें सब लोग साथ साथ रहते हैं।

(ज) चुनने वाले आदमियों की स्त्रियां।

तीसरा प्रस्ताव बालिग़ को वोट देने के अधिकार से बहुत कुछ मिलता जुलता है। हममें से कुछ दूसरे प्रस्ताव को मानने के लिए राज़ी थे। क्योंकि यह वोट के नम्बर को छः करोड़ बढ़ा देता है और इसलिए यह बालिग़ को वोट देने के अधिकार वाले प्रस्ताव तक पहुंचने के लिए एक साधन है। ब्रिटिश भारतवर्ष में हमको सम्भवतः १२ करोड़ मनुष्य ऐसे मिल जाएंगे, जो बालिग़ को वोट देने के हक़ के कारण वोट देने के अधिकारी होंगे। दूसरे प्रस्तावसे इनके आधे वोट मिल सकते हैं। इसलिए, इस दूसरे प्रस्ताव से भी बहुत आगे बढ़ा जा सकेगा। परन्तु फिर भी इस प्रस्ताव के मानने में बहुत सी कठिनाइयां पड़ेंगी। आज कल भिन्न भिन्न जातियों में जो वोटों का अनुपात है, वह उनकी आबादी में नहीं है। इसलिए, पंजाब में यद्यपि मुसलमानों की संख्या हिन्दू और सिक्खों को मिला कर भी अधिक है, तौ भी उनकी वोटों की संख्या हिन्दू और सिक्खों की वोटों से बहुत कम है। इसका कारण मुसल्मानों के मुक़ाबिले हिन्दुओं और सिक्खों की अच्छी आर्थिक अवस्था का होना है। हमारी राय में इस बेक़ायदगी का नाश होना चाहिये और वोट आबादी के लिहाज़ से पड़ने चाहिए।

यह बालिग़ को वोट देने के हक़ से अपने आप हो जाता है। लेकिन अन्य वोट-अधिकारों के लिए, जो सीमित हैं, केवल एक ही रास्ता इस दर्जे को प्राप्त करने का है और वह यह है कि भिन्न भिन्न गिरोह और जातियों के लिए वोट देने की भिन्न भिन्न योग्यता होना आवश्यक है। इसलिए, भिन्न भिन्न जातियों के प्रतिनिधि चुनने का आधार एक सा नहीं हो सकता और इस बात से किसी किसी गिरोह को शिकायत भी होगी। इसी कारण हमको बालिग़ को वोट देने के हक़ ही को मानना पड़ा है और इसी को अपनाने के लिए हमने राय दी है। हम जानते हैं कि 'सीलौन रिफ़ार्म कमीशन' भी इसी नतीजे पर पहुंचा है। उसके अनुसार सब बालिग़ मर्दों को वोट का अधिकार प्राप्त है। परन्तु औरतों में सिर्फ़ वेही वोट दे सकेंगी, जो ३० साल से ज़्यादा उम्र की हैं। चुनाव को इस प्रकार सीमित करने का कारण वोटों की मुनासिब संख्या रखने का है। लेकिन हमको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। एक प्रजा-तंत्र-राज्य के शासन-विधान में वोटों की संख्या को इस प्रकार सीमित करना एक प्रकार से प्रजा-तंत्र में संकीर्णता पैदा करना है। बालिग़ को वोट देने का अधिकार वाले प्रस्ताव को काम में लाना एक कठिन बात है। ऐसा कहना एक बिलकुल दूसरी बात है। लेकिन जब हमने यह सोच रक्खा है कि हमको वह उत्तरदायी राज्य मिलना चाहिए, जो इसका सच्चा अर्थ बतलाता है, तो फिर चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, वह हमको सब झेलनी पड़ेंगी। "सीलोन रिफ़ार्म कमीशन" ने एक

नई तरह की सरकार को पैदा किया है, जिसका दुनियाँ के शासन-विधानों में कोई सानी नहीं है। वह चाहे जो कुछ हो, लेकिन वह किसी अर्थ में भी उत्तरदायी-राज्य नहीं है। और हम लोगों को केवल ऐसे राज्य से काम है, जो उत्तरदायी हो। इस वास्ते हम स्त्रियों के वोट देने के अधिकार के लिए कोई भी शर्त लगाने की राय नहीं देते, जैसे कि हमने मर्दों सम्बन्ध में नहीं दी है।

तमाम बालिग़-आदमियों को वोट देने का अधिकार बड़ी कामयाबी के साथ छोटे रूप में शिरोमणि गुरुद्वारा- प्रबंधक-कमेटी के चुनाव में काम आया है। ये चुनाव तमाम पंजाब में होते हैं। इसको बड़े रूप में काम में लाने के मानी ये हैं कि जो काम छोटे रूप में हो रहा है, उसको और बढ़ा दिया जाय। हम नहीं समझते कि ऐसी बढ़ती, जिसमें दुःख उठाना और ख़र्चा करना पड़ेगा, ऐसी हालत में भला क्यों मुनासिब समझी जानी चाहिए, जब कि वह उत्तरदायी-राज्य की नींव डालने के लिए अति आवश्यक है।

हम ऐसे एतराज़ों पर, जो आज कल के बहुत से लोगों की अज्ञानता और उनकी राजनीतिक शिक्षा की कमी पर निर्भर हैं, अधिक ज़ोर नहीं देते। पढ़े-लिखों की संख्या के कम होने के कारण वे ही एतराज़ बहु-संख्यक वोटरों के लिए भी लागू होंगे, चाहे जितनी वोट देने के अधिकार पर शर्त लगायी जांय। इसका न तो कोई कारण है, न इसमें कोई न्याय है कि हम एक आदमी की ओर से, जो कुछ कमाता है,

यह समझ लें कि उसको राजनीतिक शिक्षा प्राप्त है, और दूसरे मनुष्य की ओर से, जो उससे कुछ कम कमाता है यह समझ ले कि उसको राजनीतिक शिक्षा प्राप्त नहीं है। राजनीतिक ज्ञान, जो राजनीतिक संस्थाओं में पूरी तरह से भाग लेने पर प्राप्त हो सकता है, पूरी तौर से शिक्षा पर निर्भर नहीं है। इस ज्ञान के प्राप्त करने के लिए हर एक को बराबर अवसर दिया जाना चाहिए। दुनियां में सबसे अधिक उन्नतिशील देशों ने भी बालिग़ को वोट देने के अधिकार को देने के लिए अपने यहां के सब लोगों को सुशिक्षित होने का इन्तज़ार नहीं किया था। तो फिर यह इन्तज़ार भारतवर्ष को क्यों करना चाहिये?

सीनेट—सीनेट के सम्बन्ध में हमारी शिफ़ारिस यह है कि इसके लिए मैम्बर प्रान्तीय सभाओं ही से चुने जाने चाहिए। और प्रत्येक सूबे के लिए मैम्बरों की कोई ख़ास तादाद मुक़र्रिर कर देनी चाहिए, जो आबादी के आधार पर तथा किसी कम से कम तादाद तक निश्चित होनी चाहिए।

सर्वदल-सम्मेलन की पहिली कमेटी के बहुत से मैम्बरों की यह राय थी कि सीनेट के लिए वोट देने का अधिकार सीमित होना चाहिये। यद्यपि उनमें से थोड़े से मैम्बर हम लोगों की इस राय से सहमत थे। बड़ी सभा के मैम्बरों को अगर जनता चुने, तो उस सभा के मैम्बर या तो संकीर्ण तथा परिमित वोटों पर चुने जाएंगे या उन वोटों पर चुने जाएंगे, जिन पर छोटी सभा के मैम्बर चुने

जाएंगे। जब बड़ी प्रतिनिधि सभा के मैम्बर दूसरी हालत के अनुसार चुने जावेंगे, तब इसका यह मतलब होगा कि वह केवल एक दूसरी ही छोटी सभा बन जायगी। इसलिए, इस प्रकार का चुनाव अनावश्यक होगा। और अगर पहिली हालत के अनुसार चुनाव हो, तो उस हालत में बहुत कम जनता के प्रतिनिधि आ सकेंगे, और उसमें हमेशा उलझन पड़ने और झगड़ा होने की सम्भावना है। दूसरी सभा में ऐसे मैम्बरों का होना उचित नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है और जिनका उद्देश्य अपने हितों की रक्षा करना और सब प्रकार के उदार साधनों में रुकावट डालना है। जब कि इसके पक्ष में केवल यह बात है कि छोटी सभा से जो प्रस्ताव आएंगे, उनपर शांति पूर्वक विचार किया जा सकेगा, न कि गरम वादाविवाद के साथ जैसी कि छोटी सभा में विवादास्पद मसलों पर होने की सम्भावना है। हिंदुस्तान के लिए विशेष रूप से इसलिए आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर साम्प्रदायिक मत-भेद है। इसलिए सीनेट के चुनाव का नतीजा यह होगा कि या तो छोटी एक और सभा पैदा हो जायगी, या ऐसी विद्रोही सभा पैदा हो जायगी, जिसका उद्देश्य केवल अपने कुछ हितों को प्राप्त करना होगा। हमने जो चुनाव के दूसरे तरीके को तजवीज़ किया है, उसमें यह कठिनाई उपस्थित नहीं होती है। उन निर्वाचकों (वोटरों) के होते हुए, जो अच्छे ऊंचे दर्जे के समझदार लोग हों, कुछ मौका है कि योग्य आदमियों का चुनाव होगा। यानी ऐसे आदमी चुने जाएंगे, जो इधर-उधर की चिल्लाहट की, जो आज कल के

प्रजा-तंत्र-राज्य के चुनाव में होती है, कुछ भी परवा नहीं करेंगे। इनके निर्वाचक लोगों को आधार, यद्यपि वे संख्या में होंगे, कोई पद या हित या न होंगी। इससे, हमारा यह ख़्याल है, कि देश के निर्वाचकों की मनोवृति का पता लगेगा। इसमें लघु-संख्यक जाति तथा अन्य विशेष जातियों के मेम्बरों के चुने जाने का ज़्यादातर मौक़ा रहेगा। ख़ास तौरसे उस समय, जैसी कि हमारी शिफ़ारिस है, जब कि सीनेट के लिए संख्यानुसार चुनाव किया जायगा।

इस प्रस्ताव के मान लेने से एक और फ़ायदा होगा। केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के प्रतिनिधि सीधे पहुंच जाएंगे और इस प्रकार सीनेट में प्रान्तीय विचार प्रगट हो सकेंगे। यह ख़ास तौर से आवश्यक है कि प्रान्तीय सभाओं और केन्द्रीय सभा में सहयोग रहे और शासन-विधान का काम संगठित रूप से होता रहे।

हमने यह तजवीज़ किया है कि संख्यानुसार कम से कम कुछ जगह प्रत्येक प्रान्त के लिए निश्चित कर देनी चाहिये। हम ने यह निश्चित नहीं किया है कि वह कम से कम संख्या क्या होगी। हमारा यह ख़्याल है कि यद्यपि संख्यानुसार प्रत्येक प्राँत के लिए जगह निश्चित होनी चाहिये। परन्तु इस नियम का पूर्ण रूप से पालन न होना चाहिये, ताकि छोटे प्रान्तों के भी प्रतिनिधि काफ़ी आ सकें। उदाहरणार्थ कुछ देशों में जैसे अमेरिका के संयुक्त राज्य में सब रियासतें जन-संख्या का कुछ ख़्याल न करके सीनेट के लिए अपने प्रतिनिधियों को बराबर

बराबर भेजती हैं। यह संभव है कि हमारे देश के प्रान्तों के क्षेत्र-फल और जन-संख्याओं में जो अन्तर है, उसको देखे यह बराबर बराबर प्रतिनिधि भेजने का सिद्धान्त उचित न मालूम पड़े। परन्तु सीनेट के एक प्रान्त और दूसरे प्रान्त के मैम्बरों में जो अन्तर होगा, वह किसी अनुपात से होना चाहिए।

व्यवस्थापिका सभाओं का समय—हम यह तजवीज़ कर चुके है कि प्रतिनिधि-सभा का समय ५ साल और सीनेट का समय ७ सात साल होना चाहिये।

कार्य विभाग—हमने पहिली कमेटी की बहुत सी शिफ़ारिसों को मान लिया है। परन्तु हमने उनमें कुछ जोड़ भी दिया है और कई परिवर्तन भी कर दिये हैं। हमने केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के किसी विषय के लिए सम्मिलित अधिकारों की शिफारिस नहीं की है। सम्भव है इससे झगड़ा पैदा हो जाय। इसलिए, हमने इन दोनों सभाओं के कामों को इस प्रकार पूर्ण रूप से अलग अलग करने की कोशिश की है कि एक का काम दूसरे के काम से मिल न जाय।

इन सभाओं के लिए जो और नियम बनाए गये हैं, वे उपनिवेशों के ऐक्टों के अनुसार बनाये गए हैं। केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में प्रतिनिधि-सभा को यह पूर्ण अधिकार दिया गया है कि वह धन सम्बन्धी बिलों पर विचार कर सकेगी।

कार्य कारिणी सभा—हम यह शिफ़ारिस कर चुके हैं कि हिन्दुस्तान-राष्ट्र की कार्य-कारिणी सभा में एक प्रधान मंत्री होगा और शेष छः से अधिक मंत्री न होंगे। शायद इन मंत्रियों

की संख्या इस विचार से बढ़ाई जा सकेगी कि देश की सब भिन्न भिन्न जातियों के विचार मालूम हो सकें। परन्तु हम इसको पसन्द नहीं करते और प्रान्तीय स्वराज्य की दृष्टि से, जिसके हम पक्ष में हैं, हम यह ख़्याल करते हैं कि केन्द्रीय कार्य-कारिणी सभा में सात मन्त्रियों का होना काफ़ी होना चाहिये। यह कार्य-कारिणी सभा व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

प्रान्तीय कार्य-कारिणी सभा के लिए हमने ५ मंत्रियों को तजवीज़ किया है, जिनमें से एक प्रधान मंत्री होगा और शेष ४ साधारण मंत्री।

केन्द्रीय और प्रान्तीय कार्य-कारिणी सभाओं के अधिकार वैसे ही रहेंगे, जैसे इन सभाओं के अधिकार उपनिवेशों के शासन-विधानों में हैं।

न्यायालय—हमने हाईकोर्टों के अलावा एक सुप्रीम कोर्ट की शिफ़ारिस की है और हमने यह तजवीज़ किया है कि साधारणतः सुप्रीम कोर्ट की कोई अपील सिवाय कुछ ख़ास हालतों के, जिनको हमने स्पष्ट कर दिया है, राजा की कौंसिल में न जाने पावे।

सुप्रीम कोर्ट—हम उन मामलों की तरफ़ विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में आते हैं। इनमें से जो मामले सब से अधिक महत्वपूर्ण हैं, वे संधियों, अहदनामों, सनदों और ऐसे ही दूसरे काग़ज़ों से, जो हिन्दुस्तान

राष्ट्र और देशी रियासतों के बीच में लिखे गये हैं, सम्बन्ध रखते हैं। और जिनको वाइसराय अपनी कौंसिल की सलाह से और देशी रियासत की राज़ी से सुप्रीम कोर्ट के सामने फ़ैसले के लिए पेश कर सकता है।

मालगुज़ारी—राष्ट्र की मालगुज़ारी को केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों में बांटना और रक्षा, शिक्षा तथा अन्य आवश्यक मामलों के ख़र्च के लिए रुपये को निश्चित करना एक कठिन काम है, जिसके लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है।

तहक़ीक़ाती कमेटी—हमने यह शिफ़ारिस की है कि हिन्दुस्तान में प्रजा-तंत्र-राज्य स्थापित हो जाने के बाद ही एक कमेटी निम्न लिखित मामलों की तहक़ीकात करने के लिए नियुक्त की जाय—

(१) मालगुज़ारी की मद्दों को हिन्दुस्तान राष्ट्र-और उसके प्रांतों में बांटना और

(२) केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के मालगुज़ारी के सम्बन्धों को निश्चित करना।

शिफ़ारिस करते समय हमने दक्षिणी अफ़्रीका की सरकार के शासन-विधान की ११८ धारा को बहुत उपयुक्त समझ कर अनुशीलन किया है। हमने इस कमेटी को एक और भी काम सुपुर्द कर दिया है, जो यह है—

(१) अफ़सरों की ट्रेनिंग—यह एक ख़ास कमेटी नियुक्त

करे जो जल, थल और वायु-सेनाओं के अफ़सरों की ट्रेनिंग के सम्पूर्ण प्रश्न की जांच करे, और इस ट्रेनिंग को देने के लिए स्कूल और कालिजों की स्थापना के विषय में भी विचार करे।

(२) प्राइमरी शिक्षा और पिछड़ी हुई जातियां—यह एक और कमेटी नियुक्त करे, जो देश भर में प्राइमरी शिक्षा के प्रचार के बारे में और पिछड़ी हुई जातियों की शिक्षा सम्बन्धी विशेष सुविधाओं के उपस्थित करने के विषय में जांच करे और अपनी रिपोर्ट दे।

(३) यह कमेटी और भी ऐसी कमेटियों को नियुक्त करे, जिनको वह आवश्यक समझे।

हम यह ख़्याल करते हैं कि हमने जिस कमेटी की शिफ़ारिस की है, वह अकेली बिना इन उपरोक्त कमेटियों की सहायता, के, जिनमें अधिकतर अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ रहेंगे, एक पूरी रिपोर्ट के तैयार करने में समर्थ नहीं हो सकती।

सिविल सर्विस—हमने यह शिफारिस की है कि हिन्दुस्तान में प्रजा-तंत्र-राज्य के स्थापित होने पर एक कमेटी पब्लिक सर्विस की जांच करने के लिए भी नियुक्त होनी चाहिये। हिन्दुस्तान के प्रजा-तंत्र का अपनी स्थापना के समय यह एक पहिला कर्तव्य होगा कि वह पब्लिक सर्विस के महकमों का फिर से संगठन और प्रबन्ध करे। यह एक बड़ी बदनामी की बात है कि आज कल के हिन्दुस्तान के राज्य-प्रबन्ध के उच्च कर्मचारियों की तनुख़्वाहें संसार के सब देशों के कर्मचारियों से

इस हालत में भी सब से ज़्यादा हैं, जब कि यह देश ग़रीबी के कारण पिसा जा रहा है। हिन्दुस्तानके राष्ट्र के सामने पहिली समस्या यह होगी कि उसको रक्षा, शिक्षा, व्यवसाय, सफ़ाई तथा ऐसे ही अन्य कामों के लिए रुपये की आवश्यकता होगी। हमारे लिए यह सम्भव न हो सकेगा कि हम सिविल और मिलिटरी सर्विस के लिए ऐसे कर्मचारियों को रक्खें, जिनकी तनख़्वाहें बहुत बड़ी हैं। इसलिए,हम को देश की उन्नति के लिए इन कर्मचारियों की तनख़्वाहों को घटाना होगा। हिन्दुस्तान के लोग या यह कहना चाहिये कि वे लोग, जो बोल सकते हैं इन कर्मचारियों की भारी भारी तनख़्वाहों का विरोध करते आये हैं। परन्तु इस सब बिरोध का जवाब हमारे सामने केवल 'ली कमीशन' के रूप में उपस्थित किया गया है। यह कमीशन, जैसा कि सब को मालूम है, सब हिन्दुस्तानियों के विरोध करने पर भी नियुक्त किया गया था और बाद को इसकी शिफ़ारिसें हिन्दुस्तान की व्यवस्थापिका सभा के विरोध करने पर भी मान ली गई हैं। इसलिए, हम ख़्याल करते हैं कि भविष्य में सिविल और मिलिटरी सर्विस की भर्ती के साधनों और तरीकों के सम्पूर्ण प्रश्न, लाभ, पेंशन और भत्ता आदि के सम्बन्ध में नयी, जो राजनीतिक परिस्थिति में नये शासन-विधान के कारण उपस्थित होगी, जांच करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमने एक ख़ास पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति के लिए शिफ़ारिस की है। यह कमीशन अपना काम उस समय समाप्त कर देगा, जब पब्लिक सर्विस का फिर से

संगठन और प्रबन्ध हो जायगा। परन्तु हमने उन अफ़सरों के लिए, जो हिन्दुस्तान के प्रजा-तंत्र-राज्य के स्थापित होने के समय नौकरी में होंगे, काफ़ी सब प्रकार की स्वतन्त्रता दे दी है। वे चाहें तो नौकरी में रह सकते हैं या चाहें तो पेंशन लेसकते हैं। हमने पेंशन लेने के सम्बन्ध में ३ साल का समय दिया है यानी प्रजा-तंत्र की स्थापना होने के बाद के ३ साल के अन्दर वे उन्हीं शर्तों के साथ पेंशन ले सकेंगे, जो शर्तें प्रजा-तंत्र की स्थापना के आरम्भ के समय में होंगी।

फ़ौजी नौकरी—हमने ऐसे ही उपरोक्त नियम उन अफ़सरों के लिए बनाये हैं, जो नये शासन-विधान के आरम्भ के समय थल-सेना, जल-सेना, रायल इंडियन मैराइन, और हिंदुस्तान की वायु-सेना में होंगे।

रक्षा—हमने इस सम्बन्ध में यह तजवीज़ किया है कि निम्न लिखित पदाधिकारियों की एक रक्षा-कमेटी बनायी जाय—

(१) प्रधान मंत्री

(२) रक्षा-मंत्री

(३) विदेशीय कार्य-मंत्री

(४) स्थल-सेनापति

(५) वायु-सेनापति

(६) जल-सेनापति

(७) जनरल स्टाफ़ का चीफ़ अफ़सर

(८) और (९) दो विशेषज्ञ

इस कमेटी का काम सेना सम्बन्धी प्रश्नों के बारे में राज्य को सलाह-मशवरा देना होगा और इस सम्बन्ध में भी सलाह-मशवरा देना होगा कि हिन्दुस्तान की रक्षा का विचार करते हुए सेना के ख़र्च में कमी हो सकती है या नहीं, और यदि हो सकती है, तो किस प्रकार। हमने यह भी तजवीज़ किया है कि सेना-विभाग के ख़र्च का अन्दाज़ इस कमेटी की शिफारिसों के अनुसार करना चाहिये। हमारा यह विश्वास है कि इन नियमों के द्वारा सेना की कार्य-क्षमता और उसकी साधारण व्यवस्था निश्चय रूप से प्राप्त हो जायगी।

इस सम्बन्ध में हमने जो और शिफारिसें भी की हैं, उनके लिए सातवां अध्याय देखा जाय। इस अध्याय में ये विस्तार पूर्वक दी गयी हैं।

—:*:—

सातवां अध्याय

शिफ़ारिश

हमने सम्पूर्ण शासन-विधान को उस सफ़ाई के साथ तैयार करने की कोशिश नहीं की है, जिसकी, उसको व्यवस्थापिका सभा के सामने बिल की शक्ल में रखने के लिए, ज़रूरत होती है। हमने जो शिफ़ारिसें की हैं, वे उसी तरह की हैं, जो एक बिल में हुआ करती हैं। परन्तु उनको न तो वैसा ही समझना चाहिए, और न उनके बारे में यह ख़्याल करना चाहिए कि उनका इस मतलब के अलावा कि वे उन सिद्धान्तों को प्रकट करती हैं, जो शासन-विधान से सम्बन्ध रखते हैं, कोई और मतलब है। बस इसी के लिए हमें हिदायत भी की गई थी। यह तो ड्राफ बनाने वाले का काम है, जो इन शिफ़ारिसों को बिल के रूप में रक्खेंगे और जो उसमें उन प्रचलित तथा महत्व पूर्ण बातों को और ऐसी बातों को, जिनको हमने छोड़ दिया है, बताएंगे। हम यहां पर यह कह देना चाहते हैं कि जो ड्राफ्ट हमारे सामने रक्खे गये हैं, उनमें कुछ बड़े महत्व के हैं। लेकिन वे हमारे लिए महत्व के नहीं है, वलिक उन लोगों के लिए अधिक महत्व के हैं, जो बिल तैयार करेंगे। कुछ मामलों के बारे में हमने भी विस्तार-पूर्वक लिखा है। लेकिन यह हम सिर्फ़ इत्तफ़ाक़ से कर गये हैं। हमने इस

सम्बन्ध में अधिकतर उपनिवेशों के शासन-विधानों से जैसे डाक्टर बिसेंट के कामन वैल्थ आफ़ इंडिया बिल, और उनके ड्राफ्टों से, जिनको श्री० विजय राघवाचार्य, श्री० श्रीनिवास अयंगर, श्री० रंगा स्वामी अयंगर, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने तैयार किये हैं, और गवर्नमेंट आफ़ इंडिया एक्ट से सहायता ली है। और इनमें हमें बहुत सी जगहों पर हमें इबारत में और कहीं कहीं और भी अधिक महत्व पूर्ण परिवर्तन करने पड़े हैं। हमने प्रस्तावना भी छोड़ दी है और परिभाषाएं भी। परिभाषाओं में हमने सिर्फ 'नागरिक' की परिभाषा रक्खी है, जिसको सर्व-दल-सम्मेलन की पहिली कमेटी ने निश्चित कर दिया था। अब हम उन शिफ़ारिसों को उपयुक्त शीर्षक दे दे कर यहां लिखते हैं—

हिन्दुस्तान का वैध पद

(१) ब्रिटिश साम्राज्य में, जो राष्ट्र-समूह कहलाता है, हिंदुस्तान का वही वैध पद होगा, जो कनाडा के उपनिवेश, आस्ट्रेलिया की कामन वैल्थ, न्यूज़ीलैंड के उपनिवेश, साऊथ अफरीका की यूनियन और आयरलैंड के स्वतंत्र राज्य का है। इसके अनुसार हिंदुस्तान में एक पार्लामेंट होगी, जो हिंदुस्तान की अमन—अमान और अच्छे राज्य—प्रबंध के लिए व्यवस्था (क़ानून) तैयार करेगी और जिसकी कार्य कारिणी सभा उसके प्रति उत्तरदायी होगी। इस क़िस्म का हिन्दुस्तान का राज्य प्रजा-तंत्र-राज्य कहलाएगा।

शासन-विधान और क़ानून

(२) इस एक्ट और उन सब क़ानूनों पर चलने के लिए, जिनको प्रजा-तंत्र की पार्लामेंट तैयार करेगी, उसके शासन में, हर एक सूबे और प्रजा-तंत्र के हर एक भाग की कचहरियाँ और लोग वाध्य होंगे, बावजूद हिन्दुस्तान की केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के कानूनों के या संयुक्त राज्य (ग्रेट ब्रिटेन) के किसी एक्ट के क़ानूनों के, जिनका सम्बन्ध हिन्दुस्तान से भी है। हिन्दुस्तान के प्रजा-तंत्र के क़ानून हिंदुस्तान के समुद्रों के लिए भी लागू होंगे।

नागरिक की परिभाषा

(३) जहां कहीं इस शासन-विधान में 'नागरिक' शब्द आया है; वहां उसके मानी उस प्रत्येक मनुष्य से हैं, जो (अ) हिंदुस्तान के प्रजा-तंत्र-राज्य के अन्दर पैदा हुआ हो या उसका बाप या तो यहां पैदा हुआ हो, या यहां का निवासी हो गया हो, और वह किसी दूसरे देश का निवासी न हो। और (ब) जो प्रजा-तंत्र-राज्य का उस क़ानून के अनुसार, जो प्रचलित है, हिंदुस्तान का निवासी होगया है।

मतलब—इसका मतलब यह है कि वह नागरिक, जो एक विदेशी देश का नागरिक है, हिन्दुस्तान के प्रजा-तंत्र-राज्य का नागरिक उस समय तक नहीं हो सकता है, जब तक वह उस विदेशी देश की नागकरिकता को, उस तरीक़े से, जिस तरह क़ानून कहे, छोड़ न दे।

प्रारंभिक अधिकार

(४)—(१) राज्य की व्यवस्थापिका कार्यकारिणी तथा न्याय सम्बन्धी सब शक्ति जनता की होगी और उसी शक्ति के ऊपर हिंदुस्तान का प्रजा-तंत्र-राज्य उन संस्थाओं के अनुसार, जो इस शासन-विधान के द्वारा या उसके नीचे या उसकी सह-मति से स्थापित होंगी, अमल करेगा।

(२) किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण न होगा और न उसका घर अथवा ज़मीन—जायदाद ही ज़ब्त की जायगी। यदि ऐसा होगा भी, तो केवल उसी समय, जब कि वह क़ानून के मुआफ़िक़ हो।

(३) अन्तःकरण की स्वतन्त्रता, और धर्म को मानने और उस पर चलने की स्वतन्त्रता हर आदमी के लिएहै। लेकिन यह स्वतन्त्रता केवल उसी समय तक के लिए है, जब तक वह पबलिक की अमन—अमान या उसके धर्माचार को हानि नहीं पहुँचाती।

(४) अपनी स्वतंत्र राय देने, शांति-पूर्वक बिना शस्त्र-अस्त्र के सभा करने, और सभा—सुसाइटियां क़ायम करने का अधिकार ऐसे मामलों के लिए है, जो पबलिक की अमन-अमान अथवा धर्माचार का विरोध न करे।

(५) हिंदुस्तान के प्रजा-तंत्र-राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा सब को मुफ़्त मिलेगी। इसके लिए किसी शिक्षासंबन्धी संस्था में भर्ती होने के लिए, चाहे वह संस्था राज्य की हो, अथवा

उसको राज्य की ओर से सहायता मिलती हो, किसी जाति-पांति या धर्म की क़ैद नहीं है। और इस अधिकार पर उस समय फ़ौरन अमल होगा, जब कि योग्य कर्मचारियों द्वारा उचित प्रबंध कर दिया जायगा।

(६) क़ानून के सामने सब नागरिक एक समान हैं और सब के अधिकार एक हैं।

(७) फ़ौजदारी की कोई क़ानून, वह ऐसी न होगी, जो किसी के साथ कुछ और, और किसी के साथ कुछ और हो।

(८) एक आदमी उस समय अपने किसी काम के लिए दण्ड का पात्र न होगा, जिस समय वह काम क़ानूनन दंड-योग्य नहीं है।

(९) किसी क़िस्म का ऐसा दंड, जो शरीर से सम्बन्ध रखता हो अथवा जिससे शरीर को किसी क़िस्म का कष्ट पहुंचता हो, क़ानूनन वर्जित होगा।

(१०) हर नागरिक के क़ैद से छुटने के लिए परवाना हासिल करनेका अधिकार होगा। ऐसा अधिकार युद्ध अथवा विद्रोह में केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के एक्ट के अनुसार स्थगित हो जायगा, या, यदि व्यवस्थापिका सभा का अधिवेशन न हो रहा हो, तो, वायसराय अपनी कौंसिल की सलाह से उसको स्थगित कर देगा। वायसराय इसकी सूचना, जल्द से जल्द, व्यवस्थापिका सभा के लिए देगा। इसके बाद व्यवस्थापिका सभा जैसा उचित समझेगी, वैसा काम करेगी।

(११) हिन्दुस्तानके प्रजा-तंत्र-राज्य का अथवा उसके किसी सूबे

का कोई धर्म न होगा और न राज्य किसी धर्म की किसी तरह से सहायता करेगा, या किसी धर्म के सिद्धान्त अथवा पद का ख़याल करके उस को अच्छा या बुरा कहेगा।

(१२) एक आदमी, जो राज्य के स्कूल में पढ़ा है, या जिसने राज्य से सहायता पाई है, या उसने किसी और पबलिक रुपये को लिया है, राज्य की ओर से किसी स्कूल में धार्मिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए मजबूर न किया जायगा।

(१३) किसी आदमी को उसकी जाति या धर्म के कारण किसी प्रकार—सरकारी नौकरी, अधिकार का पद, या ख़िताब न देकर या उसको किसी पेशे या तिजारत को न करने देकर कष्ट न दिया जायगा।

(१४) सब नागरिकों को पबलिक सड़कों पर चलने, पबलिक कुंओं तथा अन्य पबलिक स्थानों के बरतने के लिए समान अधिकार होगा।

(१५) हर एक क़िस्म की सभा—सुसाइटी बनाने और मज़दूरों की अवस्था तथा आर्थिक दशा की उन्नति करने के लिए स्वतन्त्रता होगी। जो संधियां या क़ानून इस क़िस्म की स्वतन्त्रता को रोकेंगे, वे ग़ैर—क़ानूनी समझे जायंगे।

(१६) नौकरी को छोड़ना या किसी से नौकरी छुड़ाने की कोशिश करना जुर्म क़रार न दिया जायगा।

(१७) पार्लमेंट तन्दुरुस्ती, नागरिकों की काम करने की योग्यता, काम करने वाले के लिए भरण-पोषण योग्य आजी-

विका, जच्चा-बच्चा की रक्षा, बुढ़ापे के रुपये-पैसे के कष्ट, दुर्बलता और बे रोज़गारी के सम्बन्ध में उपयुक्त नियम बनाएगी।

(१८) हर एक नागरिक हथियार बांध और रख सकेगा यह वह उन नियमों के अनुसार कर सकेगा, जो इस सम्बन्ध में तैयार किये जाएंगे।

(१६) स्त्री और पुरुष, दोनों के नागरिक की हैसियत से समान अधिकार होंगे।

नोट—यद्यपि उपरोक्त चौथी धारा के ख़िलाफ़ कोई नियम बन भी जाय, परन्तु सिक्ख लोग तो भी अपनी कृपाण को अपने साथ में रख सकेंगे।

पार्लमेंट

(५) प्रजा-तंत्र-राज्य की व्यवस्था सम्बन्धी शक्ति पार्लामेंट को प्राप्त होगी, जिसमें किंग (राजा), सीनेट और प्रतिनिधि-सभा होगी।

(६) वायसराय को राजा नियुक्त करेगा और वायसराय प्रजा-तंत्र-राज्य में, राजा की राज़ी से, इस शासन-विधान के अनुसार राजा के उन काम और अधिकारों को प्राप्त करेगा, जिनको राजा उसको सुपुर्द करेगा।

(७)—(अ) हिन्दुस्तान की मालगुज़ारी में से राजा को वायसराय की वेतन देने के........रुपया सालाना दिया जायगा, जो, जब तक प्रजा-तंत्र-राज्य की

पार्लामेंट इस के खिलाफ़ कोई नियम बनावे, तब तक उसकी फ़हरिस्त के मुआफ़िक़ होगा।

(ब) वायसराय के वेतन में उसकी नौकरी के समय में कोई परिवर्तन न हो सकेगा।

(८) सीनेट में २०० मेम्बर होंगे, जिनको सब सूबों की कौंसिलें चुनेंगी। प्रत्येक कौंसिल के लिए आबादी के लिहाज़ से कुछ जगह नियत कर दी जायंगी और यह भी निश्चित कर दिया जायगा कि एक सूबे के लिए इतनी जगहों से कम न होंगी।

(९) प्रतिनिधि—सभा में ५०० मेम्बर होंगे, जो उन हल्कों से चुने जाएंगे, जो क़ानून से निश्चित किये जाएंगे। प्रत्येक स्त्री-पुरुष को, जिसकी उम्र २१ साल की है और जो क़ानून से अयोग्य नहीं हुआ है, वोट देने का अधिकारी होगा। इसके साथ शर्त यह है कि यदि पार्लामेंट आवश्यक समझेगी, तो वह समय समय पर इन मेम्बरों की तादाद को बढ़ा सकेगी।

(१०)—(१) हर एक प्रतिनिधि-सभा अपनी पहिली बैठक के बाद ५ साल तक रहेगी और प्रत्येक सीनेट ७ साल तक लेकिन इसके साथ ये शर्तें हैं—

(अ) दोनों सभाओं में से किसी को वायसराय उनकी अवधि के समाप्त होने के पहिले अपनी कौंसिल की सलाह लेकर बरख़ास्त कर सकेगा।

(ब) वायसराय इन दोनों में से किसी के समय को यदि वह

किसी ख़ास वस्तु-स्थिति में उचित समझता है, तो बढ़ा सकता है।

(स) वायसराय दोनों में से किसी सभा के बरख़ास्त हो जाने के ६ माह के बाद, उस सभा के दूसरे अधिवेशन के लिए तारीख़ मुक़र्रर करेगा।

(२) वायसराय इन दोनों सभाओं में से किसी के अधिवेशनों के समय तथा स्थान को जैसा उचित समझे, वैसा बदल सकता है और जब तब अपने नोटिस से या किसी दूसरे तरीक़े से इन अधिवेशनों को मुल्तवी कर सकता है।

(३) इन सभाओं के अधिवेशनों को इनके सभापति मुल्तवी कर सकते हैं।

(४) दोनों सभाओं में से हर एक सभा के सब प्रश्न सभापति को छोड़ कर उपस्थित मैम्बरों की बहु-संख्या द्वारा निश्चित होंगे। सभापति उस समय, जब कि किसी प्रश्नके विषय में दोनों पक्षों को वोटें बराबर होंगी, अपनी कास्टिंग वोट को काम में लाएगा।

(५) ये सभाएं उस समय भी अपने अधिकारों को काम में ला सकेंगी, जिस समय इनमें कोई जगह भी ख़ाली हो।

(११) पार्लामेंट की प्रत्येक सभा का एक सभापति होगा, जो सभा का मैम्बर होगा और सभा के मैम्बरों द्वारा चुना जायगा। प्रत्येक सभा का एक उप-सभापति भी होगा। वह भी सभा का मैम्बर होगा। और सभापति ही की तरह चुना जायगा।

(१२) वे अधिकार, छुटकारे तथा शक्तियां, जो सीनेट और

प्रतिनिधि-सभा को तथा उनके मैम्बरों को प्राप्त होंगी तथा जिनपर वे अमल करेंगी, ऐसी होंगी, जो प्रजा-तंत्र-राज्य की पार्लामेंट का एक्ट समय समय पर निश्चित करता रहेगा।

(१३) पार्लामेंट इस शासन-विधान के नियमों के अन्दर निम्नलिखित बातों के लिए क़ानून तैयार करेगी—

(अ) जो मज़मून इस एक्ट के अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं को सुपुर्द नहीं किये गये हैं, उनके संबंध में प्रजा-तंत्र-राज्य के सुप्रबंध तथा उसकी अमन-अमान के लिए।

(ब) हिन्दुस्तान के प्रजा-तंत्र के उन लोगों तथा नौकरों के लिए, जो हिन्दुस्तान के दूसरे भागों में हैं अथवा जो हिन्दुस्तान के बाहर दूर देशों में हैं।

(स) सम्राट की हिन्दुस्तानी सेना के उन अफ़सर घुड़सवार, वायु-सैनिक तथा पैदलों के लिए उस समय के लिए, जब कि वे नौकरी में हैं और यदि वे सेना—एक्ट अथवा वायु—सेना—एक्ट के अन्दर नहीं आते हैं।

(द) उन सब आदमियों के लिए, जो रायल इंडियन मैराइन सर्विस में या हिन्दुस्तानी जल-सेना में नौकर या उससे ताल्लुक़ रखते हैं।

इस धारा के इन उपरोक्त शब्दों के मतलब को कम करने के अभिप्राय से नहीं, किन्तु इस अभिप्राय से कि बात और अधिक निश्चय हो जाय, यहां पर यह घोषित कर दिया जाता

है कि इस एक्ट की सब बातों के रहते हुए प्रजा-तंत्र-राज्य की पार्लामेन्ट की व्यवस्थापिका सभा का उन सब मामलों में अधिकार होगा, जो उन मज़बूनों में आते हैं, जिनकी गिनती आगे कराई गई है यानी जिनका ज़िक्र फ़हरिस्त नं० १ में इस रिपोर्ट में आगे दिया हुआ है।

(१४) पार्लामेंट के अधिकार विदेशीय मामलों के संबन्ध में, जिनमें देशी रियासतें शामिल नहीं हैं, वैसे ही होंगे, जैसे उपनिवेशों को मिले हुए हैं।

(१५) इस एक्ट में जो नियम दिये हुए हैं, उनके अनुसार व्यवस्थापिका-सभाओं के काम के ढंग को निश्चित करने तथा उनके प्रबंध को बनाये रखने के लिए, तथा उन आदमियों के लिए, जो प्रतिनिधि-सभा की बैठकों के सभापति और उप-सभापति की ग़ैर-हाज़िरी में सभापति तथा उप-सभापति का आसन ग्रहण करेंगे, नियम बनने चाहिए। इस संबंध में भी नियम बनना चाहिए कि कोरम को पूरा करने के लिए इतने मैम्बर के हाज़िर होने की ज़रूरत है। और नियमों में जो मज़मून दिये हैं, उनमें से किसी मज़मून के बारे में सवालों के रोकने या उनके पूछने के ढंग के, तथा उनके बारे में बहस-मुबाहिसे के रोकने या उसके ढंग को निश्चित करने के संबंध में भी नियम बनने चाहिए।

(१६)—(१) यदि कोई बिल, जो प्रजा-तंत्र-राज्य की साधारण सालाना नौकरियों के लिए मालगुज़ारी या रुपये को अलग कराने के लिए है, तो उसका संबंध इसी एक बात से रहेगा।

(२) वे बिल, जो टैक्स लगाने से संबंध रखते हैं, केवल टैक्स ही से संबंध रक्खेंगे और उसमें जो कोई ऐसी बात होगी, जो किसी दूसरे मामले से सम्बन्ध रक्खेगी, उसका कोई असर न होगा।

(३) वे बिल, जिनका सम्बन्ध पबलिक क़र्ज़े अथवा टैक्स लगाने की ग़रज़ से रुपये या मालगुज़ारी को अलग करने से होगा, केवल कार्य-कारिणी सभा ही के किसी मैम्बर द्वारा उपस्थित किया जा सकेगा और यह केवल प्रतिनिधि-सभा ही में उपस्थित हो सकेगा ।

(१७) धन सम्बन्धी बिल से यह मतलब है कि उनमें केवल वे ही मामले होते हैं, जो निम्नलिखित मज़मूनों से सम्बन्ध रखते हैं—टैक्स लगाना, टैक्स को उठा लेना, कुछ टैक्स का छोड़ देना, टैक्स का बदलना या बंदोबस्त, पबलिक मालगुज़ारी या रुपये की वसूलयाबी से सम्बन्ध रखने वाले दूसरे आर्थिक मामलों अथवा कर्ज़ा की वसूलयाबी के लिए टैक्स का लगाना या ऐसी वसूलयाबी की रद्दोबदल या उसका उठा लेना, रुपया देना, रुपये को अलग करना, वसूल करना, रुपये को किसी की संरक्षा में रखना, पबलिक रुपये के हिसाब की जांच या उसका प्रश्न, किसी कर्ज़ा का लेना या उसका वापिस करना, या वे छोटे मामले जो इनसे अथवा उनमें से किसी से सम्बन्ध रखते हों। इस परिभाषा में 'टैक्स', पबलिक का रुपया,' और 'कर्ज़ा' में क्रमशः वह 'टैक्स', रुपया, या कर्ज़ा

शामिल नहीं है, जो प्रान्तीय सरकार के कर्मचारियों या संस्थाओं द्वारा लिया जाता है

(१८) इस सवाल का फ़ैसला कि अमुक बिल रुपये से सम्बन्ध रखता है या नहीं प्रतिनिधि-सभा के द्वारा किया जायगा।

(१९) वह बिल, जो रुपये से सम्बन्ध रखता है, जब प्रतिनिधि-सभा द्वारा पास हो जाय, तब वह सीनेट के पास उसकी शिफ़ारिस के लिए भेजा जायगा और वह वहाँ से ....दिनों में लौट कर प्रतिनिधि-सभा के पास आजायगा, जो उसको सीनेट की कुछ अथवा सब शिफ़ारिसों को मंज़ूर या ना मंजूर करके पास कर देगी। जब बिल इस प्रकार पास हो जायगा, तब यह ख़्याल किया जायगा कि अब उसको दोनों सभाओं ने पास कर दिया है।

(२०)—(१) इस एक्ट के नियमों के अनुसार एक बिल को पार्लमेंट की दोनों सभाओं में से किसी में भी रक्खा जा सकता है। और यदि वह पहिली सभा द्वारा पास हो जाय, तो उसके बाद वह पास होने के लिए दूसरी सभा में जायगा।

(२) सिवाय इसके कि इस एक्ट में कोई दूसरा नियम हो, वरना एक बिल पार्लमेंट द्वारा उस समय तक पास नहीं समझा जायगा, जब तक उसको दोनों सभाओं ने या तो बिना संशोधन या ऐसे संशोधन के साथ, जिनको दोनों सभाओं ने मान लिया हो, स्वीकार न कर लिया हो।

(३) यदि कोई बिल, जिसको प्रतिनिधि-सभा ने पास कर दिया है, इस सभा द्वारा पास होने के ६ महीने के अन्दर या तो संशोधनों के बिना या संशोधनों के साथ, जिनको दोनों सभाएं मान चुकी हैं, सीनेट द्वारा पास न किया जायगा, तो वायसराय उस समय, जब कि दोनों सभाओं से इस आशय का प्रस्ताव पास हो जायगा कि उस बिल को दोनों सभाओं के सम्मिलित अधिवेशन में उपस्थित किया जाय, दोनों सभाओं के सम्मिलित अधिवेशन में उस बिल को फ़ैसले के लिए उपस्थित करेगा। जो मैम्बर ऐसे किसी सम्मिलित अधिवेशन में शरीक़ होंगे, वे उस प्रस्ताव पर, जिसको प्रतिनिधि-सभा ने पहिले पास कर दिया है और उन संशोधनों पर, यदि कोई हैं, जो उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में पार्लामेंट की एक सभा ने उपस्थित किये हैं और जिसको दूसरी सभा ने स्वीकार नहीं किया है, बहस की जायगी और वोट ली जाएंगी। तथा ऐसे संशोधनों के बारे में, जिनको सीनेट और प्रतिनिधि-सभा के उन बहु-संख्यक मैम्बरों ने, जो सम्मिलित अधिवेशन में मौजूद हैं, मंज़ूर कर लिया है, यह समझा जायगा कि उनको पार्लामेंट की दोनों सभाओं ने पास कर दिया है।

(२१)—(१) जिस समय कोई बिल पास हो जायगा या किसी बिल के बारे में यह समझा जायगा कि वह पास हो जायगा, तब फ़ौरन वह वायसराय के पास इस आशय से भेजा जायगा कि वह राजा की ओर से, राजा की स्वीकृति दे दे।

वायसराय को यह अधिकार होगा कि वह चाहे तो ऐसी स्वीकृति दे, और न चाहे तो न दे, या वह उस बिल को राजा की ख़ास स्वीकृति के लिए रख ले।

(२) एक बिल, जो पार्लमेंट की दोनों सभाओं के द्वारा पास कर दिया जाय, उस समय तक एक्ट न हो सकेगा, जब तक वाइसराय राजा की ओर से अपनी स्वीकृति न दे देगा या इस हालत में, जब कि वह राजा की स्वीकृति के लिए भेजा गया है, उस समय तक एक्ट न हो सकेगा, जब तक राजा पार्लमेंट को प्रत्येक सभा को अपने भाषण अथवा संदेश द्वारा, या शाही घोषणा द्वारा यह न बतला दे कि अमुक बिल पर राजा ने अपनी कौंसिल की सलाह लेकर स्वीकृति दे दी है।

इसके साथ शर्त यह है कि वायसराय जब एक बिल को, जिसको पार्लमेंट की दोनों सभाओं ने पास कर दिया है और जो राजा की स्वीकृति के लिए उसके सामने रखा गया है, अथवा जिसको उसने राजा को स्वीकृति के लिए रख छोड़ा है, पार्लमेंट के पुनर्विचार के लिए इस शिफ़ारिस के साथ कि पार्लमेंट उसके साथ साथ उसके संशोधनों पर भी विचार करेगी, लौटा देवे।

(३) जो बिल इस प्रकार लौट आवेगा, उसपर और उसके साथ के संशोधनों पर, जिनकी वायसराय ने शिफ़ारिस की है, पार्लमेंट पुनर्विचार करेगी। और अगर वह प्रस्ताव संशोधनों के साथ अथवा संशोधनों के बिना फिर पास हो जाय,

तो वह फिर वायसराय के सामने राजा की ओर से स्वीकृति देने के लिये रखा जायगा।

प्रजा-तंत्र-राज्य की कार्य कारिणी

(२२) प्रजा-तंत्र-राज्य की कार्य कारिणी शक्ति राजा को प्राप्त है। उस शक्ति पर वायसराय राजा के प्रतिनिधि की हैसियत से, कार्यकारिणी सभा की सलाह से और इस एक्ट की शिफ़-रिस और प्रजा-तन्त्र-राज्य की क़ानून के अनुसार अमल कर सकेगा।

(२३)—(अ) कार्य कारिणी सभा में प्रधान मन्त्री, और, जब तक पार्लमेंट कोई और नियम न बनावे तब तक प्रजा-तन्त्र-राज्य में छः मंत्रियों से अधिक न होंगे।

(ब) प्रधान मंत्री को वायसराय नियुक्त करेगा और शेष छः मंत्रियों को भी वही चुनेगा, लेकिन प्रधान मन्त्री की सलाह से।

(स) कार्य कारिणी सभा उन सब मामलों के लिए, जो प्रजा-तंत्र-राज्य के विभागों से, जिनका प्रबन्ध कार्य कारिणी सभा के मैम्बर लोग करते है, सम्बन्ध रखते हैं, व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी।

(२४) जब तक पार्लमेंट कोई और नियम न बनावे, तब तक प्रजा-तंत्र-राज्य की कार्य कारिणी सभा के और सब अफ़-सरों की नियुक्ति और बरख़ास्तगी का अधिकार वायसराय और उसकी कौंसिल को प्राप्त रहेगा, यदि इस अधिकार को

वायसराय और उसकी कौंसिल ने या प्रजा-तंत्र-राज्य के किसी क़ानून ने किसी और कर्म-चारी को नहीं दिया है।

(२५) प्रजा-तंत्र की, जल, थल और वायु-सेनाओं के सेनापति का अधिकार भी राजा के प्रतिनिधि, वायसराय को ही प्राप्त होगा।

राजदूत और विदेशी प्रतिनिधि

(२६) प्रजा-तंत्र-राज्य को राजदूतों तथा अन्य विदेशी प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का वैसा ही अधिकार प्राप्त होगा, जैसा कनाडा तथा अन्य उपनिवेशों को प्राप्त है। इन लोगों की नियुक्ति वायसराय अपनी कौंसिल की सलाह ले कर करेगा। वायसराय उनकी वेतन, अधिकार, कर्तव्य तथा नियुक्ति की शर्तों के बारे में भी नियम बनाएगा।

आर्थिक अधिकार

(२७)—(१) हिन्दुस्तान के आडीटर जनरल (जांचने वाला सब से बड़ा अफ़सर) हिसाब की नियुक्ति वायसराय अपनी कौंसिल की सलाह से करेगा और वह उसकी वेतन, अधिकार, कर्तव्य और नियुक्ति की शर्तों के बारे में अथवा उस दशा में, जब कि थोड़े समय के लिए जगह ख़ाली हुई हो, उसके कर्तव्य पालन के बारे में नियम बनावेगा।

(२) जो नियम वायसराय ने अपनी कौंसिल की सलाह से बनाये हैं, उनके अनुसार पब्लिक सर्विस में न तो कोई जगह बढ़ाई ही जा सकती है और न कोई घटाई ही जा सकती है।

और किसी जगह के लाभ आदि के विषय में तब तक कोई पतिवर्तन नहीं हो सकता, जब तक अर्थ-विभाग के किसी ऐसे कर्मचारी से सलाह न ले ली गई हो, जिसके विषय में नियमों में यह लिखा हो कि अमुक कर्मचारी प्रान्तीय अथवा प्रजा-तंत्र-राज्य का कर्मचारी है।

प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा

(२८) प्रान्त के लिए व्यवस्था बनाने के अधिकार राजा और प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा को प्राप्त होंगे।

(२९) प्रत्येक प्रान्त में एक गवर्नर होगा, जिसको राजा नियुक्त करेगा और जो अपने प्रांत में राजा के प्रतिनिधि की हैसियत से रहेगा।

(३०) प्रान्त की मालगुज़ारी में से राजा को गवर्नर के लिए.........रुपया सालना वेतन देने के लिए दिया जायगा, जो, जब तक प्रजा-तंत्र-राज्य की पार्लामेंट कोई और नियम न बनावे, उसी तरह से रहेगा, जैसा इस की.........फ़हरिस्त में दिया हुआ होगा।

(३१)—(१) प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा का एक मैम्बर अपने प्रान्त से एक लाख आदमियों का प्रतिनिधि होगा। लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि जिन प्रान्तों की आबादी दस लाख से कम होगी, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सौ मैम्बर होंगे।

(२) हर एक मैम्बर एक हलके की ओर से चुना जायगा। हल्कों का निश्चय क़ानून करेगी। हर एक स्त्री-पुरुष, जिसकी

उम्र २१ साल की हो चुकी है और जिसको कानून द्वारा अयोग्य नहीं बतलाया गया है, वोट देने का अधिकारी होगा।

(३२)—(१) प्रत्येक प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा अपने पहिले अधिवेशन के बाद पांच साल तक रहेगी। लेकिन शर्त यह है कि—

(अ) गवर्नर उसको पांच साल से पहिले ही बरख़्वास्त कर सकता है।

(ब) गवर्नर यदि किसी ख़ास वस्तु-स्थिति में उचित समझे, तो पांच साल के समय को बढ़ा सकता है।

(स) कौंसिल के बरख़ास्त होने के छः महीने के बाद गवर्नर सभा के दूसरे अधिवेशन के लिए उस तारीख़ को नियत करेगा, जो बरख़ास्त होने की तारीख़ से छः महीने से अधिक आगे न पड़ेगी।

(२) गवर्नर व्यवस्थापिका सभा के अधिवेशनों के लिए ऐसे समय और स्थान नियत कर सकता है, जिसको वह उचित समझे, और वह समय समय पर नोटिस के ज़रिये या किसी और ज़रिये से इन अधिवेशनों को मुल्तवी भी कर सकता है।

(३) सभा का कोई अधिवेशन उसके सभापति के द्वारा मुल्तवी किया जा सकता है।

(४) सभा के सब प्रश्न सभा के सभापति को छोड़ कर,

जिसको ऐसे समय, जब कि दोनों पक्षों की वोटें बराबर होंगी, कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा, शेष सब मैम्बरों की बहु-संख्यक वोटों से तै होंगे।

(५) सभा अपने अधिकारों को उस समय भी काम में ला सकेगी, जब कि उसके कुछ मैम्बरोंकी जगह ख़ाली होंगी।

(३३) हर एक सभा का एक सभापति होगा, जो उस सभा का मैम्बर होगा और जो उसके द्वारा चुना जायगा। सभा का एक उप-सभापति भी होगा, जो उस सभा का मैम्बर होगा और उस सभा के द्वारा सभापति ही की तरह चुना जायगा।

(३४) प्रत्येक प्रांत की व्यवस्थापिका सभा को इस एक्ट के नियमों के अन्दर अपने सूबे के सम्बन्ध और अमन—अमान के लिए क़ानून बनाने का अधिकार होगा। प्रत्येक प्रांत की व्यवस्थापिका सभा उन सब मामलों के बारे में, जो उन मज़ामूनों में आते हैं, जो इस रिपोर्ट में आगे फ़हरिस्त नम्बर २ में दिये हुए हैं, व्यवस्था दे सकेगी।

(३५) प्रत्येक प्रांत की व्यवस्थापिका सभा उस प्रांत की किसी क़ानून को, जो प्रांत के उस मज़ामून से सम्बन्ध रखती है, जिसको ब्रिटिश हिन्दुस्तान के किसी कर्मचारी ने इस एक्ट के आरम्भ होने के पहिले या पीछे बनाया है, रद्द या बदल सकती है।

(३६) वह क़ानून, जो एक प्रांत को पब्लिक मालगुज़ारो पर असर डालता है, गवर्नर की कार्य कारिणी सभा के किसी मैम्बर ही के द्वारा उपस्थित किया जा सकेगा।

(३७) जब किसी बिल को एक प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा पास कर दे, तब गवर्नर यह घोषित कर सकता है कि वह उसे मंज़ूर करता है या नामंज़ूर करता है।

(३८) अगर गवर्नर किसी ऐसे बिल को नामंज़ूर करदे, तो वह एक्ट न हो सकेगा।

(३९) अगर गवर्नर किसी ऐसे बिल को मंज़ूर कर दे, तो वह फ़ौरन उस एक्ट की एक सच्ची नक़ल वायसराय के पास भेजेगा। और वह एक्ट तब तक यथार्थ रूप में पास न होगा, जब तक वायसराय उसको स्वीकार न करले, और उसकी वह स्वीकृति वायसराय के हस्ताक्षर के साथ गवर्नर द्वारा प्रकाशित न कर दी जाय।

(४०) जहां वायसराय ऐसे किसी एक्ट को नामंज़ूर करेगा, वहां वह अपनी इस नामंज़ूरी की वजह गवर्ननर को लिख भेजेगा।

(४१) जब किसी एक्ट को वायसराय मंजूर कर ले, तब उस एक्ट को राजा का अपनी कौंसिल की सलाह से नामंज़ूर करना क़ानूनन ठीक समझा जायगा।

(४२) जब किसी एक्ट को इस प्रकार (राजा द्वारा) नामंज़ूर कर दिया जाय, तब गवर्नर फ़ौरन नोटिस द्वारा उस

नामंजूरी को प्रकाशित करेगा और उस नोटिस की तारीख़ के दिन से वह एक्ट रद्द हो जायगा।

प्रान्तीय कार्य कारिणी सभा

(४३) एक प्रान्त के शासन का अधिकार उसके गवर्नर को होगा, जो प्रान्त की कार्य कारिणी सभा की सलाह से काम करेगा।

(४४) प्रत्येक प्रान्त के लिए एक कार्य कारिणी सभा होगी, जिसमें पांच से अधिक मंत्री न होंगे। इन मंत्रियों को गवर्नर मुक़र्रिर करेगा।

(४५) गवर्नर अपने पांच मंत्रियों को मुक़र्रिर करते समय सब से पहिले एक प्रधान मंत्री को चुनेगा और उसके बाद उसकी सलाह से बाक़ी चार मंत्रियों को मुक़र्रिर करेगा।

न्याय-विभाग

(४६) एक सुपरिम कोर्ट होगा, जिसके अधिकार पार्लामेंट निर्धारित करेगी। इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ और भी न्यायाधीश होंगे, जिनकी संख्या पार्लामेंट मुक़र्रिर करेगी।

(४७) प्रजा-तंत्र-राज्य के स्थापित हो जाने के बाद मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश मुक़र्रिर होंगे। इन सब को वायसराय अपनी कौंसिल के मैम्बरों की सलाह से मुक़र्रिर करेगा। इन सब न्यायाधीशों की वेतन का निश्चय पार्लामेंट

करेगी और जो वेतन इनको आरम्भ में दी जायगी, वह फिर जब तक ये अपने पद पर रहेंगे, कम न की जाएगी।

(४८) मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश उस समय तक अपने पदों से न हटाये जाएंगे, जब तक पार्लामेंट की दोनों सभाएं अपने एक ही अधिवेशन में उनकी बदचलनी अथवा अयोग्यता के कारण उनके अलग किये जाने की प्रार्थना न करें। जब ऐसा होगा, तभी वायसराय अपनी कौंसिल के मैम्बरों से सलाह लेकर उनको अलग कर सकेगा।

(४६) नीचे लिखे मामलों पर सुपरिम कोर्ट ही का अधिकार होगा—

(१) उन मामलों पर, जिनको वायसराय अपनी कौंसिल के मैम्बरों से सलाह लेकर ८५ धारा के अनुसार भेजे।

(२) उस मामले पर जिसमें प्रजा-तंत्र-राज्य अथवा प्रजा-तंत्र-राज्य की ओर से कोई व्यक्ति शामिल हो।

(३) उस मामले पर, जो विदेशों के परामर्शदाता अथवा प्रतिनिधियों से सम्बन्ध रखता हो।

(४) उन मामलों पर जो प्रान्तों के बीच में हों।

(५) उन मामलों पर जो इस शासन-विधान के अन्तर्गत हों अथवा इसके अर्थ से सम्बन्ध रखते हों।

(५०) पार्लामेंट के कुछ निश्चय किये हुए अपवाद और

नियमों को मानते हुए सुपरिम कोर्ट को नीचे लिखी हुई जगहों के फ़ैसलों, डिगिरियों, हुक्मों और सज़ाओं की अपीलें सुनने तथा उनके संबंध में अपना निर्णय देने का अधिकार होगा।

(अ) उस न्यायाधीश अथवा उन न्यायाधीशों के यहां की अपीलें, जिनको सुपरिम कोर्ट के जैसे पूर्ण अधिकार प्राप्त हों।

(ब) किसी प्रान्त के किसी हाईकोर्ट की अपीलें अथवा किसी प्रान्त के किसी ऐसे कोर्ट की अपील, जिससे प्रजा-तंत्र-राज्य के स्थापित होने के समय प्रिवी कौन्सिल में अपील हो सकती हो।

(५१) इन सब मामलों में सुपरिम कोर्ट का फ़ैसला अन्तिम होगा और उसमें कोई दूसरा कोर्ट अथवा अधिकारी हस्तक्षेप न कर सकेगा।

प्रिवी कौंसिल में अपील

(५२) प्रजा-तंत्र-राज्य अथवा किसी प्रान्त या किन्हीं प्रान्तों के विधानात्मक अधिकारों की सीमा के सम्बन्ध में सुपरिम कोर्ट के किसी निर्णय की प्रिवी कौंसिल में तब तक अपील न की जाएगी, जब तक सुपरिम कोर्ट स्वयं ही अपनी ऐसी अनुमति न दे देगा कि यह मामला इस क़िस्म का है, जिसका निर्णय प्रिवी कौंसिल में होना चाहिए।

(१) सुपरिम कोर्ट यदि इस बात से सन्तुष्ट हो जाय

कि अपील करने का एक विशेष कारण है, तो वह अपनी इस आशय की अनुमति दे सकेगा, और उसके बाद बिना किसी हुक्म के प्रिवी कौंसिल में अपील की जा सकेगी।

(२) पार्लामेंट ऐसे क़ानून बना सकती है, जिनके द्वारा सुपरिम कोर्ट कुछ मामलों में प्रिवी कौंसिल में अपील करने के लिए अपनी अनुमति दे सके। परन्तु इस सम्बन्ध में वह कोई ऐसा क़ानून न बना सकेगी, जिसके कारण सम्राट के सुपरिम कोर्ट से प्रिवी कौंसिल में अपील करने की अनुमति देने के अधिकार पर धक्का पहुंचे।

हाईकोर्ट

(५३) इस विधान में उन हाईकोर्टों से मतलब है, जो इस समय हिन्दुस्तान में मौजूद हैं।

(५४) प्रत्येक हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश उतने होंगे, जितने वायसराय अपनी कौंसिल के मेम्बरों से सलाह करके आवश्यक समझेगा। परन्तु इस सम्बन्ध में नीचे लिखी शर्तों को मानना होगा।

(१) वायसराय अपनी कौंसिल की सलाह से किसी भी हाईकोर्ट में कुछ समय के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश मुक़र्रिर कर सकता है। परन्तु यह समय दो साल से ज़्यादा का न होगा। न्यायाधीशों की इस पद पर वे सब अधिकार प्राप्त होंगे, जो हाईकोर्ट के उन न्यायाधीशों को प्राप्त हैं,

जिनको वायसराय ने अपनी कौंसिल की सलाह से मुक़र्रिर किया है।

(२) एक हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश तथा अतिरिक्त न्यायाधीशों को मिलाकर सब न्यायाधीशों की संख्या अधिक से अधिक २० होगी।

(५५) हाईकोर्ट का न्यायाधीश वह होगा, जो हाईकोर्ट का एडवोकेट होगा और जो कम से कम दस साल तक एडवोकेट रह चुका होगा। लेकिन शर्त यह है कि उन न्यायाधीशों के खिलाफ़, जो इस विधान के आरम्भ-समय में अपने पदों पर होंगे, इस विधान की कोई बात न हुई।

(५६) (१) हाईकोर्ट का न्यायाधीश अपने पद पर केवल उस समय रह सकेगा, जब तक उसका आचरण अच्छा रहेगा।

(२) हाईकोर्ट का न्यायाधीश अपने पद त्यागने की सूचना प्रान्तीय सरकार के पास भेजेगा।

(५७) हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के प्रार्थना करने पर केवल वायसराय ही अपनी कौंसिल से सलाह लेकर पदच्युत कर सकेगा।

(५८)—(१) वायसराय अपनी कौंसिल की सलाह से वेतन, भत्ता, छुट्टी और पेंशन का निर्णय करेगा और इनमें परिवर्तन भी कर सकेगा। परन्तु, जो न्यायाधीश परिवर्तन होने की तारीख़ से पहिले मुक़र्रिर हो जाएंगे, उनकी वेतन पर परिवर्तन का कोई असर न होगा।

(२) इस धारा के अनुसार, जो एक न्यायाधीश का वेतन आदि निश्चित किया जायगा, वह उसको अपने कार्य के आरम्भ करने के समय से मिलेगा।

(५६) (१) एक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के स्थान के ख़ाली होने पर अथवा उसकी ग़ैर हाज़िरी में प्रान्तीय सरकार उसी हाईकोर्ट के किसी एक न्यायाधीश को उसके काम को चलाने के लिए उस समय तक के लिए मुक़र्रिर कर देगी, जब तक वायसराय द्वारा कोई दूसरा मुख्य न्यायाधीश मुक़र्रिर न कर दिया जावे और वह अपने काम को अपने हाथ में न लेले, या जब तक मुख्य न्यायाधीश अपनी ग़ैर हाज़िरी से लौट न आवे—जैसा मामला हो।

(२) हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश के स्थान के ख़ाली होने पर तथा किसी न्यायाधीश की ग़ैर हाज़िरी में अथवा किसी न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर काम करने पर प्रान्तीय सरकार किसी ऐसे आदमी को उसके स्थान पर मुक़र्रिर कर सकती है, जिसमें वह योग्यता हो, जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। और वह आदमी, जो इस प्रकार मुक़र्रिर किया जायगा उस समय तक न्ययाधीश रह सकता और काम कर सकता है, जब तक वायसराय अपनी कौंसिल की सलाह से किसी और आदमी को न्यायाधीश मुक़र्रिर न करे और वह अपने काम को अपने हाथ में न ले ले, या जब तक ग़ैर हाज़िर न्यायाधीश अपनी ग़ैर हाज़िरी से लौट

न आवे, या जब तक प्रान्तीय सरकार स्थानापन्न न्यायाधीश की नियुक्ति को रद्द न कर दे।

अमलदारी

(६०)—(१) कई हाईकोर्ट रेकर्ड के कोर्ट हैं और उनके अधिकार—इब्तिदाई और अपील सम्बन्धी—ऐसे हैं, जिनकी समुद्र पर भी वहां के जुर्मों के बारे में अमलदारी है और जिनको वे अधिकार भी प्राप्त हैं, जो न्याय से सम्बन्ध रखते हैं और जिन अधिकारों के द्वारा कोर्ट-क्लर्कों तथा अन्य अफसरों को नियुक्त किया जाता है, और कोर्ट के काम के लिए नियम बनाये जाते हैं। यह अधिकार उनको उन ख़ास ख़तों द्वारा तथा ऐसे किसी ख़ास ख़तों के दिये हुए नियमों, अमलदारी तथा शक्ति के द्वारा प्राप्त होंगे, जो उनको इस एक्ट के आरम्भ में प्राप्त होंगे।

(२) वे ख़ास ख़त जिनके द्वारा एक हाईकोर्ट को अमलदारी, अधिकार और शक्ति मिली हुई है, ऐसे ही दूसरे ख़तों के द्वारा समय समय पर बदले जा सकते हैं।

(६१) प्रत्येक हाईकोर्ट अपने अपील पाने के अधिकार के कारण सब कोर्टों की निगरानी कर सकता है और वह इन निम्नांकित बातों को भी कर सकता है—

(अ) वह मुकदमें को फिर लौटा सकता है।

(ब) वह एक मुकदमा या अपील को एक कोर्ट से

दूसरे कोर्ट के लिए, जिसके अधिकार पहिले कोर्ट के बराबर या अधिक हैं, भेज सकता है।

(स) वह अपने कोर्टों की कार्यवाही और रिवाज को ठीक करने के लिए साधारण नियम और फ़ार्म तैयार कर सकता और उनको प्रचलित कर सकता है।

(द) वह ऐसे फार्म भी निश्चित कर सकता है, जिनसे कोर्टों के अफ़सर अपनी दफ़्तर की किताब और रजिस्टरों को तैयार कर सकते हैं।

(ई) वह ज़िले के हाकिम, वकीलों, कोर्टों, क्लर्कों और अफ़सरों की फ़ीस को निश्चित कर सकता है।

लेकिन शर्त यह है कि ऐसे नियम, फ़ार्म, और फ़ीस की फ़हरिस्तें ऐसी किसी कानून के विरुद्ध न होनी चाहिये, जो प्रचलित हैं और जिनको प्रान्तीय सरकार की ओर से स्वीकृति की आवश्यकता है।

(६२)—(१) प्रत्येक हाईकोर्ट अपने नियमों के अनुसार, यदि वह उचित समझे, तो कोर्टों को जो इब्तिदायी और अपील के अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों को हाईकोर्ट के एक या एक से अधिक न्यायाधीशों को दे सकता है।

(२) यह निश्चय करने का हाईकोर्ट के चीफ़-जस्टिस को अधिकार होगा कि कौन जज किस मामले में अकेला काम कर सकता हैं और कोर्ट के कौन जज चीफ़ जज के साथ या उसके विना कोर्ट के किन किन भागों में काम कर सकते हैं।

(६३) वायसराय अपनी कौंसिल की सलाह से हुक्म दे कर किसो जगह को एक हाईकोर्ट की मातहती से दूसरे हाई-कोर्ट की मातहती में भेज सकता है। और वह किसी हाईकोर्ट को ब्रिटिश हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में, जो उसकी अमलदारी में नहीं रखा गया है, अपने सब या कुछ अधि-कार के साथ मुकर्रर कर सकता है और वह किसी हाई कोर्ट को हिन्दुस्तान के किसो हिस्से में, जो हिन्दुस्तान के प्रजा-तंत्र-राज्य के बाहर है, ब्रिटिश प्रजा पर अपनी अमलदारी चलाने के लिए मुक़र्रर कर सकता है।

(६४)—(अ) वायसराय, हर एक गवर्नर, कार्य-कारिणी सभा का हर एक मैम्बर—प्रजा-तंत्र-राज्य अथवा सूबों के मैम्बर—अपनी किसी सलाह, हुक्म या काम की वजह से, जिसको इनमें से किसी ने सिर्फ़ अपनी पब्लिक हैसियत से किया हो, किसी हाईकोर्ट की इब्तिदायी या अपील सम्ब-न्धी या पुनर्विचार सम्बन्धो अमलदारी में नहीं आ सकता।

(ब) इसी प्रकार कई हाईकोर्टों के चीफ़ जस्टिस और दूसरे जज भी बरी रहेंगे।

(६५) वायसराय अपनी कौंसिल की सलाह से यदि उचित समझे, तो अपने ख़ास ख़तों के ज़रिये प्रजा-तंत्र-राज्य में किसी जगह, चाहे वह किसी दूसरे हाईकोर्ट की अमलदारी में हो या न हो एक दूसरा हाईकोर्ट स्थापित कर सकता है और इस प्रकार जो हाईकोर्ट स्थापित होगा, उसको ऐसी अम-लदारी, अधिकार और शक्ति दे सकता है, जो ऐसे किसी हाई-

कोर्ट ही को दी जा सकती है, जो इस एक्ट के आरम्भ में विद्य-
मान होगा। और जहां इस प्रकार एक हाईकोर्ट स्थापित किया
गया है यदि वह जगह किसी दूसरे हाईकोर्ट की अमलदारी
में हो, तो वायसराय अपने ख़ास ख़तों के ज़रिये उस जगह
की सीमाओं को बदल सकता है और ऐसे उपयुक्त नियम
बना सकता है, जो इस परिवर्तन के कारण आवश्यक अनुभव
होगें।

एडवोकेट जनरल

(६६) हर एक प्रान्तीय सरकार अपने प्रान्त के लिए एक
एडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकती है और उसकी जगह के
ख़ाली होने या उसकी ग़ैर हाज़िरी में या उसके डेपूटेशन पर जाने
पर किसी आदमी को एडवोकेट जनरल का काम करने के लिए
नियुक्त कर सकती है। जो आदमी इस प्रकार नियुक्त हुआ
है, वह उस समय तक एडवोकेट जनरल के अधिकारों को काम
में ला सकेगा, जब तक वायसराय अपनी कौंसिल की सलाह
ले कर किसी और आदमी को नियुक्त न करे और वह आदमी
अपने काम को करने न लगे अथवा जब तक एडवोकेट जनरल
अपनी ग़ैर हाज़िरी या डेपूटेशन से, जैसी हालत हो, लौट न
आवे, या जब तक प्रान्तीय सरकार अपनी की हुई नियुक्ति को
रद्द न कर दे।

जायदाद, मालगुज़ारी और आमदनी

(६७) सन् १८५८, १९१५ और १९१६ ई० के गवर्नमेंट

आफ़ इंडिया एक्टों के अनुसार जिस जायदाद पर ब्रिटिश सम्राट या भारत-मंत्री–इन–कौंसिल का अधिकार है या जो जायदाद इनके अधिकारों के कारण इनको मिल गयी है, वह सब वायसराय-इन-कौंसिल को मिल जायगी।

(६८) हिंदुस्तान की मालगुज़ारी के ऊपर वायसराय-इन-कौन्सिल का अधिकार होगा। और इस एक्ट के नियमों के अनुसार वह मालगुज़ारी सिर्फ़ प्रजा-तंत्र-राज्य ही के काम में ख़र्च की जाएगी।

(६९) हिन्दुस्तान की मालगुज़ारी, ये शब्द इस एक्ट में ब्रिटिश हिन्दुस्तान के समस्त मालगुज़ारी से मतलब रखते हैं और ख़ास तौर से निम्न लिखित बातों से—

(१) किसी ज़मींदारी या दूसरी तरह की वसूलयाबी, जो यदि सन् १८५८ ई० में गवर्नमेंट आफ़ इंडिया एक्ट पास न होता, तो ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा अथवा उसके नाम से वसूल होती।

(२) ब्रिटिश हिंदुस्तान के कोर्टों के हुक्म या सज़ा के जुर्माने और जुर्मों की वजह से चल तथा अचल जायदाद की ज़ब्ती। और

(३) ब्रिटिश हिंदुस्तान की चल या अचल जायदाद का वली न होने के कारण उसका राज्य के हाथ लग जाना और ब्रिटिश हिन्दुस्तान की वह सब जायदाद, जिसका वली नहीं है क़ानूनन राज्य को मिल जाना।

(७०) पार्लामेंट, एक रेलवे और बंदरगाह–फंड क़ायम

करेगी, जिसमें वह सब आमदनी रक्खी जायगी, जो वायसराय इन—कौंसिल को रेलवे, डाकख़ाने और बंदरगाहों की मदों से मिलेगी। इस फंड को पार्लामेंट, जिस तरह से वह निश्चित करे, उस तरह रेलवे, डाकख़ानों और बन्दरगाहों ही के कामों में ख़र्च करने के लिए रक्खेगी। इसके अलावा एक मालगुज़ारी फंड क़ायम होगा, जिसमें और दूसरे क़िस्म की मालगुज़ारियाँ, जो वायसराय—इन—कौन्सिल को मिलेंगी, रक्खी जाएंगी और प्रजा-तंत्र-राज्य के काम के लिए उस तरीक़े से रुपया रक्खा जायगा, जिस तरीक़े को इस एक्ट अथवा उन नियमों द्वारा, जो इस सम्बन्ध में बने हुए हैं, निश्चित किया गया है तथा जो उसके जतबीज़ किये ख़र्च के अनुसार होगा।

(७१) हिन्दुस्तान की मालगुज़ारी ही पर यह सब निम्नलिखित वसूलयाबी होगी—

(अ) ईस्ट इंडिया कम्पनी का सब क़र्ज़ा,

(ब) यदि सन् १८५८, १९१५ और १९१९ ई० के गवर्नमेंट एक्ट और यह एक्ट पास न होता, तो वह सब रुपया, क़ीमत, वसूलयाबी और ख़र्च, ईस्ट इंडिया कम्पनी को हिन्दुस्तान की उस मालगुज़ारी से मिलता, जो उन संधियों और क़र्ज़ों से सम्बन्ध रखती है, जो इस एक्ट के शुरू होने के समय रहेंगे।

(स) वह सब ख़र्च और क़र्ज़ा, जो हिन्दुस्तान-सरकार की वजह से क़ानून की रू से हुए हैं। और

(द) इस एक्ट के अनुसार और सब दूसरे ख़र्च और

देनदार। (सिवाय इसके कि इस एक्ट में कुछ और दिया हुआ है।)

(७२)—(१) प्रजा-तंत्र-राज्य के क़ायम होने के फ़ौरन ही बाद वायसराय अपनी कौंसिल की सलाह से एक कमीशन नियुक्त करेगा, जिसमें हर सूबे से एक प्रतिनिधि रहेगा और ....प्रतिनिधि प्रजा-तंत्र-राज्य की ओर से रहेंगे, और इस कमीशन का सभापति प्रजा-तंत्र-राज्य का अफ़सर होगा। यह कमीशन इन बातों के बारे में तहक़ीक़ात करेगा—(अ) मालगुज़ारी के उन ज़रियों के बारे में, जो प्रजा-तंत्र-राज्य और प्रान्तीय सरकारों के लिए इस ख़्याल से दिये गये हैं कि दोनों जगह अच्छा राज्य-प्रबन्ध हो, और सरकारी नौकरों या प्रजा की उन्नति हो, (ब) प्रजा-तंत्र-राज्य और प्रान्तीय सरकारों के बीच के रुपये-पैसे के संबन्धों के बारे में, और (स) उन साधनों के बारे में, जो ऐसे संबन्ध पैदा करने में काम में लाये जांय।

(२) उपरोक्त कमीशन एक कमेटी नियुक्त करेगा, जो प्रजा-तंत्र-राज्य की जल, थल, तथा वायु-सेनाओं के अफ़सरों की ट्रेनिंग के सम्पूर्ण प्रश्न की जांच करेगी और जो फ़ौजी तालीम के लिए जितने स्कूल कालिजों की ज़रूरत होगी, उतने स्कूल-कालिजों की स्थापना करेगी।

(३) जो कमेटी इस प्रकार नियुक्त की जायगी, वह इन बातों के बारे में अपनी रिपोर्ट कमीशन के सामने पेश करेगी कि—कितने स्कूल, कालिज तथा उनमें पढ़ाने वालों और

उन जगहों की, जहां स्कूल और कालिज खुलेंगे, ज़रूरत होगी, और प्रत्येक स्कूल और कालिज की तालीम का दर्जा क्या होगा और स्कूल और कालिजों के चलाने में शुरू में कितना ख़र्च पड़ेगा।

(४) उपरोक्त कमीशन एक और भी कमेटी की नियुक्ति करेगा, जो प्रजा-तंत्र-राज्य में साधारण प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार के साधनों के बारे में और पिछड़ी हुई जातियों के लिए विशेष शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपस्थित करने के बारे में जांच करेगा और रिपोर्ट करेगा।

(५) उपरोक्त कमीशन को ऐसी ही और कमेटियों को, जिनको वह आवश्यक समझेगा, नियुक्त करने के लिए, अधिकार होगा।

(६) उपरोक्त कमीशन उन मामलों के विषय में, जिनकी पहिली धारा में शिफ़ारिस की गई है, वायसराय-इन-कौंसिल को रिपोर्ट करेगा और इस बात के बारे में ख़ास शिफ़ारिसें करेगा कि प्रजा-तंत्र-राज्य और प्रांतों की मालगुज़ारी में से उन मामलों पर, जो धारा नम्बर २, ३ और ४ में दिये हुए हैं कितना ख़र्च होना चाहिये।

(७३) वायसराय-इन-कौंसिल कमीशन की सब रिपोर्ट को अपनी शिफारिसों के साथ, पार्लामेंट के सामने उस पर ऐसी व्यवस्था देने या ऐसा अमल करने, के लिए रक्खेगा, जिसको वह उचित समझेगा।

(७४) जब तक यह उपरोक्त जांच खतम हो और पार्लामेंट उस पर धारा नंबर ६८ के अनुसार कोई अमल करे, तब तक मालगुज़ारी के वर्तमान साधन और धन सम्बन्धी मामले जैसे के तैसे चलते रहेंगे।

रक्षा

(७५)—(अ) वायसराय-इन-कौंसिल एक कमेटी नियुक्त करेगा, जिसमें ये लोग मैम्बर होंगे—(१) प्रधान मंत्री, (२) रक्षा-मंत्री (३) विदेशी मंत्री, (४) थल-सेनापति, (५) वायु-सेनापति, (६) जल-सेनापति, (७) जनरल स्टाफ़ चीफ़, और (८), (६) दो सेना सम्बन्धी मामलों के विशेषज्ञ।

(ब) प्रधान मंत्री इस कमेटी का अध्यक्ष होगा, और इस कमेटी का एक स्थायी अमला होगा, जिसमें एक सेक्रेटरी भी होगा।

(स) इस कमेटी के ये काम होंगे कि वह सरकार और उन विभागों को, जो इससे सम्बन्ध रखेंगे, शिक्षा सम्बन्धी प्रश्नों और रक्षा सम्बन्धी नीति के साधारण प्रश्नों के बारे में सलाह-मशवरा देगी।

(द) जब यह कमेटी नियुक्त हो जायगी, तब वायसराय-इन-कौंसिल उससे इस बारे में सलाह लेगा कि हिन्दुस्तान की कुशलता को ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान के रक्षा सम्बन्धी ख़र्च में कोई कमी हो सकती या नहीं और यदि हो सकती है तो किस प्रकार। इस संबंध में जो अन्दाज लगाया जायगा, वह कमेटी की शिफ़ारिसों के अनुसार तैयार किया जायगा।

(७६) वायसराय-इन-कौंसिल "रक्षा" की मद्द में मालगुज़ारी या रुपया पैसा रखने के बारे में जो प्रस्ताव करेगा, वे प्रतिनिधि-सभा के फ़ैसले के लिए भेजे जायंगे।

(७७) उपरोक्त नियमों में किसी नियम के ख़िलाफ़ पड़ने पर भी वाइसराय-इन-कौंसिल उस समय, जब कि हिन्दुस्तान पर जल, थल अथवा वायु की ओर से कोई बाहर का हमला हो रहा हो या उस समय, जब कि वायसराय को किसी ऐसे हमले का वाक़ई डर हो, इतने ख़र्च को, जितना ब्रिटिश हिन्दुस्तान या उसके किसी हिस्से की रक्षा के लिए आवश्यक हो, मंज़ूर कर सकेगा। जब वायसराय इस प्रकार की कोई कार्रवाई करेगा, तब वह फ़ौरन इस बारे में व्यवस्थापिका सभा के सामने, अगर उसके अधिवेशन हो रहे हैं, या अगर उसके अधिवेशन नहीं हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द एक विशेष अधिवेशन बुला कर उसके सामने, रिपोर्ट रक्खेगा।

(७८) ऐसा कोई प्रस्ताव, जो प्रजा-तंत्र-राज्य की जल, थल, और वायु-सेनाओं के किसी हिस्से के शासन या भरण-पोषण पर असर डालेगा, बिना उस रक्षा-कमेटी की शिफ़ारिस के, जिसको इस शासन-विधान में नियुक्त किया गया है, पार्लामेंट में न रक्खा जा सकेगा।

सिविल सर्विस

(७९) आगे वाली धारा के नियम के अनुसार पब्लिक सर्विस के सब अफ़सर प्रजा-तंत्र-राज्य की स्थापना होने पर प्रजा-तंत्र-राज्य के अफ़सर हो जायंगे।

(८०) जब प्रजा-तंत्र-राज्य की स्थापना हो जायगी, तब वायसराय-इन-कौंसिल एक पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त करेगी, जो पब्लिक सर्विस विभाग के ऐसे संगठन और प्रबन्ध के बारे में, जिसकी वह आवश्यकता समझेगा, शिफ़ारिस करेगा।

(८१) पार्लामेंट हिन्दुस्तान की सिविल सर्विस के बांटने के बारे में नियम बनाएगी और वह इसकी भर्ती के ज़रियों और तरीकों, सर्विस की हालतों, वेतन, भत्ता तथा आचार-विचार के लिए भी नियम बनाएगी। और पार्लामेंट उस दर्जे तक जिसको वह निश्चित करे और ऐसे मामलों के बारे में, जिनको वह निश्चित करे उपरोक्त क़ानून के अनुसार नियम बनाने का अधिकार वायसराय-इन-कौंसिल या प्रांतीय सरकारों को दे देगी।

(८२)—(१) प्रजा-तंत्र-राज्य की स्थापना होने के बाद वायसराय-इन-कौंसिल एक स्थायी पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त करेगा। इस कमीशन के अधिकार और कर्तव्य भर्ती, नियुक्ति, आचरण, पेंशन और अफ़सरों के बुढ़ापेके कारण अयोग्यता के बारे में ऐसे होंगे जिनको पार्लामेंट निश्चितकरेगी।

(२) स्थायी पब्लिक सर्विस कमीशन के मैम्बर अपनी नियुक्ति के बाद पांच साल तक अपने पदों पर रह सकेंगे।

(८३) पब्लिक सर्विस का कोई अफ़सर, जो प्रजा-तन्त्र-राज्य की स्थापना के बाद के तीन साल के अन्दर पेंशन लेना चाहता

है या प्रजा-तंत्र-राज्य को सर्विस में नहीं रक्खा जाता है, वह उस पेंशन, इनाम या दूसरे मुआवज़े का अधिकारी होगा, जिस को वह उस हालत में पाता, जब कि प्रजा-तंत्र राज्य की स्थापना न हुई होती।

फ़ौजी सर्विस

(८४) नये शासन-विधान के शुरू होने के समय जो ब्रिटिश और हिन्दुस्तानी अफ़सर जल, थल-सेनाओं में, और रायल इंडियन मेराइन में या हिन्दुस्तान की वायु-सेना में हिन्दुस्तान में नौकरी करते होंगे, निम्नलिखित बातों के बारे में अपने समय के वर्तमान अधिकारों ही को प्राप्त करेंगे—वेतन, भत्ता या पेंशन या अपने नुक़सान के मुआवज़े, जिनको वायसराय-इन-कौंसिल उचित और ठीक समझे अथवा ऐसे मुआवज़े, जो ऐसी हालत में मिलें, जब कि प्रजा-तंत्र-राज्य की स्थापना न हुई हो।

ऐसे ब्रिटिश या हिन्दुस्तानी अफ़सर, जिनको नये शासन-विधान के आरम्भ होने पर पेंशन मिलती थी, हिन्दुस्तान की मालगुज़ारी में से बाद को भी उसी पेंशन को पाते रहेंगे।

देशी रियासतें

(८५) प्रजा-तन्त्र-राज्य भी देशी रियासतों के बारे में उन्हीं अधिकारों को बर्तेगा और उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा, जिनका संधियों अथवा किसी दूसरी तरह से ताल्लुक़ है

और जिनको हिन्दुस्तान-सरकार अब तक बरतती और पालन करती है।

ऐसी हालत में, जब कि प्रजा-तन्त्र-राज्य और किसी देशी रियासत में एक ऐसे मामले पर, जो आपस की संधियों, सनदों या किसी ऐसे ही दूसरे काग़ज़ों से सम्बन्ध रखता हो, मत-भेद हो जाय, तब वायसराय-इन-कौन्सिल उस रियासत की सम्मति लेकर, जिसका वह मामला है उस मामले को फ़ैसले के लिए सुपरिम कोर्ट के हवाले करेगा।

नये प्रांत

(८६) जिस क्षेत्र में नया प्रान्त क़ायम होना है, उसमें वह भाषा के आधार पर और वहां के बहु-संख्यक लोगों की मांग पर स्थापित किया जायगा और इस सम्बन्ध में आर्थिक और राज्य सम्बन्धी शर्तें भी रहेंगी।

शासन-विधान का संशोधन

(८७) पार्लमेंट अपने क़ानून से शासन-विधान के किसी नियम को रद्द कर सकती या बदल सकती है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि पार्लमेंट के तत्सम्बन्धी बिल को पार्लमेंट की दोनों सभाएं मिल कर पास करेंगी और तीसरी मर्तबा उस बिल को दोनों सभाओं के कम से कम दो तिहाई मैम्बर मंजूर करेंगे। एक बिल जब इस प्रकार दोनों सभाओं के सम्मिलित अधिवेशन में पास हो जायगा, तब वह पार्लमेंट

की दोनों सभाओं की ओर से उचित रूप में पास हुआ समझा जायगा।

नोट—निम्न लिखित शिफ़ारिसें साम्प्रदायिक तथा अन्य विवादास्पद विषयों से सम्बन्ध रखती है—

साम्प्रदायिक चुनाव

(१) हिन्दुस्तान भर में प्रतिनिधि-सभा और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के चुनाव के लिए सम्मिलित निर्वाचक (वोटर) होंगे।

(२) प्रतिनिधि-सभा में सिवाय उन सूबों के मुसल्मानों के लिए, जहां वे लघु-संख्यक हैं और सीमा प्रांत के अ-मुस्लिमों के लिए और किसी के लिए जगह सुरक्षित न की जायगी। यह संरक्षण मुसलमानों के लिए उस प्रत्येक सूबे में, जहां पर ये लघु-संख्या में है, उनकी आबादी के लिहाज़ से होगा और सीमा प्रांत में अ-मुस्लिमों की आबादी के लिहाज़ से। जहां के मुस्लिम या अमुस्लिमों को जगहों के संरक्षण की इज़ाज़त होगी, वहां के मुस्लिम या अ-मुस्लिमों को बाक़ी जगहों के लिए चुनाव में लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा।

(३) सूबों के सम्बन्ध में—

(अ) पंजाब और बंगाल में किसी सम्प्रदाय के लिए जगह सुरक्षित न की जायगी।

(ब) पंजाब और बंगाल को छोड़ कर बाकी और सब सूबों में लघु-संख्यक मुस्लिम-जाति के लिए उसकी आबादी के लिहाज़ से जगहें सुरक्षित की जायेंगी और उसको बाकी जगहों के लिए चुनाव में लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा।

(स) सीमा प्रांत में भी अ-मुस्लिमों के लिए जगह सुरक्षित की जायगी और उनको भी बाकी जगहों के लिए चुनाव में लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा।

(४) जहां के लिए जगह सुरक्षित की गई हैं, वहां वे दस साल के निश्चित समय तक रहेंगी।

प्रांतों का पुनर्विभाग और उनका पद

(५) सिंध के बारे में मालगुज़ारी सम्बन्धी किसी ऐसी तहक़ीकात के हो जाने पर, जिसको आवश्यक समझा जाय, सिंध का प्रांत बम्बई से अलग कर दिया जायगा और उसको एक अलग प्रांत बना दिया जायगा।

(६) कर्नाटक के वे हिस्से भी, सिवाय उन छोटे छोटे द्वीपों के, जो मैसूर राज्य के दूसरी ओर हैं, उसी तरह से उन सूबों से, जिनमें वे इस समय शामिल हैं, अलग हो जाने चाहिये और उनका एक अलग प्रांत बन जाना चाहिये।

श्री० शुऐब कुरैशी।

श्री० सरदार मङ्गल सिंह।

श्री० सुभाष चन्द्र बोस।

नीचे लिखे हुए अन्य अ-मैम्बर भी, जो बुलाये गये थे, उपस्थित थे—

डाक्टर एम० ए० अंसारी।

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।

श्री० टी० ए० के० शेरवानी।

मौलाना मुहम्मद शफ़ी दाऊदी।

डाक्टर ऐस० डी० किचलू।

श्री० ख़ली कुज़्ज़मां।

डाक्टर सैयद महमूद।

पं० जवाहरलाल नेहरू।

मुसल्मानों के लिए केन्द्रिय व्यवस्थापिका-सभा में जगहों को सुरक्षित करने पर विचार किया गया। यह कहा गया था कि कल की रज़ामन्दी पर (पहिला भाग) लघु-संख्यक जातियों के लिए भी जगहें सुरक्षित नहीं हो सकती। इसके ख़िलाफ़ यह बतलाया गया कि बिना जगहों के सुरक्षित हुए यह मुमकिन है कि ५०० मैम्बरों में से केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा में केवल ३० या ४० ही मुसलमान जा सकें। यह भी बतलाया गया कि यही हालत उन सूबों में होगी, जहां मुसलमान लघु-संख्या में हैं। एक राय यह पेश की गई कि यह कठिनाई लघु-संख्यक जातियों के लिए जगह सुरक्षित करने और बहु-संख्यक जातियों

के लिए न करने से मिट सकती है। इसका मतलब कल की रज़ामन्दी का दुहराना होगा। अन्त में कोई भी नतीजा न निकला और इस मामले को शाम की बैठक में तै करने के लिए मुलतवी कर दिया गया।

८ जुलाई

शाम की बैठक

डाक्टर एस० डी० किचलू और सैयद महमूद के सिवाय वे सब मैम्बर, जो सबेरे वाली बैठक में मौजूद थे, उपस्थित थे। सर तेज बहादुर सप्रू भी मौजूद थे। लघु-संख्यक जाति के प्रतिनिधि भेजने का सवाल, जो सबेरे की बैठक में छूट गया था, फिर से उठाया गया। सब इस पर राज़ी हो गये कि ७ जुलाई को सर्वदल-सम्मेलन के दूसरे प्रस्ताव को दूसरी सूरत में रक्खा जाय, जिससे लघु-संख्यक जातियों की जगहें केन्द्रिय व्यवस्थापिका सभा में आबादी के लिहाज़ से सुरक्षित की जांय।

इसके बाद प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में लघु-संख्यक जातियों के लिए जगहें सुरक्षित करने के सवाल पर विचार किया गया। श्री० श्वैब क़ुरेशी के अतिरिक्त और सब मैम्बरों की यही राय थी कि वे सब कारण, जिनसे केन्द्रिय व्यवस्थापिका सभा में लघु-संख्यक जातियों के लिए जगह सुरक्षित की गई हैं, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए भी लागू हैं। यह राय अन्य उपस्थित मैम्बरों ने भी मान ली। इसलिए, वे सब सर्वदल-सम्मेलन को यह सूचना देने के लिए राज़ी हो

गया कि लघुसंख्यक जाति के लिए उसकी आबादी के अनुसार जगह सुरक्षित करने की और बाकी जगहों के लिए चुनाव में लड़ने की आज्ञा दी जाय।

फ़हरिस्त [१]

१ हिन्दुस्तान और दूसरे देशों का वाणिज्य-व्यापार और हिन्दुस्तान की तिजारती, आर्थिक या विदेशी कम्पनियां।

२ टैक्स, जिसमें वह टैक्स शामिल नहीं है, जिसका अधिकार इस शासन-विधान के अनुसार प्रांतों अथवा उनके हिस्सों को दे दिया गया गया है, लेकिन उसमें बाहर और भीतर की बिक्री की चीज़ों का टैक्स मालगुज़ारी, चुङ्गी, इन्कमटैक्स, सुपर-टैक्स, म्यूनीसिपल बोर्ड के लाभ का टैक्स, अफ़ीम टैक्स, (इसमें अफ़ीम की काश्त, बनाने और बेचने की निगरानी शामिल है) और हिन्दुस्तान से बाहर जाने वाली चीज़ों का टैक्स शामिल है।

३ बाहर जाने वाली चीज़ों की पैदावार के लिए सहायता देना।

४ कर्ज़े पर रुपया लेना, प्रजा-तंत्र-राज्य की पूंजी और जायदाद, प्रजा-तंत्र-राज्य की सरकार पर पब्लिक का कर्ज़ा।

५ सिक्के, सिक्कों का बनाना और वह सिक्का, जिसको शाही सिक्का माना जाता है।

६ बैंक, बीमा और सेविंग बङ्क, बङ्कों का संगठन, नोट और हुंडी का निकालना।

७ बिल आफ़ एक्सचेंज, चेक, हुण्डी और प्रामेसरी नोट।

८ जहाज़ बनाना, और जहाज़ चलाना, जिसमें वे जल

भाग शामिल हैं, जिनके बारे में यह कह दिया गया है कि इनका राष्ट्रीय महत्व है, बन्दरगाह, जहाजों के रोशनी घर, रात के समय रास्ता बतलाने के प्रकाश, वे जहाज़, जिनमें रोशनी रहती है, वह काठ जो लंगर में बंधा रहता है और पानी पर तैरता रहता है।

९ रेलवे, सब हिन्दुस्तान की, और फ़ौजी महत्व की सड़कें।

१० वायु-यान सम्बन्धी ज्ञान और उससे सम्बन्ध रखने वाले सब विषय।

११ डाकख़ाने, तारघर और टेलीफ़ोन, जिनमें बेतार का व्यवहार और उसकी मशीनें भी शामिल हैं।

१२ हिन्दुस्तान की रक्षा का सवाल और वे सब मामले, जो प्रजा-तन्त्र-राज्य की जल, थल और वायु-सेनाओं से सम्बन्ध रखते हैं, जिनमें लड़ने वाली सेना और इंडियन मेराइन सर्विस और फ़ौजें और सशस्त्र पुलिस के अलावा, जिसका पूरा ख़र्चा सूबे की सरकार बर्दाश्त करती है, कोई और दूसरी फ़ौज, जिसकी भर्ती हिन्दुस्तान में की जाय, शामिल है। जल और थल की सेनाओं के काम और सदर (कन्टून्मेंट), जल, थल और वायु-सेना के लिए स्कूल और कालिज।

१३ विदेशी और बाहरी संबन्ध, जिनमें देशी रियासतों के सम्बन्ध और राजनीतिक मामले भी शामिल हैं, बाहरी लोगों का बसना, उनको यहां का नागरिक बनाना, पासपोर्ट, और हिन्दुस्तान से बाहर जाने की तीर्थ-यात्रा।

१४ हिन्दुस्तान में बसना और हिन्दुस्तान के बाहर बसना।

१५ बन्दरगाह तक ४० दिन तक पहुंचने की रोक और समुद्री अस्पताल।

१६ प्रजा-तंत्र-राज्य की पब्लिक सर्विस और प्रजा-तंत्र-राज्य का पब्लिक सर्विस-कमीशन।

१७ प्रजा-तंत्र-राज्य का हिसाब जांचने वाला महकमा।

१८ हिन्दुस्तान का सुपरिम कोर्ट, और हाईकोर्टों से सम्बन्ध रखने वाली व्यवस्था।

१६ दीवानी क़ानून, जिसमें वे क़ानून भी शामिल होंगे, जो हैसियत, अहदनामें, जायदाद, नागरिक के अधिकार, रुपये-पैसे और दीवानी के क़ायदों से सम्बन्ध रखते हैं।

२० फ़ौजदारी क़ानून, जिसमें फ़ौजदारी के क़ायदे और एक राज के क़ैदी को दूसरे राज को देने के क़ानून शामिल हैं।

२१ दिवाला।

२२ विवाह, तलाक़, शादी के मामले, पैतृक अधिकार, बच्चों की सरपरस्ती और उनका पद और बालिग़ होना।

२३ कापी राइट, समाचार पत्र, और पुस्तकें, आविष्कार और डिज़ाइनों के पेटेन्ट और ट्रेड मार्क।

२४ प्रजा-तंत्र-राज्य की सरकार द्वारा या अपने काम के लिए ज़मीन का लेना।

२५ वे क़ानून, जो तमस्सुक़ और दस्तावेज़ के रजिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखते हैं।

२६ वे क़ानून जो पैदाइश, मौत और शादी से ताल्लुक़ रखते हैं।

२७ मर्दुम शुमारी तथा उसके संबंध में अन्य बातों का वर्णन।

२८ हथियार तथा बारूद-गोला की निगरानी।

२९—(अ) पेट्रोल और दूसरी जल उठने वाली चीजों की निगरानी।

(ब) ज़हरों की निगरानी।

३० तौल और नाप का परिमाण।

३१ हिन्दुस्तान के समुद्रों में तीन मील के अन्तर पर मछली पकड़ना।

३२ हिन्दुस्तान का बन्दोबस्त, पृथिवी के अन्दर की जांच और आकाश और तारागण संबन्धी निरीक्षण।

३३ पार्लामेंट के चुनाव।

३४ प्रजा-तंत्र-राज्य की सरकार की राजधानी।

३५ अन्तर्प्रान्तीय मामले।

३६ कारख़ानों की व्यवस्था।

३७ व्यवसाय सम्बन्धी मामले —

(अ) मज़दूरों को कुशल-क्षेम।

(ब) प्रावीडेन्ट फ़ण्ड।

(स) व्यवसाय सम्बन्धी बीमा—साधारण स्वास्थ्य, और संयोगवश चोट-चपेट।

३८ खानों की निगरानी।

३६ वैद्यक सम्बन्धी ल्याक़त और दर्जा।

४० प्रजा-तंत्र-राज्य का भंडार और दफ़्तर का सामान।

४१ हिन्दुस्तान का प्रकाशन और सूचना-विभाग।

४२ पशु सम्बन्धी निगरानी, वृक्ष संबन्धी निगरानी, मकान सम्बन्धी निगरानी।

४३ हिन्दुस्तान-सरकार की एजेंसियां और अनुसंधान संबन्धी संस्थाएं (इनमें मान-मंदिर भी शामिल हैं), और वे संस्थाएं, जो भिन्न भिन्न पेशों और कला-कौशल की शिक्षा या तत्सम्बन्धी किसी विषय के विशेष अध्ययन के लिए हैं।

४४ एक प्रांत संबन्धी वे परिवर्तन, जो अन्तर्प्रान्तीय नहीं हैं और तत्सम्बन्धी क़ानून से कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं।

४५ प्रजा-तंत्र-राज्य की सब जायदाद।

४६ महकमा जंगलात की व्यवस्था।

४७ उन स्टाम्पों के सम्बन्ध की व्यवस्था, जो न्याय-विभाग के नहीं हैं।

—o—

फ़हरिस्त [२]

प्रान्तीय विषय

१ मालगुज़ारी, जिसमें वह मालगुज़ारी भी शामिल है, जो सूबे के लिए लगा दी गई है, कोई और दूसरा टैक्स, जो ज़मीन पर लगाया जाय, या काश्त की आमदनी, जल-कर, बन्दोबस्त, ज़मीन की नाप, पब्लिक ज़मीन को बेचना और उसको आबाद करना और सरकारी ज़मींदारियों का इन्तज़ाम।

२ एक्साइज़, यानी शराब और नशीली चीज़ों (अफ़ीम के सिवाय) के बनाने, बाहर भेजने, ख़रीदने और बेचने की निगरानी से मतलब है और तत्सम्बन्धी कर और लाइसेन्स से भी।

३ तमाम स्थानीय टैक्स, जैसे पुल और घाट वगैरः के टैक्स, ज़मीन या ज़मीन की क़ीमत पर टैक्स, मकानों का टैक्स, गाड़ी या नावों का टैक्स, जानवरों का टैक्स, चुंगी का वह टैक्स, जो बाहर भेजे जाने वाले माल पर और अन्दर बिकने वाले माल पर लगता है, तिजारत, और पेशों का टैक्स, प्राइवेट मारकेट का टैक्स, विज्ञापन का टैक्स, खेल-तमाशों का टैक्स, जुए का टैक्स, वह टैक्स, जो उस काम के लिए लगाया जाय, जिसको प्रांतीय सरकार ने किया हो।

४ सूबे की सरकार के ज़रिये सूबे में ज़मीन का हासिल करना।

५ जंगलों का इन्तज़ाम, और जंगली जानवरों की हिफ़ाज़त।

६ काश्त, जिसमें काश्त संबन्धी अनुसंधान संस्थाएं, अनुभव और प्रचार के फ़ार्म और काश्त को नुक़सान पहुंचाने वाले कीड़ों और बीमारियों को दूर करना भी शामिल है।

७ मछली पकड़ने के मुक़ाम, जिनमें प्रजा-तंत्र-राज्य के ऐसे मुक़ाम शामिल नहीं हैं।

८ पानी पहुंचाना, सिंचाई की नहरें, पानी बहाने के नाले और बांध, वहां पर पानी को जमा करना और पानी की मशीन लगाना जहां पर अन्तर्प्रान्तीय मामला पैदा न हो या जहां एक सूबे और देशी रियासत का मामला न हो, या किसी और ज़मींदारी के आपस के सम्बन्ध पर कोई असर न पड़े।

९ पब्लिक वर्क्स और उसके सूबे में उसके काम, जिनमें इमारत, सड़क, पुल, घाट, ज़मीन के अन्दर के रास्ते, रस्सों के रास्ते, बांध पर की ऊंची सड़क, ट्रामवे, रोशनी, रेलवे की शाखा, जल के रास्ते और दूसरे आने-जाने के रास्ते शामिल हैं। परन्तु इनमें ये शामिल नहीं हैं—

(अ) ऐसी रेलवे, सड़कें और भीतरी जल के रास्ते, जो केन्द्रीय विषय हैं।

(ब) वे सब रास्ते, जो सूबे की सीमा से बाहर चले जाते हैं।

(स) वे रास्ते, जिनको (यद्यपि पूरी तौर से सूबे ही में हैं) पार्लामेंट ने अखिल भारतवर्षीय महत्व का बतला दिया है।

१० सहकारी समितियां।

११ खान की चीज़ों की उन्नति।

१२ अकाल का इन्तज़ाम।

१३ हिन्दुस्तान के अन्दर तीर्थ-यात्राएं।

१४ स्थानीय स्वराज्य, जिसमें म्यूनीसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, टाउन प्लानिंग बोर्ड्स् तथा सूबे में ऐसी ही और संस्थाएं शामिल हैं, स्थानीय फंड की जांच।

१५ अस्पतालों का इन्तज़ाम, जिसमें ख़ैराती दवाख़ाने, ग़रीबों के अस्पताल और डाक्टरी की तालीम का इन्तज़ाम शामिल है।

१६ पब्लिक तन्दुरुस्ती और सफ़ाई, और पैदाइश और मौत का विवरण।

१७ शिक्षा, जिसमें यूनीवर्सिटियां, कला-कौशल की संस्थाएं, ख़ास पेशों और काम-काजों की ट्रेनिंग और उनके अध्ययन को उन्नति देने के लिए प्रांतीय संस्थाएं।

१८ कोर्ट आफ़ वार्ड्स् और मक़रूज़ा और ज़ब्तशुदा ज़मींदारियाँ

१९ ज़मीन को तरक्क़ी देना और काश्त के लिए कर्ज़ा देना।

२० ज़मीन का लगान और ज़मीदार और काश्तकार, ज़मीन-लगान का क़ानून।

२१ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल और सरकारी ट्रस्टी, जो केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था के मातहत काम करेंगे।

२२ व्यवसायों की उन्नति, जिसमें व्यवसाय सम्बन्धी अनुसन्धान भी शामिल हैं।

२३ पुलिस, जिसमें फ़ौजी और हथियारबंद पुलिस, जिसका ख़र्चा प्रान्तीय सरकार देती है और रेलवे पुलिस शामिल हैं। रेलवे पुलिस पार्लामेंट के बनाए हुए उन नियम पर चलेगी, जो उसके अधिकार और ख़र्चे से संबन्ध रखेंगे।

२४ खाने-पीने तथा दूसरा चीज़ों में मिलावट।

२५ (अ) गाड़ियों की निगरानी, जिनमें मोटर गाड़ियां केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था पर चलेंगी, जो उस लाइसेन्स से संबन्ध रखेगा, जो तमाम हिन्दुस्तान के लिए लागू होगा।

(ब) ड्रामा के खेल और सिनेमा के दृश्यों की निगरानी।

२६ जेल, क़ैदी, और वे जेल जहां क़ैदियों का सुधार किया जाता है और पागलखाने।

२७ पिछड़ी हुई जातियां और उनकी बस्तियां।

२८ ख़ज़ाना।

२९ सूबे में न्याय-विभाग का प्रबन्ध, जिसमें दीवानी और फ़ौजदारी के कोर्टों का शासन-विधान, उनके ख़र्च का इन्तजाम और संगठन शामिल है।

३० प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा का चुनाव।

३१ वह व्यवस्था, जो प्रांतीय मामले से संबन्ध रखने वाले क़ानून के भंग होने पर जुर्माना और क़ैद का दंड दे।

३२ सूबे की ज़मानत पर रुपया कर्ज़ा लेना। लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि केन्द्रीय सरकार ने उसके लिए मंज़ूरी दे दी हो। सूबे की पूंजी और जायदाद।

३३ उस क़ानून का इन्तज़ाम, जो पैदाइश, मौत और शादियों के रजिस्टेशन से तालुक़ रखती है।

३४ प्रान्तीय ला रिपोर्ट्स।

३५ छोटे छोटे बन्दरगाह।

३६ पब्लिक पुस्तकालय, (कलकत्ते की इम्पीरियल लायब्रेरी को छोड़ कर) अजायब घर, जिनमें से कलकत्ते के इंडियन म्यूज़ियम, इम्पीरियल वार म्यूज़ियम, और विक्टोरिया मेमोरियल को निकाल कर, पशु-पक्षी और वृक्षों के बाग़ और सुसाइटी का रजिस्ट्रेशन।

३७ कांजीहौद और मवेशियों को इधर उधर जाने से रोकना।

३८ पशु-चिकित्सा-विभाग, जिसमें पशु-चिकित्सा की ट्रेनिंग का इन्तज़ाम, पशुओं की बीमारी को दूर करना शामिल है।

३९ वे कारख़ाने, जो केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था के मातहत काम करेंगे।

४० मज़दूरों के झगड़ों का फैसला।

४१ गैस और बिजली।

४२ भाप के एंजिन।

४३ धूएं से तकलीफें।

४४ मज़दूरों के मकान।

४५ वे अफ़सर, जो यकाएक मृत्यु हो जाने की तहक़ीक़ात करते हैं।

४६ सूबे के भंडार और दफ़्तरों के काम की चीज़ें।

४७ प्रांतीय सरकार की प्रेस।

४८ प्रांतीय सर्विस और प्रांतीय सर्विस-कमीशन।

४९ प्रांतीय सरकार की राजधानी।

५० चुनाव की निगरानी। यह चुनाव केन्द्रीय सरकार के बनाये हुए नियम पर होगा।

५१ फ़ीस, जिसमें कोर्ट-फ़ीस, मरने के समय विल करने की फ़ीस, जायदाद के मिलने की फ़ीस और ज़मींदारी की फ़ीस शामिल है।

५२ चीज़ों के पैदा करने, सप्लाई करने और उनके इधर उधर भेजने की निगरानी, जो केन्द्रीय व्यवस्था के बनाए हुए नियमों के अनुसार होगी।

५३ व्यवसायों की उन्नति, केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के नियमों के अनुसार।

५४ दान और धर्मादाय, केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था के अनुसार।

५५ शर्त और जुए का इन्तजाम, केन्द्रीय व्यवस्थापिका

सभा की व्यवस्था के अनुसार।

५६ जानवरों के प्रति निर्दयता को रोकना और जङ्गली पशु-पक्षियों की रक्षा करना, केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था के अनुसार।

५७ वे स्टाम्प, जो न्याय-विभाग में प्रचलित नहीं हैं, केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था के अनुसार। और न्याय-विभाग के वे स्टाम्प, जो व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था के अनुसार हैं, और जो उस कोर्ट फ़ीस से सम्बन्ध रखते हैं, जो मुकदमों पर और हाईकोर्टों के ख़ास कार्रवाई से सम्बन्ध रखती है।

५८ दस्तावेज़ और तमस्सुखों का रजिस्ट्रेशन, केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था के अनुसार।

५६ तौल और नाप, तत्सम्बन्धी केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था के अनुसार।

६० ज़हरों की निगरानी, हथियार और बारूद-गोला, पेट्रोल और जल उठने वाली चीज़ें, केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था के अनुसार।

६१ समाचार-पत्रों की निगरानी, केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था के अनुसार।

६२ डाक्टरों या दूसरे पेशों की योग्यता और दर्जों का इन्तजाम, केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था के अनुसार।

६३ स्थानीय फन्ड की जांच।

—०—

परिशिष्ट

[अ]

धर्मानुसार पंजाब की जन-संख्या का व्यौरा

और

व्यवस्थापिका सभा में प्रत्येक धर्म के प्रतिनिधियों की संख्या का अनुमान

यह नोट निम्न लिखित दो बातों को मानकर लिखा गया है—

(१) सब देश का सम्मिलित चुनाव होगा और किसी समुदाय के लिए जगह सुरक्षित न होगी।

(२) जो बालिग़ है, वह वोट देने का अधिकारी होगा या वोट देने के लिए कोई ऐसी ऐसी योग्यता रक्खी जायगी, जिसकी वजह से भिन्न भिन्न जातियों के प्रतिनिधियों का आपस में वही अनुपात होगा, जो उन जातियों की संख्याओं में होगा।

इस नोट में जो अङ्क अथवा हिसाब दिया हुआ है वे सन् १९४१ ई० की जन-संख्या के अनुसार दिये गये हैं। यहाँ पर यह ज़िक्र कर देना ज़रूरी है कि पंजाब में, जो मुसलमनों की तादाद में तरक़्क़ी हुई है, वह हिंदुओं के मुक़ाबिले ज़्यादा है। इसका कारण रिपोर्ट यह बतलाती है कि मुसलमानों की तादाद हिंदुओं के मुसलमान हो जाने की वजह से नहीं बढ़ी है, बल्कि उनकी कुछ सामाजिक रिवाजों—विधवा-विवाह, बड़ी

उम्र की शादी—की वजह से बढ़ी है। हिन्दुओं में छोटी उम्र में शादी हो जाने की वजह से बच्चों की मौतें बहुत होती हैं। इसलिए, यह संभव है कि आजकल पंजाब के मुसलमानों की आबादी सन् १९२१ की आबादी की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा है। आगामी जन-संख्या में मुसलमानों की संख्या अवश्य बढ़ जायगी। इसलिए, इसके मानी ये हैं कि इस नोट में, जो हिसाब लगाया गया है, वह, मुसलमानों का ख़्याल करते हुए पुराना ही ठहरता है और जो वास्तव में स्थिति है, वह उसके लिए अधिक हितकर है।

इस समय सन् १९२१ ई० की जन-संख्या के अनुसार व्यवस्थापिका सभाओं के प्रतिनिधियों की संख्या का ठीक तौर से मालूम करना संभव नहीं है। इस संबंध में बहुत कुछ हल्कों के बनाने पर भी निर्भर है। और यह भी किसी प्रकार निश्चित नहीं है। यह वास्तव में एक बड़ी अवांछनीय बात है कि सम्मिलित चुनाव में हिंदू हिंदू के लिए वोट दें और मुसलमान मुसलमान को। यहां पर जो विचार किया जायगा, उसमें इस क़िस्म की रिआयत देना संभव नहीं है। चूंकि इस प्रश्न पर साम्प्रदायिक दृष्टि से विचार किया जा रहा है, इसलिए, हमको यह पहिले ही से समझलेना चाहिये कि जैसा कि साधारण नियम है, साम्प्रदायिक ढङ्ग ही से वोट पड़ेंगे। जब हल्के नहीं बने हैं, तब सिर्फ़ एक ही उपाय रह जाता है। वह यह कि प्रत्येक ज़िले के प्रतिनिधियों की तादाद का पता लगाया जाय। यह सम्भव है कि या तो एक पूर्ण ज़िला एक हल्का होगा, या

उसका एक हिस्सा। पञ्जाब की जन-संख्या, (देशी रियासतों को छोड़कर) सन १६२१ ई० में २०,६८५,०२४ थी।

इसमें भिन्न भिन्न जातियां इस प्रकार थीं—

मुसलमान ...	११,४४४,३२१	... ५५·३	फीसदी
हिन्दू ..	६,५७६,२६०	... ३१·८	„
सिक्ख ...	२,२६४,२०७	... ११·१	„
अन्य जातियाँ (ख़ासकर ईसाई)	३६७,२३६	... १·८	„
	२०,६८५,०२४	१००·०	

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुसलमान लोग और सब जातियों की मिली हुई तादाद से भी अधिक हैं, परन्तु अति अधिक नही हैं। यदि जिस प्रकार आबादी फैली हुई है, उसको और अच्छी तरह से जांच की जाय, तो यह देखने में आवेगा कि सब प्रांतों में मुसलमान लोग ज़्यादा हैं। इसकी वजह यह है कि हिंदू और सिक्ख ज़्यादा तादाद में पंजाब के दक्षिणी भाग—अम्बाला और जालन्धर की कमिश्नरियों में आबाद हैं। मुसलमान लोग इन दो कमिश्नरियों में लघु-संख्या में हैं। परन्तु वे इस कमी की पूर्ति और दूसरे ज़िलों में अपनी बहु-संख्या होने के कारण कर लेते हैं।

स्वाभाविक रूप से पंजाब को तीन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है—(१) ख़ास मुस्लिम-क्षेत्र, (२) न मुस्लिम, न हिन्दू, परन्तु वह क्षेत्र, जिसमें मुसलमानों की बहु-संख्या है और (३)

हिंदू-सिक्ख-क्षेत्र। यदि इन क्षेत्रों के अनुसार पंजाब की कमिश्नरियों को लेते हैं, तो वे इस प्रकार हैं—

(१) रावलपिंडी और मुल्तान की कमिश्नरियो में मुस्लिम-क्षेत्र है, जिसमें मुसलमान अति बहु-संख्या में हैं। इसमें इनकी तादाद क्रमशः ८,६ं१ और ७,६ं१ फी सदी हैं।

(२) लाहौर का कमिश्नरी में न तो मुसलमानों ही का क्षेत्र है और न हिंदू और सिक्खों ही का। परन्तु यहाँ पर मुसलमान लोग हिंदू और सिक्खों के मुक़ाबिले में अधिक संख्या में हैं, यानी ५७ं० फ़ीसदी हैं।

(३) अम्बाला और जालन्धर की कमिश्नरियों में हिन्दू-सिक्ख-क्षेत्र है, जिसमें मुसलमान लघु-संख्या में है। इन कमिश्नरियों में मुसलमानों की तादाद क्रमशः २६ं३ और ३२ं८ फ़ीसदी है।

इन साम्प्रदायिक क्षेत्रों के आधार पर हम व्यवस्थापिका सभा के मैम्बरों के विषय में कुछ मोटे रूप से पता लगा सकते हैं। यदि एक लाख पीछे एक मैम्बर रक्खा जाय, तो मैम्बरों की तादाद इस प्रकार होगी—

		जन-संख्या, हज़ारों में	मैम्बर	
पंजाब	... ...	२०,६८५ मीज़ान	२०७ मीज़ान	
१	रावलपिंडी कमिश्नरी ...	३,४६१...	३५	...७७
	मुल्तान ,, ...	४,२१८...	४२	
२	लाहौर कमिश्नरी ...	४,६६७...	५०	...५०
३	अम्बाला कमिश्नरी ...	३,८२७...	३८	८०
	जालन्धर ,, ...	४,१८२...	४२	
				२०७

हम यह कल्पना कर सकते हैं कि मुसलमान लोग मुस्लिम-क्षेत्र में सब जगहों को ले लेंगे और हिन्दू और सिक्ख लोग अपने क्षेत्र की सब जगहों को जीत लेंगे। लाहौर की कमिश्नरी में दोनों में जगहें बट जायगी। परन्तु यह सब वास्तव में न तो पूरी तौर से हो सकता है और न होना चाहिए। यह उचित नहीं है कि एक कमिश्नरी के मेम्बर सिर्फ़ एक ही जाति के हों। परन्तु मोटे तौर से हिसाब लगाने से यह कहा जा सकता है कि वे जगहें, जिनको मुसलमान लोग हिन्दू-सिक्ख-क्षेत्र में प्राप्त करेंगे, उन जगहों के, जिनको हिन्दू और सिक्ख मुस्लिम-क्षेत्र में प्राप्त करेंगे, बराबर हो जायेंगी। परन्तु वास्तव में, मुसलमानों के लिए हिन्दू-सिक्ख-क्षेत्र में जगहों के प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मौक़ा है और हिन्दू-सिक्खों के लिए मुस्लिम-क्षेत्र में मौक़ा नहीं हैं। क्योंकि रावलपिंडी और मुल्तान की कमिश्नरियों में मुसलमान लोग बहु-संख्या में हैं, यानी क्रमशः ८६.०. और ७६.९ फ़ीसदी हैं।

इसलिए, हम इस नतीजे पर आते हैं कि मुसलमान लोग अपने क्षेत्र में ७७ जगह अवश्य पा जायेंगे और हिन्दू और सिक्ख मिल कर अपने क्षेत्र में ८० जगह। तीसरा क्षेत्र—लाहौर कमिश्नरी—सम्भव है, दोनों में बट जायगा। परन्तु इसमें भी मुसलमानों ही को अधिक जगहें मिलेंगी। पंजाब में मुसलमानों की आबादी ५७ फ़ीसदी और हिन्दू और सिक्खों की आबादी क्रमशः २०.७ और १६.२ फ़ीसदी है। बाक़ी ६.१ फ़ीसदी ईसाई वग़ैरः हैं। लेकिन यहां पर इनके बारे में विचार नहीं किया

जासकता। क्योंकि इनका प्रांत की बड़ी बड़ी जातियों से कोई संबंध नहीं है और न इनको हम मुसलमानों का विरोधी या हिंदू-सिक्खों का साथी ही कह सकते हैं। पंजाब में हिन्दू-सिक्ख मिल कर ३६.९ फीसदी हैं और मुसलमान ५७.० फीसदी। इस प्रकार मुसलमान लोग हिंदू-सिक्खों की तादाद के ड्योढ़े से भी अधिक हैं। यह बहुत बड़ा अन्तर है और इस अन्तर का असर चुनाव पर अवश्य पड़ेगा। पंजाब में मुसलमान लोग उतनी जगहों से ज़्यादा जगहें ले जाएंगे, जितनी उनके हिस्से में आबादी के लिहाज़ से आती हैं। परन्तु यदि इन्हें अपनी आबादी के अनुसार ही लाहौर कमिश्नरी में जगहें मिल गईं, तो भी इनको उसमें २९ जगहें मिलेंगी। यदि इन २९ जगहों को मुस्लिम-क्षेत्र की ७७ जगहों में जोड़ दिया जाय, तो १०६ जगह हो जाती हैं, जिनका अर्थ यह होता है कि पंजाब की व्यवस्थापिका सभा में, जिसमें कुल मेम्बरों की तादाद २०७ है, मुसलमान मेम्बरों की तादाद दूसरी जातियों के सब मेम्बरों से भी साफ़ कुछ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। मुसलमान लोग हिन्दू-सिक्खों के मुक़ाबिले में बहुत बड़ी बहु-संख्या में हो सकते हैं, क्योंकि दूसरी जातियां (ईसाई वग़ैरः) भी हिन्दू-सिक्खों ही के साथ शामिल मानी जाती हैं।

इस सब का आधार यह है कि हिन्दू और सिक्खों के हित समान हैं और ये दोनों जातियाँ हर समय एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। परन्तु ऐसी कल्पना वास्तव में उचित नहीं है। क्योंकि यह अधिक संभव है कि वे दोनों सदा साथ साथ काम

न कर सकें। ऐसी हालत में इन दोनों को अलग अलग लघु-संख्या मुसलमानों की बहु-संख्या के मुक़ाबिले और भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी।

चूंकि लाहौर की कमिश्नरी का मामला नाज़ुक है, इसलिए इस पर और अधिक विस्तार के साथ जाँच की जा सकती है। इस कमिश्नरी में ६ ज़िले हैं, जिनमें से स्यालकोट, गुजरान-वाला और शेखूपुरा इन तीन ज़िलों में मुसलमान लोगों की अच्छी खासी बहु-संख्या है। चूंकि दूसरी जातियां (ईसाई वग़ैरः) इन ज़िलों में काफ़ी तादाद में हैं, इसलिए मुसलमानों की संख्या हिन्दू-सिक्खों के मुक़ाबिले में बहुत अधिक हो जाती है और वे वास्तव में अति बहु-संख्या में हैं भी।

इन तीन ज़िलों की आबादी इस प्रकार है—

ज़िला स्यालकोट		फ़ीसदी	
मुसलमान	...	६१.९	
हिन्दू	...	१९.५	... ९॥ जगह
सिक्ख	...	८.०	
दूसरी जातियाँ	...	१०.५	

इस ज़िलों में हिन्दू-सिक्खों की तादाद मिलकर २७.५ फ़ीसदी है और मुसलमानों की संख्या हिंदू और सिक्खों की संख्या की दूनी से भी कहीं अधिक है।

ज़िला गुजरानवाला		फ़ीसदी	
मुसलमान	...	७२.०	
हिन्दू	...	१५.८	... ६। जगह
सिक्ख	...	८.२	
दूसरी जातियाँ	...	५.१	

इस ज़िले में हिन्दू-सिक्खों की मिली हुई तादाद २४'० फ़ी-सदी और मुसलमानों की ७१'० फ़ीसदी है। इस प्रकार मुसलमान हिंदू-सिक्खों की तादद से क़रीब तिगुने हैं।

ज़िला शेख़ूपुरा		फ़ीसदी	
मुसलमान	...	६३'३	... ५ जगह
हिन्दू	...	१६'०	
सिक्ख	...	१५'६	
दूसरी जातियाँ	...	४'८	

इस ज़िले में हिंदू-सिक्खों की मिली हुई तादाद ३१'६ फ़ीसदी है और मुसलमानों की ६६'३ फ़ीसदी। इस प्रकार मुसलमान लोग हिंदू-सिक्खों की तादाद के दूने हैं।

इन तीन जिलों में मुसलमान अजेय हैं। ये जिले वास्तव में मुस्लिम-क्षेत्र ही के भाग हैं। इस लिए, इन पर उसी क्षेत्र के साथ विचार होना चाहिए। इन जिलों से प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए २१ मैम्बर चुने जा सकेंगे। इनको मुस्लिम-क्षेत्र के ७७ मैम्बरों में जोड़ दीजिए। इस प्रकार सब मिलकर ६८ मैम्बर हो जाते हैं।

लाहौर के बाकी तीन ज़िलों में यह हालत है—

ज़िला लाहौर		फ़ीसदी	
मुसलमान	...	५७'३	... ११ जगह
हिन्दू	...	२१'५	
सिक्ख	...	१५'६	
दूसरी जातियाँ	...	५'३	

इस जिले में हिंदू-सिक्खों की मिली हुई तादाद ३७'४ फ़ीसदी है और मुसलमानों की ५७'३ फ़ीसदी। यहां मुसल-

मानों की इतनी अधिक संख्या नहीं है, जितनी उत्तरी ज़िलों में है परन्तु फिर भी खासी अच्छी अधिक संख्या है। इस ज़िले में भी मुसलमान लोग हिंदू-सिक्खों की ड्योढ़ी तादाद से भी अधिक हैं।

ज़िला अमृतसर		फ़ीसदी	
मुसलमान	...	४५.६	... ६ जगह
हिन्दू	...	२१.६	
सिक्ख	...	३०.९०	
दूसरी जातियाँ	...	१.८	

इस ज़िलेमें हिन्दू-सिक्खों की मिली हुई तादाद ५२.५ फ़ीसदी है। इसलिए ये यहां मुसलमानों से, जिनकी तादाद ४५.६ फ़ीसदी है अधिक हैं।

ज़िला गुरदासपुर		फ़ीसदी	
मुसलमान	...	४९.६	... ८॥ जगह
हिन्दू	...	२६.०	
सिक्ख	...	१६.२	
दूसरी जातियां	...	८.२	

इस ज़िले में मुसलमानों की तादाद हिन्दू-सिक्खों की मिली हुई तादाद से ज़्यादा है। मुसलमान ४९.६ फ़ीसदी हैं और हिन्दू-सिक्ख मिले हुए ४२.२ फ़ीसदी। परन्तु यहां पर मुसलमान बहुत बढ़े हुए नहीं हैं। अमृतसर की हालत इससे बिलकुल उलटी है। यहां पर दूसरी जातियों (ईसाई वग़ैरः) की भी तादाद काफ़ी अच्छी है।

इस प्रकार इन तीन ज़िलों में लाहौर में मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा, गुरदासपुर में कुछ ज़्यादा और अमृत-

सर में कम है। परन्तु गुरदासपुर में भी अकेली मुसलमान जाति और सब जातियों से अधिक है।

यह बहुत मुमकिन है कि मुसलमान लोग इन जि़लों और ख़ास तौर से लाहौर में कुछ जगहों को पा जाएंगे।

इस प्रकार लाहौर की कमिश्नरी से ज़्यादातर मुसलमानों ही के मैम्बर चुने जाएंगे। इन मैम्बरों की तादाद को उत्तरी—पश्चिमी मुस्लिम-क्षेत्र के मैम्बरों की तादाद में जोड़ देने से मुसलमान मैम्बर व्यवस्थापिका सभा में साफ़ बहु-संख्यक हो जाते हैं।

इस प्रश्न पर दूसरी तरह से भी विचार किया जा सकता है। बजाय पूरी कमिश्नरी को लेने के हर ज़िलों को ले लिया जाय। इससे, सम्भव है, कि यह ख़्याल और भी अधिक साफ़ हो जायगा।

पंजाब में २९ ज़िले हैं। इनको ४ हिस्सों में बांटा जा सकता है—(१) वे ज़िले जहां मुसलमान अति बहु-संख्या में हैं और अजेय हैं, (२) वे ज़िले जहां वे बहु-संख्या में हैं, लेकिन इतनी बहु-संख्या में नहीं है, जितनी वे (१) में हैं, (३) वे ज़िले जहां पर कोई जाति बहु-संख्या में नहीं हैं, और (४) वे ज़िले, जहां हिंदू-सिक्खों की अति बहु-संख्या है।

१—वे ज़िले जहां मुसलमान बहु-संख्या में हैं—

ज़िला		फ़ीसदी आबादी		मैम्बर की संख्या
१—गुजरात	...	८६.२	...	८
२—शाहपुर	...	८२.८	...	७

३—झेलम	...	८८·७	...	५
४—रावलपिंडी	...	८२·६	...	६
५—अटक	...	६०·६	...	५
६—मियांवाली	...	८६·३	...	४
७—मोंटगोमरी	...	७१·८	...	७
८—लायलपुर	...	६०·७	...	१०
९—झंग	...	८३·३	...	६
१०—मुल्तान	...	८[illegible]·२	...	९
११—मुज़फ्फरगढ़	...	८६·८	...	५॥
१२—डेरागाज़ी खां		८८·३	...	५
१३—स्यालकोट	...	६१·९	...	९॥
१४—गुजरानवाला	...	७१·०	...	६
५ शेखूपुरा	...	६३·३	...	५
				९८

२—वे ज़िले जहाँ मुसलमानों की बहु-संख्या है—

(१) लाहौर	...	हिन्दू	२१·५	......११
		मुसलमान	५७·३	
		सिक्ख	१५·९	
		दूसरी जातियां	५·३	
(२) गुरदासपुर	...	हिन्दू	२६·०	...८॥
		मुसलमान	४९·६	
		सिक्ख	१६·२	
		दूसरी जातियां	८·२	
				१९॥

३—वे ज़िले जिनमें किसी जाति की प्रधानता नहीं है—

(१) जालन्धर ...	हिन्दू	२६.४	८
	मुसलमान	२५.१	
	सिक्ख	४४.५	
	दूसरी जातियां	१.०	
(२) फ़ीरोज़पुर ...	हिन्दू	२७.६	११
	मुसलमान	२७.६	
	सिक्ख	४३.६	
	दूसरी जातियां	.६	
(३) अमृतसर ...	हिन्दू	२१.६	६
	मुसलमान	३०.६	
	सिक्ख	४५.६	
	दूसरी जातियां	१.८	
			२८

इन तीनोंज़िलों में भी मुसलमान ही अधिक शक्ति शाली हैं।

(४) निम्नलिखित ज़िलों में हिन्दू और सिक्ख बहु-संख्या में हैं—

१—हिसार	...	हिन्दू ६६.१	...	८
२—रोहतक	...	हिन्दू ७८.०	...	८
३—गुरगांवा	...	हिन्दू ६६.७	...	७
४—करनाल	...	हिन्दू ६७.५	...	८
५—अम्बाला	...	हिन्दू ५३.८	...	७
६—शिमला	...	हिन्दू ७१.२	...	१/२
७—कांगड़ा	...	हिन्दू ६४.०	...	८

८—होशियार पुर ...	हिन्दू ५३.३	...	६
६—लुधियाना ...	हिन्दू २३.६	...	
	सिक्ख ४१.५		
	मुसलमान ३४.०	...	६
दूसरी जातियाँ	.६		
			६१॥

इसके अनुसार मुसलमान अपने खास क्षेत्र के १५ ज़िलों से जहाँ वे अजेय हैं, ७८ जगह पायेंगे। हिन्दू भी उसी तरह अपने ख़ास क्षेत्र से ६१॥ जगह पायेंगे। मुसलमान, उन दो ज़िलों में से जहां वे बहु-संख्या में हैं १६॥ जगह पायेंगे। मुसलमान, उन तीन ज़िलों से जहाँ किसी। जाति की अधिकता नहीं हैं, परन्तु मुसलमानों की जाति सब से अधिक है, २८ जगह पायेंगे। इस प्रकार इन सब मैम्बरों की तादाद को जोड़ने से व्यवस्थापिका सभा के सब मैम्बरों की तादाद २०७ होती है।

इस प्रकार मुसलमानों को व्यवस्थापिका सभा में १०४ जगह मिल जाने से, उसमें उनकी बहु-संख्या हो जाती है।

उपरोक्त जिलेवार अङ्कों के ब्यौरे से निम्नलिखित नतीजे निकलते हैं—

(१) मुसलमान लोग केवल मुस्लिम-क्षेत्र से, जहां वे अजेय हैं, ६८ जगहें या ४७.३ फीसदी जगहें प्राप्त करेंगे।

(२) हिन्दू सिक्ख-क्षेत्र से, जहां हिन्दू और सिक्ख

अधिक मज़बूत हैं, हिन्दू-सिक्ख ६१॥ जगहें या २६.८ फी सदी जगहें प्राप्त करेंगे।

(३) उन दो ज़िलों में जहां मुसलमानों की प्रधानता है १६॥ जगहें या ६.४ फी सदी जगहें होंगी।

(४) उन तीन जिलों में, जहां सब जातियों की एक ही सी शक्ति है, परन्तु मुसलमान-जाति सब से अधिक है २८ जगहें या १३.५ फीसदी जगहें होंगी।

यह बहुत मुमकिन है कि ऊपर के दूसरे क्षेत्र में से, जहां मुसलमान अधिक शक्तिशाली हैं, मुसलमान लोग १६॥ जगहों में से कम से कम १० जगह प्राप्त करेंगे। इस तादाद को जब उनके ख़ास क्षेत्र के मैम्बरों की तादाद (६८) में जोड़ दिया जाता है, तो वे सब मिल कर १०८ जगहें हो जाती हैं, जिसके मानो ये होते हैं कि मुसलमान लोग व्यवस्थापिका सभा में साफ़ बहु-संख्या में हो जाते हैं। ऊपर के तीसरे क्षेत्र में भी मुसलमान लोग कुछ जगह प्राप्त करेंगे। क्योंकि वे वहां और सब जातियों से ज़्यादा तादाद में है। वे वहां २८ जगहों में से १२ जगह आसानी से प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार पंजाब प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा में मुसलमान मैम्बरों की संख्या १२० हो जाती है। और सभा के कुल मैम्बर २०७ हैं। इस लिए, मुसलमान मैम्बर सभा में ५८ फी सदी हो जाते हैं। इस लिए, सन् १६२१ ई० की पुरानी जनसंख्या के हिसाब से भी मुसलमानों का व्यवस्थापिका सभा में ५८ फीसदी जगहों का पाना बहुत सम्भव ज्ञात होता है।

पंजाब (ब्रिटिशराज्य)

सविस्तार जन-संख्या

मोज़ान............२०,६८५,०२४.........१००·० फ़ीसदी
मुसलमान... ११,४४४,३२१.........५५·३ ,,
हिन्दू... ६,५७९,२६०.........३१·८ ,,
सिक्ख... २,२६४,२०७.........११·१ ,,
अन्य (ख़ासकर ईसाई) ३६७,२३६.........१·८ ,,

पंजाब की कमिश्नरियां

(जन-संख्या सहस्रों की गिनती में)

अम्बाला कमिश्नरी	जन संख्या	फ़ीसदी	
मोज़ान	३,८२७	१००	
हिंदू	२,५५६	६६·६	......३८
मुसलमान	१,००६	२६·३	
सिक्ख	१५८	४·२	
अन्य	१०६	२·८	

जालन्धर कमिश्नरी

मोज़ान	४,१२८	१००	
हिंदू	१,८६३	४५	......४२
मु०	१,३७०	३२·८	
सि०	८८०	२१·०	
अन्य	४०	·६	

लाहौर कमिश्नरी

मोज़ान...	४,६६७...	१००	
हिं०...	१,०३३...	२०.७	......५०
मु०...	२,८४६...	५७.०	
अन्य...	८१३...	१६.२	
अन्य...	३०३...	६.१	

रावलपिंडी कमिश्नरी		फ़ीसदी	
मी.ज़ान...	३,४६१...	१००	
हिं०...	२९६...	८.५	
मु०...	२,९७३...	८६.०	·३५
सि०...	१५३...	४.४	
अन्य...	३८...	१.१	

मुल्तान कमिश्नरी			
मीज़ान...	४,२१८...	१००	
हि०...	६०२...	१४.३	
मु०...	३,२४६...	७६.९	......४२
सि०...	२९०...	६.९	
अन्य...	८० ...	१.९	

नोट—हि = हिन्दू, मु = मुसलमान, सि = सिक्ख, अन्य = दूसरी जातियां।

पञ्जाब के ज़िले

अति बहुःसंख्यक मुस्लिम ज़िले

जिला	जन-संख्या, सहस्रों में	फ़ीसदी	मैम्बर
१—गुजरात—			
मी.ज़ान ...	८२४ ...	१००	
हि० ...	५९ ...	७.२	
मु० ...	७१० ...	८६.२	... ८.२
सि० ...	४९ ...	६.०	
अन्य ...	६ ...	.७	
२—शाहपुर—			
मी.ज़ान ...	७२० ...	१००	
हि० ...	७९ ...	११	
मु० ...	५९६ ...	८२.८	... ७.२
सि० ...	३० ...	४.२	
अन्य ...	१५ ...	२.१	

३—[illegible]लम—

मी.जान		४७७		१००	
हि०	...	३२	...	६·९	
मु०	...	४२३	...	८८·७	... ४·८
सि०	...	१९	...	४·०	
अन्य	...	२	...	·४	

४ रावलपिंडी

मी.जान		५६९		१००	
हि०	...	५५	...	९·७	
मु०	...	४७०	...	८२·९	... ५·७
सि०	...	३२	...	५·९	
अन्य	...	१२	...	२·१	

५—अटक—

मी.जान		५१२		१००	
हि०	...	२५·५	...	५·०	
मु०	...	४६५·५	...	९०·९	... ५१
सि०	...	२०	...	३·९	
अन्य	...	१	...	·२	

६ मियांवाली—

मी.जान		३५८		१००	
हि०	...	४५	...	१२·६	
मु०	...	३०९	...	८६·३	... ३·९
सि०	...	३	...	·८	
अन्य	...	१	...	·३	

७—मोंटगोमरी

मी.जान		७१४		१००	
हि०	...	९२	...	१२·९	
मु०	...	५१३	...	७१·८	...७
सि०	...	९६	...	१३·४	
अन्य	...	१३	...	१·८	

८ लायलपुर—

मीज़ान		९८०		१०२	
हिं०	...	११७	...	१८·१	...९·८
मु०	...	५९५	...	६०·७	
सि०	...	१६१	...	१६·४	
अन्य	...	४७	...	४·८	

९ झंग—

मीज़ान		५७०		१००	
हिं०	...	८४	...	१४·७	...५·७
मु०	...	४७५	...	८३·३	
सि०	...	६	...	१·६	
अन्य	...	२	...	·४	

१० मुलतान—

मीज़ान		८९०		१००	
हिं०	...	१२६	...	१४·५	...८ ६
मु०	...	७३२	...	८२·२	
सि०	...	१८	...	२·०	
अन्य०	...	११	...	१·२	

११ मुज़फ़्फ़रगढ़—

मीज़ान		५६८		१००	
हिं०	...	६६	...	११·६	...५·७
मु०	...	४९३	...	८६·८	
सि०	...	५	...	·९	
अन्य	...	४	...	·७	

१२ डेरागाज़ी ख़ाँ (बिलोची भाग भी शामिल है)

मीज़ान		४९६		१००	
हिं०	...	५४	...	१०·९	...५·०
मु०	...	४३८	...	८८·३	
सि०	...	१	...	·२	
अन्य	...	३	...	·६	

१३ स्याल कोट—

मीज़ान	९३८	१००	
हिं०	... १८३	... १९.५	
मु०	... ५८१	... ६१.९	...९.४
सि०	... ७५	... ८.०	
अन्य	... ९९	... १०.५	

१४ गुजरानवाला—

मीज़ान	६२४	... १००	
हिं०	... ९८	... १५.८	
मु०	... ४४३	... ७१	...६.२
सि०	... ५१	... ८.२	
अन्य	... ३१	... ५.१	

१५ शेखूपुरा—

मीज़ान	... ५२३	... १००	
हिं०	... ८४	... १६.०	
मु०	... ३३१	... ६३.३	...५.२
सि०	... ८३	... १५.९	
अन्य	... २५	... ४.८	

१५ ज़िले — **९७.६ मैम्बर**

(२) प्रधान रूप से मुसलमानी ज़िले

वे ज़िले जहां पर मुसलमान, हिन्दू और सिक्खों की मिली हुई तादाद से अधिक परन्तु हैं, इतने अधिक नहीं हैं, जितने (१) में है।

१ लाहौर	आबादी	फीसदी	
मीज़ान	... १,१३१	... १००	
हिन्दू	... २४३	... २१.५	
मुसलमान	... ६४८	... ५७.३	... ११.३
सिक्ख	... १८०	... १५.९	
अन्य	... ६०	... ५.३	

२ गुर्दासपुर

मीज़ान	...	८५२	...	१००	
हिन्दू	...	२२२	...	२६·०	
मुसलमान	...	४२३	...	४६·६	... ८·५
सिक्ख	...	१३८	...	१६·२	
अन्य	...	७०	...	८·२	

२ ज़िले — १६·८ मैम्बर से

(३) वे जिंले जिनमें मुसलमान जाति के सिवाय कोई भी दूसरी जाति की प्रधानता शक्तिशाली नहीं है।

१ जालन्धर

मीजान	...	८२२·५	...	१००	
हिन्दू	...	२४२	...	२६·४	
मुसलमान	...	३६६·५	...	४४·५	... ८·२
सिक्ख	...	२०६	...	२५·१	
अन्य	...	८	...	१·०	

२ फ़ीरोज़पुर

मीज़ान	...	१०६८	...	१००	
हिन्दू	...	३०३	...	२७·६	
मुसलमान	...	४८२	...	४३·६	... ११
सिक्ख	...	३०३	...	२७·६	
अन्य	...	१०	...	·६	

३ अमृतसर

मिज़ान	...	६२६	...	१००	
हिन्दू	...	२०१	...	२१·६	
मुसलमान	...	४२४	...	४५·६	... ६·३
सिक्ख	...	२८७	...	३०·६	
अन्य	...	१७	...	१·८	

३ जिले — २८·५ मैम्बर

४-बहु-संख्यक हिन्दू-सिक्ख ज़िले

१ हिसार

मीज़ान	...	८१७	...	१००	
हिन्दू	...	५४०	...	६६·१	
मुसलमान	...	२१६	...	२६·४	...८·२
सिक्ख	...	४६	...	५·६	
अन्य	...	१५	...	१·८	

२ रोहतक

मीज़ान	...	७७२	...	१००	
हिन्दू	...	६०२	...	७८·०	
मुसलमान	...	१२५	...	१६·२	...७·७
सिक्ख	...	१	...	·१	
अन्य	...	४४	...	५·७	

३ गुड़गाँवा

मीज़ान	...	६८२	...	१००	
हिन्दू	...	४५५	...	६६·७	
मुसलमान	...	२१७	...	३१·८	...६·८
सिक्ख	...	१	...	·१	
अन्य	...	६	...	१·३	

४ कर्नाला

मीज़ान	...	८२६	...	१००	
हिन्दू	...	५६०	...	६७·५	
मुसलमान	...	२३६	...	२८·५	...८·३
सिक्ख	...	१२	...	१·४	
अन्य	...	२१	...	२·६	

पंजाब
रावलपिंडी
अटक
झेलम
गुजरात
सियालकोट
गुजरांवाला
अमृतसर
शेखूपुरा
शाहपुर
मियांवाली
लाहौर
ल्यालपुर
मान्टगोमरी
मुलतान
होशियारपुर
कांगड़ा
जालंधर
लुधियाना
शिमला
अम्बाला
करनाल
फीरोजपुर
हिसार
रोहतक
नक्शे का परिचय
अति बहु-संख्यक मुस्लिम क्षेत्र
बहु-संख्यक मुस्लिम क्षेत्र

५ अम्बाला

मीज़ान	... ६८२	...	१००	
हिन्दू	... ३६७	...	५३·८	
मुसलमान	... २०६	...	३०·२	...६·८
सि०	... ९८	...	१४·४	
अन्य	... ११	...	१·६	

६ शिमला

मीज़ान	... ४५	...	१००	
हिं०	... ३२	...	७१·२	
मु०	... ७	...	१५·५	... ०·४
सि०	... १	...	२·२	
अन्य	... ५	...	११·१	

७ कांगड़ा

मीज़ान	... ७६६	...	१००	
हिं०	... ७२२·३	...	९४·०	
मु०	... ३८·३	...	५·०	... ७·७
सि०	... २	...	·३	
अन्य	... ३·४	...	·७	

८ होशियारपुर

मीज़ान	... ९२७	...	१००	
हिं०	... ४९४	...	५३·३	
मु०	... २८९	...	३१·२	... ९·३
सि०	... १३३	...	१४·३	
अन्य	... ११	...	१·२	

९ लुधियाना

मीज़ान	... ५६८	...	१००	
हिं०	... १३४	...	२३·६	
म०	... १९३	...	३४·०	... ५·७
सि०	... २३६	...	४१·५	
अन्य	... ५	...	·९	

९ ज़िले — **६०·९ मैम्बर**

इन अङ्कों से विदित होता है कि तीन चौथाई पंजाब में बनावटा जगहों के संरक्षण के अलावा स्वाभाविक संरक्षण मौजूद है। केवल एक चौथाई से कुछ कम ही में दोनों जातियों के लिए बराबर बराबर मेम्बर भेजने का मौका है। जिस प्रकार की पंजाब की आबादी है, वह बहु-संख्यक मुस्लिम-जाति के लिए अति हितकर है।

—o—

परिशिष्ट

[ब]

धर्मानुसार बंगाल की जन-संख्या

बङ्गाल (ब्रिटिश) की आबादी सन् १९२१ ई० में ४,६६६,९५, ५३६ थी। यह भिन्न भिन्न धर्मों के अनुसार इस प्रकार थी—

मुसलमान	...	२५,२१०,८०२	...	५४·० फ़ीसदी
हिन्दू	...	२०,२०३,५२७	...	४३·३ ,,
अन्य	...	१,२८१,२०७	...	२·७ ,,

'अन्य' लोगों में पहाड़ी लोग और ईसाई लोग भी शामिल हैं। पहाड़ी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इनमें जैनी और बौद्ध आदि भी शामिल हैं। परन्तु इन दोनों जातियां की संख्या अधिक नहीं है।

इस प्रकार मुसलमान लोग और सबों की मिली हुई संख्या से सिर्फ़ ४फ़ीसदी अधिक हैं। मुसलमानों की यह बहुलता सब सूबे में फैली हुई नहीं है। हिंदू लोगों की संख्या अधिकतर बंगाल के एक हिस्से—बर्दवान की कमिश्नरी और प्रेसीडेंसी कमिश्नरी का कुछ भाग—ही में हैं, जिसका नतीजा यह है कि मुसलमान लोग बंगाल के दूसरे हिस्सों में सब जगह हिंदुओं से ४ फी सदी से अधिक ज़्यादा हैं। पंजाब की तरह बंगाल

में भी हिंदू और मुसलमानों के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों की मोटे रूप से जांच करने से यह पता लगता है कि तीन क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें अति बहु-संख्यक मुस्लिम हैं; एक क्षेत्र ऐसा है, जिसमें अति बहु-संख्यक हिन्दू हैं; और एक क्षेत्र में करीब क़रीब दोनों बराबर हैं, परन्तु इसमें हिन्दू लोग मुसलमानों से ४ फ़ीसदी ज़्यादा हैं।

(अ) मुस्लिम-क्षेत्र

		फ़ीसदी	मैम्बर
१ चटगांव कमिश्नरी			
मुसलमान	...	७२·६	६०
हिन्दू	...	२३·८	
२ ढाका कमिश्नरी			
मुसलमान	...	६६·७	१२८
हिन्दू	...	२६·७	
३ राजाशाही कमिश्नरी			
मुसलमान	...	६१·४	१०३
हिन्दू	...	३३·७	

(ब) बहु-संख्यक हिंदू-क्षेत्र

४ बर्दवान कमिश्नरी		...	
मुसलमान	...	१३·४	८०
हिन्दू	...	८२·४	

(ख) साधारण हिंदू-क्षेत्र

५ प्रेसीडेंसी कमिश्नरी		६५
मुसलमान ...	४७·५	
हिन्दू ...	५१·४	
बङ्गाल के कुल मैम्बरों की तादाद		४६६

नोट—एक लाख जनता पीछे एक मैम्बर चुनने का नियम है।

हम यह देखते हैं कि मुस्लिम-क्षेत्र से २६१ मैम्बर चुने जा सकते हैं, हिन्दू-क्षेत्र से ८० और तीसरे क्षेत्र से १५। यदि एक लाख पीछे एक मैम्बर चुना जाय, तो बङ्गाल में कुल मैम्बरों की तादाद ४६६ होगी। इससे स्पष्ट है कि २३४ मैम्बरों की बहु-संख्या होती है। अकेले मुस्लिम-क्षेत्र से २६१ मैम्बर चुने जा सकते हैं, यानी ५७ मैम्बर उतने मैम्बरों से ज़्यादा, जितने बहु-सँख्या बनाने के लिए आवश्यक हैं। प्रेसीडेंसी कमिश्नरी में मुसलमान लोग ४७·५ फ़ीसदी हैं और यह ख़याल में नहीं आ सकता है कि इनकी उपेक्षा की जा सकती है। इस कमिश्नरी से मुसलमानों में अवश्य बहुत से मैम्बर चुने जाएँगे। मुसलमान, सूबे में इस प्रकार फैले हुए हैं कि इनके मैम्बरों की तादाद इनकी तादाद के लिहाज़ से ज़रूर ज़्यादा हो जायगी। ये चुनाव में शायद माली या तालीमी हैसियत से पिछड़ जांय, लेकिन इस कमी के कारण उनके मैम्बरों को उस बहु-सँख्या को कोई धक्का न पहुंचेगा, जिसको वे अपने क्षेत्र में प्राप्त करेंगे।

जिलेवार अङ्क देने से आबादी के अङ्कों की जांच और भी

अधिक विस्तार-पूर्वक हो जायगी। धर्म के अनुसार आबादी के अङ्क इस नोट के अन्त में दिये हुए हैं। इन अङ्कों को इस प्रकार बांटा जा सकता है—

(अ) अति बहु-संख्यक मुस्लिम-क्षेत्र

जिला		मैम्बर
नदिया	...	१५
चटगांव	...	१६
नोआखाली	...	१५
टिपरा	...	२७
मैमनसिंह	...	४८
बाकरगञ्ज	...	२६
फरीदपुर	...	२३
ढाका	...	३१
पवना	...	१४
बोगरा	...	१०
रङ्गपुर	...	२५
राजाशाही	...	१५
जैसोर	...	१७
		२८२

बहु-संख्यक मुस्लिम-जिले

मुर्शिदाबाद	...	१३
मालदा	...	१०
		२३

(स) बहु-संख्यक हिंदू ज़िले

जलपाईगोड़ी	...	६

(द) वे ज़िले जिनमें दोनों में से किसी की प्रधानता नहीं है—

खुलना	..	१४
दीनाजपुर	..	१७
चटगांव के पहाड़ी हिस्से	...	२
		३३

(ई) अति बहु-संख्यक हिंदू ज़िले

बर्दवान	..	१४
वीरभूमि	...	८
बांकुरा	...	१०
मिदनापुर	...	२७
हुगली	...	११
हावड़ा	...	१०
चौबीस परगना	...	२६
कलकत्ता	...	६
दार्जिलिंग	...	३
		११८

इन ज़िलेवार अङ्कों से भी वही नतीजा निकलता है, जो कमिश्नरीवार अंकों से। यदि धार्मिक विचार को लेकर वोट

पड़ें, तो हिन्दू-क्षेत्र और मुस्लिम-क्षेत्र, दोनों ही ठोस हैं और स्वाभाविक रूप से जगहों के संरक्षण के योग्य है। मुस्लिम-क्षेत्र से, जिसमें (अ) और (ब) दोनों ही शामिल हैं ३०५ मैम्बर चुने जाएंगे। अगर (ब) को छोड़ भी दिया जाता है, तो भी उससे २८२ मैम्बर चुने जाएंगे। यह (२८२) तादाद बहु-संख्या बनाने के लिए कहीं ज़्यादा है।

बंगाल की धर्मानुसार जन-संख्या

(अ) बंगाल की कमिश्नरियाँ

वर्दवान		आबादी हज़ारों में		फ़ीसदी	मैम्बर
मीज़ान	...	८,०५०	...	१००	
हिन्दू	...	६,६०७	...	८२·१	
मुसलमान	...	१,०८२	...	१३·४	...८०
अन्य	...	३६१	...	४·५	
प्रेसीडेंसी					
मीज़ान	...	६,४६१	...	१००	
हिन्दू	...	४,८६४	...	५१·४	
मुसलमान	...	४,४७६	...	४७·५	...६५
अन्य	...	१२०	...	१·२	
राजाशाही					
मीज़ान	...	१,०३४५	...	१००	
हिन्दू	...	३,४८७	...	३३·७१	
मुसलमान	...	६,३४६	...	६१·४	...१०३
अन्य	...	५०८	...	४·६	

ढाका

मीज़ान	...	१२,८३७	...	१००	
हिन्दू	...	३,८१३	...	२९·७	... १२८
मुसलमान	...	८,९४६	...	६९·७	
अन्य	...	७८	...	·६	

चटगांव

मीज़ान	...	६,०००	...	१००	
हिन्दू	...	१,४३२	...	२३·८	... ६०
मुसलमान	...	४,३५६	...	७२·६	
अन्य	...	२१२	...	३·५	

तमाम बंगाल (ब्रिटिश)

मीज़ान	...	४६,६९५	...	१००	
हिन्दू	...	२०,२०३	...	४३·३	...४६७
मुसलमान	...	२५,२११	...	५४·०	
अन्य	...	१,२८१	...	२·७	

(ब) बंगाल के ज़िले

जिले		आबादी हजारों में		फ़ीसदी	मैम्बर

बर्दवान की कमिश्नरी

१ बर्दवान

मीजान	...	१,४३९	...	१००	
हिंदू	...	१,१२२	...	७८·०	... १४
मुसलमान	...	२६६	...	१८·५	
अन्य	...	५०	...	३·५	

२ वीरभूमि

मीजान	...	८४८	...	१००	
हिंदू	...	५७७	...	६८·१	... ८
मुसलमान	...	२१३	...	२५·१	
अन्य	...	५८	...	६·८	

३ बांकुरा

मीजान	...	१,०२०	...	१००	
हिंदू	...	८८०	...	८६.३	... १०
मुसलमान	...	४७	...	४.६	
अन्य	...	९३	...	९.१	

४ मिद्नापुर

मीजान	...	२,६६७	...	१००	
हिंदू	...	२३,५२	...	८८.२	... २७
मुसलमान	...	१८१	...	६.८	
अन्य	...	१३४	...	५.०	

५ हुगली

मीजान	...	१०८०	...	१००	
हिंदू	...	८८५	...	८१.९	... ११
मुसलमान	...	१७३	...	१६.०	
अन्य	...	२२	...	२.१	

६ हावड़ा

मीजान	...	९९७	...	१००	
हिंदू	...	७९१	...	७९.३	... १०
मुसलमान	...	२०२	...	२०.३	
अन्य	...	४	...	.४	

प्रेसीडेंसी की कमिश्नरी

७ चौबीस परगना

मीजान	...	२,६२८	...	१००	
हिंदू	...	१,६८७	...	६४.२	... २६
मुसलमान	...	९१०	...	३४.६	
अन्य	...	३१	...	१.२	

८ कलकत्ता

मीजान	... ९०८	... १००	
हिंदू	... ६४३	... ७०.८	
मुसलमान	... २०९	... २३.०	... ६
अन्य	... ५६	... ६.२	

९ नदिया

मीजान	... १,४८७	... १००	
हिंदू	... ५८२	... ३९.१	
मुसलमान	... ८९५	... ६०.२	... १५
अन्य	... १०	... .७	

१० मुर्शिदाबाद

मीजान	... १,२६२	... १००	
हिंदू	... ५६९	... ४५.१	
मुसलमान	... ६७६	... ५३.६	... १३
अन्य	... १७	... १.३	

११ जैसोर—

मीजान	... १,७२२	... १००	
हिंदू	... ६५६	... ३८.२	
मुसलमान	... १,०६३	... ६१.७	... १७
अन्य	... २	... .१	

१२ खुलना

मीजान	... १४५३	... १००	
हिंदू	... ७२७	... ५०.०	
मुसलमान	... ७२३	... ४९.८	... १४
अन्य	... ३	... .२	

राजाशाही की कमिश्नरी

१३ राजाशाही

मीजान	... १,४८९	... १००	
हिंदू	... ३१८	... २१.३	
मुसलमान	... १,१४०	... ७६.६	... १५
अन्य	... ३१	... २.१	

१४ दीनाजपुर

मीजान	...	१,७०५	...	१००		
हिं०	...	७५२	...	४४·१		
मुसलमान	...	८३७	...	४९·१	...	१७
अन्य	...	११६	...	६·८		

१५ जलपाईगोड़ी

मीजान	...	९३६	...	१००		
हिं०	...	५१५	...	५५·०		
मुंसलनान	...	३२२	...	२४·८	...	९
अन्य	...	१८९	...	२०·२		

१६ रङ्गपुर

मीजान	...	२,५०७	...	१००		
हिं०	...	७९१	...	३१·५		
मु०	...	१,७०६	...	६८·१	...	२५
अन्य	...	१०	...	·४		

१७ बोगरा

मीजान	...	२,०४८	...	१००		
हिं०	...	१७४	...	१६·६		
मु०	...	८६५	...	८२·५	...	१०
अन्य	...	९	...	·९		

१८ दार्जिलिंग

मीजान	...	२८३	...	१००		
हिं०	...	२०१	...	७१·०		
मु०	...	९	...	३·२	...	३
अन्य	...	७३	...	२५·८		

१९ पवना

मीजान	...	१,३८९	...	१००		
हिं०	...	३३४	...	२४·१		
मु०	...	१,०५५	...	७५·८	...	१४
अन्य	...	१	...	·१		

२० मालदा

मीज़ान	...	९८५	...	१००	
हिं०	...	४००	...	४०.६	
मु०	...	५०८	...	५१.६	... १०
अन्य	...	७७	...	७.८	

ढाका की कमिश्नरी

२१ ढाका

मीज़ान	...	३१,२५	...	१००	
हिं०	...	१,०६९	...	३४.२	
मु०	...	२,०४३	...	६५.४	... ३१
अन्य	...	१३	...	.४	

२२ फरीदपुर

मीज़ान	...	२,२५०	...	१००	
हिं०	...	८१६	...	३६.३	
मु०	...	१,४२८	...	६३.५	... २३
अन्य	...	६	...	.३	

२३ बाकरगञ्ज

मीज़ान	...	२,६२३	...	१००	
हिं०	...	७५४	...	२८.७	
मु०	...	१,८५१	...	७०.६	... २६
अन्य	...	१८	...	.७	

२४ मैमनसिंह

मीज़ान	...	४,८३८	...	१००	
हिं०	...	१,१७४	...	२४.३	
मु०	...	३६२४	...	७४.९	... ४८
अन्य	...	४०	...	.८	

चटगांव की कमिश्नरी

२५ टिपरा

मीज़ान	...	२७४३
हिं०	...	७०[illegible]
मु०	...	२,०३[illegible]
अन्य	...	[illegible]

२६ नौआखली

मीज़ान	...	१,४७२
हिं०	...	३२६
मु०	...	१,१४२
अन्य	...	१

२७ चटगांव

मीज़ान	...	१ ६११
हिं०	...	३६४
मु०	...	११७२
अन्य	...	७४

२८ चटगांव के पहाड़ी हिस्से

मीज़ान	...	१७३
हिं०	...	३२
मु०	...	७
अन्य	...	१३४

(नोट—हिं० = हिंदू, मु० = मुसल

परिशिष्ट

[स]

बंगाल के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुने हुए मैम्बरों का ब्यौरा

जिला	मैम्बर	हिन्दू मैम्बर	मुस्लिम मैम्बर
१—२४ परगना	२०	१६ (६४·२)	४ (३४·६)
२—बोगरा	१५	४ (१६·६)	११ (८२·५)
३—बाकरगंज	२०	५ (१ ईसाई, २८·७)	१५ (७० ६)
४—मिदनापुर	२२	२१ (८८·२)	१ (६·८)
५—राजाशाही	१८	७ (२१·३)	११ (७६·६)
६—रङ्गपुर	१८	७ (३१·५)	११ (६८·१)
७—खुलना	१६	११ (५०·०)	५ (४६·८)
८—हुगली	२०	१७ (८१·६)	३ (१६·०)
६—दार्जिलिंग	२०	१८ (अ-मुस्लिम, ७१·०, दूसरे २५·८)	२ (३·२)
१०—मैंमनसिंह	२२	कोई नहीं (२४·३)	२२ (७४·६)
११—पवनो	१६	३ (२४·१)	१३ (७५·८)
१२—नौआखाली	१६	६ (२२·३)	१० (७७·६)
१३—जलपाईगोड़ी	१६	१४ (५५·०) दूसरे २०·२	२ (२४·८) ६ (७४·१)
१४—टिपरा	१६	१३ (२५·८)	२ नामजद (तीन नामजद हुए, चांदपुर के सब डिवीज़न में चुनाव की नाकामयाबी की वजह से)

१५—नदिया	२०	१५ (३९·१)	५ (६०·२)
१६—बर्दवान	१६	१४ (७४·०)	२ (१८·५)
१७—मुर्शिदाबाद	१५	७ (४५·१)	८ (५३·६)
१८—फरीदपुर	२०	८ (३६·३)	१२ (६३·५)
१९—मालदा	१५	८ (४०·६)	७ (५१·६)

चुनाव के असफल होने से सब नामज़द किये गये।

२०—हावड़ा	१२	१० (७९·३)	२ (२०·३)
२१—वीरभूमि	१६	१५ (६८·१)	१ (?) (२५·१)
२२—बांकुरा	१०	६ (८६·३)	१ (४·६)
२३—जैसोर	१६	१ (३८·२)	१५ (६१·७)
२४—ढाका	२२	१६ (३४·२)	६ (६५·४)
२५—चटगांव	२०	कोई नहीं (२२·६)	२ (७२·८)
२६—दीनाजपुर	१८	४ (४४·१)	१४ (४९·१)

नोट—जो हिंदसे कोष्ट में दिये गए हैं, वे आबादी के मीज़ान के साथ अनुपात करते हैं।

[समाप्त]

सर्वदल-सम्मेलन

के

चौथें अधिवेशन

का

संक्षिप्त कार्य-विवरण

सर्वदल-सम्मेलन का चौथा अधिवेशन

लखनऊ, २८ से ३१ अगस्त तक, सन् १९२८ ई०

संक्षिप्त कार्य-विवरण

—○:✻:○—

सर्वदल-सम्मेलन का चौथा अधिवेशन २८ से ३१ अगस्त (सन् १९२८ ई०) तक लखनऊ में क़ैसरबाग़ की बारादरी में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस की कार्य-कमेटी के अलावा निम्न लिखित संस्थाओं के भी प्रतिनिधि उपस्थित थे—

(१) आल इंडिया लिबरल फ़ेडरेशन

(२) आल इण्डिया मुस्लिम-लीग

(३) हिंदू-महा-सभा

(४) सेंट्रल ख़िलाफ़त कमेटी

(५) सेंट्रल सिक्ख-लीग

(६) होमरूल लीग

(७) हिन्दुस्तान के ईसाइयों की अ० भा० सभा

(८) जमैयतुल उलमा

(९) अ० भा० देशी राज्य-प्रजा-सभा

(१०) एसेम्बली की काँग्रेस-पार्टी

(११) अवध की ब्रिटिश एसोसियेशन

(१२) कलकत्ते की इंडियन एसोसियेशन

(१३) महाराष्ट्र चैम्बर आफ़ कमर्स

(१४) सिंध की राष्ट्रीय लीग

(१५) दक्षिणी सभा

(१६) स्वाधीन भारत-संघ

और निम्न लिखित प्रान्तों की कांग्रेस कमेटियाँ भी सम्मिलित थीं अजमेर, आंध्र, बिहार, बंगाल, बर्मा, मध्य-प्रांत (हिन्दुस्तानी), मध्य प्रांत (मराठी), दिल्ली, गुजरात, करनाटक, केरल, पंजाब, सिंध, संयुक्त प्रांत और उतकल।

उन प्रतिनिधियों की ओर से, जो इस अधिवेशन में सम्मिलित न हो सके बहुत से संदेश आये, जिनमें उन्होंने अपने न आ सकने के लिए खेद प्रकट किया और सम्मेलन के लिए सफलता की इच्छा चाही। इसके अलावा देश के सभी हिस्सों से तार और पत्र इस आशय के आये कि सम्मेलन सफल हो।

२८ अगस्त को दोपहर के बाद सम्मेलन की कार्यवाही डा० एम० ए० अन्सारी के सभापतित्व में शुरू हुई।

महराजा महमूदाबाद ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने सन् १९१६ के लखनऊ पेक्ट की याद दिलाई और यह विश्वास किया कि उसी भाव से इस सम्मेलन में विचार किया जायगा। उन्होंने आशा की कि सब दल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट को बिना किसी शर्त के मान लेंगे।

इसके बाद सभापति का भाषण हुआ। उन्होंने नेहरू-कमेटी को बधाई दी और उसके मेम्बरों की उच्च और एकाग्र लगन

सर तेज बहादुर सप्रू, श्रीयुत अणे, सरदार मंगल सिंह, श्रीयुत शैब कुरैशी, श्रीयुत सुभाष चंद्र बोस और श्रीयुत जी प्रधान ने, जो उस कमेटी के मैम्बर हैं, जिसको इस सम्मेलन ने हिन्दुस्तान के शासन-विधान के सिद्धांतों को निश्चित करने के लिए नियुक्त किया था, किया है।

इस प्रस्ताव का समर्थन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया और इसके पक्ष में इन प्रतिनिधियों के भाषण हुए—पं० मदनमोहन मालवीय, मौलाना शौकत अली, डा० एनी बीसेन्ट, श्रीयुत जे० एम० सेन गुप्त, मौलवी मुहम्मद याकूब, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीयुत सी० विजयराघवाचारी, ज्ञानी शेर सिंह, राजा सर राम पाल सिंह, मौलाना अहमद शैद, श्रीयुत सी० वाई० चिंतामणी, एम० चागला, चौधरी बिहारीलाल और श्रीयुत तुफैल अहमद।

सम्मेलन के सिर्फ एक मैम्बर, मौलाना हसरत मोहानी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। यह प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास हुआ। लेकिन सिर्फ एक मैम्बर ने अपनी राय उसके खिलाफ़ दी।

पं० मोती लाल नेहरू और सर अली इमाम ने कमेटी की तरफ़ से, इसके लिए, सम्मेलन को धन्यवाद दिया।

दूसरा प्रस्ताव पं० मदनमोहन मालवीय ने उपस्थित किया। वह इस प्रकार है—

(२) औपनिवेशिक स्वराज्य—उन राजनीतिक दलों के कार्य करने की स्वाधीनता को बिना रोके हुए, जिनका उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता है, यह घोषणा करता है कि—

(१) जिस प्रकार का राज्य हिन्दुस्तान में स्थापित होना है, वह उत्तर-दायी होना चाहिये, यानी उस प्रकार का राज्य, जिसमें कार्यकारिणी सभा उस व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होगी, जिसके मेम्बरों को सर्व-साधारण जनता चुनेगी और जिसको पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे।

(२) उस प्रकार का राज्य, औपनिवेशिक स्वराज से किसी हालत में भी कम न होगा।

सर सी० पी० रामा स्वामी अय्यर ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और सर तेज बहादुर सप्रू ने अनुमोदन। इस प्रस्ताव पर की बहस खतम न होपाई थी कि सम्मेलन दूसरे दिन के लिए मुल्तवी हो गई।

दूसरा दिन—२८ अगस्त

पं० मदन मोहन मालवीय के औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रस्ताव पर बहस जारी रही। पं० जवाहर लाल नेहरू ने औप-निवेशिक स्वराज का विरोध किया और कहा कि हमारा उद्देश्य स्वाधीनता होना चाहिये। और उन्होंने उन लोगों की ओर से, जो स्वाधीनता के पक्ष के थे, निम्न लिखित वक्तव्य पढ़ा—

"हम लोगों की, जिन्होंने इस वक्तव्य पर अपने हस्ताक्षर किये हैं, यह राय है कि हिंदुस्तान के शासन-विधान का आधार केवल पूर्ण स्वाधीनता ही होना चाहिये। हम यह अनुभव करते हैं कि वह प्रस्ताव, जो सर्वदल-सम्मेलन के सामने उपस्थित किया गया है, निश्चय रूप से उन लोगों को, जो इसका समर्थन करते हैं, उस शासन-विधान से बाँध देता है, जिसका

आधार वह है, जिसको औपनिवेशिक स्वराज कहते हैं। हम इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं और इसलिए हम इस प्रस्ताव को स्वीकार या समर्थन नहीं कर सकते। हम यह जानते हैं कि प्रस्ताव की भूमिका हमको अपनी स्वाधीनता के पक्ष में काम करने का अधिकार देती है। परन्तु यह भूमिका उस बन्धन को, जो उस प्रस्ताव से लगा हुआ है, किसी हालत में भी कम नहीं करती है।

ख़ैर, फिर भी हमने यह निश्चय किया है कि हम इस कान्फरेंस के कार्य में विघ्न-बाधा उपस्थित न करेंगे। परन्तु हमारी यह इच्छा है कि हम इस प्रश्न के सम्बन्ध में अपनी निश्चित राय बतला दें। हम इस प्रस्ताव विशेष से उस दर्जे तक, जिस दर्जे तक औपनिवेशिक स्वराज के स्वीकार करने से सम्बन्ध है, अलग होते हैं। हम इस प्रस्ताव सम्बन्धी किसी बात में भी संशोधन उपस्थित करने या उस पर वोट देने में भाग न लेंगे, और हम पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में वैसा काम करेंगे जैसा हम उचित और आवश्यक समझेंगे"।

इस प्रस्ताव की बहस में इन मैम्बरों ने भी हिस्सा लिया—मौलाना किफ़ायतुल्ला, मुहम्मद शफ़ी, श्रीयुत सुभाष चन्द्र बोस, पं० हृदय नाथ कुंज़रू, डा० किचलू, डा० मुहम्मद आलम, श्रीयुत सी० विश्वनाथम् और सरदार शार्दूलसिंह।

मौलाना हसरत मोहानी ने इस प्रस्ताव की दूसरी धारा को रद्द करने के लिए एक संशोधन पेश किया। परन्तु चूंकि उस संशोधन का किसी ने समर्थन नहीं किया, इसलिए वह गिर गया।

इस सब के बाद जब पण्डित मदनमोहन मालवीय जवाब दे चुके, तब उक्त प्रस्ताव पर वोट लिये गये और वह सहर्ष पास किया गया।

इसके बाद सम्मेलन को बैठक दूसरे दिन के लिए मुल्तवी हुई।

तीसरा दिन—३० अगस्त

सम्मेलन का तीसरा प्रस्ताव श्रीयुत मनीलाल कोठारी ने उपस्थित किया। यह प्रस्ताव देशी रियासतों से सम्बन्ध रखता है और इस प्रकार है—

देशी रियासतें

(३) यह सम्मेलन कमेटी की उन शिफ़ारिसें को मंजूर करता है, जो देशी रियासतों से सम्बन्ध रखती हैं।

इस प्रस्ताव का श्रीयुत पथिक ने समर्थन किया। सर तेज बहादुर सप्रू मौलाना ज़फ़र अलीख़ां और पं मदन मोहन मालवीय भी इस प्रस्ताव पर बोले और यह प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास हुआ।

इस मौके पर सम्मेलन के सभापति ने यह ख़बर सुनाई कि सिन्ध के सम्बन्ध के प्रश्न पर समझौता हो गया। इस ख़बर को सुनकर सब मेम्बर ख़ुश हुए। सभापति ने अपनी ओर से समझौते को निम्न लिखित प्रस्ताव के रूप में उपस्थित किया।

(४) सिंध—नेहरू-कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, जो हिंदुस्तान में सरकार क़ायम होगी, उसके साथ ही सिंध को बम्बई से अलहदा कर दिया जायगा और एक अलग प्रांत बना दिया जायगा।

लेकिन इसके साथ शर्तें ये हैं—

(१) तहकीक़ात के बाद जब निम्न लिखित बातें मालूम कर ली जांय।

(अ) सिंध का प्रांत अपना ख़र्च आप चला ले।

(ब) जब यह मालूम हो जाय कि वह अपना ख़र्च अपने आप नहीं चला सकता है और वहां के बहु-संख्यक लोग इसे नये प्रांत के ख़र्च की जवाबदेही को बरदाश्त करने के लिये तैयार हैं।

(२) सिंध की सरकार वैसी ही होगी, जैसी इस शासन-विधान के अनुसार दूसरे प्रांतों की।

(३) सिंध प्रांत की अ-मुस्लिम लघु-संख्यक जाति को प्रांतीय और केंद्रीय व्यवस्थापिका सभाओं में अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए, वैसे ही अधिकार होंगे, जैसे अधिकार नेहरू-कमेटी-रिपोर्ट ने उन प्रांतों में मुसलमानों को दिये हैं, जहां वे लघु-संख्या में हैं।

यह प्रस्ताव सर्व-सम्मति से हर्ष-पूर्वक पास हुआ।

सम्मेलन का पांचवां प्रस्ताव प्रान्तों के पुनर्विभाग से संबन्ध रखता था। इस प्रस्ताव को पं० द्वारका प्रसाद ने उपस्थित किया और मौलवी अब्दुल माजिद ने उसका समर्थन किया।

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में बहुत से संशोधन उपस्थित किये गये। लेकिन अंत में यह प्रस्ताव कुछ संशोधनों के साथ सर्व-सम्मति से पास हुआ। प्रस्ताव यह है—

(५) यह सम्मेलन नेहरू-कमेटी की रिपोर्ट की उन शिफ़ारिसों पर, जो प्रांतों के पुनर्विभाग और उनके पद से सम्बंध रखती हैं, विचार करने के बाद, उनको शासन-विधान का एक मुख्य अंग मानकर स्वीकार करती है।

और यह सम्मेलन शिफ़ारिसें करती है कि शासन-विधान के मसविदे की ७२ वीं धारा में जो कमीशन नियुक्त करने की बात कही गई है, वह कमीशन उपरोक्त शिफ़ारिसों के सिद्धांत के अनुसार और उस कमेटी या उन कमेटियों की सहायता से, जिस या जिनका नियुक्त करना वह आवश्यक समझे, निम्न लिखित बातों को करेगा।

(अ) करनाटक और आन्ध्र को अलग प्रांतों में करने के लिए सब आवश्यक साधनों को जुटाएगा।

(ब) उन भिन्न भिन्न क्षेत्रों को, जहां उड़िया बोली जाती है, एक जगह मिलाने की कोशिश करेगा और इस मिले हुए क्षेत्रफल का एक प्रांत बनाएगा। लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि यदि उस क्षेत्र-फल के लोग अलग सूबे के ख़र्च को बरदाश्त करने के लिए क़ाबिल हैं या तैयार हैं।

(स) मध्य प्रांत (हिंदुस्तानी), केरल और दूसरे देश, जो अपने यहां भाषा के अनुसार अलहदा प्रांत बनवाना चाहें, उन सब के बारे में वह रिपोर्ट व करेगा।

(द) वह उन सिद्धांतों के अनुसार, जिनकी शिफ़ारिस नेहरू-कमेटी ने की है आसाम और बंगाल, बिहार और उड़ीसा और मध्य प्रांत (हिंदुस्तानी), केरल और करनाटक की सीमाओं को फिर से निश्चित करेगा।

सभापति ने इस प्रस्ताव को अपनी ओर से रक्खा और यह सर्व-सम्मति से पास हुआ।

इसके बाद, ला० लाजपत राय ने इस आशय का एक प्रस्ताव उपस्थित किया कि नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में जो शासन-विधान दिया हुआ है, उसके सिद्धान्तों को यह सम्मेलन स्वीकार करता है। इस प्रस्ताव का समर्थन श्रीयुत ए० रंगा स्वामी आयंगर ने और अनुमोदन श्रीयुत बिपिन चन्द्र पाल ने किया। श्रीयुत चागला ने एक संशोधन उपस्थित किया, जो शासन-विधान के संशोधन से सबन्ध रखता था। बाद को श्रीयुत चागला का संशोधन कुछ बदल दिया गया और सम्मेलन ने उसको एक प्रस्ताव के रूप में ३१ अगस्त को पास किया। यह सब उस दिन की कार्यवाही में दिया हुआ है।

आज की बैठक कल, यानी ३१ अगस्त के लिए मुल्तवी की गई।

चौथा दिन—३१ अगस्त

ला० लाजपत राय के प्रस्ताव पर आज बहस हुई। श्री० विजय राघवाचार्य ने एक इस आशय का संशोधन उपस्थित किया कि नेहरू—रिपोर्ट के बतलाये हुए सिद्धान्तों के स्वीकार करने के बजाय, उसकी प्रत्येक धारा पर विचार होना चाहिए। इस संशोधन का समर्थन श्री० विश्वनाथम् ने किया और उसका विरोध श्री० बिपिनचंद्र पाल ने।

इस मौक़े पर लाला जी के प्रस्ताव पर की बहस को मुल्तवी कर दिया गया। क्योंकि यह समाचार मिला कि पंजाब के प्रतिनिधि लोगों में पंजाब के प्रश्न पर समझौता होगया है। लालाजी के प्रस्ताव के संशोधित रूप पर बाद को विचार हुआ।

पंजाब—प्रश्न के समझौते के विषय में सभापति ने जो शुभ समाचार सुनाया, उसका सब मेम्बरों ने बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया। इस समझौते पर इन सज्जनों के हस्ताक्षर थे—डाक्टर एस० डी० किचलू, मौलाना ज़फ़र अली खाँ, डाक्टर मुहम्मद आलम, श्री० अब्दुर्रहमान ग़ाज़ी, श्री० दाऊद ग़ज़नवी, श्री अफज़ल हक़, श्री० सिराजुद्दीन बिरला, श्री० अब्दुल क़ादिर, श्री० एस० हुसामुद्दीन, सरदार शार्दूलसिंह कवीशर, ला० लाजपतराय, ला० दुनीचंद; पं० हीरादत्त शर्मा, डाक्टर सत्यपाल और ला० गिरधारी लाल।

मास्टर ताराचन्द और ज्ञानी शेरसिंह ने इस समझौते के के साथ अपना एक वक्तव्य लगा दिया है।

सर्व दल-सम्मेलन के सभापति ने इस समझौते और इस वक्तव्य को सम्मेलन की स्वीकृत के लिए उपस्थित किया। वह समझौता और वक्तव्य निम्नलिखित है—

(६) **पंजाब**—पंजाब के मुसेलमान लोग उस योजना की, जिसकी नेहरू-कमेटी की रिपोर्ट ने शिफ़ारिस की है, प्रस्तावना के साथ उसकी उन शिफ़ारिसों को मंजूर करते हैं, जो साम्प्रदायिक चुनाव से संबंध रखती हैं। इन शिफ़ारिसों में सम्मिलित चुनाव बतलाया गया है और पंजाब की किसी जाति के लिए भी जगहों के सुरक्षित करने के लिए नहीं कहा

गया है। लेकिन हम इन शिफ़ारिसों को उस हालत में मानने के लिए तैयार हैं, जब हर बालिग़ स्त्री-पुरुष को वोट देने का अधिकार दिया जाय।

इसके अलावा एक और भी शर्त है। वह यह कि पंजाब में इस योजना पर, जिसकी शिफ़ारिस की गई है, दस साल तक अमल करने के बाद, साम्प्रदायिक चुनाव के प्रश्न पर, उस हालत में, जब कि कोई जाति चाहे, फिर विचार किया जायगा।

मास्टर तारासिंह और ज्ञानी शेरसिंह का वक्तव्य—

"(१) हम लोग, जिनके इसके नीचे हस्ताक्षर हैं, नेहरू-रिपोर्ट को इस शर्त पर मानने के लिए तैयार हैं कि पञ्जाब में चुनाव का तरीक़ा संख्यानुसार हो।

(२) हम यह मानते हैं कि हर बालिग़ स्त्री-पुरुष के अधिकार को देना, प्रजा-तंत्र का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। परन्तु हम यह अनुभव करते हैं कि देशकी हालत को देखे, इस सिद्धांत पर अमल नहीं हो सकता।

(३) यदि यही तै होजाय कि हर बालिग़ स्त्री-पुरुष को जल्द से जल्द वोट का अधिकार मिलना चाहिए, तो हमने जो ऊपर कहा है, उसको नोट कर लिया जावे।

हम यह भी कर देना चाहते हैं कि यदि हर बालिग़ स्त्री-पुरुष को वोट देने का अधिकारी होना चाहिए, यदि यह पास भी होगया, तो हम उसके बारे में कोई शिकायत नहीं करेंगे। हम यह समझते हैं कि हर बालिग़ को वोट देने के अधिकार के साथ साम्प्रदायिक चुनाव का कोई सिद्धान्त सीधे या किसी दूसरे तरीक़े से नहीं माना जायगा। क्योंकि हम इसके बड़े विरोधी हैं।

मौलाना शौकत अली ने एक बयान दिया कि सैंट्रल खिलाफ़त कमेटी अपने उस प्रस्ताव को, जो पंजाब-समझौते से संबंध रखता है, अभी तक बदला नहीं है।

यह प्रस्ताव देहली वाले मुस्लिम-प्रस्तावों का समर्थन करता था और कमेटी भी उनका समर्थन करती थी। डाक्टर मुहम्मद आलम और श्री० अब्दुल क़ादिर, मौ० शौक़त अली से सहमत न थे। उन्होंने कहा कि मौ० शौकत अली ने जो बयान दिया है, उसके लिए उन्हें ख़िलाफ़त कमेटी की ओर से इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि कमेटी ने पंजाब के प्रश्न के फैसले का काम पंजाब के प्रतिनिधियों के सुपुर्द कर दिया है। उन प्रतिनिधियों का फैसला ही ख़िलाफ़त कमेटी का फैसला समझा जायगा।

इसके बाद सम्मेलन ने पंजाब के प्रश्न के फैसले के बारे में अपनी सहमति प्रकट की और उसको स्वीकार किया।

बाद को, डाक्टर एनीबिसेंट और श्रीयुत सरोजनी नायडू के भाषण हुए, जिनमें उन्होंने सम्मेलन और समस्त देश को इस बात के लिए बधाई दी कि देश का यह पुराना झगड़े का सवाल हल होगया। डाक्टर एनी बिसेंट ने कहा कि हिन्दुस्तानी एकता और हिंदुस्तानी स्वतंत्रता ने आज साम्प्रदायिकता पर विजय प्राप्त की है।

श्री० अकराम खाँ और श्री० जे० एम० सेन-गुप्त ने बंगाल के हिंदू और मुसलमानों की ओर से रिपोर्ट की उन धाराओं को स्वीकार किया, जो बंगाल से संबंध रखती है।

शासन-विधान के संशोधन के संबंध में जो श्री० चागला का प्रस्ताव था, उस पर कुछ बहस हुई। परन्तु अन्त को निम्न लिखित प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास हुआ।

(७) **शासन-विधान का संशोधन**—"यह सम्मेलन यह शिफ़ारिस करती है कि नेहरू-कमेटी को अपनी शिफ़ारिसों की ८७ वीं धारा पर फिर से विचार करने के लिए अधिकार दिया जाता है कि वह उसको इस प्रकार संशोधित करदे, जिससे, शासन-विधान के संशोधनं के अनुसार, केंद्रीय व्यवस्थापिका की भिन्न भिन्न लघु-संख्यक जातियों के हितों और अधिकारों की रक्षा हो जाय।"

इसके बाद निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास हुआ—

(८) **देशी रियासतों के नागरिक**—देशी रियासतों का प्रत्येक नागरिक, जो साधारण प्रजा-तंत्र-राज्य में तिजारत करता है या उसमें रहता है, वह प्रजा-तंत्र-राज्य का नागरिक होने का अधिकारी होगा।

मौलवी शफ़ी दाऊदी ने, इसके बाद, यह प्रस्ताव पेश किया कि प्रजा-तंत्र-राज्य की भाषा हिंदुस्तानी होनी चाहिए, जो हिंदी या उर्दू की लिपि में लिखी जावे।

इस प्रस्ताव पर कुछ बहस हुई और इस संबंध में तरह तरह के संशोधन उपस्थित किये गये। अन्त में, निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास हुआ—

(९) **भाषा**—सर्वदल-सम्मेलन की कमेटी निम्नलिखित बातों पर विचार करे और रिपोर्ट दे—

(१) लघु-संख्यक जातियों को अधिकार देना कि उनके लड़के-बच्चों को, उनकी भाषा के स्कूलों में उस लिपि में पढ़ाया जाय, जिसका उनमें प्रचार है।

(२) हिंदुस्तानी, प्रजा-तंत्र-राज्य की भाषा हो और राज्य को हिन्दी या उर्दू की लिपि के इस्तैमाल करने का अधिकार हो। साथ साथ अंग्रेजी भाषा के इस्तैमाल की भी इजाज़त दी जाय।

(३) प्रत्येक सूबे में सरकारी कामों में उसी सूबे की भाषा ही काम में लाई जाय और स्व तंत्रता दी जाय कि साथ में हिन्दुस्तानी या अंग्रेज़ी का भी इस्तैमाल किया जाय।

इसके बाद, पंडित मदन मोहन मालवीय ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि निम्न लिखित धारा अधिकार-घोषणा में और जोड़ दी जाय—

(१०) **पद और जायदाद**—वे सब पद और जायदाद आगे भी रहेंगे, जो प्रजा-तंत्र-राज्य की स्थापना होने के समय क़ानूनन प्राप्त की गई हैं और जिनको बिलसा जा रहा हैं,

इस प्रस्ताव का विरोध हुआ, परन्तु कुछ बहस के बाद यह सर्व-सम्मति से पास हुआ।

सम्मेलन ने निम्न-लिलित प्रस्ताव को भी सर्व-सम्मति से पास किया—

(११) **मारूसी हक्क़**—अधिकार घोषणा की १७ वीं धारा में "बेरोज़गारी" शब्द के बाद ये शब्द और जोड़ देने चाहिये—"और पार्लामेंट उचित लगान और किसान के मौरूसी हक़ को निश्चित करने के लिए नियम बनाएगी।

सम्मेलन ने निम्न लिखित प्रस्ताव भी पास किया—

(१२) **बिलोचिस्तान**—मेहरू-कनेटी की रिपोर्ट के पृष्ठ पर की ७ वी शिफ़ारिस के 'सीमा प्रांत' के बाद 'बिलोचिस्तान' और जोड़ दिया जाय।

इसके बाद ला० लाजपत राय के इस प्रस्ताव पर बहस

हुई कि नेहरू-कमेटी की रिपोर्ट के सिद्धान्तों को मान लेना चाहिये। इस प्रस्ताव में बहुत कुछ बढ़ाया गया। बहुत से संशोधन गिर गये। अन्त में निम्न लिखित प्रस्ताव पास हुआ, जिसका केवल एक मैम्बर ने विरोध किया—

(१३) कमेटी की पुनर्नियुक्ति—यह सम्मेलन उस रिपोर्ट पर विचारकरने के बाद, जिसको नेहरू-कमेटी ने उपस्थित किया है, शासन-विधान के उन सिद्धांतों को स्वीकार करता है, जिनकी उस रिपोर्ट में शिफ़ारिस कीगई है।

यह सम्मेलन नेहरू-कमेटी को फिर नियुक्त करने का निश्चय करती है और उसको यह अधिकार देती है कि वह अपने में और मैम्बरों को बढ़ा ले और किसी ऐसे आदमी को इस बात के लिए चुन ले तथा हिदायत कर दे जो इस शासन-विधान में, जिसकी नेहरू-कमेटी ने शिफ़ारिस की है और जिसको सम्मेलन ने स्वीकार किया है, आवश्यक बातों को बढ़ा दे, और उसको एक बिल की सूरत में तैयार करे, जो उन सब राजनीतिक व्यापारिक, मज़दूर तथा अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सन्मुख उपस्थित किया जाय, जो इस सम्मेलन में उपस्थित हैं, और उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सन्मुख, जो कम से कम दो साल से चली आ रही हैं। लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि ऐसी बात न तो कोई बढ़ाई जाय और न घटाई जाय, जो इस सम्मेलन के समझौतों और फ़ैसलों के ख़िलाफ़ हो।

कमेटी उपरोक्त सभा करने के लिये सब आवश्यक साधन ग्रहण करेगी। यह सभा उस तारीख़ को होगी, जिसको कमेटी नियत करेगी।

कमेटी बिल तैयार करने के वक्त इस रिपोर्ट की फ़हरिस्त नम्बर १ और २ को अपने ध्यान में रखेगी, और वह इन फ़हरिस्तों में ऐसे परिवर्तन कर सकेगी, जिनको वह आवश्यक समझेगी।

मास्टर तारा सिंह और ज्ञानी शेर सिंह ने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपना निम्न लिखित वक्तव्य उपस्थित किया—

"हम इस प्रस्ताव को अपने उस वक्तव्य के साथ, जिसको

हम पहले पंजाब के प्रश्न के समझौते के संबंध में उपस्थित कर चुके हैं, स्वीकार करते हैं।"

श्री० ई० अहमदशाह ने हिन्दुस्तानी ईसाइयों की अ० भा० कान्फरेंस की ओर स निम्न लिखित वक्तव्य दिया—

"हिंदुस्तानी ईसाइयों की अ० भा० कान्फरेंस अपने मामले को जोर देकर सर्व दल-सम्मेलन के सामने उपस्थित करती है और यह प्रार्थना करती है कि जिस प्रकार सीमा प्रांत में लघु-संख्यक हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रांत में लघु-संख्यक मुसलमानों के लिए और जिस प्रकार पंजाब* में सिक्खों के लिए संख्यानुसार चुनाव का विशेष अधिकार दिया गया है, उसी प्रकार न्याय के नाम पर हिंदुस्तान की एक तीसरी लघु-संख्यक जाति 'ईसाई के लिए भी व्यवस्थापिका सभा के चुनाव में स्थान देना चाहिए।"

सम्मेलन के सभापति ने अपनी ओर से निम्न लिखित प्रस्ताव उपस्थित किया—

(१४) **समूची योजना**—"यह सम्मेलन यह घोषणा करती है कि इन पिछले प्रस्ताव तथा फ़ैसलों में जो समझौते दिये हुए हैं, उनका आधार यह विचार है कि जो योजना नेहरू-रिपोर्ट ने दी हुई है और जिस को इस सम्मेलन ने स्वीकार किया है, उस सब पर इस विचार को लेकर अमल किया जायगा कि इस रिपोर्ट की शिफ़ारिसें एक दूसरे पर अवलंबित हैं और इस सम्मेलन में जो सब दल सम्मिलित हुए है, वे सब इस बात के लिए राज़ी हैं कि हर एक इस सब रिपोर्ट का समर्थन करेगा और इस के एक हिस्से को उस समय तक स्वीकार करने से इनकार करेगा, जब तक इसके और सब शेष हिस्सों पर पूरी तौर से अमल नहीं होगा।

इसके साथ शर्त यह है कि यदि इस योजना के संबंध में कोई उलट-

---

*यह कहना ग़लत है। पंजाब में सिक्खों के लिए संख्यानुसार चुनाव का कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है।

—मंत्री अ० भा० कॉंग्रेस-कमेटी।

फेर की जायगी, तो वह, उसेपर सब दलों के समझौते या सहिमति के हो जाने पर ही, स्वीकार होगी।"

यह प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास हुआ। केवल एक मेम्बर ने इसका विरोध किया।

इसकेबाद एक और प्रस्ताव, जो इस सम्मेलन का अन्तिम प्रस्ताव था, सभापति ने उपस्थित किया। वह प्रस्ताव यह है—

(१५) यह सब दल-सम्मेलन श्रीमती नायडू से यह प्रार्थना करती है और यह अधिकार देती हैं कि वे पश्चिम देशों के लोगों से, जिनसे वे मिलने जा रही हैं, हिंदुस्तान के लोगों की नमस्कार कहें और उनको यह सूचना दें कि हिंदुस्तान अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए और उससे संसार की शांति में योग देने के लिए कटिबद्ध है।

इसके बाद पं० मदन मोहन मालवीय ने सभापति को धन्यवाद देने का प्रस्ताव रक्खा। उसका महाराजा महमूदाबाद ने समर्थन किया और उसको सम्मेलन ने बड़े हर्ष के साथ पास किया। इसके बाद सभापति ने उसका उत्तर दिया।

अन्त में पं० मोतीलाल नेहरू ने उन सब के लिए, जो लखनऊ में आये थे और कार्यकर्त्ताओं तथा स्वयंसेवकों के लिए, जिन्होंने कान्फरेंस के प्रबन्ध में सहायता पहुंचाई थी, धन्यवाद की प्रस्ताव उपस्थित किया। श्रीमती सरोजनी नायडू ने उसका समर्थन किया और उसको बड़ी ख़ुशी के साथ सम्मेलन ने पास किया।

इसके बाद सभापति ने कहा कि अब सम्मेलन की कार्यवाही समाप्त होती है। बस इसके बाद अधिवेशन समाप्त हुआ।

—:o:—